षोडश माला, खंड 6, अंक 17

मंगलवार, 16 दिसम्बर 2014
25 अग्रहायण, 1936 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 6 में अंक 11 से 22 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध करने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 2014 / 1936 (शक)

अंक 17, मंगलवार, 16 दिसम्बर 2014 / 25 अग्रहायण, 1936 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 321 से 325	14-18, 20-44
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 326 से 340	45
अतारांकित प्रश्न संख्या 3681 से 3910	45

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित चिह्न + इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक)	केंद्र सरकार द्वारा संघीय सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करने के बारे में	19
(दो)	25 दिसम्बर, 2014 को सुशासन दिवस मनाने हेतु सीबीएसई के विद्यालयों को खुला रखने के बारे में	119-121

सभा पटल पर रखे गए पत्र 46-66, 144

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
पहला से चौथा प्रतिवेदन 67

रक्षा संबंधी स्थायी समिति
पहला प्रतिवेदन 68

वित्त संबंधी स्थायी समिति
पहला से तीसरा और पांचवें से सातवाँ प्रतिवेदन 69

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति
पहला और दूसरा प्रतिवेदन 70

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - एक मूल्यांकन' विषय पर कृषि संबंधी स्थायी समिति के 61वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति
श्री राधा मोहन सिंह 71

(दो) 'जम्मू-कश्मीर के प्रवासियों का पुनर्वास' के बारे में समिति के 137वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 179वें प्रतिवेदन तथा "संघ राज्यक्षेत्र (दमन और दीव, दादर और नागर हवेली तथा

चंडीगढ़) का प्रशासन ' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 180वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री हरिभाई चौधरी 72

कार्य मंत्रणा समिति के 9वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 73

नियम 377 के अधीन मामले 122-143

(एक) मंडला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धान और मक्का की खरीद हेतु पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री फग्गनसिंह कुलस्ते 122

(दो) कर्नाटक के कोप्पल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्टेट फार्म्स कारपेरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास अप्रयुक्त पड़ी भूमि में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, चावल पार्क तथा बीज विकास एकक स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री कारादी सनगन्ना अमरप्पा 123

(तीन) कोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान में वन्य जीवों से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिये उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री ओम बिरला 124

(चार) पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरकारी एजेंसियों के पास उर्वरकों और बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री रविन्द्र कुशवाहा 125

(पांच) लालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में रेल सेवाओं में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता

श्रीमती नीलम सोनकर 126

(छह) राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान में दाखिले में राजस्थान के अधिवासी विद्यार्थियों को आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत 127-128

(सात) ऋषिकेश, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह टर्शिअरी कैंसर केअर सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक 129

(आठ) बिहार के गया जिले में प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत शामिल किये गये गांवों में विकास कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता

श्री हरि मांझी 130

(नौ) अंबाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, हरियाणा में समपारों पर अंडरपास तथा उपरिपुल बनाये जाने की आवश्यकता

श्री रत्न लाल कटारिया 131

(दस) उत्तर प्रदेश में मेरठ और हस्तिनापुर के बीच रेल लाइन का निर्माण शुरू किये जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल 132

(ग्यारह) रमनगढ़ जिला, कर्नाटक में एक नवोदय विद्यालय, एक केंद्रीय विद्यालय और एक एकलव्य आवासीय विद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री डी.के. सुरेश 133

(बारह) सेवानिवृत्त अधिकारियों का सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर जीवनयापन सुनिश्चित करने हेतु सशस्त्र बलों में अल्पकालीन सेवा आयोग योजना का पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता

डॉ. शशि थरूर 134

(तेरह) कृष्णागिरि, तमिलनाडु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री के. अशोक कुमार 135-136

(चौदह) ऑनलाइन रिटेल स्टोर द्वारा कर चोरी रोकने तथा ऑफ लाइन रिटेल सेक्टर के हितों की रक्षा के लिये विनियामक तंत्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री एस. सेल्वाकुमार चिन्नैयन 137

(पंद्रह) आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में तारकेश्वर और आरामबाग के बीच रसूलपुर में नये हॉल्ट स्टेशन का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता

श्रीमती अपरूपा पोद्दार 138

(सोलह) ओडिशा में पर्यटन स्थलों को बुद्धिस्ट सर्किट में शामिल किये जाने तथा बीजू पटनायक एयरपोर्ट, भुवनेश्वर का उन्नयन किये जाने की आवश्यकता

139

श्री बैजयंत जे. पांडा

(सत्रह) मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता

140-141

श्री अरविंद सावंत

(अठारह) वैशाली संसदीय क्षेत्र बिहार में गरौल और मोतीपुर में बंद पड़ी चीनी मिलों को पुन: चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री रामा किशोर सिंह 142

(उन्नीस) कोल्हापुर एयरपोर्ट, महाराष्ट्र से मुंबई तथा तिरुपति के लिए उड़ानों का संचालन शुरू करने की आवश्यकता

श्री धनंजय महाडीक 143

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2014 145-198

विचार करने के लिए प्रस्ताव 145
श्री एम. वैंकैय्या नायडू 145-147, 195-209
श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा 148-151
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा 152-157
श्रीमती के. मरगथम 158-160
प्रो. सौगत राय 161-164
श्री तथागत सत्पथी 165-168
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे 169
डॉ. ए. संपत 170-173
श्री बी. विनोद कुमार 174
श्री भगवंत मान 175-176
श्री दुष्यंत चौटाला 177-178
श्री रमेश बिधूड़ी 179-182
श्री मनोज तिवारी 183-184
श्री महेश गिरी 185-186
डॉ. उदित राज 187-188
श्रीमती मीनाक्षी लेखी 189-192
श्री कँवर सिंह तँवर 193
श्री राहुल शेवाले 194
खंड 2 से 5 और 1 210
पारित करने के लिए प्रस्ताव 211

कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014 212-227

विचार करने के लिए प्रस्ताव 212
श्री अरुण जेटली 212-213
श्री एम. वीरप्पा मोइली 214-222
डॉ. किरीट सोमैया 223-227
श्री एस.आर. विजय कुमार 228-230

प्रो. सौगत राय 231-234
श्री पिनाकी मिश्रा 235-239
श्री प्रेम दास राई 240-241
श्री विनायक भाऊराव राऊत 242-244

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

मंगलवार, 16 दिसंबर 2014 / 25 अग्रहायण, 1936 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदया, मैंने सरकार द्वारा संघीय ढांचे पर हमले के संबंध स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मुझे प्रो. सौगत राय और श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

प्रो. सौगत राय द्वारा प्रस्तुत सूचना में कई मुद्दों को उठाने का प्रयास किया गया है। लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 56 के तहत, अविलंबनीय लोक महत्व के मामले एक निश्चित स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उठाया जा सकता है। इसके अलावा, नियम 58(2) के तहत, एक स्थगन प्रस्ताव एक ही प्रस्ताव पर एक से अधिक मामले नहीं उठाएगा। आपने जो कुछ भी लिखा है वह इसके अनुरूप नहीं है। इसलिए, प्रो. सौगत राय के स्थगन प्रस्ताव की सूचना अस्वीकार्य है।

श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा के स्थगन प्रस्ताव की सूचना में उठाए जाने वाले मामले पर अन्य अवसरों के माध्यम से चर्चा की जा सकती है। मैं प्रश्नकाल के बाद उन्हें अनुमति दूँगी और हम उस पर विचार करेंगे। इसलिए, मैंने स्थगन प्रस्ताव की दोनों सूचनाएं अस्वीकार कर दी हैं।

...(*व्यवधान*)

<u>पूर्वाह्न 11.02 बजे</u>

इस समय श्री अभिषेक बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): माननीय सदस्य, प्रश्नकाल के दौरान अपने स्थान पर वापस जाएँ। ... (*व्यवधान*) महोदया, अन्य माननीय सदस्यों को प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न उठाने के अवसर से वंचित होना पड़ रहा है।... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, हर रोज सदन को डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं है।...(व्यवधान) यह देश के साथ अन्याय कर रहे हैं।...(व्यवधान) बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और उस पर चर्चा होना बाकी है, इसलिए हाउस को रेग्युलरली चलने दीजिए।...(व्यवधान) अगर इनका हाउस चलाने का मन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं।...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02 ½ बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती अनुप्रिया पटेल - प्रश्न संख्या 321

(प्रश्न संख्या 321)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल: सरकार की परिभाषा के अनुसार, किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) को उस स्थिति में 'रुग्ण' घोषित किया जाता है, जब किसी एक वित्तीय वर्ष में उसका संचयी घाटा, उससे पूर्ववर्ती चार वर्षों की औसत निवल संपत्ति के 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो, तथा/या यदि उसे 'रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985' के अंतर्गत 'रुग्ण' की परिभाषा में सम्मिलित किया जा सके।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का सर्वेक्षण 2012-13 के अनुसार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सी.पी.एस.ई.) की संख्या 2004-05 में 90 थी, जो मार्च 2012 तक घटकर 66 रह गई, लेकिन फिर पुनः बढ़कर 79 हो गई। सभी सार्वजनिक उपक्रमों में घाटे के कारण निश्चित रूप से एक नहीं, बल्कि कई हैं जिन्हें पहचानना आवश्यक है।... (*व्यवधान*)

माननीय मंत्री जी, मेरा पहला प्रश्न यह है कि देश के हित में सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सी.पी.एस.ई.) की समस्याओं को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाना चाहती है? क्या सरकार के लिए केवल

---

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

इसे बेचना ही एक विकल्प है, या क्या वह प्रबंधन, स्टाफिंग या अन्य जरूरी बदलाव करके इन उपक्रमों को फिर से मजबूत करने पर भी विचार कर रही है?… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या ने हमारे जो सार्वजनिक लोक उद्यम सिक हैं, उनके बारे में चिन्ता जताई है, मैं इनकी इस चिन्ता से सहमत हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि डिसइन्वेस्टमेंट हमारी कोई प्रॉयरटी नहीं है, रिवाइवल के बारे में सरकार गंभीर है। उस दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ...(व्यवधान) जो मूल प्रश्न है, उस मूल प्रश्न के उत्तर में हमने इसकी जानकारी दी है। सरकार के द्वारा निश्चित रूप से यह प्रयास किया जा रहा है कि जो सरकारी उद्यम, जिनको हम रिवाइव कर सकते हैं, उनके लिए निश्चित रूप से प्रयास किए जाएंगे।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती अनुप्रिया पटेल: महोदया, माननीय मंत्री से मेरा दूसरा प्रश्न उन कर्मचारियों से संबंधित है जो इन रुग्ण पी.एस.यू. में कार्यरत हैं। … (*व्यवधान*) मेरी जानकारी के अनुसार, घाटे में चल रहे सभी पी.एस.यू. में कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 2,50,000 है, जो एक बहुत बड़ी संख्या है।… (*व्यवधान*) इन रुग्ण इकाइयों की बिक्री और विनिवेश के मामले में इन कर्मचारियों के प्रति सरकार की क्या योजना और जिम्मेदारी है? … (*व्यवधान*) उनके हितों की रक्षा कैसे होगी? … (*व्यवधान*) मैं यह प्रश्न विशेष रूप से त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड के संबंध में पूछ रही हूं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में नैनी, इलाहाबाद में स्थित है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्ष महोदया, हमारे जो सारे सिक उद्योग हैं,...(व्यवधान) उपक्रम हैं, उनके कर्मचारियों की चिन्ता सरकार को है। ...(व्यवधान) इसलिए कई वर्षों से, लगभग 2004-05 से जितनी भी सिक

यूनिट्स हैं, उनके कर्मचारियों को हम लगातार वेतन देते आए हैं।...(व्यवधान) माननीय सदस्या ने खासकर त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड के बारे में सवाल किया है। यह मामला न्यायालय में है और न्यायालय ने प्रोविज़नल लिक्वीडेटर को नियुक्त किया है।...(व्यवधान) इसलिए हमने लॉ मिनिस्ट्री से उसके बारे में राय ली है। ...(व्यवधान) लॉ मिनिस्ट्री ने कार्पोरेट अफेयर्स से राय लेने के लिए हमें कहा है।...(व्यवधान) हमने यह राय कार्पोरेट अफेयर्स से मांगी है। जैसे ही मंत्रालय को उनकी राय उपलब्ध होगी, वैसे ही त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड के कर्मचारियों के वेतन के बारे में निश्चित रूप से निर्णय किया जाएगा।

श्री उदय प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जैसा माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि जो पीएसयूस हैं, हमारी जो सिक इंडस्ट्रीस हैं, उनकी मदद करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे सरकारी क्षेत्र में जो घाटे में पीएसयूस चल रहे हैं, उनके लिए हमारी सरकार ने कोशिश की है कि जो दूसरे पीएसयूस हैं, उनको मदद करने का काम करेंगे। यह सरकार की नीति है।...(व्यवधान) सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के मामले में सरकार की स्पष्ट नीति है और इस बात से हम सहमत भी हैं कि हमारी सरकार बेहतर प्रयास कर रही है। हमारे जो बीमार पीएसयूस हैं, उनको दोबारा रास्ते पर लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।...(व्यवधान) इसके लिए अभी चार पीएसयूस को लगभग 32 करोड़ रुपए की मदद सरकार ने की है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो प्राइवेट सैक्टर में उद्योग लगते हैं, निजी क्षेत्र के उद्योग हैं, उसमें बैंकों से बड़ा लोन लिया जाता है, सब्सिडी ली जाती है, लेकिन देर-सवेर कर्मचारियों की, देश की परवाह न करते हुए ऐसे उद्योगों को सब्सिडी और लोन लेने के बाद निजी क्षेत्र के संस्थान उनको अपने हाल पर छोड़ कर घाटा दिखा कर बंद कर देते है, ...(व्यवधान) जिससे कर्मचारियों को लगे,...(व्यवधान) हमारे काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, उनको भारी क्षति होती है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की कोई नीति है कि निजी क्षेत्र में जो बीमार उद्योग हैं, उन पर कोई ठोस कदम उठाएगी, कोई ठोस निर्णय लेगी? इस तरह के संस्थानों को लाभ कमाने के बाद निजी उद्योगपति बीच रास्ते में छोड़ कर चले जाते हैं और हमारे जो कर्मचारी हैं, उनका नुकसान करके जाते हैं।...(व्यवधान) क्या सरकार उनकी मदद के लिए कोई प्रयास करेगी?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्ष महोदया, इस सवाल का मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। जो मूल प्रश्न है, वह सरकारी उद्योगों के सन्दर्भ में है और माननीय सदस्य ने निजी उद्योगों के बारे में जानकारी चाही है। ...(व्यवधान) अगर इस सन्दर्भ में जानकारी चाहिए तो वे स्वतंत्र रूप में सूचना दे सकते हैं और यह प्रश्न उद्योग मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। ...(व्यवधान) यह प्रश्न मेरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ नहीं है। ...(व्यवधान) आप यदि स्वतंत्र प्रश्न पूछेंगे तो उसकी जानकारी निश्चित रूप से आपको मिलेगी। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. के. वी. थॉमस: महोदया, एच.एम.टी. होल्डिंग्स लिमिटेड की पांच इकाइयां हैं जिनमें से कोच्चि इकाई एकमात्र ऐसी इकाई है जो लाभ कमा रही है। जिस कंसल्टेंसी फर्म को नियुक्त किया गया है, उसने सरकार से सिफारिश की है कि कोच्चि यूनिट को अलग कर दिया जाए और इसे विकसित किया जाए। क्या माननीय मंत्री कलमस्सरी में कोच्चि यूनिट पर सकारात्मक निर्णय लेंगे?

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते : महोदया, माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, वह वास्तव में सच है। जो एच.एम.टी. की पाँच यूनिट्स हैं, उनमें कोच्चि यूनिट मुनाफा कमा रही है। उन्होंने कोच्चि यूनिट को अलग करने के बारे में सुझाव दिया है। उन्होंने आज **यहां** पर जो सुझाव दिया है, उस पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे। ...(व्यवधान)

<u>पूर्वाह्न 11.12 बजे</u>

इस समय श्री अभिषेक बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: माननीय अध्यक्ष महोदया, मार्च 2012 के अंत में भारी उद्योग विभाग से संबंधित एक समीक्षा की गई थी। 16,639 करोड़ रुपये के सकल ब्लॉक के साथ, 88,894 लोगों को रोजगार देकर, उन्होंने 5,611 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। पहली नजर में यह स्थिति अच्छी नहीं लगती, लेकिन ध्यान से देखें तो इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से 23 का संचयी घाटा 22,976 करोड़ रुपये था, जबकि केवल नौ के पास संचयी लाभ था। 32 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से सत्रह में नकारात्मक वृद्धि हुई। यदि ऐसा है, तो क्या सरकार इस बात से सहमत होगी कि ये सत्रह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम विकास रहित नौकरियों को बढ़ावा दे रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते : महोदया, माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, उससे मैं पूरी तरह से सहमत **हूं।** जो हमारी सिक यूनिट्स हैं, जो 23 उद्योंगों के बारे में उन्होंने जानकारी दी है कि वे घाटे में चल रहे हैं, उन्हें घाटे से बाहर निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है और उस दिशा में सरकार बिल्कुल सजग है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी : महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो..

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट प्लीज।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) केंद्र सरकार द्वारा संघीय सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करने के बारे में

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि यह जो पद्धति है नारा लगाना, गालियाँ देना, क्योंकि पूरे देश में लाइव टेलिकास्ट चल रहा है, उसके बाद फिर बाहर जाना, इससे हम लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूं कि शारदा स्कैम के सन्दर्भ, सी.बी.आई. के व्यवहार के सन्दर्भ में फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ दी कांस्टीट्यूशन उसके मेन्टीनेंस के सन्दर्भ में यदि बहस चाहिए तो हम तैयार हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

वे सरकार पर आरोप लगाकर नहीं जा सकते, महोदया। सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। मैं इसे रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं। सदन में 'संघवाद' के नारे से भ्रष्टाचार को नहीं बचाया जा सकता। मैं यही कहना चाहता हूं। उन्हें सूचना देने दीजिए और सभा में चर्चा होने दीजिए। सरकार किसी भी समय चर्चा के लिए तैयार है, जैसा आप तय करें। सारदा घोटाले पर चर्चा हो सकती है, लेकिन यह तरीका उचित नहीं है। … (*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.15 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-जारी...

माननीय अध्यक्ष: श्री कोश्यारीजी।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री भगत सिंह कोश्यारी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एच.एम.टी. का कारखाना है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, इस प्रकार के विषय प्रश्नकाल के दौरान नहीं उठाए जा सकते। इन्हें अन्य समय पर लिया जा सकता है। ऐसे मामले को संसदीय कार्य मंत्री कैसे उठा सकते हैं?… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: वे केवल इशारा कर रहे हैं।

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने हमें कभी अनुमति नहीं दी। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैंने उन्हें अनुमति दी है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह कोई आदेश या स्पष्टीकरण या कुछ भी नहीं था। नहीं, वे इसे कार्यवाही-वृतांत पर दर्ज कराना चाहते थे कि वे इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मैंने उन्हें अनुमति दी है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) ... [1*]

[हिन्दी]

श्री भगत सिंह कोश्यारी : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एच.एम.टी. कम्पनी पिछले कई सालों से बंद है। ...(व्यवधान) क्या माननीय मंत्री जी एच.एम.टी. कम्पनी में घड़ियां बनाने के अलावा ...(व्यवधान) आर्मी से संबंधित बहुत-सारे कल-पुर्जे बना रहा है। क्या ऑर्डिनैंस कंपनी से समझौता करके, या परामर्श करके उस कम्पनी को ठीक से चालू करवा पाएंगे ताकि कम्पनी ठीक से चल सके और मजदूरों का नुकसान न हो, देश का नुकसान न हो?

श्री अनन्त गंगाराम गीते : माननीय अध्यक्षा जी, एच.एम.टी वाच के बारे में माननीय सदस्य ने चिन्ता जतायी है। ...(व्यवधान) उन्होंने सुझाव दिए हैं। ...(व्यवधान) सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। ...(व्यवधान) मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाऊंगा कि सरकार निश्चित रूप से उसके लिए प्रयास करेगी। ...(व्यवधान)

[1*] कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(प्रश्न संख्या 322)

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: महोदया, माननीय गृह मंत्री ने पिछले महीने के अंत में गुवाहाटी में डी.जी.पी. और आई.जी.पी. के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि इस्लामिक स्टेट या आई.एस.आई.एस. का बढ़ता खतरा हमारे देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, खासकर कुछ भारतीय युवाओं को इन ताकतों द्वारा बहकाया जा रहा है। कल, माननीय गृह मंत्री ने ट्विटर अकाउंट *के माध्यम से* आई.एस.आई. सामग्री प्रसारित करने में उनकी भूमिका के लिए खुफिया एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार बेंगलुरु के एक युवा इंजीनियर के मामले के संबंध में इसी सभा में स्वत: संज्ञान लेते हुए एक बयान दिया था। हमारे पास मुंबई के एक युवक का मामला भी है जिसे आई.एस.आई.एस. से भारत वापस लाया गया था। हाल ही में, माननीय गृह मंत्री ने गुवाहाटी में स्पष्ट किया कि अल कायदा ने हाल ही में गुजरात, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर और बांग्लादेश को विशेष रूप से निशाना बनाने के इरादे से एक नए संगठन, यानी कायदा-अल-जिहाद के गठन की घोषणा की थी। इन परिस्थितियों में, मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि आई.एस.आई.एस. और अल कायदा द्वारा उत्पन्न आतंकवाद के खतरे को रोकने के लिए इस सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: हां, माननीय मंत्री जी।

... (*व्यवधान*)

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: महोदया, गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: वे भी सक्षम हैं।

... (*व्यवधान*)

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप कैसे कह सकते हैं? वे भी पूर्वोत्तर के एक युवा व्यक्ति हैं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : किसी युवा मंत्री को आप कैसे नकार सकते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक युवा जवाब देने के लिए तैयार हैं, आप उनको नकार रहे हैं। दीपेन्द्र जी, [अनुवाद] क्या यह ठीक है?

… (*व्यवधान*)

श्री किरेन रिजीजू: महोदया, जो प्रश्न उठाया जा रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय से संबंधित एजेंसियां, जिन पर प्रश्न उठाया जा रहा है, सक्रिय रूप से इसे संभाल रही हैं। यह विषय अत्यंत संवेदनशील है। इसलिये, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करना यहां संभव नहीं है। लेकिन उस विषय के संदर्भ में, जिस पर माननीय सदस्य विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानना चाहते थे, सरकार ने कई प्रकार के कदम उठाए हैं। इनमें केंद्रीय सशस्त्र बलों की संख्या बढ़ाना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और मल्टी एजेंसी सेंटर (एम.ए.सी.) जैसी विभिन्न एजेंसियों की क्षमता बढ़ाना शामिल है। एम.ए.सी. एक समन्वयकारी संस्था के रूप में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने और उसके बाद आवश्यक कदम उठाने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, आव्रजन नियंत्रण को कड़ा करना, प्रभावी सीमा प्रबंधन आदि भी शामिल हैं। कई प्रकार के उपाय पहले से ही लागू हैं। चिंता करने की कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही, माननीय सदस्य द्वारा उल्लेखित दो मामलों में जिनकी अभी तक जानकारी नहीं मिली है, वे मुख्य रूप से उस समुदाय के कई भारतीय नागरिकों से संबंधित हैं, जो इराक और सीरिया में आईएसआईएस की गतिविधियों में शामिल हैं। ऐसे में, वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, उसके बारे में हमें अत्यधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: महोदया, मेरे प्रश्न का पूर्ण उत्तर नहीं दिया गया है। मेरा प्रश्न विशेष रूप से क़ायदत अल-जिहाद के बारे में था, एक गठन जो गुजरात, असम, बिहार और जम्मू और कश्मीर को लक्षित कर रहा है। यह वक्तव्य माननीय गृह मंत्री द्वारा पिछले महीने के अंत में गुवाहाटी में आयोजित डीजीपी और आईजीपी के सम्मेलन के दौरान दिया गया था।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक आईएसआईएस का प्रश्न है, इस आतंकवादी संगठन की सारी दुनिया के देशों में गतिविधियों को हमने बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है। यह सच है कि आईएसआईएस की गतिविधियों में भारत के भाग लेने वाले अथवा किसी न किसी सीमा तक संबंध रखने वाले नवयुवकों की संख्या हैंडफुल है जिसे मैं कह सकता हूं कि नैगलिजेबल है। यह भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि उनका आईएसआईएस और आईएसआईएस की गतिविधियों में इन्वॉल्वमैंट है। मैं सचमुच अपनी तरफ से अपने देश की माइनॉरिटीज़ को बधाई देना चाहता हूं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि इस देश की माइनॉरिटीज़, जो युवक रैडिक्लाइजेशन से प्रभावित होकर इन देशों में जाकर, चाहे सीरिया हो अथवा इराक हो, आईएसआईएस की गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं, उनको डिसकरेज करने का काम हमारे हिन्दुस्तान की माइनॉरिटीज़ कर रही है जबकि दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाली माइनॉरिटीज़ अथवा जहां हाइली पौपुलेटेड मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वहां भले ही एनकरेजमैंट हो रहा हो, लेकिन यहां के नौजवानों को उनके फादर और मदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, अपने बच्चों को डिसकरेज करने का काम कर रहे हैं।

मैं माननीय सदस्य को यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आईएसआईएस की गतिविधियां ज्यों ही दुनिया के दूसरे देशों में प्रारंभ हुईं, हमने तुरंत उसका कॉगनिजैंस लिया है। पहला कदम यह उठाया गया है कि इस संगठन को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। किस एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया है, मैं उसकी जानकारी भी देना चाहूंगा। अनलॉफुल एक्टीविटीज़ प्रिवैंशन अमैंडमैंट एक्ट 62 के तहत यह प्रतिबंधित हो गया

है। इसी एक्ट के तहत कौन-कौन से ऑर्गनाइजेशन्स प्रतिबंधित किए जाएंगे, उसके प्वाइंट 33 पर बताया गया है --

[अनुवाद]

"वे संगठन जो संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 की धारा 2 के अंतर्गत बनाए गए 'संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद की रोकथाम और दमन (सुरक्षा परिषद प्रस्तावों का कार्यान्वयन) आदेश, 2007' की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं तथा समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं।"

[हिन्दी]

यह अपने आप यहां प्रतिबंधित हो गया है। आईएसआईएस की गतिविधियां यहां न बढ़ने पाएं, इसके लिए भी हम पूरी तरह से सजग हैं। हमारे गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजीजू ने बहुत ही सही बताया है कि यहां यह गतिविधियां बढ़ने न पाएं अथवा यदि कहीं कुछ वारदात होती है तो उसे रोकने के लिए क्या इफैक्टिव स्टैप्स हो सकते हैं, होम मिनिस्ट्री ने उस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है और आवश्यक कदम भी उठाए हैं।

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: महोदया, मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा कही गई बातों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, परंतु कुछ विषयों को लेकर मेरी कुछ गंभीर शंकाएं हैं। यह व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया है कि आईएसआईएस विश्वभर में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है, और उसकी गतिविधियों के पीछे एक मजबूत वित्तीय तंत्र कार्यरत है। हमारे देश में लश्कर-ए-तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन बहुत सक्रिय हैं, ऐसा खुद गृह मंत्रालय ने माना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ कट्टरपंथी युवाओं को केरल और अन्य जगहों से भर्ती किया गया और कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित मॉड्यूल द्वारा आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया गया। मुझे याद है, कुछ साल पहले इसी सदन में चर्चा हुई थी कि कश्मीर में सेना के साथ मुठभेड़ में केरल के दो लड़के मारे गये थे। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या केरल या किसी अन्य दक्षिणी राज्य के किसी कट्टरपंथी समूह का

आई.एस.आई.एस. से कोई संबंध है? यदि सरकार के पास कुछ जानकारी है, तो मैं उससे इस सम्माननीय सभा के साथ साझा करने का अनुरोध करूंगा।

श्री किरेन रिजीजू: महोदया, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, अब तक दो मामले सार्वजनिक क्षेत्र में आए हैं। पहला मामला महाराष्ट्र राज्य के चार युवकों का है जो आईएसआईएस से जुड़ने गए थे, जिनमें से एक युवक वापस लौट आया है। दूसरा हाल ही में सामने आया मामला बेंगलुरु में एक ट्विटर हैंडलर से संबंधित है। इन दो मामलों के अतिरिक्त, दक्षिण भारत के किसी भी युवक की आईएसआईएस की गतिविधियों में संलिप्तता को लेकर कोई ठोस मामला सामने नहीं आया है।

[हिन्दी]

श्री आर.के. सिंह : अध्यक्ष महोदया, सबसे खतरनाक आतंकी संगठन जो पैदा हुआ है वह आईएसआईएस है, उसकी फिलोस्पी है कि वह किसी भी देश के ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट को नहीं मानता। वह पूरी दुनिया में खालिफेट स्थापित करने का विचार रखता है। होम मिनिस्ट्री ने सही काम किया है कि इसे टेररिस्ट आर्गनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है और इसे यूपीए के शिड्यूल में डाल दिया है, लेकिन यह आवश्यक है कि इस बात को कम्यूनिकेट किया जाए, देश में लोगों को बताया जाए कि यह बहुत ही खतरनाक आतंकी संगठन है, इससे अलग रहना है। इसके लिए जो स्टेटमेंट आने चाहिए, वह हमने नहीं देखें हैं। दूसरी बात यह है कि आईएसआईएस का प्रचार वर्चुअल मीडिया जो सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, उसके द्वारा हो रहा है, उस पर हमलोगों का कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि सर्वर बाहर हैं। पहले भी प्रयास हुआ है यह आवश्यक किया जाए कि सर्वर यहां लगाया जाए, क्या सरकार इस ओर कदम उठाएगी, नहीं तो सोशल मीडिया से जो प्रचार हो रहा है उस पर नियंत्रण नहीं होगा।

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, फॉर्मर होम सेकेटरी ने इस सवाल को पूछा है। इसलिए मैं उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां तक इस आईएसआईएस टेररिस्ट आर्गनाइजेशन की गतिविधियों से देश को अवगत कराने और सजग कराने का सवाल है, इस संबंध में जब डीजीपीज कांफ्रेस जो गुवाहाटी में हुई थी, उस समय

ही मैंने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया था कि यह एक खतरनाक संगठन है, इसके साथ ही मैंने विश्वास व्यक्त किया था कि यह संगठन अपने पांव यहां नहीं जमा पाएगा, यह बात मैंने कही है। इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा इस पर गतिविधियां ठीक चल रही हैं। लेकिन साइबर स्पेस का जो प्रश्न उन्होंने खड़ा किया है, यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है। साइबर स्पेस की मॉनिटरिंग के लिए जो भी इस समय हमारा सिस्टम है, उसको और आधिक स्ट्रेंनथेन करने की जरूरत है, इसको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक कमेटी बनाने की बात कह दी है, संभवतः कमिटी बन गई होगी अथवा कुछ दिनों में बन जाएगी, इस पर विचार करके, साइबर स्पेस की प्रोपर मोनिटरिंग हो, यह हम इंश्योर करेंगे।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री सुल्तान अहमद। उपस्थित नहीं हैं।

श्री वी. एलुमलाई: माननीय अध्यक्ष महोदया, आई.एस.आई.एस. सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों के माध्यम से भारत में समर्थन जुटा रहा है। देश के कुछ हिस्सों में आई.एस.आई.एस. को खुला समर्थन मिला। इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की?

श्री किरेन रिजीजू: जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है, जो घटनाएं सार्वजनिक क्षेत्र में आई हैं, उन पर पहले से ही कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार की घटनाएं मुख्यतः आभासी दुनिया कंप्यूटर या इंटरनेट की दुनिया में घटित हो रही हैं। हमारे लिए किसी भी मामले की गहराई तक पहुंचना इस कारण कठिन है कि खुफिया तंत्र की क्षमता को और अधिक सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सतर्कता बनाए रखना अनिवार्य है। इस समय, ऐसी घटनाएं जो आभासी संसार यानी कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से घटित हो रही हैं, उनके संबंध में इस सदन में किसी विशिष्ट प्रकरण अथवा घटना का उल्लेख कर पाना अत्यंत दुष्कर है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आज बहुत गुस्से में हैं, थोड़ा शांत रहें, आज क्या बात है।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं यहां एक प्रश्न रखने के लिए अत्यंत इच्छुक हूं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से मेरे समुदाय और मेरी पार्टी से जुड़ी सभी ज़िम्मेदार संस्थाएँ, आईएसआईएस की गतिविधियों की कड़ी निंदा करती हैं, क्योंकि इस संगठन ने इस्लाम के नाम पर समुदाय को भटकाने का प्रयास किया है। कोई भी उनके साथ कोई संबंध स्थापित नहीं करेगा। मैं अपनी पार्टी की ओर से दृढ़ता से आश्वस्त करता हूं कि हम किसी भी व्यक्ति को आईएसआईएस का समर्थन करने की अनुमति नहीं देंगे। हम इसका हर स्तर पर सशक्तता एवं कड़ाई से विरोध करेंगे, क्योंकि वे इस्लाम के मूल सिद्धांतों के पूर्णतः विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। साथ ही, मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि कहीं किसी निर्दोष मुस्लिम को आईएसआईएस की गतिविधियों के नाम पर जेल में न डाला गया हो। पूर्व गृह सचिव भी यहां मौजूद हैं, वे इस बात को भलीभांति जानते हैं; उन्होंने इसे हाल ही में उल्लेख भी किया था। निर्दोष लोगों को अब आईएसआईएस के नाम पर जेल में डाला जा रहा है। मैं अपनी पार्टी की ओर से आश्वासन देता हूं कि हम कभी भी आईएसआईएस का समर्थन नहीं करेंगे; हम भारत सरकार की सभी उन गतिविधियों का समर्थन करेंगे, जो आईएसआईएस का विरोध और दमन करने के लिए हैं।

माननीय अध्यक्ष: अतः इस संदर्भ में कोई प्रश्न नहीं है, केवल आपकी ओर से आश्वासन प्राप्त हुआ है। धन्यवाद।

श्री ई. अहमद: मैं माननीय गृह मंत्री से आश्वासन लेना चाहता हूं कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि आईएसआईएस के नाम पर किसी भी निर्दोष मुस्लिम को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, अहमद जी।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, एक सप्लीमैंट्री क्वश्चेन का रिप्लाई देते समय मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हमारे देश की माइनोरिटीज इसे बराबर डिसकरेज करने का काम कर रही है। दुनिया की बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज, विशेष रूप से यूरोपियन कंट्रीज, चाहे फ्रांस, जर्मनी, यू.के. या यू.एस.ए. हो, वहां पर उनकी फैमिलीज भले ही उन्हें इनक्रेज कर रही हों, लेकिन भारत की माइनोरिटीज ऐसे नौजवानों को डिसकरेज करने का काम कर रही हैं। यह मैंने पहले ही सदन को बताया है।

मैं माननीय सदस्य ई. अहमद साहब को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी निर्दोष नवयुवक अथवा किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि अनजाने में कहीं पर आपको इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो आप मुझे इंफार्म कीजिए। मैं निश्चित रूप से उसका काग्निजन्स लूंगा और उस संबंध में जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे, उसे हम उठायेंगे। ...(व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 323)

[अनुवाद]

श्री अभिजीत मुखर्जी: मेरे प्रश्नों के संबंध में माननीय मंत्री का उत्तर अधूरा है।

मेरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या मछुआरों को, जो खराब मौसम या किसी अन्य प्राकृतिक कारण से गहरे समुद्र, समुद्र या नदियों में काम नहीं कर पा रहे हैं, मुआवजा देने के लिए कोई योजना या कार्यक्रम है? यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है?

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : माननीय अध्यक्ष महोदया, जब फिशरीज के लिए तीन महीने का लीन पीरियड होता है, उसके लिए पहले से ही भारत सरकार की एक स्कीम - सेविंग कम रिलीफ जारी है। उसमें टोटल 2800 रुपये दिये जाते हैं, जिसमें तीन महीने के लिए 900 रुपये फिशर मैन की तरफ से आयेंगे, 900 रुपये स्टेट गवर्नमैंट की तरफ से और 900 रुपये सैंट्रल गवर्नमैंट की तरफ से आयेंगे। सरकार की यह स्कीम पहले से ही जारी है।

[अनुवाद]

श्री अभिजीत मुखर्जी: क्या भारत और बांग्लादेश के बीच, जहां पद्मा नदी और कई अन्य नदियां हैं, साथ ही बंगाल और असम और अन्य राज्यों के बीच कोई संयुक्त तंत्र है? आमतौर पर मछुआरे, नदी पर 'कोई सीमा चिन्ह' न होने के कारण, अनजाने में दूसरे देशों में पहुँच जाते हैं और संबंधित सुरक्षा बलों द्वारा पकड़े जाते हैं। क्या ऐसे मछुआरों को रिहा करने और उनके सामान आदि का मुआवजा देने के लिए कोई संयुक्त तंत्र मौजूद है? क्या इस प्रकार की कोई योजना बनाई गई है?

[हिन्दी]

डॉ. संजीव बालियान : माननीय अध्यक्ष महोदया, ऐसा कोई जॉइंट मैकेनिज्म अभी तक मौजूद नहीं है। जहां तक फिशरमैन को कम्पेनसैशन देने की बात है, पाकिस्तान में हमारे जो फिशरमैन्स पकड़े जा रहे हैं, उनके लिए अभी तक वन टाइम सेटलमैंट तीन लाख रुपये का मौजूद है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री सुनील कुमार मंडल - उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री राम चरित्र निषाद : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं खुद एक मछुआरा हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको इसलिए प्रश्न पूछने दे रही हूं।

श्री राम चरित्र निषाद : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की एक मछुआरा आवास कल्याण योजना है, जिसमें 50 फीसदी पैसा भारत सरकार देती है और 50 फीसदी पैसा उत्तर प्रदेश सरकार देती है। लेकिन आज तक भारत सरकार से जो पैसा गया, उस 50 परसेंट में से 50 परसेंट भी लाभार्थी को नहीं मिला और न ही प्रदेश सरकार से एक पैसा भी मिला। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मेरा दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा है कि आजादी के बाद से भारत सरकार का एक मछुआ कल्याण बोर्ड था, जिसे पिछली गवर्नमैंट ने 20 साल पहले बंद कर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बोर्ड को फिर से रिवाइव किया जाए और मछुआ आवास योजना का लाभ प्रदेश सरकार से सीधे लाभार्थी को मिले।

डॉ. संजीव बालियान: माननीय अध्यक्ष जी, 11वें प्लान में केंद्र सरकार द्वारा आवास के लिए 50,000 रुपए की सहायता जाती थी। अभी कुछ प्रदेश सरकारों की तरफ से निवेदन आया था कि इसे बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया जाए। 3,50,000 रुपए तो संभव नहीं था लेकिन इसे बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है।

इंदिरा आवास योजना में भी 75,000 रुपए है और इसमें भी कर दिया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार में नैशनल फिशरीज़ बोर्ड मौजूद है। हम समय-समय पर प्रदेश सरकार को एडवाइज दे सकते हैं।

[अनुवाद]

डॉ. पी. वेणुगोपाल: महोदया, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कृषि मंत्रालय के पास तमिलनाडु के दक्षिणी तटों पर हमारे मछुआरों के जीवन की रक्षा के लिए कोई योजना है, क्योंकि मछुआरों पर हमले, उनके पकड़े गए मछली के लूटने और उनकी नावों के कब्जे की घटनाएँ जारी हैं? मछुआरों और उनके परिवारों का जीवन गंभीर संकट में है। हमारी नौसेना और तटरक्षक बल श्रीलंकाई नौसेना से मछुआरों की सुरक्षा करने में सक्षम प्रतीत नहीं होते।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या केंद्रीय कृषि मंत्रालय मछुआरों को उनकी आजीविका के पारंपरिक व्यवसाय को जारी रखने में मदद करने के लिए अतिरिक्त धन और पैकेज लेकर आएगा क्योंकि उनकी नावों और जालों को हुए नुकसान के मद्देनजर यह आवश्यक है।

[हिन्दी]

डॉ. संजीव बालियान: माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे संकट लगातार आते हैं। पिछली बार श्रीलंका में जो भी हुआ, विदेश मंत्रालय द्वारा बातचीत करके समस्या को सुलझाने का प्रयास जारी रखा गया। हमारी तरफ से मैरीन फिशरीज़ में परिवर्तन किए गए हैं और मछुआरों की सहायता के लिए कुछ और परिवर्तन करना भी संभव है। पहले 20 मीटर की बोट अलाउड थी। अब इसे घटाकर 15 मीटर किया गया है। केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा परमिशन दी जाती है। अगर फिशरमैन समुद्र में मछली पकड़ने जाता है उसके लिए इसे ट्रांसपैरेंट और सिम्पलीफाई किया गया है।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : माननीय अध्यक्ष जी, मछली उत्पादन में भारत का लगभग दूसरा स्थान है। हमारा देश विश्व में जल से लाभान्वित होने वाला देश है। भारत के मछुआरों की संख्या लगभग 1.45 करोड़ है। आज भी देश के मछुआरों को सुविधा एवं सुरक्षा नहीं मिल पाती है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि विभिन्न देशों में अभी तक कुल कितने मछुआरों को कैद किया गया है? सरकार इन्हें छुड़ाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

डॉ. संजीव बालियान: माननीय अध्यक्ष जी, अभी यह डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है कि किन देशों में कितने मछुआरे पकड़े गए हैं? मैं यह डाटा भिजवा दूंगा।

श्री राधा मोहन सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, अभी सबसे ताजी घटना है कि श्रीलंका सरकार ने हमारे देश के चार मछुआरों को फांसी की सज़ा दे दी थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद पहल की, बातचीत की और उन्हें फांसी की सज़ा से मुक्त किया गया। यह अभी हाल ही की घटना है।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: महोदया, मत्स्य पालन के क्षेत्र में भारत सरकार की अधिकांश कल्याणकारी योजनाएं राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। लेकिन अगर मत्स्य पालन क्षेत्र में डॉ. मीना कुमारी समिति की सिफारिशों को लागू करना है तो ये कल्याणकारी योजनाएं पर्याप्त नहीं हैं। महोदया, मैंने यह मुद्दा 'शून्यकाल' में भी उठाया था। डॉ डॉ. मीना कुमारी समिति की सिफारिशों के अनुसार, समुद्र की 200 मीटर से 500 मीटर गहराई के बीच मछली पकड़ने की अधिकता हो चुकी है। अतः इसे एक बफर जोन के रूप में रखा जाना चाहिए और वहां मछली पकड़ना संभव नहीं है। 500 मीटर की गहराई के बाद 1178 गहरे समुद्री ट्रॉलरों को अनुमति देनी होती है। यदि सिफारिशों को लागू किया गया तो पारंपरिक मछुआरे संकट में पड़ जायेंगे।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार डॉ. मीना कुमारी समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर रही है। यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? वह अपनी सिफारिशों पर क्या कार्रवाई करने जा रही है?

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, मीना कुमारी कमेटी का गठन अगस्त, 2013 में हुआ था और रिपोर्ट 2014 को प्राप्त हुई थी। 12 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर बैठक हुई, इसमें विदेश मंत्री भी थे और कुछ सांसद भी थे। मीना कुमारी रिपोर्ट में दो पोर्शन थे, एक है मैरीन फिशरी पॉलिसी और दूसरा है डीप सी फिशरी। डीप सी फिशरी के संबंध में उनके सुझावों को लेकर और विदेश मंत्रालय के साथ बैठकर 12 नवंबर को एक गाईडलाइन जारी की है। इसकी चर्चा सुषमा जी ने अपने वक्तव्य में भी की थी। हम मैरीन फिशरी पॉलिसी में तटीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर फैसला करेंगे और बाकी लोगों की भी राय लेंगे।

(प्रश्न संख्या 324)

[अनुवाद]

श्री एंटो एन्टोनी: माननीय अध्यक्ष महोदया, यह राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम के संबंध में है जिसे दुधारू मवेशियों की स्वदेशी नस्लों के संरक्षण के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। यह पता चला है कि राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो देश की केवल 20 प्रतिशत स्वदेशी नस्लों का रिकॉर्ड रखता है।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं महोदया कि क्या सरकार मवेशियों की बाकी देशी नस्लों की पहचान करने और उन्हें राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए कोई कदम उठाएगी?

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम की पाँच योजनाएँ पहले चलती थीं। उन योजनाओं को एक करके उनका नाम एन.पी.बी.बी.डी. डी. किया गया है। इसमें दो मुख्य घटक बनाये गये हैं। एक है एन.पी.बी.बी. और दूसरा है एन.पी.डी.डी.। अभी हाल में, दो महीने पहले इन्हीं दोनों योजनाओं से पाँच सौ करोड़ रुपए निकालकर राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया गया है और इस योजना के तहत जितने देशी नस्ल के पशुधन हैं, दुधारू पशु हैं, उनमें से 80 प्रतिशत देशी नस्ल के हैं और 20 प्रतिशत विदेशी और संकर नस्ल के हैं। अभी तक हमारा ज्यादा ध्यान विदेशी नस्ल और संकर नस्ल के पशुओं पर था, लेकिन इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पाँच सौ करोड़ रुपए की एक योजना के तहत, जिसे हम अगले तीन वर्षों में खर्च करेंगे, इसमें मुख्य रूप से देशी नस्ल के पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए यह योजना लायी गयी है। दो महीने के अंदर 11 राज्यों ने लगभग 127 करोड़ के प्रोजैक्ट्स भेजे हैं और उसे मंजूरी भी दे दी गयी है, जो सिर्फ देशी नस्ल के पशुओं के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित हैं।

[अनुवाद]

श्री एंटो एन्टोनी: महोदया, पिछले सत्र के दौरान मुझे 8 जुलाई 2014 को माननीय मंत्री द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या 96 का उत्तर मिला था कि केरल की स्वदेशी नस्ल वेचूर गाय की कुल संख्या केवल 160 है। जैसा कि आप जानते होंगे वेचूर गाय के दूध में कुछ औषधीय गुण होते हैं। माननीय मंत्री से मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार विलुप्त होने के कगार पर मौजूद वेचूर गाय को संरक्षित करने के लिए कोई विशेष योजना लाएगी?

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदया, अभी मैं केरल गया था। वहां के जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, उनके द्वारा इससे संबंधित अनुसंधान का कार्य शुरू किया गया है। उन पशुओं की नस्ल की रक्षा के लिए और उनके उत्पादन की बढ़ोत्तरी पर भी असर पड़ा है, जिस पर रिसर्च चल रहा है। पहले जिसका उत्पादन एक किलो-डेढ़ किलो के लगभग था, उसकी उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है और मंत्रालय इस पर आगे काम कर रहा है।

[अनुवाद]

श्री प्रह्लाद जोशी: महोदया, मुझे यह प्रश्न उठाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। स्वदेशी गोजातीय नस्लों की उत्पादकता बढ़ाने की सरकार की पहल प्रशंसनीय है और श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में *राष्ट्रीय गोकुल* मिशन भी सराहनीय है।

देश में पशु चिकित्सकों की भारी कमी है। पशु चिकित्सकों की आवश्यकता लगभग 1.2 लाख है। सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक पांच हजार पशुओं पर कम से कम एक पशु चिकित्सक होना चाहिए। 2012 की पशुधन जनगणना के अनुसार भारत में मवेशियों और भैंसों की कुल आबादी लगभग 30 करोड़ है। इस संदर्भ में, मैं जानना चाहूंगा कि पशु चिकित्सकों की इस कमी को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। क्या पशु चिकित्सा में पैरा-पशुचिकित्सक पाठ्यक्रम और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है?

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदया, वेटेरिनरी कौंसिल ऑफ इंडिया 15 वर्षों से अपना काम बंद कर चुकी थी। 11 राज्यों के वेटेरिनरी कॉलेज भी बंद थे, प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे कॉलेज भी बंद थे। हमने पहला काम यह किया है कि एक महीना पहले उसका निर्वाचन कराया है। जो नयी वी.सी.आई. की कमेटी बनी है, उसकी पहली बैठक हुई है। उस बैठक में जिन 11 राज्यों के कॉलेज बंद थे, उन राज्य सरकारों से उससे संबंधित शपथ-पत्र लेकर कि अगले छः महीने में वे इसे पूरा करेंगे और उनको शुरू कर दिया गया है। सीटों की संख्या जो 60 थी, उसे बढ़ाकर 100 कर दिया गया है। इसी प्रकार से, कुछ जो प्राइवेट कॉलेज थे, उनके लिए कुछ रकम निश्चित की गयी है कि आप इतना पैसा सिक्योरिटी के रूप में जमा कीजिए और एक एफिडेविट दीजिए कि कितने दिन में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। ऐसा दो कॉलेजों ने किया है और उनमें पढ़ाई की अनुमति दे दी गयी है। इस प्रकार से लगता है कि दो-तीन महीने में हमने इस क्षेत्र में काफी प्रगति की है।

श्री दुष्यंत चौटाला : महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें बताया गया है कि 12 राज्यों द्वारा प्रोजेक्ट्स दिए गए और उनके लिए ग्रांट रिलीज की गयी। हरियाणा में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट , करनाल है। मुर्रा नस्ल की ब्रीडिंग के लिए हिसार में एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। हरियाणा की देशी नस्ल की गाय राठी और मुर्रा वर्ल्ड फेमस है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर हरियाणा सरकार कोई प्रपोजल भेजेगी तो क्या हिसार की लाला लाजपत राय वेटेरिनरी यूनिवर्सिटी में सरकार ब्रीडिंग और बोवाइन के प्रोजेक्ट्स चलाने को तैयार है?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, गोकुल मिशन की गाइडलाइन्स में साफ कहा गया है कि कोई भी सरकार, सहकारी संगठन, ट्रस्ट या कोई एनजीओ, यदि इस प्रकार का प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से भेजेगी तो निश्चित रूप से हम उसको मंजूरी देंगे।

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया है।

हमारे इतिहास से हमें पता चलता है कि पहले गोकुल-मथुरा से लेकर पूरे भारत में दूध का कारोबार महिलाएं किया करती थीं, इससे उनका स्वावलंबन होता था और वे स्वाभिमानी रहती थीं। इसी तरह, गुजरात

की पहली महिला मुख्यमंत्री माननीय आनंदीबेन पटेल जी ने भी बहुत सराहनीय कदम उठाया है। उन्होंने जो पहला बजट पेश किया, उसमें महिलाओं के लिए, खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रावधान किया है। जो महिलाएं पशुपालन के साथ जुड़ी हुई हैं, अगर वे सभी महिलाएं दूध उत्पादक मंडली की रचना करें तो उस मंडली को ग्राम पंचायत जमीन देगी और सरकार उसे पांच लाख रुपये डेयरी के मकान के लिए एवं मिल्किंग मशीन और चाक पटल देती है। मैंने देखा है कि इससे मेरे मत क्षेत्र भावनगर और पूरे गुजरात में ग्रामीण महिलाओं का स्वावलंबन बढ़ रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि हमारे देश की जो महिलाएं पशुपालन के साथ जुड़ी हुई हैं, दूध उत्पादन के साथ इन महिलाओं के स्वावलंबन एवं आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए क्या सरकार की कोई योजना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया): अध्यक्ष महोदया, गुजरात में वर्ष 2014 में एक नई योजना शुरू की गयी है। उसमें एक महिला मंडली होती है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, महिला घर बनाने के लिए पैसा सरकार देती है। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य का सही सुझाव है। इस योजना को पूरे देश में कैसे लागू कर सकते हैं, हम इसके बारे में सोचेंगे।

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, पूरे देश में जो दूध उत्पादन का काम है, उसमें 70 प्रतिशत महिलाएं काम करती हैं, इसमें महिलाओं के लिए पर्याप्त अवसर हैं।

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन बनाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

मिशन के तहत, जैसा कि माननीय मंत्री ने अभी उल्लेख किया है, दो योजनाएं हैं जैसे राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन कार्यक्रम और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम। बहुत सारा दूध अभी भी संसाधित नहीं हो पा रहा है। मैं

आपके माध्यम से महोदया से पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री अपने मंत्रालय के माध्यम से स्वदेशी प्रजातियों के भीतर उत्पादकता कैसे बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की नई नीतियां क्या हैं जिन्हें पहले से ही इस कार्यक्रम को अपनाने वाले 12 राज्यों द्वारा सहायता की जा रही है?

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, इस देश में दूध का उत्पादन वर्ष 1950-51 से लेकर वर्ष 2012-13 तक लगातार ग्राफिकली बढ़ रहा है। वर्ष 1950-51 में 17 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था, वर्ष 2012-13 में 132 मिलियन टन तक पहुंच गया। प्रति-व्यक्ति जो उपलब्धता है, वह वर्ष 1950-51 में 130 ग्राम प्रतिदिन थी, वह 302 ग्राम प्रतिदिन पर पहुंच गयी है, जबकि विश्व औसत 293 ग्राम प्रतिदिन है। दूध के उत्पादन में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और ग्राफिकली, प्रतिवर्ष यह आगे बढ़ रहा है।

आपने 12 योजनाओं का जिक्र किया। गोकुल-मिशन के तहत 12 राज्यों ने प्रस्ताव भेजे हैं। हमारी योजनाएं देश के सभी राज्यों में चल रही हैं। गोकुल-मिशन एक नयी योजना है जो 2 महीने पहले शुरु हुई है, जिसमें 12 राज्यों ने प्रस्ताव भेजे हैं। हमने उन्हें मंजूर किया है तथा मार्च तक और भी राज्यों के प्रस्ताव आयेंगे। एनपीबीबी और एनपीडीडी योजनाओं के माध्यम से प्रजनन के संबंध में काम होते है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि देश के अंदर देसी नस्लों के सुधार के लिए कोई नेशनल ब्रीडिंग सेंटर नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी और इस काम के लिए 50 करोड़ रुपये दिये हैं तथा दो नेशनल ब्रीडिंग सेंटर्स, एक दक्षिण भारत में और दूसरा उत्तर भारत में स्थापित करने का निर्णय किया गया है। साथ ही साथ, उत्तर प्रदेश सरकार से 100 किलोमीटर के अंदर हमने जमीन मांगी है। मथुरा जाकर हमने देखा कि वहां की यूनिवर्सिटी के पास बहुत जमीन है। वहां के मंत्री जी, सचिव और सरकार से बात हुई है तथा दो ब्रीडिंग सेंटर्स, एक नार्थ और एक साउथ में स्थापित करने का निर्णय किया गया है।

(प्रश्न संख्या 325)

श्री राजन विचारे : धन्यवाद मैडम। ऐसा लगता है कि अर्जुन अवार्ड दिए जाने में, इस खेल के अवार्डी के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, क्योंकि इससे संबंधित विवाद, जैसे बॉक्सर मनोज कुमार को इस अवार्ड को पाने के लिए हाई-कोर्ट जाना पड़ा। अध्यक्षा जी, आदरणीय मंत्री जी से, आपके माध्यम से, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। हॉकी के खेल में, भारत ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतने के बाद, हॉकी इंडिया ने, अर्जुन अवार्ड के लिए जिन खिलाड़ियों का नाम प्रस्तावित किया था, उन पर विचार नहीं किया गया, इसका कारण क्या है?

[अनुवाद]

श्री सर्बानंद सोनोवाल: माननीय अध्यक्ष महोदया, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इस मुद्दे को इस सभा के समक्ष लाने के लिए माननीय सदस्य का आभारी हूं।

श्री मनोज कुमार को अर्जुन पुरस्कार देने का यह मुद्दा कुछ महीने पहले विवाद बन गया था। मैं यह स्वीकार करता हूं। मैं सभा को स्पष्ट कर दूं कि यह एक ऐसा मामला था जिसने हमें ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां हमें खिलाड़ी के पक्ष में रुख अपनाना पड़ा। हमें एहसास हुआ कि यह हमारी गलती थी। गलत पहचान के कारण पहले उन्हें इस पुरस्कार से वंचित कर दिया गया था। लेकिन बाद में जब हमें एहसास हुआ कि यह हमारी ओर से गलती थी, तो हमने श्री मनोज कुमार को यह पुरस्कार देने का फैसला किया था। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राजन विचारे : महोदया, वर्ष 2010 में, कॉमन-वैल्थ गेम्स में, गोल्ड-मैडलिस्ट बॉक्सर परमजीत समौटा को इस अवार्ड के लिए नामांकित क्यों नहीं किया गया? मैं कारण जानना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आप जनरल पॉलिसी के बारे में प्रश्न पूछें, वह ज्यादा बैटर रहता है।

[अनुवाद]

श्री सर्बानंद सोनोवाल: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि हमारे पास खिलाड़ियों के चयन के लिए एक तय मानदंड है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अर्जुन पुरस्कार के इतिहास में पहली बार मंत्रालय ने चयन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया है, ताकि कोई भेदभाव न हो। पहले खिलाड़ियों का चयन व्यक्तिगत राय पर आधारित होता था, लेकिन अब पहली बार हमने एक ऐसा मापदंड अपनाया है जो पूरी तरह से तथ्यों और प्रदर्शन पर आधारित है।

इसके लिए हम एक समिति का गठन करते हैं, जिसे पूरी स्वायत्तता प्राप्त होती है, विशेष रूप से निर्धारित मापदंडों के अनुसार अंक देने के संबंध में, जो संपूर्ण योजना के तहत निर्धारित किए गए हैं।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं।

वर्तमान में, भारत में पैरा-स्पोर्ट्स के लिए बहुत कम या कोई सुविधा नहीं है। दिल्ली पैरा-स्पोर्ट्स का केंद्र है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि कई द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता और अर्जुन पुरस्कार विजेता यहीं निवास करते हैं। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना और अनुरोध करना चाहती हूं कि क्या उनके पास दिल्ली में पैरा-स्पोर्ट्स की सुविधाओं के साथ-साथ आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोई योजना है? हमने नेत्रहीनों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था, लेकिन वहां खेल से संबंधित कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। हमने अन्य सुविधाओं का उपयोग किया। इसलिए, हमें एक सतत प्रक्रिया की आवश्यकता है जिसमें या तो मौजूदा सुविधाओं को पैरा-स्पोर्ट्स कर्मियों के उपयोग हेतु अनुकूल बनाया जाए, या फिर विशेष रूप से नई दिल्ली में इस उद्देश्य के लिए कोई नई योजना बनाई जाए।

श्री सर्बानंद सोनोवाल: पैरा-स्पोर्ट्स हमारे लिए एक प्राथमिकता वाला विषय है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए हमारे पास 160 लाख रुपये का वार्षिक बजट आबंटित है। इस बजट का उपयोग एथलेटिक्स, तैराकी, जूडो, पावर-लिफ्टिंग, शूटिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तीरंदाजी आदि विषयों में दिल्ली , बेंगलुरु, गांधी नगर, सोनीपत और पटियाला के विभिन्न एस.ए.आई. केंद्रों में पैरा एथलीटों के लिए कोचिंग शिविर आयोजित करने के लिए किया गया है। इसके अलावा, एथलीटों को सरकार और एस.ए.आई. की पूरी लागत पर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता

के लिए विदेश में भी तैनात किया गया है। विभिन्न एस.ए.आई. केंद्रों पर प्रशिक्षण के दौरान एस.ए.आई. द्वारा संपूर्ण उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। हमारे मंत्रालय ने दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई पैरा-गेम्स, 2014 में पैरा-एथलीटों की भागीदारी के लिए 210 लाख रुपये भी प्रदान किए।

ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि इस बार हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका से विश्व कप भारत लेकर आई है।... (*व्यवधान*) यह हर भारतीय के लिए एक महान क्षण है। हमें उनकी जीत पर गर्व है।... (*व्यवधान*) तो, ब्लाइंड क्रिकेट टीम भारत की पैरा-ओलंपिक समिति से संबद्ध है। एस.ए.आई. ने ब्लाइंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में आयोजित द्विपक्षीय क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए 8 लाख रुपये और केपटाउन में एकदिवसीय विश्व कप में भाग लेने के लिए 25 लाख रुपये की पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसके अलावा, एस.ए.आई. उन्हें पारगमन शिविरों के लिए मुफ्त भोजन और रहने की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। एक लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई है। विश्व कप जीतने पर प्रति खिलाड़ी 5 लाख रुपये के विशेष नकद पुरस्कार के रूप में 25 नवंबर से 9 दिसंबर तक रखा गया है।

श्री एम.बी. राजेश: कोचिंग में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार द्रोणाचार्य के नाम पर दिया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्रोणाचार्य एक महान गुरु थे लेकिन फिर भी महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य ने अपने *शिष्य* का अंगूठा मांग लिया था।... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: क्या आपको द्रोणाचार्य के नाम पर कोई आपत्ति है?

श्री एम.बी. राजेश: यह एक वास्तविक प्रश्न है। द्रोणाचार्य एक महान गुरु थे जिन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके *शिष्य* का अंगूठा *मांग लिया था।* इसलिए, मेरा सवाल यह है कि क्या कोचिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य का नाम रखना उचित है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्रोणाचार्य के नाम में बदलाव पर विचार करेगी।

माननीय अध्यक्ष: ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इस बात का खेद है।

श्री एम.बी. राजेश: यह एक वास्तविक प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष: यह कौन सा वास्तविक प्रश्न है?

श्री एम.बी. राजेश: विभिन्न पक्षों से कई आपत्तियां उठाई गई हैं। हम भी इस पर आपत्ति जताते हैं। मुझे उनका सम्मान है, फिर भी, क्या ऐसा नाम रखना उचित है?

श्री सर्बानंद सोनोवाल: इस समय हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदया, मेरा मानना है कि जब हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं तो उनके लिए देश का गौरव सर्वोपरि होता है, कोई आर्थिक पुरस्कार उनके लिए मायने नहीं रखता है। मगर जब उनके लिए देश सर्वोपरि है तो मेरा यह भी मानना है कि देश को भी इन खिलाड़ियों के भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की तरफ सोचना चाहिए। आज जब अर्जुन अवार्ड मिलता है तो उसके साथ-साथ पांच लाख रुपये के वित्तीय पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया जाता है। लेकिन उसके बाद देश में या किसी प्रदेश में उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। हमने हरियाणा प्रदेश में कुछ साल पहले प्रति माह सम्मान भत्ता देने की एक नीति बनायी थी, जिसमें हर अर्जुन अवार्डी को उन्हीं की मांग पर पांच हजार रुपये की राशि देना

<u>मध्याह्न 12.00 बजे</u>

'पदक लाओ, पद पाओ' की नीति भी बनाई थी। इसकी वजह से मंत्री जी को पता है कि तकरीबन 33 से 40 प्रतिशत मैडल देश के हरियाणा प्रदेश से खिलाड़ी लाते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि पूरे देश के जो अर्जुन एवार्डीज हैं, क्या उनके लिए भी इस प्रकार के प्रतिभा-सम्मान या भत्ते की कोई योजना है ताकि आर्थिक रूप से भी उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके? वर्तमान में उनके लिए मुफ्त रेल यात्रा का प्रावधान है। क्या उनके

लिए हवाई यात्रा का प्रावधान करने का भी सरकार का विचार है क्योंकि उन्होंने देश का मान-सम्मान बढ़ाया है? क्या देश भी उनका मान-सम्मान बढ़ाने का काम करेगा?

[अनुवाद]

श्री सर्बानंद सोनोवाल: माननीय सदस्य के जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि इस मंत्रालय के पास पूर्व खिलाड़ियों के लिए एक कल्याण निधि है और उनके लिए एक पेंशन योजना भी उपलब्ध है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर*

(तारांकित प्रश्न संख्या 326 से 340
अतारांकित प्रश्न संख्या 3681 से 3910)

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>अपराह्न 12.01 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष: अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 1233/16/14)

[अनुवाद]

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्बानंद सोनोवाल): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1234/16/14]

(3) (एक) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरम्बुदुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1235/16/14]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): महोदया, श्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिसिनल प्लांट्स एण्ड ट्रेडिशनल नॉलेज, बेंगलुरू के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिसिनल प्लांट्स एण्ड ट्रेडिशनल नॉलेज, बेंगलुरू के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1236/16/14]

(2) (एक) सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1237/16/14]

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) (पांचवां संशोधन) नियम, 2014 जो 11 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 789(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1238/16/14]

(5) लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 7क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 497(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरैंस कंपनी लिमिटेड को "पर्यावरण राहत कोष योजना, 2008 के अधीन निधि प्रबंधक नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल.टी. 1239/16/14]

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) दिल्ली पुलिस आधिनियम, 1978 की धारा 148 की उप-धारा (2) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस (नियुत्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2014 जो 8 सितम्बर, 2014 के दिल्ली राजपत्र में आधिसूचना संख्या एफ. 16/4/2013/एचपी-।/स्था./2943 से 2946 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1240/16/14)

(2) राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 की धारा 11 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित आधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1564 (अ) जो 19 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 की धारा 11(6) और 11(9) के अंतर्गत विशेष अदालत में पीठासीन होने के लिए ''अपर न्यायाधीश'' को नियुत्त किए जाने के बारे में है।

(दो) का.आ. 2212 (अ) जो 2 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष अदालत में पीठासीन होने के लिए ''न्यायाधीश'' को नियुत्त किए जाने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 2370 (अ) जो 16 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष अदालत में पीठासीन होने के लिए ''न्यायाधीश'' को नियुत्त किए जाने के बारे में है।

(चार) का.आ. 3001 (अ) जो 27 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष अदालत में पीठासीन होने के लिए ''न्यायाधीश'' को नियुत्त किए जाने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 3002 (अ) जो 27 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 की धारा 11(6) और 11(9) के अंतर्गत विशेष अदालत में पीठासीन होने के लिए ''न्यायाधीश'' को नियुत्त किए जाने के बारे में है।

(छह) का.आ. 3003 (अ) जो 27 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष अदालत में पीठासीन होने के लिए ''न्यायाधीश'' को नियुत्त किए जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1241/16/14]

(3) संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2735(अ) जो 21 अत्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 के अंतर्गत राज्य सरकारों को कार्य करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक/लेफ्टिनेंट की शत्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1242/16/14]

(4) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) आधिनियम, 1967 की धारा 2 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 3067(अ) जो 4 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उत्त आधिनियम की धारा 2(झ)(ड.) के अधीन पदाभिहित प्राधिकारी के रूप में संयुत्त सचिव (आईएस-आई) को विनिर्दिष्ट किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1243/16/14]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल को-ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल को-ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1244/16/14]

(2) जम्मू एण्ड कश्मीर हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मावेरटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1997-1998 से 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निधाररित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1245/16/14]

(3) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-आपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-आपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1246/16/14]

(4) (एक) नेशनल एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव मावेरटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव मावेरटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1247/16/14]

(5) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन (कर्मचारी भविष्य निधि), मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1248/16/14]

(6) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1249/16/14]

(7) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर को-आपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर को-आपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर को-आपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1250/16/14]

(8) (एक) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1251/16/14]

(9) (एक) नेशनल लेबर को-आपरेटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल लेबर को-आपरेटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1252/16/14]

(10) आवश्यक वस्तु आधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उर्वरक (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 2014 जो 25 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2969(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का.आ. 2970(अ) जो 25 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए उसमें उल्लिखित श्रेणीकृत उर्वरकों को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 2971(अ) जो 25 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत में निर्मित 4 प्रतिशत सल्फर का मुलम्मा चढ़े अपरिष्कृत उर्वरक डायअमोनियम फॉस्फेट को अधिसूचित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1253/16/14)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी आधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ब्रह्मपुत्र व्रैकर एण्ड पॉलीमर लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रह्मपुत्र व्रैकर एण्ड पॉलीमर लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1254/16/14]

(2) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1255/16/14]

[अनुवाद]

भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्धेश्वर): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1256/16/14]

(ख) (एक) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1257/16/14]

(ग) (एक) ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1258/16/14]

(घ) (एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभ्रदा डैम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा डैम का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक को टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1259/16/14]

(2) (एक) फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पलक्कड़ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पलक्कड़ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1260/16/14]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) रिहिबिलिटेशन प्लांटेशंस लिमिटेड, कोल्लम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशंस लिमिटेड, कोललम का वर्ष 203-204 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक -महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1261/16/14]

(2) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:-

(एक) सीमा सुरक्षा बल, कम्बैटाइज्ड असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (आशुलिपिक) तथा हेड कांस्टेबल (लिपिक वर्गीय) भर्ती (संशोधन) नियम, 2014, जो 31 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 545(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा सुरक्षा बल, हेडक्वार्टर्स, सीनियर जेस्टेटनर ऑपरेटर (समूह "ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2014, जो 29 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 757(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1262/16/14]

(2) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'ग' (सामान्य ड्यूटी/तकनीकी/ट्रेड्समेन) संवर्ग भर्ती (संशोधन) नियम, 2014 जो 13 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 801(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1263/16/14]

(4) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:-

(एक) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा विंग, कांस्टेबल (बैंड्समैन-सह-जीडी) भर्ती संशोधन नियम, 2014, जो 14 नवंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 804 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा विंग, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (आशुलिपिक) और हेड कांस्टेबल (लिपिक वर्गीय) भर्ती संशोधन नियम, 2014, जो 14 नवंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 805 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा विंग, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (कार्यकारी) भर्ती संशोधन नियम, 2014 जो 14 नवंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 806(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, फायर विंग, कांस्टेबल (ड्राइवर-सह-पंप ऑपरेटर) भर्ती संशोधन नियम, 2014, जो 14 नवंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 807(अ) में में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा विंग, कांस्टेबल (ड्राइवर-कम-पम्प ऑपरेटर) भर्ती संशोधन नियम, 2014 जो 14 नवंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 808 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1264/16/14]

(5) (एक) आर.ई.पी.सी.ओ. बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर.ई.पी.सी.ओ. बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1265/16/14]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) दि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटिज एण्ड फामर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटिज एण्ड फामर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) दि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटिज एण्ड फामर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1266/16/14]

(2) कंपनी आधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) गोवा मीट काम्प्लेक्स लिमिटेड, पणजीम के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा मीट काम्प्लेक्स लिमिटेड, पणजीम के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1267/16/14]

(ख) (एक) गोवा मीट काम्प्लेक्स लिमिटेड, पणजीम के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा मीट काम्प्लेक्स लिमिटेड, पणजीम के वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1268/16/14]

(ग) (एक) गोवा मीट काम्प्लेक्स लिमिटेड, पणजीम के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा मीट काम्प्लेक्स लिमिटेड, पणजीम के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1269/16/14]

(घ) (एक) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1270/16/14]

(ड.) (एक) कर्नाटक कैश्यू डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मंगलोर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक कैश्यू डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मंगलोर के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1271/16/14]

(3) उपर्युक्त मद संख्या (2) के (क) से (ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1272/16/14]

(4) कंपनी आधिनियम, 2013 की धारा 394(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पिणयां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1273/16/14]

(5) (एक) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आणंद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आणंद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1274/16/14]

(6) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत अगर अगर श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2014 जो 11 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 575(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1275/16/14]

(7) कीटनाशी आधिनियम, 1968 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2014 जो 13 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सा.का. नि. 797(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1276/16/14]

(8) कीटनाशी आधिनियम, 1968 की धारा 3 के अंतर्गत आधिसूचना संख्या सा.का.नि. 790(अ) जो 10 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कीटनाशी आधिनियम, 1968 की अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1277/16/14]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) केन्द्रीय भाण्डागारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भाण्डागारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1278/16/14]

(2) भाण्डागारण (विकास और विनियमन) आधिनियम, 2007 की धारा 52 के अंतर्गत निम्नलिखित आधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) भाण्डागारण (विकास और विनियमन) भाण्डागारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2014, जो 17 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 811(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भाण्डागारण (विकास और विनियमन) भाण्डागारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2014, जो 19 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 821(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1279/16/14]

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री जयंत सिन्हा - उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तंजावुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन क एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तंजावुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1281/16/14]

(2) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, सोनीपत के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, सोनीपत के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1282/16/14]

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): माननीय अध्यक्ष जी, मैं अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2014 जो 5 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का नि. 774 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 128316/14]

<u>अपराह्न 12.04 बजे</u>

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

पहला से चौथा प्रतिवेदन

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (स्वीकृत) के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (अस्वीकृत) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(3) सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

(4) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

<u>अपराह्न 12.04½ बजे</u>

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

पहला प्रतिवेदन

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी एवीएसएम (गढ़वाल): माननीय अध्यक्ष जी, मैं 'अनुदानों की मांगों (2013-14) पर 20वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

<u>अपराह्न 12.05 बजे</u>

वित्त संबंधी स्थायी समिति

पहला से तीसरा और 5वें से 7वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम. वीरप्पा मोइली (चिक्कबल्लापुर): महोदया, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं: -

(1) आई.पी.एल/बी.सी.सी.आई से संबंधित कर निर्धारण/छूट और संबंधित मामले' विषय पर अड़तीसवां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में शामिल टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों, वित्तीय सेवाओं, व्यय और विनिवेश विभाग) की अनुदान की मांगों (2014-15) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(3) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदान की मांगों (2014-15) के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

(4) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अनुदान की मांगों (2014-15) के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

(5) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदान की मांगों (2014-15) के बारे में छठा प्रतिवेदन।

(6) बैंकिंग क्षेत्र में नए लाइसेंस पर नीति' विषय पर 19वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोकसभा) में निहित टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में सातवां प्रतिवेदन।

<u>अपराह्न 12.05 ¼ बजे</u>

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

पहला और दूसरा प्रतिवेदन

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़): महोदया, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं: -

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदान की मांगों (2014-15) से संबंधित पहला प्रतिवेदन।

(2) 'तेल उद्योग विकास बोर्ड का कार्यकरण' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2013-14) की 23वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित दूसरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 ½ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) **कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - एक मूल्यांकन' विषय पर कृषि संबंधी स्थायी समिति के 61वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**[2*]

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : महोदया, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-एक मूल्यांकन,'के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 61वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

[2*] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1284/16/14

<u>अपराह्न 12.06 बजे</u>

(दो) 'जम्मू-कश्मीर के प्रवासियों का पुनर्वास' के बारे में समिति के 137वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 179वें प्रतिवेदन तथा "संघ राज्यक्षेत्र (दमन और दीव, दादर और नागर हवेली तथा चंडीगढ़) का प्रशासन ' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 180वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति[3]*

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी): महोदया, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य देता हूं :-

(एक) मैं गृह मंत्रालय से संबंधित 'जम्मू-कश्मीर के प्रवासियों का पुनर्वास' के बारे में समिति के 137वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 179वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1285/16/14]

(दो) मैं गृह मंत्रालय से संबंधित 'संघ राज्यक्षेत्र (दमन और दीव, दादर और नागर हेवेली तथा चंडीगढ़) का प्रशासन' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायीी समिति के 180वे प्रतिवेदन में अतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1286/16/14]

---

[3]*सभा-पटल पर रखा गया।

<u>अपराह्न 12.07 बजे</u>

कार्य मंत्रणा समिति के 9वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

> "कि यह सभा 15 दिसंबर, 2014 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के नौवें प्रतिवेदन से इस उपांतरण के अध्यधीन सहमत है कि सभा द्वारा पहले ही निपटाई गई क्रम संख्या 1 की मद से संबंधित उसकी सिफारिश का लोप किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि यह सभा 15 दिसंबर, 2014 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के नौवें प्रतिवेदन से इस उपांतरण के अध्यधीन सहमत है कि सभा द्वारा पहले ही निपटाई गई क्रम संख्या 1 की मद से संबंधित उसकी सिफारिश का लोप किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्रीमती रीती पाठक (सीधी) : अध्यक्ष महोदया, मैं जिस चुनाव क्षेत्र से चुनकर आती हूं, वह एक आदिवासी क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में आदिवासियों के प्रमुख वर्ग कोल, गोण और वैगा आते हैं। परंतु दुखद यह है कि अब वैगा प्रजाति जैसी जाति अब विलुप्त होने के कगार पर हमें नजर आ रहे हैं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दम दम): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर हूं।

माननीय अध्यक्ष: 'शून्यकाल' के दौरान व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं है।

प्रो. सौगत राय: महोदया, मैं एक प्रक्रियागत आपत्ति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा क्रिसमस की छुट्टी के संबंध में दिए गए बयान में की गई त्रुटि की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता **हूं।** ... (*व्यवधान*) उन्हें अपना बयान सुधारना होगा क्योंकि उन्होंने सदन को गुमराह किया है। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 115 के तहत आपको सूचना प्राप्त हुई है। मैं इस संबंध में एक तथ्यात्मक सूचना की मांग कर रही हूं।

... (*व्यवधान*)

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने भी एक सूचना दी है।

माननीय अध्यक्ष: आपने 'शून्य काल' के लिए सूचना दी है। उन्होंने निदेश 115 के तहत सूचना दी है। इसलिए मैंने उनसे कहा है कि मैं एक तथ्यात्मक टिप्पणी की मांग कर रही हूं।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्रीमती रीती पाठक : अतः मेरा आपसे यह निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में आदिवासियों के जन-जीवन, कला एवं संस्कृति की रक्षा हो तथा शोध के साथ उन्हें उच्च शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपके और सदन के माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से यह आग्रह करती हूं कि केन्द्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का एक उपकेन्द्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सीधी जिला के अंतर्गत कुसमी में खोलने की कृपा की जाए, जिससे आदिवासियों के आस्तित्व की रक्षा हेतु सरकार के द्वारा एक नया और प्रभावी कदम उठाया जा सके।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : अध्यक्ष महोदया, इस वर्ष पूरे देश का किसान बहुत सी समस्याओं एवं विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा है। हमने इस विषय पर दो बार नियम - 193 के तहत चर्चा के लिए आपके माध्यम से सरकार से आग्रह किया है। चाहे एमएसपी की बात हो, कहां तो स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन लागू करने की बात हो रही थी और कहां दस वर्ष तक लगातार जहां 12 से 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष एमएसपी में बढ़ोत्तरी हुई है, वहीं इस वर्ष केवल साढ़े तीन प्रतिशत बढ़ोत्तरी पैडी तथा वीट में हुई है और कॉटन में तो इस साल केवल एक प्रतिशत बढ़ोत्तरा हुई है। केवल एमएसपी की ही बात नहीं है, बहुत सी फसलें ऐसी हैं, जिनको एमएसपी से बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। चाहे वह कर्नाटक में मक्के की बात हो, चाहे केरल के रबड़ किसानों की समस्याओं की बात हो आदि। इसी प्रकार से यूरिया की दिक्कत है। कई वर्षों बाद पहली बार, इस समय प्रदेश के बाद प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि का किसान यूरिया की दिक्कत से जूझ रहा है। हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करते हैं कि वह हमारे इस आग्रह को माने और इस महत्वपूर्ण विषय पर, किसानों के विषय पर, किसानों की समस्याओं के विषय पर एक चर्चा हो। हम इस बारे में आपसे संरक्षण और सरकार से एक आश्वासन चाहेंगे।

माननीय अध्यक्ष : आपने जो मसला उठाया है, इस पर नैचुरल क्लैमिटीज़ के संदर्भ में एक चर्चा तो ऑलरेडी हो गई है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप पहले मेरी बात सुनिए। दूसरा, आपने एमएसपी और यूरिया आदि किसानों से संबंधित बात कही है। इन विषयों पर कोई आपत्ति नहीं है। पहले भी बीएसी में चर्चा हुई है। ये सभी मामले जैसे एग्रेरियन क्राइसिस हो या ऐसा कुछ कर के इस चर्चा को हम जल्दी से जल्दी लेंगे, मैं इसके लिए कोशिश करूंगी।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, अगर कल परसों इसको एजेंडा में शामिल कर लेते हैं तो अच्छा होगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने यही कहा कि तय कर लेते हैं और जल्दी से जल्दी इस पर चर्चा करते हैं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कुमारी सुष्मिता देव को श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती): महोदया, सांसद आदर्श ग्राम योजना सरकार द्वारा अपनाया गया एक नया प्रस्ताव है। हम इस परियोजना को लेकर बहुत प्रसन्न हैं। मुझे लगता है कि हर सांसद इस नई परियोजना को लेकर बहुत उत्साहित हैं, जिसे सरकार ने शुरू किया है। लेकिन जैसे-जैसे हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमें यह महसूस हुआ है कि सरकार ने इसे बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव और हस्तक्षेप दिए हैं, कि इसे कैसे सुधारा जाए और आर्थिक सहायता एवं धन कहां से प्राप्त किया जाए। लेकिन कई बार ऐसा हो रहा है कि यदि एम.एल.ए. या स्थानीय सरकार ने पहले ही उस फंड का उपयोग कर लिया है, तो हम उसे सांसद आदर्श ग्राम योजना में उपयोग नहीं कर सकते हैं।

इसलिए, यदि सरकार इस परियोजना के लिए हर साल विशेष सहायता दे सके, क्योंकि यह एक उत्कृष्ट कार्यक्रम है, और हर सांसद के लिए इसके लिए अधिक बजट आबंटन हो सके, तो इससे हमें इन गांवों को

सुधारने और इस कार्यक्रम को एक गांव से कई गांवों तक फैलाने में मदद मिलेगी। आज हर गांव इस योजना में शामिल होना चाहता है। इसलिए, यदि हम हर साल एक गाँव के लिए थोड़ा और बजट आबंटित कर सकें, तो इससे हम सभी में उत्साह बढ़ेगा।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर, श्री अर्जुन राम मेघवाल, कुमारी सुष्मिता देव, श्री आर. ध्रुवनारायण, श्री डी.के. सुरेश, श्री एम.बी. राजेश, श्री पी.के. बीजू, श्री शंकर प्रसाद दत्ता, श्री राधेश्याम विश्वास और एडवोकेट जोएस जॉर्ज को श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. शशि थरूर (तिरुवनन्तपुरम): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विझिंजम बंदरगाह के विकास के बारे में इस उभरते राष्ट्रीय घोटाले पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

यह बंदरगाह लगभग 2000 साल पुराना है, जो रोमन काल से चला आ रहा है। इसकी गहराई 24 मीटर तक है, और इसे कभी खोदा भी नहीं गया है। मतलब यह बहुत गहरा और प्राकृतिक रूप से उपयोगी बंदरगाह है। इसके बावजूद, केंद्र सरकार ने कई ऐसे छोटे बंदरगाहों में अधिक पैसा और विश्वसनीयता का निवेश किया है जिसकी गहराई इससे कम है। वे प्रतिदिन ड्रेजिंग कार्यों पर महत्वपूर्ण धनराशि व्यय कर रहे हैं। वर्तमान में हमारा ट्रांसशिपमेंट कोलंबो बंदरगाह के माध्यम से किया जा रहा है, जो चीन द्वारा निर्मित है। इस स्थिति में विदेशी हितधारक लाभान्वित हो रहे हैं। अतः हमारा ट्रांसशिपमेंट देश के अपने बंदरगाहों के माध्यम से संचालित होना चाहिए।

मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि इस मामले में वे ज्यादा ध्यान दें और सक्रियता दिखाएँ। अब तक यह काम राज्य सरकार पर छोड़ा गया है, जो कि संसाधन की कमी से जूझ रही है। हाल ही में उन्होंने कुछ आर्थिक मदद देने की मंजूरी दी है। यह पर्याप्त नहीं है। हमें एक प्रमुख बंदरगाह विकसित करने के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है जो भारतीय सामान भारत ला सके और भारतीय धन और भारतीय संसाधनों को भारत में रख सके। हमें विदेशियों को लाभ कमाने की अनुमति क्यों देनी चाहिए? मैं केंद्र सरकार

से विनती करता हूं कि इस परियोजना को केंद्रीय परियोजना के रूप में लिया जाए और विझिंजम में एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट हब बनाया जाए।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर): महोदया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे शून्य काल में एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया।

महोदया, मेरा संसदीय चुनाव क्षेत्र छोटा उदयपुर गुजरात में है। मेरे चुनाव क्षेत्र में कुछ तहसील जैसे- संखेडा, डभोई, बोडेली, नांदोद, जैतपुर, पावी, जांबुघोडा जंगल से जुड़ी हुई हैं। वहां नील गाय और जंगली सुअर किसानों की खेती को बहुत बर्बाद करते हैं।

महोदया, किसान महँगी खाद, कीटनाशक दवाईयाँ डालकर फसल को तैयार करते हैं और अंत में जब जानवरों द्वारा बीज को नष्ट कर दिया जाता है तो किसान बेहाल हो जाता है।

महोदया, उक्त समस्या के निपटान के लिए मैं इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार एक नीति का निर्धारण करके इस समस्या के लिए आर्थिक मदद का प्रावधान करे और साथ ही साथ मैं यह भी मांग करता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र के जंगली सुअर और नील गाय को किसान के हित में स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. किरिट पी. सोलंकी और श्री नारणभाई काछड़िया अपने आपको श्री रामसिंह राठवा जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर (कन्नूर): महोदया, मैं आपका ध्यान तत्काल निम्नलिखित विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, कृपया इसे संज्ञान में लेकर अनुकूल आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

कन्नूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कई पहाड़ी इलाके शामिल हैं, जो केरल और कर्नाटक राज्यों के घने वन क्षेत्रों से घिरे हुए हैं। **यहां** हजारों कृषक और आम लोग अपनी रोजी-रोटी चलाने के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं। आजकल उन क्षेत्रों के लोगों का सामान्य जीवन जंगली जानवरों, विशेषकर हाथी, जंगली सूअर, बंदर आदि के बार-बार हमलों के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। ये जानवर लोगों पर हमला कर रहे हैं और आदिवासियों की फसलों तथा झोपड़ियों को नष्ट कर रहे हैं। जंगली पशुओं के बार-बार हमलों के कारण कन्नूर जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग निश्चित रूप से नींद से वंचित हैं तथा स्थानीय निवासियों एवं स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में लागू प्रचलित कानून उन किसानों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं हैं, जो उक्त पहाड़ी क्षेत्रों में निवासरत हैं।

कानून के प्रावधानों के अनुसार, जंगली जानवरों का शिकार एक गंभीर अपराध माना जाता है, भले ही वह लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के उद्देश्य से ही क्यों न किया गया हो। कन्नूर जिले के अनेक गांवों के निवासी इस गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। इसलिए जंगली जानवरों के हमले में मारे गए किसानों के आश्रितों को वन विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा मुआवजे के रूप में न्यूनतम धनराशि का ही भुगतान किया जा रहा है। यदि ऐसे मामलों में पर्याप्त और उचित मुआवजा प्रदान करने की वैधानिक व्यवस्था नहीं की जाती, तो पीड़ितों के आश्रितों की दुर्दशा की रक्षा संभव नहीं हो सकेगी। साथ ही, यह अत्यंत आवश्यक है कि वन क्षेत्रों के निकटवर्ती तथा पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों और उनकी संपत्तियों की रक्षा हेतु क़ानून में उपयुक्त प्रावधान किए जाएँ, ताकि जंगली जानवरों के हमलों से उन्हें सुरक्षा मिल सके। इसके लिए वर्तमान अधिनियम में भी आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: श्री पी.के. बीजू, एम.बी. राजेश और एडवोकेट जोएस जॉर्ज को श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान अहमद (उलुबेरिया) : मैडम, धन्यवाद। देश का शिक्षा विभाग पिछले सात महीने से मुख्तलिफ कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ है। कभी संस्कृत को लेकर, कभी जर्मन को लेकर, क्रिसमस की छुट्टी को बंद करने के कारण, लेकिन जो देश में असल मुद्दा है, तकरीबन 6 लाख प्राइमरी टीचर्स की जगह खाली है, देश में स्कूलों के जो हालात हैं, हम स्वच्छ भारत आभियान चला रहे हैं, स्कूलों में टॉयलेट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर स्कूल में शिक्षक न रहें, तो स्कूल चलेगा कैसे? आज भी चाहे वह गुजरात हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, स्कूल में बच्चे जाते हैं, वहां टीचर्स नहीं होते हैं तो वे वापस आ जाते हैं।

मिड-डे-मील का भी हाल वही है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक ही विषय बोलिए। यह स्टेट मैटर है।

श्री सुल्तान अहमद : 6 लाख प्राइमरी टीचर्स और साढ़े तीन लाख अपर प्राइमरी टीचर्स की कमी है। सदन में वैंकैय्या नायडू जी उपस्थित हैं, मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया एक टाइम फ्रेम बनाये कि इन 6 लाख और साढ़े 3 लाख टीचर्स के बगैर स्कूल नहीं चल सकते हैं। जिस तरह हम मुख्तलिफ नाम से आभियान बनाते हैं, इसका भी टाइम फ्रेम बनाकर, जिन स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं हैं, शौचालय नहीं हैं, आपने उसके लिए प्लान किया है, लेकिन बगैर टीचर के, शिक्षक के स्कूल नहीं चल सकता है। राइट टू एजुकेशन वर्ष 2010 में लागू हुआ है। लेकिन यह सिर्फ नाम का है, इस पर काम नहीं हो रहा है। मैं अपने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से कहूँगा कि वे इस पर कुछ कहें।

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गई है।

श्री एंटो एंटोनी।

[अनुवाद]

श्री एंटो एंटोनी (पथनमथीट्टा): माननीय अध्यक्ष, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूं कि केरल राज्य के लगभग 2,000 विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए, जिनके मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति हेतु आवेदन केवल एक छोटी तकनीकी त्रुटि के कारण अस्वीकृत कर दिए गए हैं।

इससे इस वर्ष प्रत्येक आवेदक को 30,000 रुपये का नुकसान होगा। इसका मतलब है कि केरल राज्य में अल्पसंख्यक छात्रों को 6 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। यह मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप की भावना और इरादे के खिलाफ है। यह मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप की भावना और उद्देश्य के विरुद्ध है।

केरल राज्य सरकार ने भी केंद्र सरकार से इन छात्रों की मदद करने का अनुरोध किया है। इसलिए, मैं विनम्रतापूर्वक केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह मानवीय आधार पर इन छात्रों के मामले पर विचार करे और उनके पक्ष में मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री एम.बी. राजेश और श्री पी.के. बीजू को श्री एंटो एंटोनी द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स के निर्माण का एक महत्वपूर्ण मसला सदन में शून्य काल के माध्यम से उठाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न काल में एक प्रश्न का उत्तर आया था। उसके माध्यम से, तथा मुझे जो जानकारी प्राप्त है, ग्राम स्तर तक खेलों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, व खिलाड़ियों की प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल आभियान व युवा क्रीड़ा खेल आभियान द्वारा सभी 634 जिलों के 6545 विकास खंडों में इंडोर और आउटडोर खेलों हेतु 1 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स के निर्माण की योजना पाँच साल में पूरा करने के लिए, तथा खेल प्रतियोगिताएँ कराने व खिलाड़ियों को प्रोत्साहन की योजना बनाई है। परंतु वास्तव में जो परिणाम इन परियोजनाओं द्वारा अपेक्षित थे, वे प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसमें मुख्यतः ग्रामीण स्तर पर जागरुकता की कमी है। वहीं जिन लोगों पर

इन योजनाओं के क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी थी, उन्होंने अपने काम को ठीक से नहीं किया है। राज्य सरकारों को ज़िम्मेदारी देने के कारण भी व्यावहारिक रूप से इन योजनाओं का परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कई राज्य सरकारें, खासकर उत्तर प्रदेश व बिहार की सरकारें भारत सरकार की अपेक्षा के अनुसार कार्य नहीं कर रही हैं। गौरतलब है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स सभी 6545 ब्लाकों में निर्मित हों और अभी पाँच साल का समय है। परंतु सरकार के द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से बजट देने और यह घोषणा, कि एन.आर.जी., बी.आर.जी.एफ., एल.डब्लू.ई., एन.एफ.सी.पी.आर., ग्रामीण विकास मंत्रालय व पंचायत राज्य मंत्रालय आदि के माध्यम से राज्य सरकारों को धन उपलब्ध कराया जा रहा है लेकिन राज्य सरकारें उसको ठीक से नहीं कर पा रही है। इस तरह की योजनाओं के लिए जब तक स्वतंत्र बजट का आबंटन नहीं होता है, तब तक हम उनके हश्र को जानते हैं। अतः यह योजना समय पर पूरी हो व अपेक्षित परिणाम हों, इसके लिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि चूँकि यह महत्वाकांक्षी योजना है, अतः प्रत्येक ब्लाक में स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स के निर्माण हेतु सरकार द्वारा सीधे धन आबंटन किया जाए और इस योजना की देखभाल सीधे खेल मंत्रालय द्वारा की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री डी.के. सुरेश (बंगलौर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदया, नारियल कर्नाटक राज्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बागवानी फसल है। यह लगभग 4.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में उगाई जाती है, जो राज्य में बागवानी फसलों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल का लगभग 26 प्रतिशत है। राज्य प्रति वर्ष लगभग 528 करोड़ नारियलों का उत्पादन करता है तथा इस उत्पादन में देश में द्वितीय स्थान पर स्थित है।

हालाँकि, पिछले तीन से पाँच वर्षों में, बार-बार पड़ने वाले सूखे के कारण कुल नारियल उत्पादक क्षेत्र का 70 से 80 प्रतिशत गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। नारियल के पेड़ सूखने से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक

का वित्तीय नुकसान हुआ है। अब, किसान गहरे संकट में हैं। लगभग 1.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले नारियल के बागान अब उत्पादक नहीं रहे हैं, और इनमें से अनेक पूरी तरह से सूख चुके हैं।

महोदय, केरल जो देश में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, को भी यही समस्या झेलनी पड़ी थी। लेकिन उन्हें केंद्र सरकार के बजट में नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से पुनरोत्थान पैकेज प्रदान किया गया है।

कर्नाटक के किसानों का समर्थन करने के लिए, कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार को 893 करोड़ रुपये के पुनरोत्थान प्रस्ताव भेजा है। लेकिन अब तक इस प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अन्य बागवानी फसलों के विपरीत, नारियल के पुनरोत्थान और पुनःरोपण में वर्षों लगते हैं।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या कर्नाटक के सूखा प्रभावित नारियल बागानों को पुनर्जीवित करने और वैकल्पिक फसल उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं और क्या कर्नाटक सरकार द्वारा बनाए गए कायाकल्प प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुमारी शोभा करंदलाजे, श्री आर. ध्रुवनारायण, श्री एस.पी. मुद्दाहनुमेगौड़ा, श्री बी.एन. चंद्रप्पा, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, श्री एम.बी. राजेश और श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन को श्री डी.के.सुरेश द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: हाँ, आप सम्बद्ध हो सकते हैं। आप पर्चियां दे दीजिए।

[हिन्दी]

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) : अध्यक्ष जी, देश में विशेष जनजातियों के बारे में, विशेषकर जो पीटीजी ग्रुप है और 75 विशेष जनजातियों के बारे में कई माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की है कि इन ग्रुपों की आबादी

में प्रतिवर्ष गिरावट आ रही है। ऐसी विशेष जनजातियों की आबादी में गिरावट रोकने के लिए जैसे जरावा, बेगा, सहरिया, होर-बिहोर आदि विलुप्त होती जनजातियों के लिए सरकार कोई विशेष कदम उठाए।

महोदया, मुझे लगता है कि चूंकि ये देशभर की विशेष जनजातियां हैं, इन जनजातियों के संरक्षण, विकास और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सरकार को विशेष प्रयास करना चाहिए और बजट में विशेष प्रावधान करना चाहिए।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : अध्यक्ष जी, मैं अपने आपको श्री फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान (संबलपुर): आदरणीय महोदया, मैं इस सरकार का ध्यान लोक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मैं ओडिशा राज्य के सम्बलपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। सम्बलपुर, मुख्यालय, पश्चिमी ओडिशा का सबसे बड़ा शहर है। यह शहर राज्य की राजधानी, भुवनेश्वर से जुड़ता है। इसकी दूरी 252 किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 को जोड़ता है। सरकार ने 2012 में इसे चौड़ीकरण कर चार लेन बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन आज तक, वन विभाग और अन्य संबंधित विभागों द्वारा स्वीकृति मिलने के बावजूद, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अतः मैं सरकार से, महोदया, आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस परियोजना को शीघ्रता से लागू किया जाए, क्योंकि सांबलपुर-झारसुगुड़ा और तालचर-अंगुल मार्गों के सुधार के लिए यह एकमात्र चार लेन मार्ग है जो उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। धन्यवाद।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): माननीय अध्यक्ष महोदया, यद्यपि कुछ हद तक राहत है, फिर भी मैं उस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी एवं संबंधित मंत्री का पूर्ण विवरण जानना चाहता हूँ।

सोमवार की सुबह, सिडनी के मार्टिन प्लेस में एक चॉकलेट कैफे में एक बंदूकधारी ने अज्ञात संख्या में लोगों को बंधक बना लिया। यह घटना सुबह लगभग 9:45 बजे मार्टिन प्लेस में शुरू हुई, जो शहर के वित्तीय और शॉपिंग जिले के केंद्र में स्थित एक चौक है और इस समय वर्ष के दौरान छुट्टियों की खरीदारी के लिए **यहां** भारी भीड़ रहती है। कैफे में मौजूद कई लोग, जो सुबह की कॉफी लेने के लिए अंदर गए थे, बंधक बना लिए गए।

कुछ समय बाद, पाँच लोग कैफे से भाग निकले। कैफे के अंदर दो लोगों ने एक इस्लामिक विश्वास का झंडा उठाया, जिसका अक्सर चरमपंथी उपयोग करते हैं, जिससे यह आशंका पैदा हुई कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर के दिल में एक आतंकवादी घटना घटित हो रही है।

सिडनी में यह संकट अंततः 15 घंटों के बाद समाप्त हुआ जब मार्टिन प्लेस के लिंड्ट चॉकलेट कैफे से सभी बंधकों को पुलिस ने सुरक्षित मुक्त कराया। हालांकि, बंदूकधारी अभी तक पकड़ा नहीं गया है।

इन्फोसिस के कर्मचारी एक भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ को भी बंधक बना लिया गया। समाचार-पत्र में कहा गया है कि केवल एक को ले जाया गया लेकिन कुछ अन्य समाचार-पत्रों की माने तो दो लोगों को ले जाया गया। यही कारण है कि हम वास्तविक आंकड़ा जानना चाहते हैं। कितने लोगों को वास्तव में पकड़ लिया गया या बंधक बना लिया गया और कितने लोगों को रिहा किया गया? मैं संबंधित मंत्री से एक बयान चाहता हूं ताकि पूरे देश को चल रही वास्तविक घटना के बारे में पता चले।

[हिन्दी]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, जिस विषय को खड़गे साहब ने उठाया है, यह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत चिंता का विषय है। जिस तरह से आतंकवादी प्रवृति पूरी दुनिया में फैल रही है...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय: यह मामला विदेश मंत्री से संबंधित है। वे इस पर जवाब क्यों दे रहे हैं? … (*व्यवधान*)

श्री राजीव प्रताप रूडी: आपकी समस्या क्या है, महोदय? मैं सरकार में मंत्री के पद पर कार्यरत हूँ।… (*व्यवधान*) आप किस अधिकार से मुझसे रुकने का आग्रह करते हैं?… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सौगत राय जी, यह उचित नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

… (*व्यवधान*)

श्री राजीव प्रताप रूडी: आपकी समस्या क्या है, श्री सौगत राय?… (*व्यवधान*) महोदया, यह उन लोगों की प्रवृत्ति है... (*व्यवधान*) जब मैं सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो उन्हें मुझसे प्रश्न पूछने का क्या अधिकार है?… (*व्यवधान*) मैं उनका उत्तर दे रहा हूँ, आप कौन हैं कि इस प्रकार बाधा डाल रहे हैं?… (*व्यवधान*) आप कौन हैं? … (*व्यवधान*) मैं उनका उत्तर दे रहा हूँ... (*व्यवधान*) यह कोई तरीका नहीं है। … (*व्यवधान*) मैं बता रहा हूं।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

मैडम, यह तरीका ठीक नहीं है। खड़गे साहब ने रिकवेस्ट किया है और मैं यह कहने वाला हूं कि सदन में इसका उत्तर दिया जाएगा। अगर इस पर भी इनको आपत्ति है, इनको लगता है कि इनकी हर इच्छा की पूर्ति हो, यह इस सदन में संभव नहीं है, यह मान कर चलना होगा। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : ऐसा नहीं है, अगर आपके केबिनेट मिनिस्टर नहीं हैं, फॉरेन स्टेट मिनिस्टर हैं तो वे जवाब दे सकते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वे यही बोल रहे हैं कि दे देंगे।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : वे खुद ही समझते हैं कि यह इम्पोरटेंट मेटर है। ...(व्यवधान) जब इम्पोरटेंट मेटर है तो खुद ही उनको यहां आकर स्टेटमेंट देना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वे संसदीय कार्य मंत्री हैं, [अनुवाद] मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: कृपा कर आप बैठ जाइए। हर समय उठ कर बोलना आवश्यक नहीं है। [अनुवाद] कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) ...[4*]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : वे किसी सदस्य से यह सवाल कैसे पूछ सकते हैं, "आपको मुझे रोकने का अधिकार किसने दिया है?" ... (*व्यवधान*) वे एक सदस्य हैं। उन्हें प्रश्न पूछने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। ... (*व्यवधान*) आप किसी सदस्य को चुनौती नहीं दे सकते। ... (*व्यवधान*) आप यह विनम्रतापूर्वक कह सकते हैं कि आप उत्तर देना चाहते हैं, यह एक अलग बात है। लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि "आपको मुझसे प्रश्न पूछने का क्या अधिकार है?" ... (*व्यवधान*) यह अनुचित है। ... (*व्यवधान*) यह संविधान के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है तथा नियमों का भी उल्लंघन है।... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दे दी है। हरेक को बोलने की आवश्यकता नहीं है। कृपा कर आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदया, यदि मैं कोई विचार व्यक्त कर रहा हूं और विपक्ष संसदीय कार्य मंत्री को वह स्थान प्रदान करने के लिए अनिच्छुक है, तो मुझे अपनी भूमिका का पूर्णतया आकलन करना आवश्यक हो

[4*] कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जाएगा।... (*व्यवधान*) यदि मैं यह कहूं कि यह एक गंभीर विषय है और सरकार इस पर अपना उत्तर प्रस्तुत करेगी, तो टीएमसी को सरकार की इस प्रतिक्रिया में क्या आपत्ति है? ये कैसा अहंकार है? ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) ...[5]*

श्री राजीव प्रताप रूडी: प्रत्येक बार जब मैं उठता हूँ, तब उन्हें भी उठना आवश्यक हो जाता है। ... (*व्यवधान*) यह पश्चिम बंगाल विधान सभा नहीं है? ... (*व्यवधान*) यह भारत की संसद है, उन्हें इसे समझना चाहिए। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: जरूरी नहीं है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का अधिकार है, वे कुछ बताएं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: खंडूड़ी जी, आप हमें सम्बोधित करिए।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी एवीएसएम (गढ़वाल): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र गढ़वाल में भी एक श्रीनगर नाम का स्थान है, उसके पास सोमाड़ी नाम का एक स्थान है, जहां पर पांच साल पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी बना था। इन पांच सालों में उसमें देश-विदेश के अनेक विद्यार्थी आते हैं, लेकिन वहां की हालत बहुत खराब है।

अध्यक्ष महोदया, दो मुख्य समस्याएं हैं, जो मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। जनप्रतिनिधि होने के नाते वहां के अनेकों लोगों ने मुझ से शिकायत की है कि वहां पर धन का दुरुपयोग हो रहा है, प्रशासनिक अत्याचार हो रहा है, फेकेल्टी को अलग प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है और धन का बहुत

5

बड़ी मात्रा में दुरुपयोग हो रहा है। दूसरी समस्या वहां पर यह है कि पांच साल के बाद भी बहुत सारे भवन के लिए सरकार से पैसा नहीं जा पा रहा है। इस स्थिति में उस इंस्टीट्यूट में, जोकि अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट है, वहां पर अफरा-तफरी मची हुई है।

अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वहां पर कुछ इस तरह जांच की जाए, जिसमें आर्थिक और प्रशासनिक दोनों बातों को देखा जाए। वहां पर जो बिल्डिंग और भवन वगैरह बनने थे, वे क्यों नहीं बन रहे हैं और जो फेकेल्टी को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उसके बारे में विस्तार से एक जांच करें, यह मेरी सरकार और मंत्री महोदय से प्रार्थना है।

माननीय अध्यक्ष: सौगत राय जी, आप पहले मेरी बात सुनिए। आपका जो विषय लिखा है, मैं सभी के लिए थोड़ा कहना चाहूंगी कि शून्यकाल में जो मेटर डालते हैं, वे बहुत इम्पोरेटेंट होते हैं। कई बार मैंने देखा है कि सदस्य स्टेट का मेटर हो। राज्य में कोई चीज बननी हो, उसे भी उठाते हैं, उसको भी उठाते हैं। मैं सबके लिए बोल रही हूं।

दूसरी बात, साधारणतया एलीगेशंस भी किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। आप अपनी कोई विषय वस्तु जो सेंट्रल गवर्नमेंट से संदर्भित है, उस पर कहें। कई लोग कागज लेकर बोल रहे हैं, वे पूरा का पूरा पेपर पढ़ते हैं, ऐसा भी शून्यकाल में नहीं होता है। मैं जानकारी के लिए बता रही हूं। सौगत राय जी नये सदस्य नहीं हैं, जो नये सदस्य हैं, मैं उनके लिए बता रही हूं। ऐसा भी नहीं होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें।

सौगत राय जी, मैं आपको बोलना चाहूंगी, आपने जो विषय आज यहां लिखकर दिया है, कई दिनों से उसकी चर्चा आप कर रहे हैं। आप जब वाक आउट करके गए थे, तब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि अगर आप पर्टिकुलर इस विषय पर चर्चा भी चाहेंगे तो वह इसके लिए तैयार हैं। यह केवल जानकारी के लिए है।

आपसे एक ही निवेदन है कि प्लीज, अगेन कोई एलीगेशन लगाकर या इस तरीके से बात नहीं हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शून्य काल का उपयोग एलीगेशन के लिए नहीं करें। जो आपको कहना है, शांति से थोड़े समय में कह सकते हैं।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मैडम, धन्यवाद। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मलप्पुरम): महोदया, मुझे केवल एक ही निवेदन करना है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। आज क्या बात है?

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मैडम, आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। आप ही इस सदन की मार्गदर्शक हैं। आप जो रास्ता दिखायेंगी, हम उसी रास्ते पर आने वाले दिनों में चलने की कोशिश करेंगे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अहमद जी, आज क्या बात है?

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : महोदया, आपको इस मामले को विदेश मंत्रालय के समक्ष उजागर करना चाहिए। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब, कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) ... [6*]

प्रो. सौगत राय: महोदया, अहमद साहब एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैं जानती हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं उन्हें बेहतर जानती हूं।

... (*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय: हाँ, मुझे पता है। ... (*व्यवधान*) महोदया, क्या मैं आपकी अनुमति से अब बोल सकता हूँ? ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मगर नो एलीगेशन, नो झगड़ा।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय: हाँ, महोदया, कोई आरोप नहीं। ... (*व्यवधान*) महोदया, मेरा अनुरोध है कि मुझे अनुमति दी जाए... (*व्यवधान*)

[6*] कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा, लेकिन उन्हें सरकार के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।... (*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय: महोदया, अब जब सभा व्यवस्थित हो गई है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि मुझे आज सभा में 'शून्य काल' के दौरान अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाने की अनुमति दी जाए। मैं इस मुद्दे को संक्षेप में निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत करूँगा।

केंद्र सरकार अपने विभिन्न क्रियाकलापों और अपेक्षाओं के माध्यम से संविधान की संघीयता और धर्मनिरपेक्षता की संरचना को जानबूझकर कमजोर कर रही है, तथा महात्मा गांधी नरेगा के लिए आबंटित निधि को अवरुद्ध कर रही है।... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, जो विषय आपने दिया है, उसी पर कहें।

प्रो. सौगत राय : मैडम, पूरा लिखा है। यह दो-तीन लाइन का ही है। ... [अनुवाद] (*व्यवधान*) इसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए धन रोक दिया है, इस प्रकार पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आदि राज्यों को बड़ी कठिनाई में डाल दिया है। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपका वह विषय नहीं है।

प्रो. सौगत राय : यह लिखा है। अच्छा मैडम, लास्ट पैराग्राफ पढ़ता हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप शून्य काल के नोटिस पर बोलिए। यह तो आप एडजर्नमेंट नोटिस कह रहे हैं।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मैडम, शून्य काल में बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप क्यों बोल रहे हैं?

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय: महोदया, कृपया मेरी त्रुटि को सुधारें एवं निर्देश दें कि मुझे क्या अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए।... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सारे के सारे विषय नहीं होते, एक ही विषय पर बोलेते हैं। नरेगा पर बोलिए, चलेगा।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मैडम, हम एक ही विषय में बोलेंगे। [अनुवाद] महोदया, पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार और टी.एम.सी को कमजोर करने के लिए बी.जे.पी. नेतृत्व द्वारा सारदा घोटाले की सी.बी.आई जांच में राजनीतिक हेरफेर किया जा रहा है। ... (*व्यवधान*) हाल ही में पश्चिम बंगाल के एक कैबिनेट मंत्री की गिरफ्तारी ... (*व्यवधान*) यह क्या है? ... (*व्यवधान*)

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदया, आप इसकी अनुमति कैसे दे सकती हैं? ... (*व्यवधान*) उन्होंने इस संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया है। ... (*व्यवधान*) आपका नोटिस क्या है? ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : छोड़िए, हो गया।

श्रीमती प्रियंका सिंह रावत।

... (व्यवधान)

श्रीमती प्रियंका सिंह रावत (बाराबंकी) : महोदया, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। ...(व्यवधान) मेरे संसदीय क्षेत्र बाराबंकी उत्तर प्रदेश से तीन राष्ट्रीय राजमार्गों से होकर पूर्वांचल के अनेकों जनपदों जैसे गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोण्डा, बहराइच, संतकबीर नगर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, अमेठी तथा पड़ोसी देश नेपाल के अनेकों यात्रियों का आवागमन होता रहता है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय: महोदया, आप '*शून्यकाल'* के दौरान आप हमारी अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर रही हैं।... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्रीमती प्रियंका सिंह रावत : इतने लंबे मार्ग से आवागमन में अनेकों सड़क दुर्घटनायें भी होती रहती हैं। लखनऊ से पहले कोई उच्च श्रेणी की सुविधा न होने के कारण, दुर्घटनाग्रस्त मरीजों एवं अन्य गंभीर प्रकृतियों के रोगियों को समय से उपचार न मिल पाने के कारण, अकाल मृत्यु की घटनाएं होती रहती हैं। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि पूर्वांचल क्षेत्र के पीड़ित एवं जनपद बाराबंकी के रोगियों को उच्च श्रेणी की स्वास्थ सेवा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, बाराबंकी में ट्रामा सेन्टर स्वीकृत कराये जाने की कृपा करें।

श्री हरिनरायन राजभर (घोसी) : अध्यक्ष महोदया, मैं श्रीमती प्रियंका सिंह रावत द्वारा शून्य काल में उठाए गए विषय के साथ संबद्ध अपने-आप को संबंद्ध करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री ओम प्रकाश यादव।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है?

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यह क्या है? एक नए सदस्य अब बोल रहे हैं। यह बहुत अनुचित है।

... (*व्यवधान*)

अपराह्न 12.41 बजे

इस समय प्रो. सौगत राय और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान बिहार में बड़े पैमाने पर हो रहे दवा घोटाले की ओर दिलाना चाहता हूं। ...(व्यवधान) बिहार में वर्ष 2013 से सरकारी अस्पतालों में दवा आपूर्ति के लिए टेंडर जारी किया गया, जो 15 मार्च, 2013 से शुरू हुया था। इस टेंडर के आलोक में बिहार सरकार ने 500 करोड़ रुपए की दवा खरीददारी की।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है?

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश यादव : बिहार सरकार ने कई ऐसे कम्पनियों से दवा खरीदी, जो राज्य में पहले से ही ब्लैकलिस्टेड थे। उनके उत्पादन पर राजस्थान, तमिलनाडु और केरल राज्यों ने पहले से ही प्रतिबंध लगा रखे थे।...(व्यवधान) बिहार सरकार ने जिन कारणों से उन कम्पनियों से दवा और उपकरणों की खरीद की है, वह जांच का विषय है। ...(व्यवधान) बिहार के महालेखाकार ने दवा खरीददारी में लगभग 18 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की रिपोर्ट बिहार सरकार को दी। ...(व्यवधान) माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग के

सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। ...(व्यवधान) कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में दवा घोटाले को स्वीकार किया है। उन आधिकारियों का निलम्बन हुआ है। बिहार के अस्पतालों में दवा की बहुत कमी है। वहां रोगी दवा के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। बिहार सरकार बहुत संवेदनशील मामले में गंभीर नहीं है। वह दोषियों को बचाने में लगी है। ...(व्यवधान)

अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि तत्काल प्रभाव से उसकी जांच सी.बी.आई. से कराई जाए एवं अस्पतालों में दवा आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री आश्विनी कुमार चौबे और श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल को श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

डॉ. ए. संपत (अट्टिंगल): माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में "कानून के समक्ष समानता" का प्रावधान है। मैं किसी से यह प्रश्न नहीं कर रहा कि "आप कौन हैं?" बल्कि मैं स्वयं से यह प्रश्न कर रहा हूँ, "मैं कौन हूँ?"

जब भारत के लोग न्याय की मांग करते हैं, तब कानून और न्याय उनसे दूर भाग जाते हैं। न्यायपालिका एक ऐसी संस्था बन गई है... [7*]

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : जुडिशियरी के लिए अभी कुछ नहीं बोलें। उसकी आवश्यकता नहीं है।

... (व्यवधान)

[7*] कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आप केवल अपनी मांग रख सकते हैं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप ऐसा न करें।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : आप मुझे क्यों मजबूर करते हैं कि मैं डिनाय करूं।

[अनुवाद]

डॉ. ए. संपत: महोदया, आप जो भी कहेंगी मैं मानूंगा। मैं सदन का एक सबसे आज्ञाकारी सदस्य हूँ, यह आपकी जानकारी में है।

इस देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 43 लाख मामले लंबित हैं, और उच्चतम न्यायालय में 63,000 से अधिक मामले लंबित हैं। पिछली दो पीढ़ियों से, केरल की राजधानी तिरुवनन्तपुरम से, लोग तिरुवनन्तपुरम में केरल उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की पुनः स्थापना की मांग कर रहे हैं।

भारत सरकार से मेरा विनम्र प्रश्न यह है कि विभिन्न राज्यों की राजधानी को उच्च न्यायालयों की स्थायी पीठ के अधिकार से क्यों वंचित किया जा रहा है। यदि आप तिरुवनन्तपुरम में उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हैं, तो आप उच्च न्यायालय की सर्किट पीठ की स्थापना पर विचार क्यों नहीं करते। उत्तर-पूर्वी राज्य भी ऐसी गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त संख्या में उच्च न्यायालय की पीठें नहीं हैं। पर्याप्त संख्या में न्यायाधीश, पर्याप्त संख्या में उच्च न्यायालय की पीठें उपलब्ध कराना संसद का कर्तव्य है।

माननीय अध्यक्ष: संसद का नहीं।

डॉ. ए. संपत: माननीय अध्यक्ष महोदया, आप इस सदन की एक वरिष्ठ सदस्य हैं और हमारे अधिकारों की संरक्षक भी हैं। जैसा कि आपको अच्छी तरह ज्ञात है, संविधान का अध्याय चार संघीय न्यायपालिका से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 129 " उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय" के बारे में है और अनुच्छेद 130 “उच्चतम न्यायालय के स्थान” के संबंध में है। इसके अनुसार, उच्चतम न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थानों पर कार्यवाही करेगा जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की स्वीकृति से, समय-समय पर निर्धारित करते हैं।

इस संविधान को अपनाए हुए तीन पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं, फिर भी न्यायालय, न्यायपालिका एवं कानून आम जनता तक पूरी तरह से पहुंच नहीं पाया है। जनता को बार-बार उस द्वार पर दस्तक देनी पड़ती है जो हमेशा बंद रहता है। मेरी सादर विनती है कि यदि हम संविधान का वास्तविक सम्मान करते हैं, तो कानून और न्याय की पहुंच प्रत्येक नागरिक तक सुनिश्चित की जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय की स्थानीय पीठों की स्थापना की जानी चाहिए तथा केरल उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थापित की जानी चाहिए।

महोदया, मैं एक आपराधिक मामले में आरोपी हूं। जो इस समय आपके समक्ष विचार व्यक्त कर रहे हैं, तिरुवनंतपुरम में उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना हेतु मेरी न्यायसंगत आंदोलन में सम्मिलित होने के कारण सैकड़ों अधिवक्ता साथियों के साथ एक आपराधिक प्रकरण में अभियुक्त हैं। जब मैंने 16वीं लोक सभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया, तब मेरे विरुद्ध केवल यही एक मामला चल रहा था।। … (*व्यवधान*) मैं आपके माध्यम से एक बार फिर आपसे यह अनुरोध करता हूं। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गई है। आप कितनी बार बोलेंगे।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : हमेशा उत्तर नहीं मांगते हैं। आप एसोसिएट कर दीजिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

मोहम्मद फैज़ल (लक्षद्वीप): अध्यक्ष महोदया, मुझे इस सभा में लक्षद्वीप में पर्यटन के महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जब मैं संसद में अपने सहयोगियों से मिलता हूं और जब मैं कहता हूं कि मैं लक्षद्वीप से हूं, तो वे कहते हैं कि [हिन्दी] आप इतनी अच्छी जगह से आते है, हमें वह देखनी चाहिए। लेकिन हालात ऐसे हैं कि आज भी वहां जाने में एंट्री रिस्ट्रिक्शन है। [अनुवाद] मैं इसी विषय की ओर आ रहा हूं। मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय राज्य मंत्री श्री रूडीजी पहले ही लक्षद्वीप का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने लक्षद्वीप में अपना स्कूबा डाइविंग कोर्स भी किया है।

महोदया, लक्षद्वीप मालदीव से बिल्कुल सटा हुआ है। उनकी आय का लगभग 75 प्रतिशत पर्यटन से आता है। लक्षद्वीप ऐसा स्थान है जो सीधे भारत सरकार के नियंत्रण में आता है। जब हमारे पास मालदीव जैसे स्थान हैं जहां रोजगार और आय उत्पन्न की जा सकती है, तब तक भारत सरकार ने लक्षद्वीप को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं किया है। मुझे आज यह अवसर मिलने पर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं पर्यटन के विषय पर बोल रहा हूं क्योंकि इस सदन के लिए मेरी चुनावी जीत का आधार पर्यटन विकास का मेरा आश्वासन था। पर्यटन ही एक ऐसा क्षेत्र है जिससे लोगों को रोजगार मिल सकता है।

इसे ध्यान में रखते हुए 2008 में पर्यटन विभाग ने अगत्ती द्वीप में एक बीच रिज़ॉर्ट स्थापित करने की अधिसूचना जारी की थी। कुल नौ आवेदक थे। वे स्थानीय उद्यमी थे। करोड़ों रुपए लगाकर उन्होंने रिज़ॉर्ट का निर्माण कराया। जब उन्होंने अंतिम अधिभोग के लिए प्रशासन से संपर्क किया, तो प्रशासन ने यह कहकर इनकार कर दिया कि यह सी.आर.जेड. के अंतर्गत आता है। प्रारंभिक चरण में यह अधिसूचना में नहीं था। मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहुंचा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सी.आर.जेड मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की। समिति ने अपने प्रतिवेदन दिए कि पूरे लक्षद्वीप को मौजूदा 50 मीटर सी.आर.जेड. लाइन से 20 मीटर तक सीमित किया जाना चाहिए। स्थानीय लोगों की कठिन परिश्रम से अर्जित धन से निर्मित वर्तमान में कोई भी रिज़ॉर्ट इस श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि वे सभी 20 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित हैं। अब प्रशासन, समिति की सिफारिश के आधार पर पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजकर इसे राजपत्र में प्रकाशित करवाने की दिशा में कोई पहल नहीं कर रहा है, जबकि यही प्रक्रिया पर्यटन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। मेरे वक्तव्य का अंतिम निष्कर्ष यह है कि वर्तमान में लक्षद्वीप में प्रवेश पर प्रतिबंध है। मेरी राय में, चूंकि यह एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यह प्रतिबंध उचित है। लेकिन यह प्रतिबंध लक्षद्वीप आने पर पूर्णतः रोक का कारण नहीं बनना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह समस्त सदन लक्षद्वीप का भ्रमण करना चाहेगा, क्योंकि यह विश्व का सबसे सुंदर द्वीप है। कल मेरी इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय से भी चर्चा हुई थी।

महोदया, जिन व्यक्तियों के पास वैध यात्रा दस्तावेज या पहचान पत्र हों, तथा जिनके लिए लक्षद्वीप में आवास की पूर्व पुष्टि हो, उन्हें लक्षद्वीप आने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। यह सर्वविदित तथ्य है कि जब कोई पर्यटक किसी स्थान का भ्रमण करता है, तो उससे औसतन सात रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। लक्षद्वीप के संदर्भ में पर्यटन ही एकमात्र स्थायी एवं दीर्घकालिक उद्योग है।

महोदया, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह लक्षद्वीप को पर्यटन के लिए खोले, जिससे वहां रोजगार के अवसर सृजित हो सकें, राजस्व प्राप्त किया जा सके और लक्षद्वीप को एक वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य जोएस जॉर्ज, पी.के. बीजू, एम.बी. राजेश, अरविंद सावंत और बदरुद्दीन अजमल को उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : महोदया, शून्य काल में मैं अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित लोक महत्व का मामला उठाना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में नालंदा जिला अंतर्गत बिहार शरीफ से अस्थावां जाने वाली एनएच-82 पर बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन के निकट ऊपरी पुल का निर्माण कराया जाए और बिहार शरीफ से रांची नवादा जाने वाले एनएच-31 पर सुपरग्रिड पुलिस लाईन रेलवे गुमटी के पास जाम की स्थिति को देखते हुए ऊपरी पुल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द कराया जाए। वहां काफी जाम होता है, कोई रोगी को बिहारशरीफ आना पड़े, तो जाम की स्थिति से मरीज मर जाते हैं। वैसी परिस्थिति में मैं रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इस ऊपरी पुल पर विचार करें। दूसरा, फतुहा-इस्लामपुर-बक्सर एक्सप्रेस जो प्रत्येक हाल्ट पर नहीं रुकती है वहां के स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रत्येक हॉल्ट पर इसको रोका जाए।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से अपने लोक सभा क्षेत्र अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन उत्तर भारत का विख्यात रेलवे स्टेशन है। [हिन्दी] जहां पर लगभग एक दिन में 350 यात्री रेलगाड़ियों एवं मालगाड़ियों का आवागमन होता है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर मुम्बई व चेन्नई तक आने-जाने वाली गाड़ियां यहां से होकर गुजरती हैं। इस रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन का दर्जा दिए जाने का कई बार फैसला हुआ, पर न जाने किन कारणों से अभी तक यह काम रूका हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रेल मंत्री इस बारे में आतिशीघ्र निर्णय लेकर अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेलवे स्टेशन का दर्जा दें।

[अनुवाद]

श्रीमती किरण खेर (चंडीगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदया, आज 2012 में दिल्ली में हुई एक युवती के साथ हुए बेरहमी से सामूहिक दुष्कर्म की दूसरी वर्षगांठ है, जिसने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर व्यापक जन आंदोलन को प्रेरित किया। उस युवती, जो फिजियोथेरेपी की छात्रा थी, को दुष्कर्म के बाद बर्बरता से घायल किया गया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। पीड़िता और उसकी मित्र सड़क पर लंबे समय तक पड़ी रहीं, लेकिन कोई भी उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। किसी ने उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया, जिससे संभवतः इस युवती की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन किसी ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं किया। यदि हम इसे गंभीरता से देखें, तो इस लापरवाही के पीछे हमारे समाज के कुछ लोगों में भय का भाव था। वे डर के मारे उन्हें उठाकर अस्पताल नहीं ले गए। लोगों में यह भय है कि यदि वे जरूरतमंद की मदद के लिए आगे आएंगे, तो वे पुलिस पूछताछ और कोर्ट की प्रक्रिया के अनंत चक्र में फंस जाएंगे। यह भय कि यह एक मानवता का कार्य कई वर्षों तक चलने वाली कष्टदायी प्रक्रिया में बदल सकता है, हमारे नागरिकों को हर साल लाखों जानें बचाने से रोक रहा है।

भारत में हर घंटे लगभग 15 लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। केवल पिछले दशक में सड़क दुर्घटनाओं के कारण हुई मौतों की संख्या लगभग दस लाख के करीब है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या दुनिया के 27 देशों की कुल जनसंख्या से अधिक है।

चिकित्सा सेवा में, किसी दुर्घटना के तुरंत बाद के 60 मिनट जीवन और मृत्यु के बीच निर्णायक समय होते हैं। फिर भी, रिपोर्टों के अनुसार, भारत में सड़क दुर्घटना के 80 प्रतिशत पीड़ितों को इस अत्यंत महत्वपूर्ण अवधि में कोई आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्राप्त नहीं होती है। लोग मदद के लिए आगे क्यों नहीं आते? सेव लाइफ फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित एक हालिया अध्ययन ने इस प्रश्न के कारणों का गहन विश्लेषण किया है, जिसके परिणाम अत्यंत गंभीर और विचारणीय हैं।

74 प्रतिशत दर्शक गंभीर चोटिल पीड़ित की सहायता करने की संभावना नहीं रखते, चाहे वे मौके पर अकेले हों या उनके साथ कोई हो—यहां तक कि यदि वे वहां के एकमात्र गवाह हों! जिनमें से 88 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे सहायता करने की संभावना नहीं रखते, वे मुख्यतः कानूनी परेशानियों के भय से हिचकिचाते हैं।

77 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाता जो घायल पीड़ितों की सहायता करने में हिचकिचाते हैं, उनका कहना है कि अस्पताल मददगार को अनावश्यक रूप से रोके रखते हैं- वे नेक लोग जो स्ट्रेंजर्स की मदद करते हैं, उन्हें हम अच्छे लोगों को कहते हैं - और जब तक पैसे का भुगतान नहीं किया जाता, पीड़ितों का इलाज करने से इंकार कर दिया जाएगा।

महोदया, डॉक्टर जीवन बचाने की शपथ लेते हैं। इस देश में और दुनिया भर में, डॉक्टर वे लोग होते हैं जिनका सभी सम्मान करते हैं। फिर भी, आज हमारे पास कई चिकित्सा संस्थान ऐसे हैं जो जीवन बचाने की तुलना में अधिक पैसा कमाने में रुचि रखते हैं।

मैं यह सुझाव नहीं दे रही हूं कि प्रत्येक अस्पताल को परोपकार के उद्देश्य से संचालित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह आर्थिक दृष्टि से उचित या व्यवहार्य नहीं है। तथापि, एक चिकित्सक की गरिमा इस बात में निहित होती है कि वे अपने आर्थिक लाभ से पूर्व मानव जीवन रक्षण को सर्वोपरि मानते हैं।

मुझे दृढ़ विश्वास है कि आज हमें नेक लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक कानून की आवश्यकता है, जो यह सुनिश्चित करे कि उन्हें किसी भी कानूनी समस्याओं का सामना न करना पड़े। साथ ही, ऐसा कानून होना चाहिए जो अस्पतालों को सभी मरीजों को जो उनके पास लाए जाते हैं, प्राथमिक उपचार और आपातकालीन देखभाल प्रदान करने के लिए बाध्य करे। देश में ऐसा कानून होना चाहिए जो नागरिकों को यह अनुमति दे कि वे घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाएं और फिर अपनी सुविधा के अनुसार मदद करने के लिए वहीं रहें या अपनी राह आगे बढ़ा लें।

मैंने इस संदर्भ में पिछले सप्ताह एक गैर सरकारी सदस्य का विधेयक प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही, मैंने लगभग 90,000 लोगों के हस्ताक्षरित एक याचिका माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी. नड्डा जी को सौंपी

है। मेरा मानना है कि सरकार को एक ऐसा कानून लाना चाहिए जो इस मुद्दे को व्यापक तरीके से संबोधित करे, और मैं आज अनुरोध करती हूं कि सरकार न केवल इस सदन को, बल्कि इस देश के लोगों को आश्वासन दे- कि इस पर विचार किया जाएगा और लाया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे, श्री पी.के. बीजू, श्री अर्जुन मेघवाल, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, डॉ. उदित राज, श्री बदरुद्दीन अजमल और डॉ. सत्यपाल सिंह को श्रीमती किरण खेर द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कुमारी सुष्मिता देव (सिलचर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं बेहद आभारी हूं कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। जैसा कि मेरी सहयोगी श्रीमती किरण खेर ने बताया। आज 16 दिसंबर है, एक महत्वपूर्ण दिन लेकिन साथ ही देश के लिए एक दुखद दिन भी, क्योंकि मुझे लगता है कि हम एक बार फिर उसी मोड़ पर आ खड़े हुए हैं।

श्रीमती किरण खेर ने अपने भाषण में हमें याद दिलाया कि डॉक्टर जीवन बचाने की शपथ लेते हैं लेकिन हम सांसद के रूप में हर बार संविधान को बनाए रखने की शपथ लेते हैं। यह संविधान मुझे यह अधिकार देता है कि एक महिला के रूप में मैं समान हूँ, एक महिला के रूप में मैं स्वतंत्र हूँ, और एक महिला के रूप में मुझे भी इस देश के किसी भी अन्य नागरिक की तरह जीने और कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन हाल ही में 5 दिसंबर को हुआ बलात्कार का मामला इस सवाल को सामने लाता है कि क्या सरकार ने पर्याप्त काम किया है - मैं इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करूँगी कि किस सरकार ने - लेकिन क्या हमने पिछले दो वर्षों में संविधान के अनुसार महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण की गारंटी के लिए पर्याप्त काम किया है? मैं दो छोटे मुद्दे उठाना चाहूंगी। सबसे पहले, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर निर्णय देने के लिए स्थापित फास्ट ट्रैक कोर्ट इस तथ्य से पराजित हो गया है कि आज फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा दी गई सजा के खिलाफ अपील माननीय उच्चतम न्यायालय में है। क्या भारत सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि आज 16 दिसंबर को वे निर्भया मामले में

तेजी लाने के लिए माननीय अध्यक्ष को एक अंतरिम आवेदन देंगे ताकि आरोपी व्यक्तियों को न्याय के कटघरे में लाया जा सके।

दूसरी बात, माननीय वित्त मंत्री ने परिवहन व्यवस्था के लिए पिछले बजट में 50 करोड़ रुपये दिए हैं। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस फंड का उपयोग और तेजी से किया जाना चाहिए ताकि हम दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षित रहें और दिल्ली में एक महिला के रूप में मेरी सुरक्षा भविष्य में सिर्फ एक भ्रम न रहे।

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती मीनाक्षी लेखी, आपका नोटिस समझ में नहीं आया है। दो इश्यू नहीं जोड़े जाते हैं। मैं इसी इश्यू पर दो-तीन महिलाओं को अलाऊ कर रही हूं।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। आज का दिन विजय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन ऐसा है जब हम शहीदों, सैनिकों को याद करते हैं, जिन्होंने देश की रक्षा की। आज ही के दिन इनको भूल जाना शायद संसद के लिए अपमानजनक होगा। आज का दिन निर्भया केस के लिए भी याद किया जाता है। निर्भया केस ऐसा केस है जो शायद हमारे आस्तित्व पर प्रश्न चिह्न लगाता है। हमारे देश के शहीदों ने आजादी और रक्षा के लिए जिस तरह से अपनी जान न्यौछावर की और देश को सुरक्षा प्रदान की ताकि भारत का संविधान देश को चला सके। इसी पर प्रश्न चिह्न लग गया है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो नया उबर रेप केस हुआ है। इसमें पुलिस ने जिस बेहतर तरीके से काम किया है, उसकी सराहना आवश्यक है ताकि पुलिसकर्मी और आफिसर्स इन यूनिफार्म हैं, उनको इज्ज़त दी जाए। देश की संसद दो विषयों पर, शहीदों और महिलाओं की इज्ज़त पर बिना कोई राजनीति किए इकट्ठे एक ही वचन में बंधी रहे। इन दोनों विषयों पर संसद की तरफ से एक ही वचन होना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों विषयों को जोड़ा है।

श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वडोदरा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे अपने क्षेत्र के आति महत्वपूर्ण विषय के संबंध में बोलने की अनुमति दी। मैं गुजरात वडोदरा के एक क्षेत्र से आई हूं। सर्व श्री शिवाजी गायकवाड़ जी की संस्कारी नगरी वडोदरा है। इसके बीच करीब 23 किलोमीटर विश्वामित्री नदी बह रही है। इस नदी में हर साल बाढ़ आती है और इस वजह से इसके आसपास रहने वाले लोगों के घरों में पानी आ जाता है। विश्वामित्री रिवर प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। राज्य सरकार हर साल पीड़ित लोगों की सहायता करती है। राज्य सरकार विश्वामित्री रिवर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहती है।

राज्य सरकार विश्वामित्री रिवर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहती है। मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री से अनुरोध करती हूं कि केंद्र सरकार की ओर से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाए ताकि वडोदरा के लोगों को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उससे मुक्ति मिल सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

कुमारी शोभा कारान्दलाजे (उदुपी चिकमगलूर): महोदया, आज मैं यौन अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा उठाना चाहती हूं। इस समुदाय की न तो संसद में, न विधान सभाओं में और न ही समाज में कोई प्रभावी प्रतिनिधित्व या आवाज है। वास्तव में यह समुदाय गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है; उन्हें जीवन यापन के लिए भीख माँगने और देह व्यापार जैसे कठिन और अपमानजनक परिस्थितियों में जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अतः मैं इस विषय को संसद में उठाना चाहती हूं और आपसे निवेदन करती हूं कि कृपया मुझे यह मुद्दा उठाने की अनुमति प्रदान करें।

ट्रांसजेंडर या यौन अल्पसंख्यकों या *हिजड़ों* की समस्याओं को सदियों से नजरअंदाज, उपेक्षित और दरकिनार किया जाता रहा है। यौन अल्पसंख्यक भी समाज का हिस्सा हैं। उनके वर्ग और लिंग के आधार पर भेदभाव ट्रांसजेंडर समुदाय को भारतीय समाज के सबसे अशक्त और वंचित समूहों में से एक बनाता है। यह बहुत दुखद है कि देश में ट्रांसजेंडर लोगों की सटीक या विश्वसनीय संख्या उपलब्ध नहीं है। गायों जैसे पालतू जानवरों और जंगली जानवरों का भी जनगणना किया जाता है। हर प्रजाति के लिए हम जनगणना करते हैं।

जंगलों में भी जंगली जानवरों की जनगणना की जाती है। लेकिन यौन अल्पसंख्यकों के बारे में कोई जनगणना नहीं है और भारतीय सरकार के पास उनकी कोई संख्या उपलब्ध नहीं है। यह वास्तव में भारतीय लोकतंत्र का एक दुखद पहलू है। भारत में, लैंगिक अल्पसंख्यकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ रोजगार, आवास, सार्वजनिक सुविधाओं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और पहचान पत्र प्राप्त करने जैसे क्षेत्रों में उत्पीड़न, हिंसा, सेवाओं से वंचित करने तथा अन्यायपूर्ण व्यवहार की रिपोर्टें उपलब्ध हैं।

यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21 का पूर्ण उल्लंघन है। ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्य रूप से भेदभाव, बेरोजगारी, शिक्षा की सुविधा की कमी, मानवीय संवेदनाओं का अभाव, चिकित्सा सुविधाओं की कमी, विवाह और दत्तक ग्रहण से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मानवीय दृष्टिकोण से, लाखों लैंगिक अल्पसंख्यकों को केंद्र सरकार से समर्थन, सहायता और आर्थिक मदद की आवश्यकता है।

मैं केंद्र सरकार से निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करने का आग्रह करती हूं। सबसे पहले, इस लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय का सही-सही राष्ट्रीय जनगणना में दस्तावेजीकरण होना आवश्यक है। उन्हें शिक्षा और रोजगार में आरक्षण दिया जाना चाहिए। बेंगलुरु में, हमारे आंदोलन के बाद, उन्हें बेंगलुरु विश्वविद्यालय में प्रवेश में आरक्षण दिया गया। इसका पालन भारत के सभी विश्वविद्यालयों और सभी शैक्षणिक संस्थानों को करना चाहिए। स्त्री-पुरुष के समान अधिकार दिलाने के लिए इस समुदाय को तृतीय लिंग माना जाना चाहिए। उन्हें सभी मौलिक अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की जाएं। उन्हें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आई.डी कार्ड और आधार कार्ड जैसे विभिन्न अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। इस यौन अल्पसंख्यक को बी.पी.एल. कार्ड जारी किया जाना चाहिए। हमें उनके साथ इंसान जैसा व्यवहार करना चाहिए।

श्री के. अशोक कुमार (कृष्णागिरी): माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे गन्ने की क्षेत्रवार इकाई लागत विषय पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदया, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन खाद्य एवं वितरण विभाग को वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक के चीनी सत्रों के लिए क्षेत्रवार प्रति क्विंटल चीनी की इकाई लागत, जिसे "एल" कारक के रूप में जाना जाता है, घोषित करनी है, ताकि गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 की खंड 5-क के अंतर्गत अतिरिक्त गन्ना मूल्य निर्धारित किया जा सके। तथापि, यह कार्य अभी तक लंबित है।

महोदया, गन्ना उत्पादक विकास संघ, कल्लाकुरिची कूटुरावु सरकाराई आलाई -2 ने मद्रास उच्च न्यायालय में डब्ल्यू.पी. संख्या 7979/2013 तथा एम.पी. संख्या 1/2013 के तहत एक रिट याचिका दायर की। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 15.09.2013 को दिए गए निर्देश के आधार पर, भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक के लिए तमिलनाडु के कल्लाकुरिची-II सहकारी चीनी मिल के लिए अस्थायी 'एल' फैक्टर मूल्य की घोषणा पत्र संख्या 3(3)/2005-एस.पी. दिनांक 17.10.2013 को की गई है।

महोदया, उपरोक्त आदेश के आधार पर, मैं भारत सरकार से सुब्रमण्यम शिव सहकारी चीनी मिलों और पलाकोड सहकारी चीनी मिलों, धर्मपुरी जिले के साथ-साथ तमिलनाडु में अन्य सभी चीनी मिलों के लिए जोन-वार यूनिट लागत ('एल' फैक्टर) की घोषणा करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश के एकलौते हिल स्टेशन पंचमढ़ी की ओर दिलाना चाहता हूं। पूरे देश में अनेक शहरों में रक्षा मंत्रालय कैंटोनमेंट बोर्ड के माध्यम से शहरों के बेहतरी के लिए काम करता है। हमारा पंचमढ़ी भी ऐसा शहर है, जिसे कैंटोनमेंट बोर्ड गवर्न करता है। पंचमढ़ी शहर चारों ओर से सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हमारा जो टाईगर रिज़र्व फॉरेस्ट का कोर एरिया है, वह पंचमढ़ी शहर को चारों ओर से घेरे हुए है। इसके कारण इस शहर के नागरिकों को जो भी व्यवस्था करनी होती है, वह शहर के अन्दर ही करनी होती है। इसके बावजूद शहर में कोई नया भवन नहीं बन सकता, पुनर्निर्माण नहीं हो सकता, इन सभी कार्यों पर प्रतिबंध है। साथ ही बोर्ड के

आधिपत्य में जो खुला एरिया है, उस पर चलित बाजार या दुकान लगाने पर कैंटोनमेंट बोर्ड प्रतिबंध लगाता है एवं आतिक्रमण हटाने के नाम पर नये-नये आदेश बोर्ड द्वारा लगाये जाते हैं। मेरा सदन के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि पंचमढ़ी में मकानों निर्माण एवं पुनर्निर्माण पर लगी रोक को हटाया जाना चाहिए। इस हेतु खाली स्थानों पर जो दुकानें लगती हैं, उन्हें कैंटोनमेंट बोर्ड के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में स्टे किया हुआ है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि शहर में खुली हवा में हमारे नागरिक जी सकें, व्यापार कर सकें, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जो बोर्ड की तरफ से स्टे है, भारत सरकार उसमें इंटरवीन करके, अपनी तरफ से कोशिश करके उस स्टे को वैकेट कराए ताकि पंचमढ़ी के हमारे नागरिक, जो टाईगर रिज़र्व फॉरेस्ट के कारण, कैंटोनमेंट बोर्ड के कारण और पहाड़ों से घिरे होने के कारण खुली हवा में नहीं जी पा रहे हैं, किसी तरह का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, उनको उन कामों में मदद मिल सके।

[अनुवाद]

श्री थोटा नरसिम्हम (काकीनाडा): अध्यक्ष महोदया, इस मुद्दे को उठाने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आंध्र प्रदेश राज्य के पास एक विस्तृत तटीय क्षेत्र है और साथ ही उत्कृष्ट वातावरणीय परिस्थितियाँ भी हैं। काकीनाडा समुद्री खाद्य मशीनों आदि का आयात और निर्यात भी करने जा रहा है। काकीनाडा बहुत तेजी से विकास कर रहा है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वकालपुडी एक बहुत ही प्रमुख स्थान है। इस स्थान को मछली पकड़ने के बंदरगाह के रूप में उन्नत करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार करना आवश्यक है ताकि इसे ई.आई.ए. मानकों के बराबर लाया जा सके। मत्स्य पालन आयोग, हैदराबाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगस्त 2014 में उप निदेशक (मत्स्य पालन) को इस स्थान को मछली पकड़ने के बंदरगाह में अपग्रेड करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। उप-निदेशक ने आर.आई.डी.एफ. के तहत पूंजीगत कार्यों के तहत विधिवत उन्नयन के लिए 50 करोड़ रुपये का अनुमान प्रस्तुत किया है। अधीक्षक अभियंता (समुद्री) भी इस परियोजना के तकनीकी समर्थकों में से एक हैं। मैं आपके

माध्यम से माननीय मत्स्य पालन मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे कार्य की इस प्रक्रिया को अत्यावश्यक मानें और कार्य को यथाशीघ्र पूरा करें।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : महोदया, मैं आपके माध्यम से, गुजरात प्रदेश में, भावनगर डिस्ट्रिक्ट के अलंग स्थान पर, शिप-रिसाइक्लिंग के कारोबार के बारे में, सदन को बताना चाहता हूं। वहां आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार के हजारों लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। आज वह उद्योग मरने के कगार पर खड़ा है। बाहर के देशों से जो शिप आती हैं, उन्हें तोड़ा जाता है, उन्हें रैनोवेट भी किया जाता है। कस्टम ड्युटी ज्यादा होने के कारण, हमारे देश में पाकिस्तान, बंग्लादेश और चीन से शिप कम मात्रा में आ रही हैं, जिसके कारण वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है।

अतः आपके माध्यम से, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर दूसरे देशों की तरह, हमारे देश में, कस्टम ड्यूटी कम हो जाए, तो वहां यह उद्योग बढ़ेगा और लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। अतः इस ओर सरकार ध्यान दे।

[अनुवाद]

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): अध्यक्ष महोदया, इस मुद्दे को उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

ओडिशा के आदिवासी बहुल मयूरभंज जिले में बेथनाटी नाम की एक जगह है जो मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। यह क्षेत्र पूर्वी भारत की कुल बांस की आवश्यकता का 50 प्रतिशत से अधिक आपूर्ति करता है। भारत सरकार के अधीन कार्यरत कृषि वित्त आयोग के अनुसार, बेथनाटी और मायूरभंज जिलों में बांस की सर्वाधिक जीवनधारिता (सर्वाइवल रेट) पाई गई है। लेकिन दुर्भाग्य से गरीब आदिवासी और स्थानीय लोग

अपनी भारी उपज के लाभार्थी नहीं बन पाते हैं। इसलिए, केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि मयूरभंज जिले के बेथनाटी में एक बांस क्लस्टर बनाया जाए और पूंजीगत सब्सिडी के रूप में प्रोत्साहन दिया जाए और कर में छूट भी दी जाए ताकि गरीब आदिवासियों और क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सके। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें महज 100 रुपये मिलते हैं और इसका इस्तेमाल करने वाले उद्योग हजारों रुपये कमाते हैं। इसलिए, गरीब आदिवासियों को न्याय और समानता के हित में, यह केंद्र सरकार से मेरा निवेदन और मांग है। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : धन्यवाद मैडम। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। महोदया, मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान पंजाब के प्रवासी भारतीयों की ओर दिलाना चाहता हूं। पंजाब के लोग दशकों से इंग्लैंड, अमरीका, कनाडा, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया और यूरोप के अन्य भागों से रह रहे हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से, वहां अपने लिए ही स्थान नहीं बनाया है, वरन् देश का नाम भी ऊंचा किया है। परन्तु बड़े दुःख की बात है कि हमारे प्रवासी पंजाबियों की, पंजाब में जो जमीन है, सम्पत्ति है, जायदाद है, उनपर कुछ प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्तियों द्वारा, पुलिस और भू-माफियाओं की मिली-भगत से कब्जा किया जा रहा है। जब वे लोग अपने केसेज की पैरवी करने के लिए पंजाब आते हैं, तो उन्हें डराया-धमकाया जाता है। एक तरफ हम अपने विदेशी प्रवासी भाइयों से भारत में निवेश करने के लिए, पूंजी लगाने के लिए, विशेष सम्मेलन बुलाते हैं, दूसरी तरफ उनकी पैतृक सम्पत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है। मैडम जी, मैं सरकार के सामने, सदन के पटल पर, ऐसे दर्जनों उदाहरण रख सकता हूं, जहां प्रवासी पंजाबियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उनकी सम्पत्तियों पर कब्जे किए जा रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह पंजाब सरकार को तुरन्त निर्देश दे कि इस तरह के सभी मामलों को वह संज्ञान में ले और पंजाबी प्रवासियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, उनका जो शोषण हो रहा है, उनकी जो सम्पत्तियां जब्त की जा रही हैं, उनको छुड़वाया जाए। वह बहुत मेहनत से कमाते हैं और पंजाब में पैसा भेजते हैं, लेकिन उस पर 12.5 परसेंट की दर से टैक्स लगाया जाता है। इस टैक्स को वापस लिया जाए।

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूरे देश से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग दिल्ली में आते हैं। लेकिन बाहर से आने वाले लोगों के स्टेट रिज़र्वेशन को यहां डिनाई किया जाता है, जबकि वर्ष 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था। [अनुवाद] उच्चतम न्यायालय में भी यही बात रखी गई। फरवरी, 2013 में अटॉर्नी-जनरल ने भी राय दी थी कि उन्हें आरक्षण दिया जाएगा, भले ही वे आएं और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। इसके बाद, एन.सी.टी सरकार ने मई, 2013 में आदेश जारी किया। इसके बावज़ूद, उन्हें आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। [हिन्दी] हाल ही में एमसीडी में टीचर्स की भर्ती की गयी थी। 5 दिसम्बर को उसका रिज़ल्ट आया हुआ है। [अनुवाद] उन्हें आरक्षण से वंचित रखा गया है। शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों को भी आरक्षण से वंचित कर दिया गया।

महोदया, आपके माध्यम से मैं शहरी विकास मंत्री या एल.जी. से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वर्तमान में लागू आदेशों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए और विशेष रूप से राजस्थान से आने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को राज्य सरकार में आरक्षण दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. यशवन्त सिंह, श्री हरीश मीना, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे को डॉ. उदित राज द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र में बीएसयूपी और जेएनएनयूआरएम के तहत आवासों से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर प्रदान किया।

सरकार अच्छी मंशा से योजनाएं शुरू करती है। हालांकि, अपर्याप्त धन और काम पूरा होने में देरी के कारण, सरकार इस योजना को छोड़ देती है, और परियोजनाएँ अधूरी रह जाती हैं। स्वीकृत धनराशि तो बर्बाद हो जाती है और नुकसान आम आदमी का होता है जो कर चुकाता है।

भारत सरकार ने बी.एस.यू.पी और जे.एन.एन.यू.आर.एम. जैसी परियोजनाएं शुरू कीं। परियोजनाओं की अवधि समाप्त हो गई है। हालांकि, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई परियोजनाएं अधूरी हैं। इसका मुख्य कारण लागत बढ़ना है। जब एजेंसियों को नियुक्त किया गया था, तो योजना में लागत वृद्धि की शर्त शामिल नहीं की गई थी। इसलिए, जब कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा नहीं हो पाया, तो काम रुक गया।

दूसरा कारण यह है कि शहरी स्थानीय निकायों ने भूमि अधिग्रहण किए बिना ही एजेंसियों की नियुक्ति कर दी। भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण काम देर से शुरू हुआ। अत: कार्य पूरा करने में असफलता मिल रही है। दूसरा कारण यह है कि लाभार्थियों की पात्रता तय किए बिना, संभावित लाभार्थियों की एक सूची तैयार की गई थी।

कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी लेकिन उपरोक्त कारणों से वे रुक गईं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 13,469 मकान बनाना निर्धारित था, लेकिन केवल 8,200 मकान ही संभव हो पाए। पिछले चार वर्षों में हम केवल 3,000 मकान ही पूर्ण कर सके और 5,000 मकानों का निर्माण कार्य जारी था, लेकिन एजेंसियों ने काम छोड़ दिया है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से शहरी विकास मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले को गंभीरता से देखें, नीति पर फिर से विचार करें और इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई रास्ता निकालें। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री अरविंद सावंत और श्री राहुल शेवाले को डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री आर. गोपालकृष्णन (मदुरै): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मदुरै के लोगों की बेहतर रेल सेवाओं और वहां रेलवे परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन की जरूरतों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये सभी मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें हैं।

माननीय पुराट्ची थलाइवी अम्मा को मदुरै और वहां के लोगों के प्रति विशेष स्नेह है। मदुरै का विश्वप्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर विभिन्न राज्यों और देशों के लोग बार-बार दर्शन के लिए आते हैं। इसे देखते हुए मदुरै से चेन्नई के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों को सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों में तब्दील किया जाना चाहिए। पांडियन एक्सप्रेस के मौजूदा पुराने और अप्रचलित डिब्बों को आधुनिक बनाना आवश्यक है। मदुरै रेलवे स्टेशन की भीड़ कम करने के लिए कूडल नगर रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण कर उसे एक अतिरिक्त स्टेशन के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। कूडल नगर स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में घोषित किया गया है, लेकिन अभी तक वहां न तो धनराशि पहुँची है और न ही कोई कार्य हुआ है।

इसी तरह, थिरुपरंकुन्द्रम और थिरुमंगलम रेलवे स्टेशनों को मॉडल स्टेशन बनाया जाना चाहिए। वहां सभी ट्रेनों का ठहराव दिया जाए। मदुरै के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए मदुरै और चेन्नई के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस शुरू की जानी चाहिए। मदुरै और बेंगलुरु के बीच फर्स्ट एसी कोच वाली 1 अतिरिक्त ट्रेन सेवा शुरू की जानी है। इसी तरह, मदुरै के रास्ते चलने वाली थूथुकुडी-मैसूर एक्सप्रेस ट्रेन में 1 ए.सी. कोच *जोड़ा* जाना है।

[हिन्दी]

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र चन्दौली में बनारस और चन्दौली के बीच जो गंगा के किनारे गोमती नदी है, जिसे आदिगंगा कहा जाता है, वहां के संगम तट पर बहुत ही प्रसिद्ध भगवान मार्कंडेय महादेव जी का एक पौराणिक मंदिर है। हमारे पुराणों में अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान और विभीषण इत्यादि महापुरुषों को जीवित माना जाता है, उसी क्रम में जो मार्कण्डेय ऋषि का यह उनकी स्मृति में मंदिर है। वहां पर लाखों लोग स्नान करते हैं लेकिन गंगा का घाट नहीं है। गंगा पर घाट के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। साथ ही वाराणसी और आगे चन्दौली में गंगा के जो कटान हैं, बहुत जगहों पर कटान हो रहा है। चंदौली जिले के गंगा तटवर्तीय गांव क्रमश: कुंडा जो एकदम गंगा में विलीन होने के कगार पर है, उसका और उसके आगे महरोहरा, कांवर, पकड़ी, महुवारी, बिशुनपुर, सरायबलवा (पश्चिम वाहिनी), तीरगांव,

सेहेपुर, हिगुत्तरगढ़ (बुढ़ेपर), रामपुर, नरौली अमादपुर, कंवलपुरा, प्रहलादपुर, गुरैनी नदहां पम्प के पास, जिगना, महुजी, दियाबसाटा ये सब गंगा कटान से प्रभावित हैं। वहीं वाराणसी जनपद के अन्तर्गत गौरी कलां के मौनी बाबा की एक कुटी है, वह भी गंगा में विलीन होने के कगार पर है। वहां सरायमोहना, तांतेपुर, रमचंदीपुर, गुबरहां, मौकलपुर, छितौना, रामपुर ढाब, कुक्कुढाहं, देवरिया, सरसौल, परनापुर, चंद्रावती का एक जैन मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, वह भी गंगा गटान से प्रभावित है। यह चंद्रपुरी तीर्थ जैनों का तीर्थ स्थान माना जाता है। उनमें और आगे गाजीपुर में सिमरा में यह गंगाकटान से प्रभावित है। मैं आपके माध्यम से बाढ़ सुरक्षा तथा गंगा संबंधित मंत्रालय दोनों से मांग करता हूं कि यहां पत्थरों के जालीयुक्त बोल्डरों की ठोकर/दीवार बनाकर तथा आवश्यक रिटेनिंग वॉल बनाकर जनजीवन, भूमि और गांव की सुरक्षा की जाए।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): माननीय अध्यक्ष जी, एक नये सांसद के प्रति आपकी इस सहानुभूति के लिए मैं बहुत आभारी हूं। मैं शुरुआत में कहना चाहूंगा कि आज के दिन जितनी भी असुरक्षित महिलाएं हैं, मैं उनके साथ एक भाई की तरह खड़ा हूं, ज्यादातर उत्तर-पूर्वांचल की महिलाओं के साथ। लेकिन जो मैं प्रश्न उठाना चाहता हूं, वह मछुआरों के कल्याण से संबंधित है। आज हमें बताया गया था कि ग्रुप एक्सीडेंट पर्सनल इंश्योरेंस नाम की एक स्कीम है जिसके डिटेल अनक्लिअर हैं लेकिन जो मछुआरे आज असम में हैं, उनकी संख्या में पहले से बहुत सुधार हुआ है। आज फिशिंग एक ऐसा सैक्टर है जहां पर पर हर साल चार प्रतिशत की एक बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। लेकिन असम के मछुआरों के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आती है कि प्रतिवर्ष जब बाढ़ आती है तो जितनी भी उनकी मछलियां हैं, वे बाढ़ के पानी में चली जाती हैं, जिससे उनका लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि केन्द्र सरकार बाढ़ से पीडित मछुआरों के लिए एक स्पेसिफिक योजना लाए, ज्यादातर वे एसडीआरएफ से लाते हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आसाम के मछुआरों के लिए एक स्पेसिफिक फ्लड इंश्योरेंस स्कीम एनाउंस करे जिससे हर जिले में मछुआरों को जो बाढ़ का सामना करना पड़ता है, वह न करना पड़े।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री के.सी. वेणुगोपाल, आपने उसी विषय पर सूचना दी है जिस पर प्रो. सौगत राय ने नियम 115 के तहत सूचना दी है। लेकिन आपने 'शून्य काल' के लिए सूचना दी है। मैं मंत्री जी से तथ्यात्मक टिप्पणी की मांग कर रही हूं। [हिन्दी] मुझे लगता है कि दोबारा आप वही बात ज़ीरो ऑवर में उठाएं तो यह उचित नहीं है। वहां से आने दीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट के साथ पेश किया है, जो एचआरडी डिपार्टमेंट ने सरकुलर इश्यू किये हैं, [अनुवाद] माननीय मंत्री श्री वैंकैय्या नायडू जी ने कहा है कि कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया है। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : पहले इनको बोल लेने दीजिए। मेरा यह कहना है कि मैंने अगर रूलिंग दी है कि वहां से भी आने दो, [अनुवाद] मैं आपके कागजात माननीय मंत्री के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगी।

... (*व्यवधान*)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद, जो न केवल राष्ट्रीय महत्व का है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का भी है। राष्ट्रीय नायक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 1945 में कथित मृत्यु से संबंधित वर्गीकृत फाइलों को उत्साहपूर्वक संरक्षित किया गया है और वे अभी भी एक रहस्य बनी हुई हैं। हाल ही में, राष्ट्रीय अभिलेखागार में अवर्गीकृत दस्तावेजों से पता चला है कि दो फाइलें गायब हो गई हैं। क्या प्रधान मंत्री कार्यालय ने इन दो फाइलों को नष्ट कर दिया है, एक 1969 में और दूसरी 1972 में? फाइलों का गायब होना और नष्ट होना उतना ही रहस्यमय है जितना खुद नेताजी का गायब होना!

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह बताए कि नेताजी से संबंधित फाइलों का क्या हुआ और हमें यह भी बताए कि नेताजी से संबंधित सभी फाइलों को जारी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

नेताजी की मौत से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की बार-बार की जा रही कोशिशों को खारिज किया जा रहा है। यह यू.पी.ए. सरकार ने किया था। बी.जे.पी. सरकार भी यही कर रही है। सत्तारूढ़ दल ने अपना मन क्यों बदल लिया है? दस्तावेजों में ऐसा क्या है जो इतना संवेदनशील है? मेरा मानना है कि अगर सरकार ने दस्तावेजों को सार्वजनिक कर दिया तो इससे हमेशा के लिए सच्चाई स्थापित करने में मदद मिलेगी। षड्यंत्र सिद्धांतों को जीवित रखने का क्या औचित्य है, और भारत को उसके एक महान स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु से संबंधित सत्य से वंचित क्यों रखा जाना चाहिए? विभिन्न भारतीय सरकारों ने इस रहस्य को सुलझाने के प्रयास किए हैं। तीन विभिन्न आयोग गठित किए गए हैं, जिनमें से एक मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को बाद में तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। क्या इस अटकलबाज़ी को रोकने का कोई उपाय है, जैसे कि जॉन एफ. कैनेडी की हत्या की कई रिपोर्टों को षड्यंत्र सिद्धांतों में विश्वास रखने वालों ने नजरअंदाज कर दिया है? ऐसा माना गया है कि यदि सरकार गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक कर दे, तो यह सत्य को एक बार और हमेशा के लिए स्थापित करने में सहायक हो सकता है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस देश के नागरिकों को एक स्पष्ट और निष्पक्ष स्पष्टीकरण मिलना चाहिए, क्योंकि वे इसका पूरा हक़ रखते हैं।

माननीय अध्यक्ष: श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान, श्री शंकर प्रसाद दत्ता और श्री शरद त्रिपाठी को 'शून्य काल' में रखे गए श्री भर्तृहरि महताब द्वारा रखे गए प्रस्ताव के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): महोदया, मैं ई.पी.एफ. पेंशनभोगियों के सामने आने वाली एक बड़ी समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हाल ही में, भारत सरकार ने ई.पी.एफ. के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1000/- रुपये कर दिया है। 30 लाख से ज्यादा ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जिन्हें बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलना तय है। हालांकि, अब केंद्र सरकार ने इस निर्णय को लागू कर दिया है और सितंबर 2014 में बड़े धूमधाम से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है।

महोदया, यू.पी.ए. सरकार ने इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया था लेकिन चुनाव की घोषणा हो गई। इसीलिए तत्कालीन यू.पी.ए सरकार ने इसे लागू नहीं किया लेकिन नई सरकार ने इसे लागू कर दिया

है। पेंशन वृद्धि में काफी विसंगतियां हैं। अधिकांश पेंशनभोगियों को पेंशन नहीं मिल रही है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और समस्या का समाधान निकालें।

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार परम्परागत रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में सतत प्रयत्नशील है। पान उत्पादन की दृष्टि से भारत में सवारधिक पान उत्पादन होता है और दुनिया के कई देशों में पान भारत से जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल और तमिलनाडु में प्रमुखता से पान का उत्पादन किया जाता है। लेकिन पान उत्पादन की खेती इतनी जटिल और महंगी है कि एक बार अगर पान की खेती में आग लग जाए, ओला या पाला पड़ जाए तो पान उत्पादक बुरी तरह से प्रभावित होता है। लेकिन पान के उत्पादन की खेती को कृषि में शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण इसे शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलने के कारण पान उत्पादन की खेती काफी पिछड़ रही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि पान उत्पादन की खेती को कृषि में शामिल करके इसे भी फसल बीमा योजना का लाभ दिलाया जाए। धन्यवाद।

अपराह्न 1.29 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन-जारी...

25 दिसम्बर, 2014 को सुशासन दिवस मनाने हेतु सीबीएसई के विद्यालयों को खुला रखने के बारे में

[अनुवाद]

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदया, कल मैंने भारत के लोगों की धार्मिक भावनाओं से संबंधित एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया था। मेरे हस्तक्षेप पर माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर के संबंध में मैंने आज एक सूचना दी है।... (*व्यवधान*)

माननीय मंत्री के उत्तर के अनुसार, उन्होंने बताया कि केवल ऑनलाइन प्रतियोगिता की योजना है और इसलिए यह क्रिसमस दिवस के उत्सव को प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। मेरे पास इसका परिपत्र मौजूद है। यह नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्त श्री जी.एस. बोथ्याल द्वारा जारी परिपत्र है। परिपत्र के अनुसार, सी.बी.एस.ई. 24 और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस की श्रृंखला में सीबीएसई बैनर तले एक प्रतियोगिता भी आयोजित करेगा। माननीय मंत्री ने यह भी बताया कि केवल ऑनलाइन प्रतियोगिता ही आमंत्रित है। लेकिन, परिपत्र के अनुसार, अधिकतम आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन होंगे। मंत्री का कथन तथ्यात्मक नहीं है। यह तथ्यात्मक नहीं है और सदन को गुमराह करने वाला है। ... (*व्यवधान*) इसलिए, महोदया, मुझे आपके माध्यम से माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मैं स्पष्टीकरण की मांग कर रहा हूं। ... (*व्यवधान*)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): सरकार इस पर जवाब देने के लिए तैयार है। ... (*व्यवधान*)

श्री के.सी. वेणुगोपाल: हम स्पष्टीकरण की मांग रहे हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदया, यह मुद्दा कल माननीय सदस्य ने उठाया था। अब उन्होंने जो कहा है, हम उसे रिकॉर्ड पर रखना चाहेंगे।' 25 दिसंबर को जिस परिपत्र का वे जिक्र कर रहे हैं, उनके अनुसार, अगर इसके बारे में कोई गलतफहमी है, तो उस विशेष दिन पर कोई स्कूल खोलने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। … (*व्यवधान*) मैं वापस आ रहा हूं। मुझे वापस आकर आपको यह समझाने दो, मेरे मित्र। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया उनकी बात सुनें। [हिन्दी] टाईम बार हो जाने के बावजूद मैंने आपको अलाऊ किया है। फिर आप ऐसे मत कीजिए।

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी: मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूं। … (*व्यवधान*) आप किस बारे में कह रहे हैं, मैं उसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं।

महोदया, यह नवोदय विद्यालयों के संदर्भ में था, जो देशभर में लगभग 550 हैं। ये पूरी तरह से आवासीय विद्यालय हैं, जिन्हें 100 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जिस संदर्भ में वे बात कर रहे हैं, हमें उस परिपत्र का उल्लेख करना होगा, जो वर्तमान सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है। लेकिन एक परिपत्र 13 अप्रैल 1987 को नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी किया गया था। मैं यह पत्र प्रस्तुत करूंगा, जिसे एक सरकारी परिपत्र के रूप में जारी किया गया है। इसका पैरा 3 इस प्रकार है – नवोदय विद्यालय अपनी पूर्ण रूप से आवासीय प्रकृति के कारण, छुट्टी घोषित करने और बच्चों को भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि यह एक अधिकृत अवकाश अवधि होती है और बच्चे विद्यालय परिसर में ही रहते हैं। सभी त्योहार, विशेष रूप से क्रिसमस ही नहीं, केवल विद्यालयों में ही मनाए जाने चाहिए, और त्योहारों के दौरान बच्चों को अपने घरों पर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। यह एक ऐसा उत्सव है जो विशेष रूप से उस स्थान पर मनाया जाता है जहां प्रतियोगिताएँ

और प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाती हैं। यह नवोदय विद्यालयों पर लागू होता है। अतः इसे बढ़ा-चढ़ाकर इस परिपत्र का दुरुपयोग करना उचित नहीं होगा।. ... (*व्यवधान*)

श्री के.सी. वेणुगोपाल: यह सी.बी.एस.ई. के लिए भी है। ... (*व्यवधान*)

श्री राजीव प्रताप रूडी: मैंने जो परिपत्र पढ़ा, उसमें यही लिखा है। आज की सरकार कोई भी हो सभी सरकारों ने इसका पालन किया है। यह एक परिपत्र है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। इसलिए, किसी भी संगठन को उस विशेष दिन पर स्कूल खोलने के लिए कहने का कोई सवाल ही नहीं है। यह एक गतिविधि है जिसे प्रस्तावित किया गया है और यह वर्षों से नियमित रूप से आयोजित की जा रही है। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>अपराह्न 1.32 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.32 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजकर तीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(**माननीय उपाध्यक्ष** *पीठासीन हुए*)

नियम 377 के अधीन मामले [8]*

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अंतर्गत मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। सदस्य प्रथा के अनुसार 20 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां सौंप सकते हैं। अन्यथा यह व्यपगत हो जाएगा।

(एक) मंडला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धान और मक्का की खरीद हेतु पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) : मेरे संसदीय क्षेत्र मण्डला, मध्य प्रदेश में धान एवं मक्का खरीदी केन्द्रों की संख्या कम होने के कारण यहां के गरीब आदिवासी किसानों को इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। जैसाकि आप जानते हैं मेरे संसदीय क्षेत्र में आधिकतर किसान आदिवासी हैं और धान एवं मक्का खरीदी केन्द्रों की संख्या कम होने के कारण उनको अपना धान एवं मक्का कई बार वापिस ले जाना पड़ता है जिससे उनको आर्थिक एवं मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ रही है।

अतः मैं माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र मण्डला में धान एवं मक्का खरीदी केन्द्रों की संख्या शीघ्र बढ़ाने हेतु उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

---

[8]*सभा पटल पर रखा माना गया।

(दो) कर्नाटक के कोप्पल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्टेट फार्म्स कारपेरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास अप्रयुक्त पड़ी भूमि में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, चावल पार्क तथा बीज विकास एकक स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री कारादी सनगन्ना अमरप्पा (कोप्पल): मैं कर्नाटक के कोप्पल जिले में एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, चावल पार्क या बीज विकास एकक की स्थापना की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मैं केंद्र सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि स्टेट फार्म्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस.एफ.सी.आई.एल.), जो कि भारत सरकार की एक उपक्रम कंपनी है, की एक इकाई मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोप्पल, कर्नाटक के सिंधनूर तालुक के जवलगेरे में स्थित है। इसकी शुरुआत 1968 में 7000 एकड़ जमीन से हुई थी। यह मेरे संज्ञान में आया है कि स्टेट फार्म्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इस उद्देश्य के लिए केवल 3000 एकड़ भूमि का उपयोग किया गया है। शेष 4000 एकड़ भूमि पिछले 25 वर्षों से अप्रयुक्त पड़ी है। यह भी पता चला है कि एस.एफ.सी.आई.एल. को घाटा हो रहा है। अंगूर, आम, फूल, अनार और केला जैसी बागवानी फसलें भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। बागवानी और फूलों की खेती के लिए अनुसंधान संस्थान की बहुत आवश्यकता है। कोपल निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 10 लाख एकड़ क्षेत्र सिंचित भूमि है। सोना मसोरी कर्नाटक में धान उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है।

इसलिए, मैं संबंधित मंत्री से अप्रयुक्त 4000 एकड़ भूमि में एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, धान की खेती के लिए चावल पार्क और बीज विकास इकाई स्थापित करने का अनुरोध करना चाहूंगा।

(तीन) कोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान में वन्य जीवों से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिये उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री ओम बिरला (कोटा) : मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा-बूंदी सहित राजस्थान के लगभग सभी इलाकों के किसानों की प्रमुख समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, कोटा एवं बूंदी जिले के किसान विशेषकर वन्य क्षेत्रों व विभिन्न जल स्त्रोतों के नजदीक खेती करने वाले किसान विभिन्न वन्य जीवों जिसमें प्रमुख रूप से नील गाय एवं जंगली सुअर आदि के द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने की समस्या से ग्रसित हैं।

वर्तमान में किसान बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपने खेत में श्रम करके फसल तैयार करता है और रात-रात भर जाग कर उस फसल की सुरक्षा में लगा रहता है। फिर भी इनके द्वारा बड़ी संख्या में आकर एक ही रात में पूरी की पूरी खड़ी फसल चौपट कर दी जाती है, जिससे क्षेत्र के किसानों को करोड़ों रूपये का नुकसान उठाने को विवश होना पड़ रहा है।

इस प्रकार की विपदा में किसान को किसी भी प्रकार की राहत न तो वन विभाग से देय है और न ही कृषि विभाग या अन्य किसी एजेंसी से सहायता मिल पाती है।

इस संबंध में केन्द्र व राज्य सरकारों के द्वारा सम्मिलित रूप से कोई ऐसी कार्ययोजना बनाना आवश्यक है जिससे वन्य जीव वन्य सीमाओं से बाहर आकर कृषि संपदा को नुकसान नहीं पहुंचाये और किसानों के खेतों को इस प्रकार के पशुओं से बचाने के लिए ऊंची व मजबूत फेंसिंग रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाए तथा मनरेगा के अंतर्गत कृषि कार्यों के साथ खेतों पर फेंसिंग किया जाना भी सम्मिलित किया जाए।

अतः किसानों को राहत प्रदान करने हेतु मेरी आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग है कि किसानों की फसलों को वन्य पशुओं से सुरक्षित किए जाने व वन्य पशुओं को वन क्षेत्रों से बाहर आने से रोकने की आविलम्ब कार्ययोजना बना किसानों की फसल सुरक्षित रखने के पुख्ता उपाय किए जाए।

(चार) पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरकारी एजेंसियों के पास उर्वरकों और बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): पूर्वी उत्तर प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों की भारी कमी है। इस समय रबी फसल की बुवाई अपने चरम पर है। परंतु सरकारी और सहकारी एजेंसियों पर उर्वरकों की उपलब्धता नहीं होने के कारण किसान निजी दुकानों से महंगे एवं मिलावटी उर्वरक खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। दूसरी ओर सरकारी एजेंसियों द्वारा निधाररित दर के उर्वरकों की धड़ल्ले से कालाबाजारी की जा रही है। यही हालत गेहूं इत्यादि के बीजों की भी है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह पूर्वी उत्तर प्रदेश में खाद-बीज की उपलब्धता तत्काल सुनिश्चित करावे।

(पांच) लालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में रेल सेवाओं में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता

श्रीमती नीलम सोनकर (लालगंज) : हमारा संसदीय क्षेत्र लालगंज (उत्तर प्रदेश) के पूर्वांचल में स्थित है जहां रेल परिचालन ठीक नहीं होने के कारण क्षेत्र आविकसित है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनहित में दो इंटरसिटी एक्सप्रेस आजमगढ़ से लखनऊ तक और आजमगढ़ से विंध्यांचल धाम होते हुए इलाहाबाद तक चलायी जाएं। रायबरेली-जौनपुर एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार आजमगढ़-मऊ तक किया जाए। मऊ-आनन्द विहार गाड़ी संख्या 15025/ 15026 को प्रतिदिन किया जाए। कैफियत एक्सप्रेस में बोगी बढ़ाई जाए और इसका ठहराव गाजियाबाद एवं फरिहा में भी किया जाए। यह गाड़ी पुरानी दिल्ली से चलती है। इसका विस्तार करके रोहतक से आजमगढ़ किया जाए।

(छह) राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान में दाखिले में राजस्थान के अधिवासी विद्यार्थियों को आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर की स्थापना राजस्थान सरकार के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक्ट 1999 (1999 के एक्ट नं0 22) द्वारा हुई थी। इस यूनिवर्सिटी के कुल 115 सीटें हैं जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा "क्लेट " के माध्यम से प्रवेश मिलता है। उल्लेखनीय है कि पूरे भारत में इस तरह के 15 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं। जिस राज्य में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्थित है, उस राज्य के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। वर्तमान में इन एन.एल.यू. में राज्य के लिए आरक्षित सीटों की संख्या की सूची इस प्रकार है।

क्र.सं.	एन.एल.यू.	कुल स्थान	राज्य के लिए आरक्षित स्थान
1	नालसार, हैदराबाद	80	14
2	एन.एल.आई.यू., भोपाल	120	51
3	एच.एन.एल.यू.,रायपुर	180	80
4	जी.एन.एल.यू.,गाँधीनगर	180	45
5	आर.एम.एल.एन.एल.यू., लखनऊ	160	80
6	आर.जी. एन.एल.यू., पटियाला	120	13
7	सी.एन.एल.,पटना	140	60
8	एन.यू.एल.ए.एस., कोच्चि	120	29
9	एन.यू.एस.आर.एल., रॉची	100	50
10	एन.एल.यू.जे.ए.ए., आसाम	60	15
11	टी.एन.एन.एल.एस., त्रिचुरापल्ली	100	45

इस संदर्भ में मैं सरकार का ध्यान "दैनिक भास्कर " में दिनांक 20 जनवरी, 2013 रविवार को मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित समाचार "नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में स्टेट कोटा हम 14 साल बाद भी वंचित " की ओर आकर्षित करना चाहता **हूं।** देश में 15 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में से 11 राज्यों में सीट आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है, जिससे उस

राज्य के विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रवेश का मौका मिलता है, लेकिन यह सुविधा राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध नहीं है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर में राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर इस संस्थान का फायदा राज्य के विद्यार्थियों को दिया जाए, इससे संस्थान से परीक्षा में बैठने वाले तकरीबन 5 हज़ार विद्यार्थी तथा उनके माता-पिता लाभान्वित होंगे।

(सात) ऋषिकेश, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह टर्शिअरी कैंसर केअर सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): उत्तराखण्ड हर दृष्टि से पूरे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश की जनसंख्या का एक प्रतिशत होते हुए भी यह प्रदेश देश् की सशस्त्र सेवाओं, सुरक्षा और अर्द्धसैनिक बलों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस प्रदेश के सेना के वीर-जाबांज देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने में हमेशा आगे रहे हैं। आज यह क्षेत्र एक गंभीर समस्या से गुजर रहा है। कैंसर रोग आज पूरे उत्तराखण्ड में अपने पांव पसार चुका है। सर्वेक्षणों के अनुसार उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में प्रतिवर्ष सात हजार से आधिक कैंसर के मामले अस्पतालों में आते हैं। पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में इलाज की न के बराबर सुविधा होने के कारण इनमें से आधिकतर का इलाज नहीं हो पाता है जिसके कारण मृत्यु दर चिंताजनक स्तर तक पहुंच चुकी है। प्रदेश में केवल एकाध चिकित्सालय कैंसर का इलाज कर सकने में सक्षम हैं, लेकिन वह भी अपने सीमित संसाधनों के चलते जनता की पूरी सेवा करने में असक्षम हैं।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऋषिकेष स्थित आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कैंसर का टर्शिअरी केयर सेंटर यथाशीघ्र स्वीकृत किया जाए। इससे न केवल स्थानीय जनता को राहत मिलेगी आपितु उत्तराखण्ड की सीमा से जुड़े उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लोग भी इससे लाभान्वित होगें।

(आठ) बिहार के गया जिले में प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत शामिल किये गये गांवों में विकास कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता

श्री हरि मांझी (गया) : बिहार राज्य के गया जिला में 225 ग्रामों को "प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना " के तहत चयन किया गया था लेकिन चयन किये गये गाँवों में कहीं भी विकास का कार्य धरातल पर नहीं हो रहा है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले की आविलम्ब केन्द्रीय एजेन्सी द्वारा जाँच करायी जाए तथा विकास योजनाओं को कायारन्वित कराया जाए।

(नौ) अंबाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, हरियाणा में समपारों पर अंडरपास तथा उपरिपुल बनाये जाने की आवश्यकता

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : मेरे लोक सभा क्षेत्र में अम्बाला, पंचकुला व यमुनानगर (हरियाणा) के लगभग पूर्णतया तीन जिले पड़ते हैं। अंबाला में डी.आर.एम. स्तर का कार्यालय है। इसके बावजूद भी क्षेत्र 'रेलवे ओवर ब्रिज'व 'अंण्डर पास' की कमियों से जुझ रहा है। जनता की सुविधाओं हेतु यमुनानगर में रादौर मोड़ पर अण्डर पास, मुस्तफाबाद में रेलवे ओवर ब्रिज, अम्बाला रेलवे मोड़ एवं अंबाला मॉडल टाउन से जंडली कौला जाने के लिए अण्डर पास तथा पंचकुला जिला के सेक्टर 19बी रेलवे फाटक पर अण्डर पास बनाये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

उपरोक्त सुविधाओं के अभाव में क्षेत्र में हर रोज इन क्रॉसिंगों पर दुर्घटनाएं घट रही हैं। लम्बी-लम्बी लाइनें लगने की वजह जाम में फॅसने से समय एवं डीजल-पेट्रोल की बर्बादी भी हो रही है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनता की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए अंबाला लोक सभा क्षेत्र में उपरोक्त सभी निर्माण कार्य यथा शीघ्र पूरे कराए जाएं।

(दस) उत्तर प्रदेश में मेरठ और हस्तिनापुर के बीच रेल लाइन का निर्माण शुरू किये जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): मैं सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

मेरठ-हस्तिनापुर रेल मार्ग स्वीकृत किया जा चुका है, परंतु आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद मानते हुए इस रेल मार्ग का निर्माण मंत्रालय टालता आ रहा है। हस्तिनापुर का परिचय देने की मैं आवश्यकता नहीं समझता- हमारी ऐतिहासिक व धार्मिक परम्परा का अत्यंत महत्वपूर्ण केन्द्र रहा यह नगर वर्तमान में विश्वविख्यात जैन तीर्थ है, निकट ही हस्तिनापुर से केवल तीन किलोमीटर की दूरी पर सैफपुर कमचन्दपुर नामक गाँव पंचप्यारों में से एक भाई धर्म सिंह का जन्म स्थान है जहां विशाल गुरूद्वारा बना है। देश और दुनिया से बड़ी संख्या में इन स्थानों पर दर्शनार्थी आते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि यह रेल मार्ग आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद सिद्ध होगा, परंतु यदि वैसा हो, तब भी देश के दो प्रमुख अल्पसंख्यक वर्गों- जैन तथा सिक्ख समाजों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए तथा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परम्परा में हस्तिनापुर के विशिष्ट एवं अनन्य स्थान होने के कारण मंत्रालय के सामाजिक दायित्व के नाते भी मेरठ से हस्तिनापुर की रेलवे लाइन को बिछाने का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने का आपके माध्यम से सरकार तथा विशेष रूप से रेलमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूँ।

(ग्यारह) रमनगढ़ जिला, कर्नाटक में एक नवोदय विद्यालय, एक केंद्रीय विद्यालय और एक एकलव्य आवासीय विद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी.के. सुरेश (बंगलौर ग्रामीण): मैं सरकार का ध्यान रमनगढ़ जिले में केंद्र प्रायोजित नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। रमनगढ़ जिला मेरा गृह जिला है जिसमें चन्नापटना, कनकपुरा, रमनगढ़ और मगदी तालुका शामिल हैं। दुर्भाग्य से इस जिले में कोई भी केंद्रीय विद्यालय स्थापित नहीं किया गया है। जिले की लगभग 75.27 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है। नंजुंडप्पा रिपोर्ट के अनुसार, रामनगर जिला कर्नाटक के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है और इसका मुख्य कारण यह है कि जिले में पर्याप्त गुणवत्ता वाले शैक्षणिक संस्थान नहीं हैं। जिले में विशेषकर कनकपुरा तालुका में कई आदिवासी रहते हैं। जिले में आदिवासियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्थापना की तत्काल आवश्यकता है। जिले का एक हिस्सा बैंगलोर-मैसूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है और परिणामस्वरूप इसका तेजी से शहरीकरण हो रहा है। इस छोटे लेकिन सघन जिले में शैक्षिक असंतुलन को जल्द से जल्द ठीक करना होगा। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार कर्नाटक के रमनगढ़ जिले में एक नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और एक एकलव्य आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए तत्काल और आवश्यक कदम उठाए।

(बारह) सेवानिवृत्त अधिकारियों का सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर जीवनयापन सुनिश्चित करने हेतु सशस्त्र बलों में अल्पकालीन सेवा आयोग योजना का पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता

डॉ. शशि थरूर (तिरुवनंतपुरम): 2005 के बाद, सशस्त्र बलों में अल्पकालीन सेवा आयोग (एस.एस.सी.) अधिकारियों के लिए सेवा विस्तार की अवधि 5-7 वर्षों की पहले की अवधि से बढ़ाकर 10 वर्ष (जिसे आगे 4 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) कर दी गई है, जिससे एस.एस.सी. अधिकारियों के लिए कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। पहले, अधिकारी अपनी सेवा के चरम समय में ही सेवा से मुक्त कर दिए जाते थे, जिससे उन्हें एक नए जीवन और नौकरी के लिए समायोजित होने का अवसर मिलता था।

अधिकांश अल्पकालीन सेवा आयोग अधिकारी अब लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन उन्हें पेंशन या सेवानिवृत्ति के बाद कोई अन्य लाभ नहीं मिलता है। सशस्त्र बलों से बाहर निकलने पर, कई एस.एस.सी अधिकारी स्थिर आय वाली नौकरी के लिए आवश्यक विशेष डिग्री और प्रशिक्षण की कमी के कारण सामान्य कार्यबल में वापस आने में असमर्थ होते हैं।

सरकार ने अपने अन्य विभागों और सेवाओं में एस.एस.सी अधिकारियों के पुनर्वास और रोजगार के लिए कोई उपाय नहीं किया है। पुनर्वास उपायों की कमी और रोजगार के बाद के लाभों के परिणामस्वरूप हमारे युवा अधिकारियों का पूर्ण शोषण हुआ है, जो अपने प्रमुख वर्ष हमारे देश की सेवा में समर्पित कर देते हैं और फिर उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ दिया जाता है।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ, प्रतिपूरक रोजगार और पुनर्वास उपाय प्रदान करके शॉर्ट सर्विस कमीशन योजना का पुनर्गठन किया जाए। यह अल्पकालीन सेवा आयोग को पुनर्जीवित करेगा, जिससे यह हमारे युवाओं के लिए एक आकर्षक सेवा अवसर बन जाएगा और रक्षा सेवाओं में अधिकारियों की कमी को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

(तेरह) कृष्णागिरि, तमिलनाडु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री के. अशोक कुमार (कृष्णागिरि): तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले में आम का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, जो किसानों को अधिक आय प्रदान करता है। हर वर्ष कृष्णागिरि जिले में अल्फांसो और तोतापुरी जैसे उच्च गुणवत्ता वाले लगभग 3 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन होता है। इसके साथ ही 1.5 लाख मीट्रिक टन आम का पल्प भी तैयार किया जाता है, जो पूर्वी एशियाई देशों और अरब देशों को निर्यात किया जाता है। तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले में दुनिया में सबसे अधिक आम का निर्यात होता है और **यहां** 73 निजी आम पल्प उद्योग हैं। कृष्णागिरि जिले की जलवायु और मिट्टी आम के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। आम के पल्प और हाइब्रिड गुलाब के निर्यात से सरकार को क्रमशः 400 करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। तमिलनाडु सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के माध्यम से आम की खेती पर 100 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है।

आम बागानों की मिट्टी में आयरन, बोरॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम और कॉपर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व कम होते हैं। इन मिट्टी को हर साल पत्तियों के उपयोग और मिट्टी के उपयोग दोनों के लिए उपरोक्त सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर, किसान सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग तभी करते हैं जब फसलों में कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, जबकि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण लक्षण दिखाई देने से पहले ही पैदावार कम हो जाती है। कुछ सामान्य कृषि पद्धतियाँ मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता को कम करके फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की व्यापक कमी में योगदान करती हैं। इसके अलावा, मेरे जिले में उच्च उपज वाले संकर गुलाब और सब्जियां उगाने वाले आम किसानों को उच्च रोपण और पौध संरक्षण प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आम का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृष्णागिरि में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान की शाखा खोली जाए और किसानों को सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाए।

(चौदह) ऑनलाइन रिटेल स्टोर द्वारा कर चोरी रोकने तथा ऑफ लाइन रिटेल सेक्टर के हितों की रक्षा के लिये विनियामक तंत्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री एस. सेल्वाकुमार चिन्नैयन (इरोड): हमारे देश में बीस करोड़ लोग 5 करोड़ से अधिक दुकानों के साथ खुदरा व्यापार में हैं। हमारी 93% व्यापारिक गतिविधियाँ गैर-औपचारिक क्षेत्र में हैं। यह लगभग 40 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। इससे करीब 7 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। भारत में इस पारंपरिक खुदरा क्षेत्र को चल रही ई-कॉमर्स और ई-खुदरा व्यापार गतिविधियों से बड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा है। अब तक, यह अनियमित ई-कॉमर्स लगभग 70,000 करोड़ रुपये संभालता है। इसके और बढ़ने से न केवल व्यापारिक समुदाय बल्कि राष्ट्र भी बड़े पैमाने पर प्रभावित होगा। ये ई-कॉमर्स परिचालन पारदर्शी नहीं हैं और वित्तीय लेनदेन विदेशी गेटवे के माध्यम से किए जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप कर चोरी होती है क्योंकि कोई वैध रसीद प्रदान नहीं की जाती है। ऑर्डर एक स्थान से ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं और माल दूसरे स्थान से वितरित किया जाता है, जिससे राज्य सरकारों को भुगतान किए जाने वाले कर की चोरी होती है। नकली सामान वितरित किया जाता है और कई मामलों में उपभोक्ताओं को धोखा भी दिया जाता है। हमारी बड़ी संख्या में आबादी को आजीविका प्रदान करने वाली हमारी पारंपरिक आर्थिक गतिविधियों की रक्षा के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को एकजुट होकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह देश के करोड़ों खुदरा व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते हुए कर चोरी से बचने के लिए नियामक तंत्र स्थापित करे।

(पंद्रह) आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में तारकेश्वर और आरामबाग के बीच रसूलपुर में नये हॉल्ट स्टेशन का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता

श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरामबाग): 2011 में दीदी ममता बनर्जी द्वारा उद्घाटन की गई तारकेश्वर-बिशनुपुर नई रेल लाइन अभी भी निर्माणाधीन है। तारकेश्वर-आरामबाग रेल खंड दामोदर और मुंडेश्वरी नदियों को पार करता है। पुरसुरा के 17 गांवों और खानकुल के 12 गांवों में स्थित 8 ग्राम पंचायतों की लगभग दो लाख आबादी तारकेश्वर या अरमबाग रेलवे स्टेशन से यात्रा करती है, जिनमें से अस्सी प्रतिशत यात्री किसान हैं। वे बाजार तक पहुंचने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए अपने उत्पादों के साथ लंबी दूरी तय करते हैं।

मैं रेलवे मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि "रूसुलपुर" नामक एक हल्ट स्टेशन स्थापित किया जाए, जिससे स्थानीय लोगों के लिए ट्रेन पकड़ना आसान हो और उनके कृषि उत्पादों के परिवहन में भी बड़ी राहत मिलेगी।

इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में तारकेश्वर-आरामबाग रेल मार्ग के बीच रसूलपुर में एक नया हाल्ट स्टेशन शुरू करने का आग्रह करती हूं, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र आरामबाग के लोगों का लंबे समय से प्रतीक्षित सपना है।

(सोलह) ओडिशा में पर्यटन स्थलों को बुद्धिस्ट सर्किट में शामिल किये जाने तथा बीजू पटनायक एयरपोर्ट, भुवनेश्वर का उन्नयन किये जाने की आवश्यकता

श्री बैजयंत जे. पांडा (केन्द्रपाड़ा): भितरकनिका और गहिरमाथा वन्यजीव अभयारण्यों और केंद्रपाड़ा, ओडिशा में रत्नागिरी-उदयगिगी-ललितगिरि के बौद्ध सर्किट की पर्यटन क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है। इसी प्रकार, ओडिशा के अन्य पर्यटन स्थलों जैसे अटारी के गर्म झरने, तापतापानी, सिमलीपाल नेशनल पार्क आदि को भी इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

पर्यटन उद्योग को देश में अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने में दूसरा सबसे बड़ा स्थान दिया गया है और यह अपने लोगों के लिए बढ़े हुए आर्थिक अवसरों की सुविधा प्रदान कर सकता है। ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार को इसे अपने प्रस्तावित पर्यटक सर्किट में शामिल करने पर विचार करना चाहिए। सारनाथ-गया-वाराणसी बौद्ध सर्किट में केन्द्रपाड़ा के बौद्ध केंद्रों को शामिल करने से जिले में पर्यटन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना और तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान जैसी अन्य योजनाओं को क्रमशः भुवनेश्वर और पुरी धाम तक बढ़ाया जा सकता है।

(सत्रह) मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम तथा ओड़िया इन छह भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। यह दर्जा प्रदान करते समय केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित बातों पर गौर किया:

1. भाषा की प्राचीनता;

2. भाषा की मौलिकता तथा निरंतरता;

3. स्थापित भाषायी और साहित्यिक परंपरा;

4. प्राचीन भाषा और उसके आधुनिक स्वरूप के बीच की दूरी सहित उनके बीच का संबंध/रिश्ता।

इन सभी मानकों को पूरा करने के बावजूद भी मराठी को आज तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा हासिल नहीं हो सका है। प्राचीन महारट्ठी, मरहट्ठी, महाराष्ट्री प्राकृत भाषा, अपभ्रंश मराठी भाषा से विकसित आज की आधुनिक मराठी भाषा, ऐसा मराठी का सफर रहा है जो आज भी उपलब्ध है। ऐसा मराठी का पहला ग्रंथ "गाथासप्तशती " 2000 वर्ष पुराना है। लीलाचरित्र और ज्ञानेश्वरी यह ग्रंथ मराठी भाषा काफी विकसित होने के बाद लिखे गए ग्रंथ हैं, लेकिन उसका विकास होने में भी कई सौ साल लगे थे। नाणेघाट में पाए गए ब्राह्मी लिपि में लिखित 2200 वर्ष पुराने शिलालेखों में पाया गया महारट्ठीनों का उल्लेख; हाल सातवाहन की गाथा सप्तशती का उच्चतम स्तर का मराठी काव्य,रामायण, महाभारत और गुणाय्या की बृहतकथा में आने वाले अनगिनत मराठी शब्द; वररूची के प्राकृत प्रकाश, हेमचन्द्र की देशीनाममाला, शाकुंतल मृच्छाकटिकम् में अनेक पात्रों के द्वारा बोले गए मराठी संवादों से यह साबित होता है। अश्मक, कुंतल, अपरान्त विदर्भ इन प्रदेशों में प्राकृत महाराष्ट्री प्रचलन में थी। सन 1290 में तमिलनाडु जैसे प्रदेश में भी मराठी सिखाने की व्यवस्था की गई थी, ऐसा मैसूर प्रान्त के मैलंगी में प्राप्त शिलालेखों

में बताया गया है। मुकुंदराजा द्वारा लिखित "विवेकसंधू " मराठी ग्रंथ की रचना 1110 में की गई थी। पतंजलि, कौटिल्य, टॉलमी, वराहमिहिर, चीनी प्रवासी ह्यूनत्संग, अलबरूनी इनके द्वारा किए गए लेखन से और किए गए अनुसंधान से यह स्पष्ट दिखाइ देता है कि मराठी भाषा 2500 वर्ष पुरानी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी मराठी को राजभाषा घोषित करके राजभाषा कोष का निर्माण किया था। महाराष्ट्र सरकार ने भी गहन अनुसंधान करने के पश्चात ही मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार से 2013 में अपनी मांग रखी।

प्रतिवेदन में उल्लिखित अनुसंधान से मराठी भाषा की प्राचीनता, मौलिकता, निरंतरता, स्थापितता तथा उसके आधुनिक स्वरूप और उनके बीच का संबंध निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है और इसीलिए केन्द्र सरकार द्वारा मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा बिना किसी विलंब के प्रदान किया जाए।

(अठारह) वैशाली संसदीय क्षेत्र बिहार में गरौल और मोतीपुर में बंद पड़ी चीनी मिलों को पुन: चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री रामा किशोर सिंह (वैशाली) : हमारे संसदीय क्षेत्र वैशाली (बिहार) में दो चीनी मिल गोरौल और मोतीपुर लगभग 25-30 वर्षों से बन्द हैं और उक्त चीनी मिलों की लगभग 1000 एकड़ से आधिक भूमि पर बाहरी व्यक्तियों का आतिक्रमण है। चीनी मिलों के बंद होने से गन्ना किसानों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है और इस क्षेत्र के किसान गन्ना के उत्पादन करने में हतोत्साहित हो रहे हैं। मिलों की बन्दी के कारण करोड़ों रूपये मूल्य की मशीनें नष्ट हो रही हैं। इस संबंध में मामले को केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाने पर कुछ वर्ष पूर्व केन्द्रीय दल ने उक्त चीनी मिलों के भौतिक सत्यापन की जाँच रिपोर्ट सरकार को समर्पित की थी परन्तु इस संबंध में अब तक समुचित कार्रवाई नहीं की गई है।

अतः सरकार से अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र की बंद पड़ी उपरोक्त दोनों चीनी मिलों को शीघ्र चालू कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि इस क्षेत्र के किसानों की दयनीय स्थिति में सुधार हो सके और रोज़गार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत इस क्षेत्र के लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो सके।

(उन्नीस) कोल्हापुर एयरपोर्ट, महाराष्ट्र से मुंबई तथा तिरुपति के लिए उड़ानों का संचालन शुरू करने की आवश्यकता

श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर): कोल्हापुर शहर महाराष्ट्र के दक्षिण-पश्चिम भाग में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार कोल्हापुर शहर की जनसंख्या 5,49,236 है। कोल्हापुर एक प्राचीन शहर है जो खाद्य , चप्पल- जूतें, आभूषणों के साथ-साथ धार्मिक रूप से भी प्रसिद्ध है। यह बहुत से उद्योगों जैसे - गन्ना, चमड़ा, डीजल इंजन आदि उत्पादों का भी केन्द्र है। कोल्हापुर हवाई अड्डा देश के पुराने हवाई अड्डों में से एक है। इसकी शुरूआत 5 जनवरी, 1939 को हुई थी। वर्तमान हवाई अड्डा ए.टी.आर.-72 जैसे एयरक्राफ्ट की सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम है किन्तु वर्तमान में केवल गैर-आधिसूचित चार्टर फ्लाईट्स इस हवाई अड्डे से संचालित हो रही है। किंगफिशर एयरलाइन्स जो पूरी क्षमता के साथ कोल्हापुर से मुम्बई के लिए ए.टी0आर.-72 दैनिक फ्लाईट का संचाल कर रहा था, कंपनी के अंदरूनी मामलों की वजह से नवम्बर, 2011 में यह सेवा रोक दी गई थी। कोल्हापुर मुम्बई बैंगलोर और हैदराबाद जैसे महानगरीय शहरों का आधिकेन्द्र और संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाता है। सुप्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर में ही स्थित है और काफी संख्या में श्रद्धालु /तीर्थयात्री आते हैं। तिरूपति मंदरि की तीर्थयात्रा महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन के उपरान्त ही पूर्ण होती है। इसके विकास और उद्योगों तथा पर्यटन में बढ़ोतरी के लिए कोल्हापुर की जनता की मांग है कि हवाई सेवा जल्द से जल्द पुनः प्रारंभ की जाए।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले पर तत्काल ध्यान देते हुए कोल्हापुर के बेहतर भविष्य के लिए कोल्हापुर हवाई अड्डा से मुम्बई और तिरूपति के लिऐ आधिसूचित वायुयान सेवा को जल्द से जल्द प्रारंभ करायी जाए। 2 महीने पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर श्री सिद्धेश्वर जी ने लो कॉस्ट एयरपोर्ट की घोषणा की उसमें कोल्हापुर के लिए 250 करोड़ की घोषणा की थी उसका ये मैं सरकार से जानना चाहूँगा।

<u>अपराह्न 2.33 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र – जारी

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्री जयंत सिन्हा।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): महोदय, मैं राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-2014 के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की तिमाही समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 1280/16/14)

<u>अपराह्न 2.34 बजे</u>

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2014

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: अब हम मद सं. 23 पर विचार करेंगे। श्री एम. वैंकैय्या नायडू।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, दिल्ली में असाधारण विकास हो रहा है और इसके अपने प्रभाव और समस्याएं भी सामने आ रही हैं, जैसे कि आवास, झुग्गी-बस्तियाँ और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी। इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, झुग्गियों का विस्तार, अवैध निर्माण, आवासीय क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर व्यवसायीकरण और आवास की अपर्याप्तता जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

इसके अलावा, जब दिल्ली के लिए मास्टर प्लान, 2021 तैयार किया जा रहा था, तो कुछ प्रकार के अनधिकृत विकास को दंडात्मक कार्रवाई से बचाने के लिए 19 मई, 2006 को दिल्ली कानून (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2006 लागू किया गया था जो एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी था। इसके बाद इसी तरह के विधेयक बनाए गए जो एक-एक वर्ष के लिए प्रभावी थे। ऐसा आखिरी अधिनियम, अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक, 2011 तीन साल की अवधि के लिए प्रभावी था और यह 31 दिसंबर, 2014 को समाप्त हो रहा है।

इसलिए, यह ध्यान में रखते हुए कि ये प्रावधान 31 दिसंबर तक समाप्त होने वाले हैं, यह सरकार इस विधेयक को विचार के लिए इस सभा में लाई है। इससे सरकार भी इस बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर हो गई है। मैं माननीय सदस्यों से इसमें भाग लेने का आग्रह करता हूँ।

2011 के उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, झुग्गीवासियों और *झुग्गी-झोपड़ी* समूहों के स्थानांतरण या पुनर्वास, सड़क विक्रेताओं के विनियमन, अवैध कॉलोनियों, ग्राम *आबादी* क्षेत्रों और उनके विस्तार और मौजूदा फार्म हाउसों को नियमित करने, स्कूलों, औषधालयों, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों, भंडारण, गोदामों और कृषि भूमि पर बने गोदामों को नियमित करने, मौजूदा गोदाम समूहों का पुनर्विकास और विशेष क्षेत्रों के लिए भवन विनियम बनाए जाने थे।

हालांकि अधिनियम के कार्यान्वयन की दिशा में नीतियों, मानदंडों और रणनीतियों को विकसित करने में प्रगति हुई है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वर्तमान जमीनी हकीकतों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित व्यवस्था लाने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता है।

इसके अलावा, अनधिकृत विकास से संबंधित मानदंडों, नीतियों और दिशानिर्देशों — जिनमें अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की जटिलताएँ भी शामिल हैं — को संशोधित करना आवश्यक हो सकता है, ताकि उन्हें संशोधित दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुरूप बनाया जा सके। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 की समीक्षा संभवतः वर्ष 2015 की शुरुआत में पूर्ण हो जाएगी।

समयावधि बढ़ाने का उद्देश्य केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुछ प्रकार के अनधिकृत विकास कार्यों को दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करना नहीं है, बल्कि सरकारी एजेंसियों को इस संदर्भ में मानदंड, नीतिगत दिशानिर्देश, व्यावहारिक रणनीतियाँ तय करने तथा योजना के सुव्यवस्थित क्रियान्वयन का अवसर प्रदान करना भी है।

इसीलिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष उपबंध) द्वितीय अधिनियम, 2011 के प्रावधानों को 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2017 तक तीन साल की अवधि के लिए विस्तारित करना आवश्यक है। यह वह संशोधन है जो मैं मुख्य अधिनियम में ला रहा हूं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2014 जो इस सभा में पेश किया गया है, 2011 के अधिनियम की वैधता को 31 दिसंबर, 2017 तक बढ़ा देगा। यही इस विधेयक का उद्देश्य है।

मैं माननीय सदस्यों से, जो भी इस विषय में रुचि रखते हों, अनुरोध करता हूं कि वे इस चर्चा में भाग लें। चर्चा सुनने के पश्चात, सरकार की ओर से मैं संशोधन प्रस्ताव भी प्रस्तुत करूँगा।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली के लिए जो नेशनल कैपिटल टैरिटरी सैकैन्ड एक्ट 2011 को तीन साल बढ़ाने के लिए मंत्री जी बिल लेकर आए हैं, मैं उसका स्वागत करता **हूं।** इससे पहले 2006 में यह एक्ट आया था और 2011 तक हर साल इसको बढ़ाया गया। उसके बाद 2011 से 2014 तक इस एक्ट को बढ़ाया गया और 31 दिसम्बर, 2014 को इसकी अवधि खत्म हो रही है। आज जो दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी है, दिल्ली राजधानी टोक्यो के बाद दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाली राजधानी है। **यहां** लगभग 60 लाख लोग अनॉथराइज्ड कॉलोनीज़ में रहते हैं, लगभग 20 लाख लोग **यहां** स्लम में रहते हैं, मगर अभी तक सरकार अनॉथराइज्ड कॉलोनी के बारे में, दिल्ली के गाँवों की आबादी के बारे में कुछ नहीं कर पाई है। जो लाल डोरा था, आज़ादी से पहले जितना गाँवों का क्षेत्र था, उतना ही आज तक सीमित है। गाँवों के परिवार बढ़ते गए, गाँव की आबादी बढ़ती गई, लेकिन उसका क्षेत्र हमने नहीं बढ़ाया। यह दिल्ली एक मिनी इंडिया है। ऐसा कोई भारत का जिला नहीं है जिसके लोग **यहां** दिल्ली में नहीं रहते हों। सब लोग **यहां** आते हैं - अपनी ज़मीन छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपने गहने बेचकर, कि वे दिल्ली में काम करेंगे, अपना घर बनाएँगे। मगर यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार या दिल्ली में जितने भी विभाग हैं, वे कोई ऐसी आवासीय पॉलिसी नहीं बना पाए या हमारे रिहायशी क्षेत्रों में जो व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही थीं, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बना पाए

वर्ष 1957 का मास्टर प्लान सबसे पहले बना था। दूसरा मास्टर प्लान वर्ष 1990 में बना था और तीसरा मास्टर प्लान फरवरी, 2007 में बना था और अभी तक इसमें संशोधन हो रहे हैं। दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण आबादी का बढ़ना था और दिल्ली में इसके लिए कोई पालिसी का न होना भी था। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अनधिकृत कालोनियों का मतलब किसी तरह से गैर कानूनी घर का होना नहीं है बल्कि लोगों के पास जो एग्रीकल्चर लैंड थी, उस पर घर बनाना शुरू किया। तब सरकार की कोई पालिसी नहीं थी। लोग आते थे, उन्हें रहने के लिए घर चाहिए था। वे लोग करोड़ों रुपयों के घर नहीं

खरीद सकते थे इसलिए बाहरी दिल्ली के क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर लैंड थी, वहां उन्होंने अपने घर बनाने शुरू किए। इसमें कहीं न कहीं हमारे सरकारी विभागों की अनदेखी भी थी। आप उनकी अनदेखी या इसे उनकी मिलीभगत कह लीजिए, ये अनधिकृत कालोनियां बननी शुरू हुईं।

महोदय, वर्ष 1993 में एक कॉमन काज़ एनजीओ ने पीआईएल डाली। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या इन कालोनियों को रेग्युलराइज किया जाए। उस समय दिल्ली में हमारे मुख्यमंत्री डॉ. साहिब सिंह वर्मा जी थे। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब मुख्यमंत्री ने स्वयं हाई कोर्ट में जा कर कहा कि हम दस दिनों के अंदर एफिडेविट देंगे और दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों के लिए एक नई पालिसी ले कर आएंगे, मगर आप इन्हें न तोड़ें। हाई कोर्ट ने इस बात को माना और अनधिकृत कालोनियों में हमने बिजली, पानी देना शुरू किया। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि अगर वे वहां जा कर देखें तो उन्हें पता चलेगा कि लोग वहां कैसे रह रहे हैं। वहां सड़क, नाली, पानी, बिजली नहीं है। वहां कोई भी कम्यूनिटी सुविधा नहीं है। सरकार ने अभी तक कोई पालिसी नहीं बनाई है। ये सभी कारण अनधिकृत कालोनियों के बढ़ने की मुख्य कारण हैं। वर्ष 1998 में जब हाई कोर्ट ने कहा कि आप यहां पानी, बिजली दे सकते हैं और आप इसके लिए कोई पालिसी बनाइए। उसके बाद दिल्ली में हमारी सरकार बदल गई और कांग्रेस की सरकार आई। दिल्ली में 15 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, मगर 15 सालों में कांग्रेस ने अनधिकृत कालोनियों के विषय में कोई भी क़दम नहीं उठाया। वर्ष 2008 में चुनाव आया, तब दिल्ली सरकार ने सोनिया गांधी जी को बुला कर दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को प्रोविजनल सटीरफिकेट बंटवाए, मगर कोई भी कॉलोनी पास नहीं हुई। मैं आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस विषय पर जांच भी होनी चाहिए कि जैसे ही दिल्ली सरकार ने 895 कालोनियों के लिए नोटीफिकेशन जारी किया, वह कोई गजट नोटीफिकेशन नहीं था। उस समय के जो प्रिंसीपल सैक्रेटरी थे, उन्होंने रिटायर होते-होते अपने लैटर पर साइन करके 895 कालोनियों को पास कर दिया। वे कालोनियां अभी तक पास नहीं हुई हैं। पांच महीने पहले दिल्ली के यू.डी. विभाग ने एल.जी. साहब को पत्र लिखा था कि आप उस प्रपोजल को वापिस लीजिए। तब एल.जी. साहब का जवाब था कि जब दिल्ली में नई सरकार आएगी, वह

इस बारे में निर्णय लेगी। जब भी दिल्ली में चुनाव होते थे, अनधिकृत कालोनियों को पास करने का ड्रामा दिल्ली में होता था।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें यह एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी है। एक बहुत चर्चित केस एम.सी. मेहता वर्सिस भारत सरकार का है। उसमें एम.सी. मेहता ने पीआईएल डाली थी कि दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को तोड़ दिया जाए, स्लम्स को तोड़ दिया जाए, जितना कमर्शियलाइजेशन हमारे रिहायशी क्षेत्रों का हो गया है, उन्हें हटा दिया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसके आर्डर किए और वर्ष 2006 में अगर सभी को याद होगा, उस समय सीलिंग ड्राइव शुरू हो गई थी। दिल्ली में दुकानों को सील किया जा रहा था। दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों में डेमोलिशन स्टार्ट हो गई थी। दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड पर जो स्कूल चल रहे थे, उन्हें बंद किया जा रहा था। वर्ष 2006 में संसद में यह एक्ट आया और संसद से यह एक्ट पास हुआ। दिल्ली लॉज स्पेशल प्रोविजन एक्ट (22) 2006, एक साल के लिए इस पर प्रतिबंध लगा और दिल्ली में जब तक कोई पालिसी न बने तब तक किसी प्रकार की डेमोलिशन न की जाए। इस एक्ट को हर साल वर्ष 2011 तक बढ़ाते गए और फिर इसे तीन साल के लिए बढ़ाया।

अब मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस एक्ट में पालिसी हमें किन-किन चीजों के लिए बनानी थी। दिल्ली में 1200 झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनका रिडेवलपमेंट हो। वहां लोग कैसे रह रहे हैं, इस बारे में सरकार ने कोई चिंता नहीं की है। हमारी जो स्ट्रीट वैंडर्स हॉकर पालिसी थी, उसके बारे में सरकार ने चिंता नहीं की। जिन अनधिकृत कालोनियों के बारे में मैं कह रहा हूं कि सरकार ने कोई चिंता नहीं की, इसका मतलब 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसने कोई चिंता नहीं की। हम इस एक्ट को सदन में लाए हैं, क्योंकि 31.12.2014 को इस एक्ट का समय समाप्त हो रहा है, जिसका समय वर्ष 2011 से 2014 तक बढ़ाया था। हम चाहते हैं कि इसकी अवधि तीन साल और बढ़ाकर वर्ष 2017 तक की जाए। चाहे स्लम, अनऑथोराइज़ कॉलोनी की बात हो या हमारे रियाइशी क्षेत्रों में जो दुकानें चल रही हैं, उनकी बात हो, फॉर्म हाउस पॉलिसी की बात हो, स्कूल, अस्पताल, वेयरहाउस गोडाउंस की बात हो, इनके ऊपर सरकार कोई पॉलिसी बनाए। मैं मंत्री जी से यह कहूंगा

कि बार-बार इसको बढ़ाना, आगे करना, यह कोई समाधान नहीं है। हम कोई पॉलिसी बनाएं, पॉलिसी लेकर आएं, क्योंकि लगभग 80 लाख लोग हैं, जिनमें से 60 लाख लोग अनऑथोराइज़्ड कालोनियों में रहते हैं, 20 लाख लोग स्लम्स में रहते हैं, उनके लिए दिल्ली में कोई पॉलिसी नहीं है। वे लोग कैसे रहेंगे, उनको पानी, बिजली कैसे मिलेगी, उनके विकास के काम कैसे होंगे, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। तीन साल के लिए इसको बढ़ाया जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि जो भी कॉलोनियां पास हों, वे गजट नोटिफिकेशन से पास हों। दिल्ली में हम इस बात को मानें कि जो अनऑथोराइज्ड कालोनियां हैं, हम उसको सेल्फ-मेड कॉलोनी भी कह सकते हैं, क्योंकि यह कोई सरकार की जमीन पर नहीं बनी, यह लोगों ने अपनी प्राइवेट लैंड के ऊपर बनाई है। इसलिए इनको रेगुलराइज़ करना और मंत्री जी से मेरा एक ओर सुझाव है, इस एक्ट में है कि 2007 तक जिन कालोनियों में मकान बने, केवल उन्हीं को रेगुलराइज़ करेंगे। मगर 2007 के बाद 2014 तक जितने मकान दिल्ली में अनऑथोराइज़ड कालोनियों में बन चुके हैं और उनमें जो लाखों लोग रहते हैं, अगर उनके ऊपर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया तो कम से कम 25-30 लाख लोगों को बेघर होना पड़ेगा। उनके मकान वहां पर तोड़े जाएंगे, जिसमे उनका कोई दोष नहीं है। अगर दोष है तो वह सरकारी आधिकारी, वहां पर जो अन्य विभाग के लोग थे, उनकी मिलीभगत से वे मकान बने। मगर आज अगर हम उनको 2014 तक पास नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह सुझाव है कि इस एक्ट में अमेंडमेंट करके 2007 से 2014 तक अनऑथोराइज़्ड कालोनियों में जितने भी रियाइशी मकान हैं, उनको पास किया जाए। इसको हम तीन साल के लिए आगे बढ़ाएं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी बात शुरू करूं, उससे पहले मैं सदन का ध्यान आज की तारीख में दिलाना चाहूंगा। आज वही तारीख है, जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी और बंग्लादेश में हमारे देश का तिरंगा बुलंद हुआ था। आज मैं अपने उन सभी शहीदों को शत-शत नमन करता हूं और मैं समझता हूं कि हमारा पूरा हाउस भी इसमें सम्बद्ध है, जिन्होंने हमारे देश को इतनी शानदार युद्ध में जीत दिलाई थी। युद्ध की बात कह कर मैं शुरुआत इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि आज दिल्ली का बात हो रही है। दिल्ली ने भी अपने इतिहास में बहुत सी लड़ाइयां और बहुत से युद्ध देखे हैं। दिल्ली अपने पूरे इतिहास में बनती-बसती रही है। छठी शताब्दी, यानी कि 6 सेंचुरी बीसी से लगातार दिल्ली में बसासत रही। पांडवों की राजधानी इन्द्रप्रस्थ के नाम से चौहान साम्राज्य की राजधानी पृथ्वीराज चौहान ने पूरे उत्तर-भारत में जब अपना साम्राज्य स्थापित किया था, दिल्ली सल्तनत तुर्क जब दिल्ली में आए थे, दिल्ली सल्तनत कायम हुई थी। मुगल साम्राज्य की राजधानी, ब्रितानिया साम्राज्य की राजधानी कोलकत्ता कुछ समय रही, उसके बाद 1911 में ब्रितानियां साम्राज्य की भी राजधानी यह दिल्ली है। जब से देश आजाद हुआ, बहुत तेजी से देश के विकास को पंख लगे। देश के विकास के साथ-साथ मैं समझता हूं कि जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए शहरों में से एक है। टोक्यो के बाद आबादी के हिसाब से आज दिल्ली दूसरे नंबर पर है। टोक्यो के बाद दिल्ली की गिनती हो रही है। टोक्यो के बाद दिल्ली , उसके बाद शंघाई, चौथे नंबर पर मैक्सिको सिटी, पांचवें नंबर पर मुंबई, फिर सापौलो ब्राजील के अंदर है। तकरीबन 1.1 करोड़ की आबादी आज दिल्ली के अन्दर है और 2.5 करोड़ की आबादी पूरे एनसीआर क्षेत्र के अन्दर है। मैं एक अन्दाजा देना चाहूँगा। दिल्ली के सामने कितनी बड़ी समस्या है, उस बात को एक उदाहरण देकर मैं बताना चाहूँगा।

छटी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर वर्ष 1980 तक जितनी दिल्ली की आबादी बढ़ी, यानी कि ढाई हजार साल में जितनी दिल्ली की आबादी बढ़ी, उतनी ही आबादी पिछले बीस साल में दोगुनी हो गई। ऐसे समय में कहीं न कहीं कमियाँ रही हैं। निःसंदेह आज प्रवेश जी ने कहा कि आपकी गलती रही है, आपकी वे कमियाँ रही

हैं, आरोप-प्रत्यारोप के लिए हम यहां खड़े नहीं हुए हैं। आप लोग भी दिल्ली में सत्ता में थे, हम भी सत्ता में थे, केन्द्र में भी थे, कमियाँ रही हैं, मगर इतनी तेजी से जहां अर्बनाइजेशन दुनिया में हो रहा है, वहां पर आने वाला भविष्य कैसा होगा, उस प्रश्न पर चिन्तन करने के लिए हम खड़े हुए हैं। वर्ष 2030 तक दुनिया के सबसे बड़े पाँच आर्थिक केन्द्रों में एनसीआर शामिल होगा। तीन सौ बिलियन यू.एस. डॉलर की दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक होने जा रही है।

हम अगर दिल्ली में आधुनिक विकास के प्लानिंग की बात करें तो दो-तीन तारीखें अहम हो जाती हैं। वर्ष 1991 में, 69वें अमेंडमेंट एक्ट, 1991 के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा जो यूनियन टैरेटरी ऑफ दिल्ली था, उसको नेशनल कैपिटल टैरेटरी ऑफ दिल्ली , एक विशेष प्रावधान दिल्ली के लिए किया गया। उसी वर्ष 2001 का मास्टर प्लान प्रकाशित हुआ और मास्टर प्लान के हिसाब से दिल्ली के विकास की प्रक्रिया के नॉर्म्स निधाररित किये जाते हैं। उस मास्टर प्लान को नये सिरे से 2001 में रिन्यू होना था, मगर नहीं हो पाया। वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई। जिसमें 16 फरवरी, 2006 में डिमोलिशन की प्रक्रिया के सरकार को आदेश दिए। उस समय दिल्ली में उन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की जिनकी हम बात कर रहे हैं, झुग्गी-झोपड़ी की बात कर रहे हैं, वह गरीब, छोटा व्यापारी, मैं बता रहा हूं कि प्लानिंग की कहीं न कहीं कमियां रहीं, जिसकी वजह से वे ऑथराइज्ड में शामिल नहीं हो पाए। उनके ऊपर चिंता का संकट आ गया था। उस चिंता के संकट से बचाने के लिए 19 मई, 2006 को दिल्ली लॉ स्पेशल प्रोवीजन एक्ट लाया गया और फरवरी में एक साल के अंदर-अंदर नया मास्टर प्लान बनाया गया। सन् 2021 का मास्टर प्लान 2007 में प्रकाशित हुआ और कुछ राहत दिलायी। कानूनी दंडवत प्रक्रिया से जो अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स थे, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी, झुग्गी-झोपड़ी थीं, उन्हें बचाने का प्रयास किया है। आज आप यह बिल लेकर आए हैं, हम इसके समर्थन में अपना वक्तव्य दे रहे हैं।

इस बिल के माध्यम से न सिर्फ उन अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट को पिन्युटी वैक्सीन यानी कि कानूनी दंडवत प्रक्रिया से बचाया जाना इसका उद्देश्य है, मगर समयबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से आने वाले तीन

सालों में वर्ष 2017 तक झुग्गी-झोपड़ी और स्लम ड्वेल को रीलोकेट करने के लिए भी आपने इस बिल के अंदर कहा है। रेग्युलराइजेशन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की, जैसा कि मेरे साथी श्री प्रवेश वर्मा जिनका लोक सभा क्षेत्र मेरे लोक सभा क्षेत्र से सटा हुआ है, उन्होंने जो बात कही, मैं भी उस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। गांव की आबादी और लाल डोरे को बढ़ाने का जो मुद्दा है, उसका भी निवारण होना चाहिए। फार्म हाउस के रेग्युलराइजेशन की चाहे बात हो, कृषि क्षेत्र की भूमि पर स्कूल, गोडाउन, स्टोरेज आदि जो दिल्ली के अंदर बने हैं, इनकी भी रेग्युलराइजेशन इस एक्ट के माध्यम से आप करने जा रहे हैं। आपने ऑब्जेक्ट्स और रीजन में कहा है कि आप इसे समयबद्ध तरीके से करने जा रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं।

इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा। ये सारी चीजें तो इस एक्ट में हैं और हम इसका समर्थन करते हैं। मगर एक और चीज है, हम दिल्ली के मास्टर प्लान को और दिल्ली की प्लानिंग को आइसोलेशन में देख रहे हैं। गुड़गांव अपना अलग प्लान बना रहा है, गुड़गांव मास्टर प्लान, नोएडा के अंदर नोएडा डेवलपमेंट अथारिटी अपनी अलग मास्टर प्लानिंग कर रही है और गाजियाबाद के अंदर अलग प्लानिंग हो रही है। सच यह है कि पूरा एनसीआर का क्षेत्र आर्थिक रूप से अब एक होता जा रहा है, जुड़ा हुआ है, आपस में मिला हुआ है और आगे और जुड़ता जा रहा है। जो मास्टर प्लान बने, जो नार्म्स बने, वे ऐसे हों कि किस तरह से अर्बनाइजेशन को हम सही दिशा में लेकर जाए, ताकि जो ये कमियां रही हैं, अगली पीढ़ी के सामने वे कमियां न रहें। उन सभी क्षेत्रों के लिए एक होनी चाहिए। मास्टर प्लान सभी क्षेत्रों के मिले होने चाहिए। मैं एक उदारहण देता हूं - मैंने अपने क्षेत्र को दिल्ली से जोड़ने के लिए 2 सड़कों का प्रस्ताव किया है, एक बादली से द्वारका तक, नजफगढ़ ड्रेन के ऊपर और दूसरा, बहादुरगढ़ से एक डेडीकैटेड कोरिडोर, ड्रेन नम्बर 8 के ऊपर से होते हुए पीरागढ़ी और रींग रोड तक। मुझे समझ में नहीं आया कि ये प्रस्ताव दिल्ली के प्रस्ताव के अंदर प्रस्ताव जाए या हरियाण के प्रस्ताव के अंदर प्रस्ताव जाए, जबकि क्षेत्र एक है, दोनों जगह के लोग उन्हें चाहते हैं। मैं समझता हूं कि प्लानिंग एक होनी चाहिए। उसके लिए मैंने कल भी वैंकैय्या नायडू जी से बात की थी। [अनुवाद] इसे क्रियान्वित करने वाली एकमात्र अनोखी एजेंसी एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड है, जो आपके मंत्रालय के अधीन है।

एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड सभी राज्य सरकारों को बुला सकता है और न केवल दिल्ली मास्टर प्लान बल्कि एक एकीकृत एन.सी.आर. मास्टर प्लान भी विकसित कर सकता है। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि अगले 20, 30 या 50 वर्षों के लिए एक एकीकृत एनसीआर मास्टर प्लान विकसित किया जाना चाहिए। [हिन्दी] मैं तो यहां तक कहूंगा कि एन.सी. आर. प्लानिंग बोर्ड को आप और मजबूत कीजिए। आज 100 करोड़ रुपए का उसका सालाना बजट है, उससे उसका काम नहीं चल सकता है, उसको और बजट मिलना चाहिए। मैं आज यहां तक मांग करूंगा कि जिस तरह से आपने नॉथ-ईस्ट के लिए अलग से मंत्रालय बनाया है, एन.सी.आर. वर्ष 2030 में दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक केन्द्र बनने जा रहा है, उस एन.सी.आर. के योजनाबद्ध विकास के लिए भी सरकार को अलग से मंत्रालय के लिए विचार करना चाहिए। मैंने एक प्राइवेट मैम्बर बिल भी उस विषय पर मूव किया है।

आज हम आलोचना करने के लिए नहीं खड़े हुए हैं। अगर हम आलोचना करना चाहें तो परवेज जी ने कहा है कि आपकी योजना में कमियां रही हैं, हम भी आरोप-प्रत्यारोप लगा सकते हैं। हम कहें कि वर्ष 1998 से वर्ष 2004 तक दिल्ली का मास्टर प्लान-2021 वर्ष 2001 में आना चाहिए था, जब आपकी सरकार केन्द्र में और दिल्ली में थी, तो वह क्यों नहीं आया? हम यह भी कह सकते हैं यह हमारा बिल है। मैं वर्ष 2011 के बिल और इस बिल की तुलना कर रहा था। मुझे केवल एक ही चीज में फर्क लगा। उसमें एक शब्द का भी फर्क नहीं है। वैंकैय्या नायडू जी आपके दफ्तर ने उसमें आठ जगह वर्ष 2014 को हटाकर वर्ष 2017 करने का काम किया है। कम्प्यूटर में एक फंक्शन होता है, कंट्रोल - एच, फाइण्ड-रिप्लेस, उससे एक ही बार बटन दबाने से, आठों बार वर्ष 2014 को वर्ष 2017 से रिप्लेस हो गए। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। आपने भी माना है कि हमारा बिल ठीक था, इसलिए आप उसे लेकर आएं हैं, नहीं तो आप उसमें बदलाव करते। आप पहले कह रहे थे कि कुछ नया करेंगे, मगर आप केवल कंट्रोल-एच दबाकर वही बिल लाए हैं, तो आपने क्या नया किया है?

हम आलोचना करने के लिए खड़े नहीं हुए हैं, अगर हम आलोचना करें तो हमें नीयत में भी कहीं न कहीं शक होता है। उस बिल के अंदर प्रावधान है, वर्ष 2011 का बिल हमारी संसद ने पास किया है कि झुग्गी-

झोपड़ियों को कानूनी दंडवत प्रक्रिया से बचाया जाएगा, फिर भी इस वर्ष के पिछले माह क्या कारण है कि पीले पंजे वाले बुल्डोजर लेकर, वे कुसुमपुर पहाड़ी के झुग्गी-झोपड़ियों में पहुंच गए? हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल जी वहां गए और उन्होंने कहा कि अगर बुल्डोजर झुग्गी-झोपडियों पर, किसी गरीब की कुटिया पर चलेगा तो वह पहले हम पर चलेगा, फिर उन पर चलेगा। आज हम आलोचना कर सकते हैं कि आपकी नीयत पर हमें शक होता है।

मैं सदन के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार वह बिल लायी है तो हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसके समर्थन में खड़े हुए हैं। मगर, अगर दिल्ली के गरीब आदमी की झुग्गी-झोपड़ियों पर, उनके मकानों पर पीला पंजा या बुल्डोजर चलेगा तो बुल्डोजर पहले एक-एक कांग्रेस सांसद के ऊपर से जाएगा उसके बाद दिल्ली के गरीब आदमी के ऊपर होगा, हम यह आज चेतावनी देना चाहते हैं। मगर, हम आलोचना करने के लिए खड़े नहीं हुए हैं। ...(व्यवधान)

हम आलोचना करें तो हम यह भी कह सकते हैं कि उस बिल में स्ट्रीट वेन्डर्स को संरक्षण देने और नियमित करने का भी प्रावधान किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि यू.पी.ए. सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ लाइव्ली हुड एक्ट के अंदर स्ट्रीट वेन्डर्स को संरक्षण देने और नियमित करने के लिए लोक सभा में कानून पारित किया था। यह प्रश्न गरीब आदमी की जीविका से जुड़ा हुआ है, उसके रूल्स आज तक गजट ऑफ इंडिया में क्यों नहीं प्रकाशित हुए? वे रूल्स प्रकाशित हों। सरकार को उन रूल्स को जल्दी प्रकाशित करना चाहिए। हम एक नया कानून उसी उद्देश्य के लिए बनाने जा रहे हैं। अगर वे रूल्स प्रकाशित हो गए होते तो दिल्ली के छोटे स्ट्रीट वेन्डर्स को आज संरक्षण के लिए एक नए कानून की आवश्यकता नहीं होती।

<u>अपराह्न 3.00 बजे</u>

मैं अंत में यही कहूंगा कि आज सरकार जो बिल लेकर आई है, यह हमारा ही बिल है। हम इसका समर्थन करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार को अगले पचास साल तक के लिए एनसीआर की एक

कम्प्रीहैनसिव प्लानिंग करनी चाहिए। उसमें वैंकैय्या जी का मंत्रालय पहल कर सकता है, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड कर सकता है। कल जब दिल्ली मैट्रो पर बहस हो रही थी तो मैंने उनसे इस बात के लिए आग्रह किया था। इस बिल के लिए हमारी शुभकामनाएं वैंकैय्या जी के मंत्रालय के साथ हैं, इस सरकार के साथ हैं।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। श्री दीपेन्द्र यंग हैं। मैं हमेशा यंगस्टर्स को बहुत पसन्द करता हूं क्योंकि चाहे इधर हों या उधर हों, देश का भविष्य उन लोगों के ऊपर है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर भेजा। सरकार ने कोई बुलडोजर नहीं भेजा, नैशनल ग्रीन ट्राइबुनल का आदेश था। यह सर्वविदित है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) एक न्यायालय के समकक्ष है। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। दूसरा, ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा कोई बुलडोजर आया तो हमारे कांग्रेस के सांसदों के ऊपर से जाना पड़ेगा। दिल्ली में कोई कांग्रेस सांसद नहीं है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती के. मरागथम (कांचीपुरम): महोदय, मैं इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देती हूं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गरीब लोगों को दंडात्मक कार्रवाई से बचाना इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है।

मैं हमारी प्रिय नेता *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* द्वारा निर्देशित ए.आई.ए.डी.एम.के. पार्टी की ओर से बोल रही हूं। यहां तक कि ग्रामीण इलाकों में भी गरीबों का कल्याण हमेशा उनकी प्राथमिकता रही है। अपनी पार्टी की एक विनम्र कार्यकर्ता के रूप में, मैं ग्रामीण लोगों को शहरी क्षेत्रों में पलायन करते समय जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें अच्छी तरह समझ सकती हूं। मैं यह भी जानती हूं कि यदि वे गरीब लोग झुग्गी-झोपड़ी समूहों में आश्रय लेने को मजबूर हों, तो उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से बचाना आवश्यक है।

इस विधेयक का उद्देश्य कुछ प्रकार के अवैध विकासों, जैसे कि अवैध कॉलोनियों और सड़क विक्रेताओं के स्थानों की सुरक्षा करना है। दिल्ली कानून (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2006 ने ऐसे गरीब लोगों को सुरक्षा प्रदान की थी जो सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माणों में रह रहे थे। इसका परिणाम झुग्गी-झोपड़ियों के बढ़ने के रूप में सामने आया, और बाद में सरकार के सामने इन कॉलोनियों को नियमित करने की समस्या उत्पन्न हुई।

कॉलोनियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं — एक तरफ झुग्गी बस्तियां और दूसरी तरफ पुनर्वास कॉलोनियां। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग आमतौर पर दिहाड़ी मजदूर, घरेलू सहायिका और अन्य छोटे-मोटे कार्यों में लगे होते हैं। ये लोग सेवा क्षेत्र की नींव हैं और इनकी उपेक्षा करना संभव नहीं है, चाहे वे अवैध रूप से ही क्यों न बसे हों। यह अधिनियम हर वर्ष लगातार लागू रखा गया क्योंकि इसकी सुरक्षा अवधि केवल एक वर्ष की होती थी। अब, दूसरा अधिनियम जो 2011 में लाया गया था, उसकी तीन वर्षों की अवधि 31 दिसंबर 2014 को समाप्त हो रही है, इसलिए हमारे लिए इस विधेयक को पारित करना आवश्यक हो गया है।

इस सदन द्वारा इस अधिनियम को पारित करना आलोचना के दायरे में आ सकता है, यह स्वाभाविक है। लेकिन चूंकि दिल्ली में इस समय कोई विधान सभा नहीं है, इसलिए इस विधेयक को तुरंत पारित करना और भी ज़रूरी हो गया है। हमें इस विधेयक के सामाजिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। जो सामाजिक संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, वह राष्ट्रीय राजधानी में और अधिक अवैध अतिक्रमणों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मैं केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय से आग्रह करती हूं कि वह एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाए। हमें राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा करनी है और उसकी अखंडता बनाए रखनी है। साथ ही, जब गरीब लोग मजबूरी में आश्रय और निवास की तलाश में कानून का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें कानून के शिकंजे से भी बचाना जरूरी है। ऐसे लोग, जो मुख्यतः शारीरिक श्रम के माध्यम से समाज में योगदान देते हैं, उनके हितों का ध्यान रखना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उतना ही आवश्यक है।

इस अवसर पर, मैं आपका ध्यान श्रमिक वर्ग की दयनीय स्थिति, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रह रहे तमिल समुदाय के लोगों की हालत की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। दिल्ली में तमिल प्रवासी लोगों की एक बड़ी संख्या 1950 के दशक से रहती आ रही है। आज भी इनमें से ज्यादातर लोग समाज के गरीब और कमजोर वर्ग में हैं। नौकरी की तलाश में ये लोग झुग्गी बस्तियों और बिना अनुमति बनी कॉलोनियों में रहने को मजबूर हैं। ये जगहें कभी उम्मीद की किरण होती हैं और कभी बहुत निराशाजनक होती हैं। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इन जरूरतमंद और पीड़ित लोगों की मदद करे।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से एक विशेष अभियान के माध्यम से समाज के इस वर्ग की गणना करने का आग्रह करती हूं। आधार कार्ड के आने से यह काम आसानी से किया जा सकता है। उनकी पहचान करने के बाद, उन्हें देश की राजधानी के लिए उपयुक्त कार्यबल के रूप में यहां उचित रूप से बसाया जाना चाहिए।

उनके जीवन स्तर में सुधार किया जाना चाहिए और केवल तभी, हम स्वच्छता और साफ-सफाई बनाए रखने के मामले में राष्ट्रीय राजधानी को नया रूप दे सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वच्छता पर जोर दे रहे हैं और यह तभी संभव है जब जरूरतमंद लोगों को सही तरीके से बसाया जाए। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए

कि और अधिक लोग अतिक्रमणकारी न बनें। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहरी इलाकों में सेवा कर्मियों के लिए आवासीय क्षेत्र बनाए जाएं, जहां उचित आवागमन सुविधाएं भी उपलब्ध हों। मैं शहरी विकास मंत्रालय से आग्रह करती हूं कि वह असहाय गरीबों, विशेषकर तमिल लोगों का ख्याल रखे, जो विस्थापित हो गए हैं और राष्ट्रीय राजधानी से काफी दूरी पर रहते हैं।

मैं केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि इन लोगों को राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। यहां रहने वाले तमिल लोग एससी/एसटी या ओबीसी जैसे समुदाय प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा और रोजगार के मामले में वे वंचित वर्ग बन जाते हैं। इसका कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार द्वारा उनकी जन्मभूमि पर लगाए गए दावे हैं। यह हमारी राष्ट्रीय राजधानी है और इसलिए, जो लोग यहां रह रहे हैं उन्हें वही सुविधाएं और लाभ मिलना चाहिए जो उन्हें अपने संबंधित राज्यों में मिल सकता है। मैं केंद्र सरकार से इस तत्काल आवश्यकता पर ध्यान देने का आग्रह करती हूं जो उनकी सामाजिक उन्नति के रास्ते में आती है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण का समापन करती हूं।

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, मैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कानून (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2014 पर बोलने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। इस विधेयक पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। मूल रूप से, अवैध बस्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई रोकने के लिए यह विधेयक 2006 में लाया गया था। फिर इसे 2011 में संशोधित किया गया। उन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई न करने की तीन साल की अवधि अब समाप्त हो रही है। इसलिए इसे अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा।

अब, सबसे पहले मैं इन अवैध कॉलोनियों के बारे में बात करना चाहता हूं। दिल्ली का विकास बिना योजना के और असंतुलित रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। तत्कालीन भारत सरकार ने नई राजधानी बनाने के लिए रायसीना हिल के आसपास बड़ी जमीन के टुकड़े जब्त किए थे। नई दिल्ली का अस्तित्व 'लुटियंस जोन' के नाम से जाना जाता है। नई दिल्ली का विकास उस क्षेत्र में हुआ जिसे 'लुटियंस जोन' कहा जाता है। आज यह क्षेत्र पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। शहरी विकास मंत्री के पास यहां की सभी प्रमुख संपत्तियां हैं, जिनमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, लुटियंस बंगले, और विश्व के सबसे महंगे रियल एस्टेट इलाकों में शामिल खान मार्केट और कनॉट प्लेस जैसे स्थान शामिल हैं। ये सभी संपत्तियां श्री वैंकैय्या नायडू के अधिकार क्षेत्र में हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: ये संपत्तियां मंत्री के नियंत्रण में हैं, न कि श्री वेंकैया नायडू के व्यक्तिगत स्वामित्व में। वे इसके मालिक नहीं बन सकते। यह संपत्ति व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पद के अधिकारों के अंतर्गत आती है।

प्रो. सौगत राय: महोदय, यह केवल प्रतीकात्मक है और यह बात सभी जानते हैं। यहां वे हमारे जैसे लोगों को बेदखल भी कर सकते हैं और आबंटन भी दे सकते हैं।

स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में पश्चिम पंजाब से शरणार्थियों का बड़ा आगमन हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, शरणार्थियों के लिए नई कॉलोनियां उभरीं, जैसे लाजपत नगर। इस प्रकार दिल्ली का क्षेत्र धीरे-धीरे फैलने लगा।

श्री दीपेंद्र ने बहुत सही कहा कि पिछले 20 वर्षों में किसी न किसी वजह से दिल्ली एक बड़ा आकर्षण केंद्र बन गया है। इसी कारण देश के कोने-कोने से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली आ रहे हैं। हालांकि, दिल्ली की

नगरपालिका सीमा सीमित है। लुटियंस जोन, जो श्री वैंकैय्या जी के नियंत्रण में है, छोटा क्षेत्र है और वह एनडीएमसी क्षेत्र है। इसके बाहर डीएमसी क्षेत्र आता है। पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान दिल्ली की निगम को चार भागों में विभाजित किया गया था। फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है जिसमें गुड़गांव भी शामिल होगा। इसमें नोएडा, गाजियाबाद, साहिबाबाद समेत आसपास का बड़ा क्षेत्र शामिल होगा। अब योजना यह होनी चाहिए थी कि दिल्ली के बाहर ऐसे वैकल्पिक केंद्र विकसित किए जाएं जो लोगों को यहां आने से रोक सकें। दिल्ली एक ऐसा आकर्षण केंद्र है जो बड़ी संख्या में लोगों को खींचता है। यदि इसके आसपास मजबूत शहरी विकास होते, तो दिल्ली में भीड़ और जाम जैसी समस्याएँ कम हो सकती थीं।

हालांकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अध्यक्ष श्री वैंकैय्या नायडू हैं, लेकिन यह बोर्ड छह महीने में केवल एक बार ही बैठक करता है। इनके पास एक आईएएस अधिकारी जरूर है, लेकिन योजना बनाने में बहुत कम सक्रियता है। इसके परिणामस्वरूप *झुग्गी-झोपड़ी* के इलाके और अवैध कॉलोनियां लगातार बढ़ती जा रही हैं।

आज आप जानकर हैरान होंगे कि दिल्ली में लगभग 1200 अवैध कॉलोनियां हैं। दिल्ली की कुल आबादी में से लगभग 60 लाख लोग इन अवैध कॉलोनियों में रहते हैं। लंबे समय से दिल्ली की सभी सरकारों ने यह वादा किया है कि वे इन अवैध कॉलोनियों को नियमित करेंगे। पिछली कांग्रेस सरकार ने कुछ कॉलोनियों के लोगों को अस्थायी प्रमाणपत्र दिए थे, लेकिन इन कॉलोनियों के संबंध में कोई अंतिम नियमितीकरण नहीं हुआ है। कुछ अवैध कॉलोनियों में संपन्न लोग भी रहते हैं, जबकि अन्य वहां अत्यंत गरीबी में जीवन यापन करते हैं। नगर पालिका या निगम उन्हें पानी, जल निकासी आदि उपलब्ध कराता है। लेकिन जिस ज़मीन पर वे रहते हैं, वह उनकी नहीं है। मैं शहरी विकास मंत्री से आग्रह करूंगा कि जब वे तीन साल का विस्तार दे रहे हैं, तो उन्हें सभा को वचन देना चाहिए कि तीन साल के भीतर, वे सभी 1200 *झुग्गी झोपड़ी* कालोनियों को नियमित कर देंगे। सभी कागजी कार्यवाही पूरी हो चुकी है, लेकिन किसी न किसी वजह से वह निर्णय लिया नहीं जा रहा है और हम हर साल इसे टालते जा रहे हैं।

लेकिन आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि दिल्ली में गरीबों की अवैध कॉलोनियां तो हैं ही, साथ ही अमीरों की भी अवैध कॉलोनियां मौजूद हैं। आप सैनिक फार्म्स के बारे में जरूर जानते होंगे। **यहां** अमीर लोगों के भव्य घर हैं जिनमें बतख के तालाब, स्विमिंग पूल, ऊँची दीवारें और हेलीपैड तक हैं, फिर भी यह कॉलोनी नियमित नहीं की गई है। यह एक अवैध कॉलोनी है। सरकार ऐसे अवैध कॉलोनियों पर निर्णय लेने में देरी नहीं कर सकती। इन्हें उचित रूप से पंजीकृत करना आवश्यक है।

मैं दो बिंदुओं का उल्लेख करके अपनी बात समाप्त करूंगा। अमीरों और गरीबों दोनों की अवैध कॉलोनियों के बारे में अंततः कोई ठोस कदम उठाया जाए। इसके अलावा फार्म हाउस की भी समस्या है। दिल्ली के अमीर लोग अपनी संपत्ति के किनारों पर फार्म हाउस बनाते हैं। आप में से कई लोगों को शादी के निमंत्रण भी ऐसे फार्म हाउस में मिले होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष: मुझे कुछ नहीं मिला है।

प्रो. सौगत राय: छतरपुर फार्म हाउस और कापसहेड़ा फार्म हाउस सभी विशाल फार्म हाउस हैं। अब वे दो मंजिला या तीन मंजिला मकान बनाना चाहते हैं। सरकार को इस पर नीतिगत निर्णय लेना होगा।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: फार्म हाउस के बारे में आपका क्या सुझाव है? यह एक ऐसा मुद्दा है जो मेरे मन को भी परेशान कर रहा है। यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं।

प्रो. सौगत राय: मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि फार्म हाउसों को बहुमंजिला इमारतें बनाने की अनुमति दी जाए। उन्हें वहां जाने की इजाजत थी। अब वे बहुमंजिला मकान बनाना चाहते हैं। उन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। फार्म हाउस जैसे हैं वैसे ही रहने दें. ... *(व्यवधान)* मैं मुख्य रूप से यह कहना चाहता हूं कि इस असंगति का अंत होना चाहिए। लुटियंस जोन की भूमि एवं विकास कार्यालय (एल और डी.ओ) के तहत होती है, जो मंत्री के नियंत्रण में है। लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण पर मंत्री का कोई नियंत्रण नहीं है। हालांकि मंत्री संसद में डी.डी.ए. से जुड़े प्रश्नों का जवाब देते हैं, फिर भी डी.डी.ए. के अध्यक्ष उपराज्यपाल होते हैं। मंत्री किसी को द्वारका में फ्लैट भी नहीं दे सकते क्योंकि इसे उपराज्यपाल नियंत्रित कर रहे हैं। एक प्राधिकरण होना चाहिए।

या तो आप इसे पूरी तरह से डी.डी.ए. को सौंप दें, या इसे वापस अपने नियंत्रण में लें। इस मामले में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती।

अवैध कॉलोनियों के संबंध में, औपचारिकताएं राज्य सरकार द्वारा पूरी की जा रही हैं। इन्हें नियमित करने के लिए यह शहरी विकास मंत्रालय के पास आती हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि केंद्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच के विवाद को छोड़कर जल्द से जल्द अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण का निर्णय लिया जाए।

अंत में, आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या परिवहन की है। आपने बहुत सारे फ्लाईओवर बनाए हैं, लेकिन ये किसके लिए हैं? अमीर लोगों के लिए ताकि वे अपनी कारों से यात्रा कर सकें। आपको वास्तव में अधिक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना होगा। मेट्रो ने तो कमाल कर दिखाया है, लेकिन मेट्रो केवल 30 प्रतिशत लोगों को ही सेवा प्रदान कर रही है। जब तक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और कारों के उपयोग पर नियंत्रण नहीं रखा जाएगा, तब तक जगह की कमी बनी रहेगी।

महोदय, इसी के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकनाल): *वणक्कम*, महोदय।

महोदय, हमने सभी माननीय सदस्यों को सुना है जिन्होंने बोला है। उन सभी ने इस विधेयक का समर्थन किया है। मैंने माननीय मंत्री जी को भी सुना है। उन्होंने कहा, अगर हमारे पास कोई सुझाव है तो हमें बोलना चाहिए, अन्यथा हममें से किसी की भी बात सुनने का कोई मतलब नहीं है।

यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2014 एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। यहां जिन लोगों के स्वार्थ जुड़े हैं, जिनके निर्वाचन क्षेत्र दिल्ली की सीमा से लगते हैं या दिल्ली में हैं, उनकी इस मामले में एक निश्चित दृष्टिकोण होगा। हम इससे शिकायत नहीं कर सकते। वे अपने मतदाताओं से जुड़े हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि वे अपने मतदाताओं के प्रति सहानुभूति रखें। दूसरी ओर, हमें इस देश, विशेषकर राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विकास के बारे में समग्र दृष्टिकोण रखना होगा।

जैसे ही आप दिल्ली हवाईअड्डे पर उतरते हैं और बाहर निकलते हैं, फ्लाईओवर के दोनों तरफ खराब और बेढंगे मकान नजर आते हैं। ये मकान हवाई अड्डे से बाहर निकलते हुए रास्ते के किनारे बने हुए हैं। इसलिए दिल्ली अब पहले जैसी सुंदर नहीं रही। मैं बचपन से इस शहर में रहता हूं और देखता आया हूं कि यहां की ज्यादातर हरियाली, सिवाय 'लुटियंस दिल्ली' नाम के एक छोटे क्षेत्र के, खत्म हो चुकी है। आज दिल्ली का नजारा अच्छा नहीं रहा।

हमारे पास बहुत सारे विधेयक हैं और उनमें से अधिकांश उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय दोनों के कई अदालती आदेशों के कारण आवश्यक हो गए हैं। हालांकि, एक दिलचस्प बात यह है कि अब कई तरह के विधेयक तेजी से पारित किए जा रहे हैं। आपके पास ई-रिक्शा नियमितीकरण विधेयक है, कल सार्वजनिक परिसर (संशोधन) विधेयक था जो खासतौर पर दिल्ली मेट्रो के लिए था, और फिर आज यह विधेयक है। जाहिर तौर पर सभा में इस तरफ और उस तरफ हर कोई जानता है कि ध्यान आगामी चुनावों पर है। और यह बात स्वाभाविक है कि जिन्होंने पहले मुश्किल या अनुचित काम किए, वे आगे बढ़ेंगे और बाकी लोग उनका पालन करेंगे। चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार से कार्रवाई का प्रस्ताव रखा जा रहा है, जो मुझे

लगता है कि इस पूरे प्रयास की असली भावना को प्रभावित करता है और उद्देश्य को कमजोर कर देता है, चाहे वह उद्देश्य कितना भी उच्च विचार वाला क्यों न हो।

महोदय, एक तरफ हम *झुग्गी झोपड़ी* कॉलोनियों के नियमितीकरण का विषय है, जिनके लिए हम गरीब लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और उनके प्रति संवेदनशील हैं। वहीं दूसरी ओर, अत्यंत सम्पन्न वर्ग भी मौजूद है। जैसा कि प्रोफेसर ने पहले पहले उल्लेख किया, वहां फार्म हाउस हैं और अत्यंत सम्पन्न व्यक्तियों की बहुमंजिला इमारतें भी मौजूद हैं। लेकिन दिल्ली में एक बड़ा मध्यम वर्ग भी है, जिसने मेहनत से अपना छोटा सा घर बनाया है या कॉन्डोमिनियम में रहता है, और *झुग्गी झोपड़ी* कॉलोनियों ने उनके आस-पास के सामान्य क्षेत्र, खेल के मैदान, और स्कूलों पर कब्जा कर लिया है। यहां तक कि सरकारी स्कूलों के पास भी अपने आसपास वह जमीन नहीं है जो उन्हें पहले आबंटित की गई थी। सरकारी स्कूलों की सीमा के भीतर *झुग्गी झोपड़ी* बस्तियां हैं। यह स्थिति हर कोई देख सकता है।

यहाँ, इस विधेयक के पृष्ठ 4 पर, उप-धारा 3ख और ग में कहा गया है कि उप-धारा 1 में उल्लिखित क्षेत्रों में हुई ये अवैध निर्माण गतिविधियां निलंबित मानी जाएंगी और यदि वे लागू सुरक्षा मानकों या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करती हैं, तथा यदि केंद्र सरकार द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करती हैं, तो इनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

माननीय मंत्री ने अभी कुछ दिन पहले, शायद कल, ठीक ही कहा था कि नगर पालिकाओं द्वारा नियुक्त नागरिक निरीक्षक - यह केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में है - दुर्भाग्य से अपने मूल कर्तव्यों को करने से विमुख हो गए हैं। मैं यह आरोप नहीं लगा रहा हूं कि केवल भ्रष्टाचार ही उन्हें दूर रखता है। इसके पीछे कई प्रकार के दबाव होते हैं। उदाहरण के तौर पर, इस विधेयक के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों पर राजनीतिक दबाव हमेशा रहेगा कि वे कार्य न करें। लेकिन मंत्री महोदय इसके लिए सहमति व्यक्त कर चुके हैं, मैं उनसे विनम्र अनुरोध करता हूं — वे एक ज्ञानी व्यक्ति हैं — कि वे इस मामले को थोड़ा गहराई से देखें। दिल्ली शहर भारत का गौरव है। यह कांग्रेस, बी.जे.पी., बी.जे.डी., टी.एम.सी. या ए.आई.ए.डी.एम.के. का शहर नहीं है।

यह हममें से किसी का नहीं है। यह इस देश के लोगों का शहर है। इसलिए, जब हम अनियमित कॉलोनियों के बारे में बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि दिल्ली में जे.जे. कालोनियों में बिजली और पानी का आनंद मिलता है। यह सामान्य ज्ञान है। हमारे यहां सभा में माननीय मंत्री मौजूद हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले थे। वह दिल्ली की समस्या को अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरह जानते हैं। वे जानते हैं कि झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियां, जो पूरी तरह से अनियमित कॉलोनियां हैं, उन्हें बिजली और पानी की सुविधा मिलती है। लेकिन उनके ठीक बगल में रहने वाले वे लोग, जो वैध कॉलोनियों में रहते हैं और जिनके लिए अपने घर बनाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, उन्हें ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

एक और गंभीर मामला मेरे संज्ञान में आया है। इस सदन के कुछ माननीय और सम्मानित सदस्यों ने संसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अपने प्रोजेक्ट्स नगर निगम (एम.सी.डी) और एनडीएमसी क्षेत्रों में लिए हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं माननीय मंत्री से यह देखने का अनुरोध करूंगा कि क्या वास्तव में इस तरह की कोई घटना हुई है। उन्हें माननीय सांसदों को ऐसे कार्यों से दूर रहने की सलाह देनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह माननीय मंत्री और इस सरकार के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वे भारत के सबसे महंगे रियल एस्टेट शहरों में से एक दिल्ली में कम से कम काले धन के निर्माण पर रोक लगाने की दिशा में ठोस कदम उठाएं। आप जिस भूमि का नियमितीकरण करने जा रहे हैं, उसका मूल्य निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा? यदि इन फार्म लैंड्स और झुग्गी-झोपड़ी कॉलोनियों का नियमितीकरण कर दिया जाता है, और तत्पश्चात वर्तमान या भावी स्वामी उस संपत्ति को विक्रय करना चाहता है, तो ऐसे में उस संपत्ति का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा? यहीं से काले धन के निर्माण की आशंका उत्पन्न होती है। क्या सरकार ऐसे मामलों में पंजीकरण के क्षेत्र और मूल्य निर्धारित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार करेगी? इस अवैध भूमि का मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या होगी?

अंत में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी घंटी बजने से पहले मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि चूंकि इस विधेयक में अवैध रूप से निर्मित फार्म हाउस भी शामिल हैं, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि जिस

भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उसके लिए मुआवजा किस आधार पर और किस प्रक्रिया से दिया गया था, यदि दिया गया हो। साथ ही, जब सरकार इन 1,000 से अधिक अवैध कॉलोनियों को वैध करने जा रही है, तो यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या उन्हें नियमित करने से पहले बुनियादी नागरिक सुविधाएं जैसे पानी, सीवरेज, सड़क, बिजली—उपलब्ध कराई जाएंगी, या फिर यह सुविधाएं केवल नियमितीकरण के बाद ही दी जाएंगी।

दुर्भाग्यवश, मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर रहा **हूं।** मेरा मानना है कि सरकार को इस विषय पर थोड़ी और गंभीरता से विचार करना चाहिए और एक नया, अधिक समग्र और व्यावहारिक दृष्टिकोण लेकर दोबारा सामने आना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। दिल्ली शहर में ऐसे बसे हुए झुग्गी-झोपड़ी, गोदाम, सांस्कृतिक संस्था के भण्डार हैं, उन्हें न्याय देने के लिए कई वर्षों से प्रयास हो रहे हैं। मैं सरकार का आभार प्रकट करना चाहता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

आज इस विधेयक से दिल्ली में बसे हुए कई इललीगल स्ट्रक्चर लीगल हो जाएंगे, लेकिन आगे चलकर इललीगल स्ट्रक्चर न बनें, इसके लिए कोई प्रावधान इस बिल में नहीं है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर यह प्रावधान करें तो इललीगल स्ट्रक्चर की समस्या खड़ी नहीं होगी। जिसने गैर-कानूनी मकान बनाया है, वह नियमों के अनुसार लीगल हो जाएगा। आज जमीन के भाव दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। गरीब आदमी न जमीन ले सकता है, न मकान ले सकता है। ऐसे गरीब लोग, जो रास्ते पर भीख मांगते हैं और सर्दी के दिनों में रास्ते के किनारे सो कर उनकी जान जाती है, उनके लिए सरकार को कुछ नीति, खासकर दिल्ली शहर के लिए बनानी चाहिए। वर्ष 1995 में महाराष्ट्र में शिवसेना-भाजपा सरकार थी, उस समय एसआरए की योजना महाराष्ट्र सरकार ने बनाई थी, आज भी गरीब लोगों को उस योजना से बहुत-से आवास मिले, रहने की व्यवस्था हुई। उसके बाद से महाराष्ट्र में ऐसा कोई कानून नहीं बना। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यह समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, पूरे देश की समस्या है। जैसे दिल्ली बढ़ी, इललीगल स्ट्रक्चर बढ़े, वैसे ही देश के हर शहर में इललीगल स्ट्रक्चर की समस्या बनी। महाराष्ट्र में, पुणे और पिम्परी शहर में, मैं इललीगल स्ट्रक्चर के बारे में कई वर्षों से संघर्ष करता आ रहा हूं। उस शहर में भी यही समस्या है। वहां भाजपा-शिवसेना की सरकार है, मुख्यमंत्री जी से बात करके वहां इललीगल स्ट्रक्चर्स में रह रहे नागरिकों को अगर हम न्याय दे सकें तो उसके बारे में सरकार की तरफ से कार्रवाई की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

[9*]**श्री ए. संपत (अट्टिंगल):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि आप मुझे मेरी प्यारी मातृभाषा मलयालम में बोलने की अनुमति देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष : हाँ, हाँ। बहुत अच्छे। आप कर सकते हैं।

श्री ए. संपत: आदरणीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधियां [विशेष उपबंध संशोधन विधेयक, 2014] एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इस विधेयक को लेकर कुछ आशंकाएं हैं, जो कुछ सदस्यों ने पहले उठाई थीं। विधेयक की उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या में कहा गया है, "दिल्ली की असाधारण वृद्धि का असर आश्रय व्यवस्था, जिसमें झुग्गी बस्तियां भी शामिल हैं, और अन्य बुनियादी ढांचे पर स्वाभाविक रूप से पड़ा है।"

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं यदि इसका उद्देश्य वास्तव में असहाय गरीबों को उनके झुग्गी झोपड़ी इलाकों में तीन और वर्षों तक रहने की अनुमति देना है। लेकिन यदि, जैसा कि कुछ सदस्यों ने पहले ही संकेत दिया है, इस विधेयक का उद्देश्य रियल एस्टेट माफियाओं और फार्म हाउस मालिकों को गरीबों की सहायता के बहाने बढ़ावा देना है, साथ ही उन्हें अवैध संपत्ति रखने और सुरक्षित रखने की छूट देना है, तो मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्देश्य और कारणों के कथन के पैरा 5 में कहा गया है कि,"समय विस्तार का उद्देश्य केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुछ प्रकार के अनधिकृत निर्माणों को दंडात्मक कार्रवाई से बचाना नहीं है, बल्कि सरकार की एजेंसियों को इस संबंध में मानदंडों, नीतिगत दिशानिर्देशों और व्यवहार्य रणनीतियों को अंतिम रूप देने तथा योजना के सुव्यवस्थित क्रियान्वयन का अवसर प्रदान करना भी है।"

[9*] मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

मेरा प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार फिर से विफल हो जाती है तो क्या होगा? यदि सरकार यह बहाना बनाकर लगातार और अधिक समय खरीदती रहे कि झुग्गी बस्तियों के निवासी सुरक्षित रहेंगे, और इसी बहाने आंशिक एवं टुकड़ों में कानून बनाएगी, तो यह उचित नहीं होगा। महोदय, मैंने दिल्ली की झुग्गियों का दौरा किया है। मैंने दिल्ली के झुग्गी-झोपड़ी इलाकों का दौरा किया है। पिछले दिसंबर में, जब बहुत ठंड थी, मैं कालिंदी कुंज शरणार्थी शिविर गया था। मैंने वहां महिलाओं और बच्चों को अस्वच्छ और खराब सफाई वाली स्थिति में रहते देखा। महोदय, हम सभी जानते हैं कि दिल्ली एक दिन में नहीं बनी। महाभारत में इंद्रप्रस्थ का उल्लेख है। मुझे आशा है कि जब मैं महाभारत के बारे में कुछ कहूंगा तो सत्ता पक्ष के मेरे विद्वान मित्र भी मुझसे सहमत होंगे।

महोदय, ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि दिल्ली एक ऐसा नगर है जहां मानव आवास छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही मौजूद था। प्राचीन काल में यहां दास रहते थे, और आधुनिक काल में प्रवासी मजदूरों ने दिल्ली के लिए अपनी मेहनत और संघर्ष दोनों किए हैं। इसलिए दिल्ली सभी की है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पूर्वोत्तर के मेघालय, मणिपुर, असम, त्रिपुरा सहित सभी राज्यों से आए लोगों ने दिल्ली की मिट्टी को अपनी मेहनत से समृद्ध किया है। फिर भी, इसी दिल्ली में पूर्वोत्तर के बच्चे और महिलाएं हिंसक हमलों का शिकार हो रही हैं और उनकी जानें जा रही हैं, जो बेहद चिंता का विषय है।

महोदय, हम एक संघात्मक प्रणाली हैं। लगातार सरकारें दिल्ली में रहने वालों को बुनियादी सुविधाएं देने में सफल नहीं हुई हैं। मैं *आदरणीय* वैंकैय्या नायडू जी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा **हूं।** मैं यह भी नहीं कह सकता कि मंत्री ने कुछ गलत किया है, क्योंकि इससे पहले के मंत्री भी यही करते रहे हैं।

यह पिछली कांग्रेस सरकार ही थी जिसने बिजली क्षेत्र का निजीकरण किया था। अब दिल्ली में रहने वाले सभी लोग कुछ कॉरपोरेट हाउस के भरोसे हैं।

जब हम दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले वाहनों की बात करते हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए कि हम किसके विकास की बात कर रहे हैं।

महोदय, दिल्ली से हमारे घर जाने के लिए ट्रेनें उपलब्ध नहीं हैं। चेन्नई और हैदराबाद जाने वाली ट्रेनें यहां से नहीं हैं।

अब, हम सड़कों को चौड़ा करने की बात करते हैं। दिल्ली रहने के लिए एक महंगा शहर बनता जा रहा है।

महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। आपके पीछे खड़े मार्शल भी मुस्कुरा रहे हैं। कृपया ध्यान दें। अर्थशास्त्र में कहा जाता है कि मुफ्त वस्तुएं समय के साथ आर्थिक वस्तुओं में परिवर्तित हो जाती हैं। वर्तमान में दिल्ली में पीने के पानी की उपलब्धता एक दूर का सपना बनती जा रही है। आवास एक असाध्य सपना बनता जा रहा है। क्या दिल्ली में प्रवासी मजदूर सुरक्षित हैं? यहां संसद में सत्र के बाद जब हम अपने घर लौटते हैं, तो सड़क किनारे बच्चों, उनके पिता और माताओं को लेटा हुआ देखते हैं, क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई आश्रय नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष: आप दूसरे विषय पर जा रहे हैं।

श्री ए. संपत: महोदय, यह दिल्ली के बारे में है। यह शहर हम सबका है। यह हमारी नियति है कि हम यहां आए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : अन्य विधेयकों के बारे में आप बाद में बात कर सकते हैं। अब दिल्ली की बात करते हैं। कोई समस्या नहीं है।

श्री ए. संपत: मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। आदरणीय मंत्री जी, सादर निवेदन है कि दिल्ली में आश्रय गृह अप्राप्य होते जा रहे हैं। अक्सर लोग सांसदों के पास आकर आश्रय के लिए मदद की गुहार लगाते हैं। वे कहते हैं, "क्या आप मुझे अपनी कार के गैरेज में रहने की जगह दे सकते हैं?"

दिल्ली में बिजली की समस्या है, मैं अपनी बात का समापन कर रहा हूं।

मुझे दो मिनट और दीजिए। महोदय, मैं मलयालम में बोल रहा हूं। यदि यह अंग्रेजी होती, तो मैं संक्षिप्त में अपनी बात समाप्त कर देता।

हमारे पास पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं। यहां तक कि मौजूदा कानूनों और नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। दिल्ली में उपराज्यपाल के पास निर्वाचित राज्य सरकार से अधिक शक्तियाँ हैं। उपराज्यपाल की पसंद और नापसंद चुनी हुई सरकार पर हावी रहती है। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है।

समाप्त करने से पहले एक और बात मैं कहना चाहूँगा। दिल्ली में लगभग पांच लाख केरलवासी हैं, लेकिन उनमें से केवल 61,000 के पास मतदाता अधिकार हैं। यहां तक कि जिनके पास वोटर पहचान पत्र है, वे भी मतदान नहीं कर पाते।

एक माननीय महिला सदस्य ने सुबह की चर्चा के दौरान निर्भया मामले का जिक्र किया था। क्या दिल्ली की सड़कों पर महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या हमारे बच्चे सुरक्षित हैं? क्या आपके राज्य तमिलनाडु से आने वाले लोग दिल्ली में सुरक्षित हैं?

मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। क्या हमें पता है कि झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर कितना धन खर्च किया गया है? कितने लोगों को इसका लाभ मिला? वह सारी धनराशि कहां गई? भारत सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, जिसमें इन तथ्यों को स्पष्ट किया जाए। क्या वे इसके लिए तैयार हैं? झुग्गी-झोपड़ी निवासियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर गंगा नदी की सफाई से अधिक धन खर्च किया गया है।

अधिक समय लिए बिना, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वे मास्टर प्लान को पूरी तरह से लागू करने का इरादा रखते हैं? यह योजना शहर के बेघर और गरीबों की मदद करनी चाहिए; और इसके नाम पर कॉर्पोरेट्स के व्यावसायिक हितों की अवैध रूप से रक्षा नहीं होनी चाहिए। यही मेरी सरकार से विनती है।

श्री बी. विनोद कुमार (करीमनगर): महोदय, मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं, अपनी पार्टी की ओर से, इस विधेयक का समर्थन करता हूं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2014 में चर्चा के लिए कुछ भी विशेष नहीं है क्योंकि एकमात्र खंड जो संशोधित होने जा रहा है वह समय के विस्तार के संबंध में है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक के प्रावधानों को तीन साल की अवधि के लिए, यानी 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर, 2017 तक विस्तारित करना है। यही एकमात्र खंड है जिसमें संशोधन की मांग की गई है।

महोदय, मुख्य अधिनियम तब लाया गया जब दिल्ली का मास्टर प्लान 2021 तैयार किया जा रहा था। कुछ प्रकार के अनधिकृत विकासों को दंडात्मक कार्रवाई से बचाने के लिए, दिल्ली कानून विशेष प्रावधान अधिनियम लाया गया और इसे साल-दर-साल बढ़ाया गया। खास बात यह है कि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम शुरुआत में तीन साल की अवधि के लिए बनाया गया था जो 31 दिसंबर 2014 को समाप्त हो रहा है। मैं उन विवरणों में नहीं जाना चाहता जिनका उल्लेख सदन के कई अन्य माननीय सदस्यों, विशेषकर दिल्ली और आसपास के सदस्यों द्वारा पहले ही किया जा चुका है।

महोदय, शहरी क्षेत्रों में अवसंरचना सुविधाएं, खासकर सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण, झुग्गी-झोपड़ी का विस्तार और अनधिकृत निर्माण की समस्या केवल दिल्ली शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य जगहों पर भी देखी जाती है। यह समस्या पूरे देश के विकासशील शहरी क्षेत्रों में आम है। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 को 2015 की शुरुआत तक पूरा किया जाना संभव है। उन्होंने यह भी कहा कि मास्टर प्लान की समीक्षा अगले साल की शुरुआत तक पूरी कर ली जाएगी। यदि वह समीक्षा पूरी हो जाती है और मास्टर प्लान घोषित कर दिया जाता है, तो कम से कम अगले तीन वर्षों तक इस सदन को फिर से कोई संशोधन पारित कर आगे विस्तार देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं माननीय मंत्री को सुझाव देना चाहूंगा कि दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री भगवंत मान (संगरूर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी सदन में बैठे हैं और जो सुझाव माननीय सदस्य दे रहे हैं, मुझे खुशी है कि उनको वे नोट भी कर रहे हैं।

महोदय, दिल्ली देश का दिल है और पूरे देश से लोग दिल्ली में काम करने के लिए आते हैं। दिल्ली में वर्ष 2007 तक की जितनी भी अनओथराइज्ड कालोनियां, झुग्गी-झोपड़ी या अवैध निर्माण हैं, उनको 31 दिसम्बर 2017 तक सील नहीं किया जाएगा और कोई पेनल्टी नहीं लगायी जाएगी। मेरा कहना है कि सिर्फ 2007 तक की ही नहीं, बल्कि 16 दिसम्बर, यानी आज के दिन तक या जब तक माननीय राष्ट्रपति जी के इस बिल पर साइन नहीं हो जाते हैं, तब तक झुग्गी-झोपड़ियों, अनओथराइज्ड कॉलोनियों और अवैध निर्माण को रेगुलराइज किया जाए। रेगुलराइज़ करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन वोट बैंक की तरह इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस ने चुनाव से छः महीने पहले एक सर्टिफिकेट दिया था कि हम जीत गए तो आपको रेगुलराइज कर देंगे, लेकिन बाद में नहीं किया गया। उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यह बात दिल्ली वालों को पता है कि दिल्ली में अनओथराइज्ड कॉलोनी बनने का कारण यह है कि दिल्ली में नक्शा पास कराना सबसे मुश्किल काम है।

मैं चाहता हूं कि दिल्ली के जो एप्रूव्ड मैप्स है, नक्शे हैं, वह सरकार ऑनलाइन कर दे ताकि आदमी ऑनलाइन जाकर एप्रूवल ले ले, उसके बाद जाकर वह अपना काम शुरु कर दे ताकि भविष्य में ऐसी जो अनधिकृत कॉलोनीज हैं, उनका अनधिकृत निर्माण का सवाल ही पैदा न हो ताकि भविष्य में फिर दुबारा कहीं बिल न लाना पड़े कि पहले 2007 तक थे, अब 2010 तक कर लें, फिर 2014 तक कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि वे गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, वे बुरी हालत में झुग्गी-झोंपडियों में रहते हैं। वे अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं तो अगर उनको रेगुरेलाइज कर देंगे तो उनके बच्चे भी पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि पढ़ाई से वे अपने घर की स्थिति बदल सकते हैं। उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, पीने का पानी मिले,

उनके बच्चे भी इस देश की तरक्की में अपना योगदान कर सकते हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा गरीबों के लिए योजनाएं लेकर आए ताकि उनका जीवन स्तर भी ऊंचा हो सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): माननीय उप सभापति महोदय, मैं आपको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2014 पर बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देता हूं। [हिन्दी] जहां हम दिल्ली की बात करते हैं, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि दिल्ली देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे हरीभरी राजधानी है और दिन प्रतिदिन जिस तरह से उस ग्रीनरी को कम किया जा रहा है और विकास किया जा रहा है जो कि जरूरी है ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके और यहां जिस तरह की अपेक्षा रखकर लोग रोजगार के लिए आते हैं, हमें बिल के साथ साथ जो दिल्ली का मास्टर प्लान 2121 है, उसको आगे ले जाना पड़ेगा और हॉरीजेंटल डवलपमेंट की बजाए हमें वर्टिकल डवलपमेंट करना पड़ेगा। मुझे अमेरिका में 5 साल पढ़ने का मौका मिला। वहां मैंने देखा, शिकागो चले जाइए, न्यूयार्क चले जाइए, वे सब वर्टिकली डवलप्ड हैं। दुबई, संघाय है, पिनाकी जी बोल रहे हैं। हमें वर्टिकल डवलपमेट की तरफ सोचना पड़ेगा क्योंकि आज दिल्ली में जो किसान है, वह दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है। जिस तरह से लाल डोरा गांव का बढ़ता जा रहा है, उसकी भी जरूरत है। उसका फैमिली साइज बड़ा है, स्ट्रक्चर बड़ा है। जिस परिवार में जहां दो लोग थे, आज 6 लोग हो गये। घर उनके लिए भी जरूरी है। झुग्गी-झोंपड़ियों को हमने जिस तरह से क्लस्टर में पहले विकसित किया और इललीगली 1200 कॉलोनी आ गईं, लगभग हमारे साथी प्रवेश जी कह रहे थे कि 60 लाख से ज्यादा लोग आज भी झुग्गी-झोंपड़ियों में रह रहे हैं या अनधिकृत कॉलोनीज में रह रहे हैं, हमें उनके लिए भी एकोमोडेशन बनानी पड़ेगी। मेरी यही अपील है कि सब कुछ देखते हुए हमें विचार विमर्श करना पड़ेगा कि किसी तरह से जो छोटा किसान है, हम उसको मारने का काम न करें। हम विकास लाएं और प्लांड वे में लाएं क्योंकि आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या सड़कों की है। आज दिल्ली में आप शाम को 6 बजे निकल जाएं तो देखेंगे कि पूरी दिल्ली ब्लॉक्ड रहती है। बारिश हो जाए तो चार चार घंटे आप सड़क पर खड़े रहते हैं। सीवेज की समस्या है। आज इललीगल कॉलोनीज में हम सीवेज पहुंचा नहीं पा रहे हैं। वहां पीने के पानी की समस्या है। हरियाणा से हमने 1000 क्यूसिक पानी पिछले दस सालों में ले लिया लेकिन उसके बाद भी हम दिल्ली के हर

घर तक पीने का पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हमें सबस पहले यमुना पर एक डैम बनाकर दिल्ली को पानी पहुंचाने की जरूरत है।

आज जिस तरह हम बात करते हैं कि काउंटर मैगनेट्स बनाये गये, काउंटर मैगनेट्स तो मेरा निर्वाचन क्षेत्र हिसार भी 2003 में बना था। आज उसको 11 साल हो गये मगर हिसार की ओर दिल्ली की तरफ से कोई विशेष इनीशिएटिव नहीं लिया गया कि हम वहां पर कोई उद्योग लाएं कि जो लोग दिल्ली में रोजगार लेने आए हैं, वे हिसार में जाकर अपना रोजगार प्राप्त करें। एक नहीं, दस काउंटर मैगनेट्स हमने दिल्ली के बनाए मगर आज आकर देख लीजिए, एक भी काउंटर मैगनेट प्रोपर यूटिलाइजेशन में नहीं है। जहां एनसीआर की बात करते हैं, आज दिल्ली के ओवर बर्डन के कारण हरियाणा का गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, बहादुरगढ़ हो, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद हो, या नोएडा हो, आज दिन प्रतिदिन ओवरक्राउडेड हो रहा है। क्योंकि लोग वहां रहने चले गये, लोगों ने वहां मल्टीस्टोरीड बिल्डिंग्स बना दीं, काम करने के लिए वे दिल्ली में आते हैं। लेकिन हम कोई प्रोपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे पाये। मेरी माननीय मंत्री जी से अपील है कि आप यह संशोधन लाइये, लेकिन इसके साथ-साथ आपके 2025 में दिल्ली के लिए एक मास्टर प्लान लाना पड़ेगा, जिसके तहत प्लान्ड तरीके से हम दिल्ली को आगे ले जाने का काम करें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय आपने मुझे दिल्ली के एनसीटी ऑफ दिल्ली लॉ (स्पेशल प्रोविजन) एक्ट 2014 तक अमैंडमैन्ट किया जाए, इस विषय पर बोलने का मौका दिया, मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यह बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी। मुझसे पूर्व श्री हुड्डा जी बड़ा लच्छेदार भाषण देकर कह रहे थे कि दिल्ली में यह खराब हो गया, दिल्ली में झुग्गियां गिरा दीं गईं, मैं नम्बरवाइज बताऊंगा, मैं दिल्ली में रहता हूं। आपको मुझे पांच मिनट फालतू देने पड़ेंगे, आई एम सारी। 1998 में दिल्ली में कोर्ट में एक पीआईएल लगी थी और 1998 में शीला जी की सरकार बन गई थी और उस सरकार के बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिये कि दिल्ली में जो अनधिकृत कालोनियां बसी हुई हैं, जिन्हें 1993 से 1998 तक बीजेपी की सरकार ने श्री नरसिम्हा राव सरकार को पास होने के लिए एक प्रस्ताव भेज रखा था। 1998 तक कांग्रेस की सरकार थी। 1998 में दुर्भाग्यवश दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आ गई, उसके बाद यू.डी. मिनिस्टर दिल्ली ने बार-बार कहा कि हम इन अनऑथोराइज्ड कालोनियों से डैवलपमैन्ट चार्ज लेकर इन कालोनियों को पास करना चाहते हैं। शीला जी जो दिल्ली की मुख्य मंत्री थीं, कहती हैं कि हम बगैर कोई पैसा लिये कालोनियों को पास करेंगे, हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। इस तरह से पांच सालों तक दिल्ली के लोगों को गुमराह करते रहे। उसी प्रकार से 2006 में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिये कि इन सब अनधिकृत कालोनियों, बस्तियों, इंडस्ट्रीज के ऊपर सीलिंग लगाई जाए। दिल्ली में हाहाकार मच गया, मजदूर बेरोजगार हो गये। लोग दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गये। तब जाकर इस मास्टर प्लान की तैयारी की गई कि दिल्ली का मास्टर प्लान आना चाहिए, जो 2001 में आना चाहिए था। जब 2001 में कांग्रेस की सरकार थी तो यह क्यों नहीं आया।...(व्यवधान) वह 2007 में आया। 2007 में आने के बाद जब कांग्रेस को लगा कि कांग्रेस की हत्या होने लगी है, जब कांग्रेस की सरकार...(व्यवधान) दिल्ली में आपकी सरकार थी, मास्टर प्लान दिल्ली ने बनाना था। जो 2001 में शीला जी की सरकार थी, जब मास्टर प्लान 2007 में ले गये, उस समय भी शीला जी मुख्य मंत्री थीं, तब उन्हें लगा कि दिल्ली की जनता उन्हें मार देगी, जैसा अभी छः महीने पहले मारा है, तब ये संसद में आर्डिनेन्स लेकर आये और वह इसलिए लाया गया था...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : आप दिल्ली में बोल रहे हैं, दिल्ली नजदीक है, आवाज इतना ऊंचा रखने की जरूरत नहीं है।

श्री रमेश बिधूड़ी : उपाध्यक्ष जी, 2007 में जब य़ह आर्डिनेन्स लाया गया था, क्योंकि 2008 में दिल्ली के चुनाव थे और 2008 में दिल्ली के चुनाव के समय आर्डिनेन्स आ गया। अभी सौगत राय जी बोल रहे थे, मैंने उन्हें कई बार बोलते हुए सुना है, वह बहुत वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, मुझे वह इन्टेलिजेन्ट भी लगते थे, लेकिन आज वह बोल रहे थे कि दिल्ली में इस प्रोविजन के लाने से अनधिकृत कालोनियों को बढ़ावा मिलेगा। यह स्टे है, जो अभी तक सम्पत्तियां बनी हुई हैं, उन्हें एज इट इज रखा जाए, उसके लिए बिल लाया गया न कि अनाधिकृत कालोनियां बनाने के लिए बिल लाया गया है।

उपाध्यक्ष जी, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और यह मेरी पीड़ा है। हमने माननीय मंत्री जी से रिक्वैस्ट की थी कि हुड्डा साहब जो वे झुग्गियां गिरी थीं, नेशनल ट्रिब्युनल ने उनके आर्डर किये थे, जो आपकी सरकार थी। वह 2000 तक के पहले की कंस्ट्रक्शन पर यह बिल लागू होता था और वह 2012 में डली हुई थी, इसीलिए आपकी सरकार इसे पास क्यों नहीं कर पाई और इस अमैंडमैन्ट को 2014 तक क्यों नहीं किया गया था। जो कट आफ डेट 2007 है, जिसकी मांग कर रहे हैं, वह कट ऑफ डेट अब जून, 2014 होनी चाहिए या दिसम्बर, 2014 होनी चाहिए। क्योंकि पचास हजार सम्पत्तियां सुप्रीम कोर्ट ने बुक की हुई हैं, यदि तुरंत यह आर्ड़िनेन्स लाया गया, सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा तो उनके ऊपर कल से ही तुरंत तबाही मच जायेगी। 2 लाख सम्पत्तियां ऐसी हैं, जिनमें बीस लाख लोग रहते हैं। अगर उन सम्पत्तियों को डिस्बैलेन्स करने के लिए कमिश्नर साहब और सारे आधिकारी बैठे हुए हैं। अदालतें इस बात के लिए एडामैन्ट हैं, वे बार-बार सरकार से यह कहती रहती हैं कि तुम इसका कोई इलाज क्यों नहीं करते। अभी छ: महीने सरकार बने हुए भी नहीं हुए, सारा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्दी ही सरकार दिल्ली की सब अनधिकृत कालोनियों को पास करने जा रही है।

जहां तक सैनिक फार्म की बात कर रहे हैं, बड़े-बड़े फार्म हाउसों की बात कर रहे हैं, इस बिल, इस लॉ के अनुसार कहीं भी कोई अनधिकृत कॉलोनी बनाने की इजाजत नहीं दी जायेगी। जो पुरानी बस्तियां हैं, उनको

बनाने के लिए यह बिल लाया गया है। ...(व्यवधान) सर, इस बिल के अनुसार, अगर यह बिल 2014 तक ...(व्यवधान) सर, मेरे पास इसके फैक्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डीएमसी एक्ट 466 के तहत आदेश दे दिए कि एमसीडी के लोग उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करें। अगर डीएमसी एक्ट लागू हो गया तो लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए इस बिल को पास करें। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें अमेंडमेंट किया जाए कि इसकी कट-ऑफ डेट सन् 2007 की बजाय सन् 2014 रखी जाए। सर, इसमें और कई फैक्ट्स हैं, जो दिल्ली में पैनिक फैलाएंगे। जो इनकी मेहरबानी रही है, इतने लंबे समय तक। ...(व्यवधान) सर, लास्ट में मैं कहना चाहता हूं जो इस बिल में एक और क्लाज़ है, इन्हीं लोगों ने 2007 में कहा था, जहां 50 पर्सेंट डिवेल्पमेंट है, उन कॉलोनियों को रैग्युलराइज़ कर दो। माननीय सोनिया जी ने जब फेक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया था। अगर वे यहां होती तो अच्छा रहता। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : ऐसा मत कहिए। श्री मनोज तिवारी अब बोलेंगे। अन्यथा, मैं माननीय मंत्री जी को जवाब देने के लिए बुलाऊंगा।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी : सर, वहां पर 50 पर्सेंट मकान जो सन् 2007-12 के बीच में बने हैं, उन सभी मकानों को 1693 कॉलोनियों में सब को बुक कर दिया गया है। अगर यह बिल 2014 तक नहीं आया तो सारे मकानों का गिराने का आदेश सरकार देगी जो 2007 से 2012 तक बने हैं। जो हुड्डा जी की मेहरबानी से बने हैं, इनकी सरकार की मेहरबानी से बने हैं। हुड्डा जी, वहां पर आपकी कंस्टिट्यूएंसी लगती है, तो बुल्डोज़र के सामने राहुल गांधी क्यों गए थे आपको जाना चाहिए था? इसलिए सर, यह जो नौटंकी करते हैं ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अपनी बात समाप्त करें। श्री मनोज तिवारी आगे बोलेंगे। और कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) ...[10*]

[10*] कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। वैसे मैं बहुत कम बोलता हूं। मात्र दूसरी बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि यहां बैठने से जो सीख रहा हूँ, वह मेरे पीछे की जितनी होशो-हवाश में जिंदगी गुजरी है, उसमें उतना सीख नहीं पाया हूँ, जितना यहां बैठ कर सीखता रहता हूं। इसके लिए मैं सदन के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। मुझे सभी कुछ न कुछ सिखाते हैं।

मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि मैं भी कभी दिल्ली में एक प्रवासी के रूप में आया था। दिल्ली में कहीं पर एक छोटा सा घर बनाने की इच्छा हमारे मन में भी जागी थी। लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्था और जिस प्रकार की पॉलिसी दिल्ली में लाई गई थी, उसके तहत मैंने यहां घर नहीं बनाना बेहतर समझा। आज जब यह आधिनियम स्पेशल प्रोविजन के तहत आया है, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि आने-वाले दिनों में दिल्ली में जो भी प्रवासी लोग हैं या दिल्ली के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन सभी लोगों की खुशी की सीमा नहीं रहेगी। मैं अपनी तरफ से वेंकैय्या जी और बीजेपी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं वैसे भी अभी नया-नया व्यक्ति हूं। मुझे जब अच्छा लगता है तो मैं सब को धन्यवाद कहता हूं। भावना की आभिव्यक्ति का आधिकार सबको है। मैं इतना खुश हूं कि छह महीने में पहली बार कविता मेरे दिल से निकल रही है। उसको कह कर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं -

" वेंकैय्या जी आई लव यू, दिल्ली की जनता बोल उठी।

पंद्रह वर्षों की पोल-पट्टी यह एक आधिनियम खोल उठी।

सड़कों पर दिल्ली की जनता है पुष्पहार लिए खड़ी हुई।

49 दिनों में भी दिल्ली के प्यारों ने कुछ नहीं किया।

पर आप-काप कितनी पार्टी अब भी जाने क्यों है अड़ी हुई।

49 दिनों में भी दिल्ली के प्यारों ने कुछ नहीं किया,

नक्शे की बात तो दूर एक भी चिट्ठी-पत्री तक नहीं दिया।

सारे प्रवासियों की बांछे खिल गई हैं।

पूर्वांचल-उत्तरांचल दिल्ली वासी आज अपना पर्व मनाएंगे।

आने वाले समय में बुलडोज़र तो नहीं,

पर जो भी हो सकेगा अपनी तरफ से जरूर चलाएंगे।"

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2014 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

महोदय, जैसा हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा समय ऐसा आया था, जब दिल्ली की जो गरीब जनता है, झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाली जो जनता है, जिन्होंने अपने सपने संजोकर यहां पर रहने के लिए, कमाने के लिए जो भी आवास बनाए, दुकानें बनाईं और अपने पूरे परिवार का सपना संजोया था और वहां पर वर्ष 2006 में एक सीलिंग ड्राइव चली और उसमें कई ऐसे सपनों को कुचला गया। जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो इसे रोकने के लिए एक एक्ट लाने की बात हुई और दिल्ली कानून विशेष प्रावधान अधिनियम वर्ष 2006 में पेश हुआ और एक साल का समय माँगा गया कि हम पॉलिसी तैयार करेंगे, लेकिन पॉलिसी तैयार नहीं हुई, उस वक्त की सरकार पॉलिसी तैयार नहीं कर पाई। उसके बाद फिर से एक बार एक्ट लाया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष उपबंध) 2007 लाया गया। उसमें वर्ष 2008 तक का समय माँगा गया, लेकिन फिर भी पॉलिसी नहीं बनी। फिर वापस समय माँगा गया और विशेष उपबंध अधिनियम 2009 लाया गया। फिर भी पॉलिसी नहीं बनी और फिर वापस वर्ष 2010 में वर्ष 2011 तक का समय माँगा गया, एक्ट आया, लेकिन फिर भी पॉलिसी नहीं बनी। फिर वर्ष 2011 में वर्ष 2014 तक का समय माँगा गया। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पिछली सरकारें एक्ट पर एक्ट लाईं, पर कभी कोई एक्ट नहीं किया, जिससे कोई पॉलिसी बने और यहां पर जो भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हैं, उन पर रोक लग सके। जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो वह अनऑथराइज नहीं होता है। जब वह पैदा होता है तो उसे रोटी चाहिए, जिसके लिए वह कमाता है। उसे रहने के लिए एक छत चाहिए। कोई मास्टर प्लान नहीं बना था तो वह क्या करता? अपने हक के लिए, अपने सपनों के लिए जहां उसकी जमीन है, वहां पर वह अपनी दुकान और मकान तो बनाता ही है। यह उस वक्त की सरकारों की जिम्मेदारी थी कि कोई ऐसी पॉलिसी बनती और उसको हम ऑथराइज करते। आज इस दिल्ली के अन्दर करीबन 60 लाख से ज्यादा ऐसी जनता है, जो यह चाहती है कि उनका आवास, उनकी

दुकान ऑथराइज हो जाए, यह रेगुलराइजेशन हो जाए तो मैं इसके लिए वैंकैय्या जी को इसके लिए धन्यवाद दूँगा और यह भी मांग करूँगा कि यह जो जून 2014 तक का समय है, इसे बढ़ाया जाए, हम इसका स्वागत करेंगे। मैं एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली): मैं माननीय शहरी विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक का समर्थन करता हूं, और मैं इस विधेयक पर बोलने वाले अपने सहयोगियों द्वारा दिए गए तर्कों का भी समर्थन करता हूं। ये कालोनियां अनधिकृत हैं जहां हमारे पास रेहड़ी-पटरी वाले, गाँव की *आबादी,* स्कूल और औषधालय हैं। 2007 के बाद आवश्यकता के कारण विस्तार हुआ है। जब दिल्ली को प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, गेटकीपर, दिहाड़ी मजदूर और जनशक्ति की आवश्यकता होती है, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें दिल्ली में ही कुछ आवास स्थान की आवश्यकता होती है। यह बहुत विरोधाभासी है। दिल्ली में श्रमशक्ति की आवश्यकता है। जब यहां रोजगार के अवसर हैं, तब लोग दिल्ली में रह सकते हैं, लेकिन उनके लिए आवास और रहने की जगह उपलब्ध नहीं हो पाती। यह सोचने वाली बात है कि हमने देश को ऐसी सरकारें दी हैं जो इस समस्या को ठीक से हल नहीं कर पाईं। मैं अपने साथी सांसद से सहमत हूं जिन्होंने कहा कि जन्म अवैध नहीं हो सकता, लेकिन जीवन जीना अवैध कहा जाता है। यह बात वास्तव में बहुत ही तर्कहीन और निराशाजनक है।

लगभग 1,600 कालोनियों को अनधिकृत कहा जाता है। पिछले साल 825 कॉलोनियों को नियमित किया गया। लेकिन जो अभी हमारे मंत्री जी ने बिल मूव किया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष उपबंध) (संशोधन) अधिनियम, 2011 उसे 2017 तक तो किया ही जाना चाहिए।

<u>अपराह्न 4.00 बजे</u>

लेकिन जो कॉलोनीज़ 2007 तक बनी थीं, वही प्रोटैक्टेड थीं। अब जून 2014 के अंत तक जो भी कॉलोनियां या निर्माण जिस भी रूप में मौजूद थे, उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। ऐसी हमारी मांग के ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी कोई पॉलिसी नहीं बन पाई है, मास्टर प्लान नहीं बन पाया है। मुझे नहीं लगता कि इस सभा में दोबारा ऐसा कोई संशोधन देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि हमें ऐसा कोई प्रावधान लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी सरकार एक प्रदर्शन करने वाली सरकार है और अब कोई नीतिगत पंगुता नहीं है। जब तक मास्टर

प्लान तैयार हो जाएगा, तब तक उचित नियम लागू हो जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि हम आगे किसी विस्तार की मांग नहीं करेंगे। हम इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं।

इसलिए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि जो भी निर्माण मौजूद हैं, चाहे वे वैध हों या अनधिकृत, उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक में एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहूंगी जो माननीय शहरी विकास मंत्री द्वारा लाया गया है। मैं उस विशेष तिथि को संशोधित करना चाहती हूं जो 2011 में पारित मूल अधिनियम के 3 (1) (ग) में है। 2011 अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) कहती है:

> "अनाधिकृत कॉलोनियों, ग्राम *आबादी* क्षेत्र (शहरी गांवों सहित) और उनके विस्तारों को नियमित करने के लिए दिशा-निर्देशों और विनियमों के अनुसार सुव्यवस्थित व्यवस्था, जैसा कि 31 मार्च, 2002 को मौजूद था और जहां उस तारीख के बाद भी और 8 फरवरी, 2007 तक निर्माण हुआ था।"

मेरा निवेदन है कि कि 8 फरवरी, 2007 की जगह यह तिथि बदलकर 30 जून, 2014 कर दी जाए।

महोदय, दिल्ली खराब योजना या योजना के अभाव, दुरुपयोग और बुनियादी ढांचे की कमी का शिकार रही है। लेकिन दिल्ली रोजगार की तलाश में आने वाले लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गई है। लेकिन आखिरकार, अधिकृत या स्वीकृत कॉलोनियों में जमीन खरीदना संभव नहीं है क्योंकि वहां उपलब्ध भूमि नहीं बची है। दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस योजना को लागू करना था। लेकिन डीडीए इन पंद्रह वर्षों में कुछ ज्यादा नहीं बल्कि एक बिल्डर बन कर रह गया। डीडीए ने लगभग डेढ़ लाख फ्लैट बनाए हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता बहुत खराब रही है। इसके अलावा, डीडीए विभिन्न हाउसिंग घोटालों में भी शामिल रहा है और कोई ठोस योजना या विकास नहीं हुआ। कोई निजी कॉलोनी निर्माण नहीं हुआ, इसलिए जो लोग इस शहर में आ रहे थे उनके पास रहने के लिए घर उपलब्ध नहीं थे।

जैसा कि मैं अवगत कराता हूँ, उस समय कॉलोनी निर्माण की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। इसके पश्चात् उच्चतम न्यायालय में अनेक याचिकाएं दायर हुईं, क्योंकि पूर्व के मास्टर प्लान के अंतर्गत विभिन्न आपत्तियां प्रस्तुत की गई थीं। उक्त मास्टर प्लान 2007 में तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री द्वारा तैयार किया गया था। मास्टर प्लान 2007 में तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने बनाया था। उस समय जो मास्टर प्लान बनाया गया था वह इतना अपर्याप्त था कि उसके बाद आये केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री कमल नाथ,

जो अभी यहां नहीं हैं, ने स्वयं कहा था कि उसमें कम से कम 60 प्रतिशत नीतियाँ वास्तविकता से कोसों दूर थीं। इस कारण मास्टर प्लान में संशोधन करना पड़ा।

महोदय, यह संशोधन अब क्यों आया है? जब 2004 में उच्चतम न्यायालय ने विध्वंस का आदेश पारित किया था, तब इसमें केवल 50,000 मामले शामिल थे। कहने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रवासी आबादी का आगमन हो रहा है और आज मामलों की संख्या दो लाख हो गई है। यह वह संख्या है जो नीति में बदलाव या पुराने अधिनियम के तहत चलाए गए विध्वंस अभियान से प्रभावित हुई होगी। इसलिए, यह जरूरी हो जाता है कि अतीत की गलतियां या अतीत की नीतिगत पंगुता जारी न रहे। पहले, जमीनी हकीकत पर उचित विचार किए बिना नीतियां बनाई जाती थीं। इसे दोहराया नहीं जाना चाहिए और लोगों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

इस मामले में, महोदय, दिल्ली में इस समय तीन मुख्य नीतिगत मूल्यांकन चल रहे हैं। सबसे पहले, दिल्ली विकास प्राधिकरण पहाड़गंज, दरियागंज और करोलबाग जैसे क्षेत्रों में एक व्यापक नीति लागू करने की योजना बना रहा है। इस नीति का उद्देश्य पुराने और क्षतिग्रस्त पट्टे वाले संपत्तियों को मुक्त स्वामित्व (फ्रीहोल्ड) में परिवर्तित करना है। यह पहल वर्तमान सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी।

दूसरी बात, यह तथ्य कुछ माननीय सदस्यों के लिए कम ज्ञात हो सकता है कि दिल्ली के लगभग पांच गांवों में 'चूल्हा कर' लागू था। यह कर विभाजन के बाद दिल्ली आए लोगों पर लगाया गया था और तब से अस्तित्व में है। डी.डी.ए. एक और प्रगतिशील कदम उठाने और इस चूल्हा कर को हटाने की योजना बना रहा है ताकि संबंधित लोगों को उचित स्वामित्व अधिकार प्रदान किया जा सके।

तीसरी बात, डी.डी.ए. दिल्ली (विशेष उपबंध) अधिनियम के तहत आने वाली सभी सुविधाओं जैसे मलिन बस्तियों, *झुग्गी-झोपड़ियों*, सड़क विक्रेताओं, गोदामों, स्कूलों और औषधालयों आदि के संबंध में भी संशोधन लाने की योजना बना रहा है। ये इमारतों और संस्थानों का विशाल समूह हैं और इनके लिए व्यापक

अभ्यास, सावधानीपूर्वक अध्ययन और जमीनी स्तर की समस्याओं को समझने की आवश्यकता होती है। इसलिए, इस संशोधन विधेयक के माध्यम से दिसंबर, 2017 तक विस्तार की मांग की गई है।

वर्तमान सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि अनधिकृत निर्माण कम से कम हों। 895 अनधिकृत कॉलोनियों में सड़क, पेयजल और सीवरेज सिस्टम जैसी कुछ बुनियादी सेवाओं सहित विकास कार्य शुरू हो गए हैं, जिन्हें आवश्यकता को पूरा करने के लिए बदला जाना चाहिए।

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों की समस्याओं के अध्ययन के आधार पर कॉलोनियों को नियमित करने के लिए एक प्रारूप नीति तैयार की जा रही है। सरकार ने कुछ सड़कों को वाणिज्यिक या मिश्रित भूमि उपयोग के लिए अधिसूचित करने और सरल भवन निर्माण नियम लागू करने के कदम उठाए हैं, जो अब लागू हो चुके हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: ठीक है।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: महोदय, मुझे थोड़ा और समय चाहिए क्योंकि मैं दिल्ली प्रशासन से संबंधित नीतियों पर बोल रही हूं।

इस विधेयक के संदर्भ में एक संबंधित सुझाव केवल मानचित्रों का ही नहीं, केवल अधिकृत योजनाओं का ही नहीं बल्कि भूमि अभिलेखों, भवनों और संपत्ति के अभिलेखों का डिजिटलीकरण और कम्प्यूटरीकरण करना है। राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम नामक एक मौजूदा कार्यक्रम है लेकिन दिल्ली भूमि रिकॉर्ड के मामले में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। इसलिए, मेरा सुझाव है कि इस प्रावधान को दिल्ली विशिष्ट कानून के दायरे में शामिल किया जाए। यह अंततः ई-प्रणाली के माध्यम से भवन योजनाओं को पारित करने, आयकर जमा करने, रूपांतरण शुल्क, अनधिकृत निर्माण की बुकिंग, विवाद के बिना संपत्ति कर को नियमित करने, व्यापार लाइसेंस, एम.सी.डी द्वारा तहबाजारी की वसूली, डी.डी.ए द्वारा क्षति की वसूली, आवासीय या वाणिज्यिक या औद्योगिक किसी भी संपत्ति के दुरुपयोग शुल्क की वसूली और फ्रीहोल्ड संपत्ति प्राप्त करने में मदद करेगा।

दिल्ली कानून (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2011 का एन.सी.टी, जैसा कि यह है, केवल 2007 तक अनधिकृत निर्माण के मामलों में राहत प्रदान करता है। उक्त कट-ऑफ तिथि के बाद अनधिकृत संपत्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई, उन संपत्तियों के अलावा जो पहले से ही दंडात्मक कार्रवाई के लिए बुक की गई हैं, उपलब्ध बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और उपकरणों के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसलिए, यह प्रस्तावित किया गया है कि अनधिकृत निर्माणों को शामिल करने की अंतिम तिथि को 2014 तक आगे बढ़ाया जाए। यह संशोधन इस प्रकार है कि उक्त अधिनियम में कट-ऑफ तिथि जून, 2014 कर दी जाए, ताकि दिल्ली में इस संबंध में जो भी प्रगति हो, वह 2017 तक जारी रह सके।

पिछली बार, श्री जगमोहन जी ने मंत्री रहते हुए योजनाबद्ध शहर विकास के लिए एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें उन्होंने अनुमति दी थी कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास 30 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल हो, वह एक योजनाबद्ध शहर का निर्माण कर सकता है। अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जो अन्य प्रस्ताव थे, वे कभी लागू नहीं किए गए। दिल्ली में भूमि और निर्माण कार्य में वास्तविक योजना एवं विकास की तुलना में माफिया तत्वों का प्रभुत्व अधिक रहा है।

इसके साथ, मैं विधेयक का समर्थन करती हूं। आपका बहुत - बहुत धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री कँवर सिंह तँवर (अमरोहा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं दिल्ली की अनऑथोराइज़्ड कालोनियों के नियमित करने के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। दिल्ली में 60 परसैंट लोग इन कालोनियों में रहते हैं। दिल्ली एक मिनी इंडिया है। यहां पर हर प्रदेश के लोग रह रहे हैं। इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है - जैसे सड़क, सीवर और शिक्षा इत्यादि। माननीय प्रधान मंत्री जी का उद्देश्य है कि हर गरीब का घर हो, हर व्यक्ति स्वस्थ हो। इन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से इन घरों को बनाया है। इन लोगों ने कई सालों से रेगुलराइज़ कराने के लिए आवाज उठाई, लेकिन आज तक ये रेगुलराइज़ नहीं हुईं। पिछली कांग्रेस सरकार इन लोगों को सिर्फ वोट बैंक का साधन मानती रही। दिल्ली में इनको फर्जी सर्टिफिकेट दिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि 2014 तक सभी कालोनियों को रेगुलराइज़ किया जाए। धन्यवाद।

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और इस बिल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हरेक सिटी का मास्टर प्लान है, वह इम्पोरटेंट रहता है। दिल्ली को अगर वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है तो मास्टर प्लान सौ परसैंट इम्प्लीमेंट होना चाहिए। पूरे देश में अगर हम देखेंगे, जितनी भी मेट्रो सिटीस हैं, उनके डेवेलपमेंट प्लान और मास्टर प्लान सौ परसैंट इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। मैं मुंबई का उदाहरण देना चाहता हूं। मुंबई का जो मास्टर प्लान, डेवेलपमेंट प्लान बनाया था, वह सिर्फ दस परसैंट इम्प्लीमेंट हुआ है। अगर इंटरनेशनल सिटी बनानी है, शंघाई का यहां पर उदाहरण दिया, शंघाई क्यों बना, उसका रीज़न यही है कि शंघाई का जो मास्टर प्लान, डेवेलपमेंट प्लान बनाया था, वह उन्होंने सौ परसैंट इम्प्लीमेंट किया, इसके लिए वे इंटरनेशनल सिटी बना सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दूसरी एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने जो घोषणा की है कि 2022 तक इस देश के हरेक नागरिक को खुद का घर मिलेगा। यह चीज भी मास्टर प्लान में इन्क्लुड होनी चाहिए। आज 2021 का दिल्ली का मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान में क्या यह चीज है, क्योंकि 2022 तक इस देश के हरेक नागरिक को घर मिलने वाला है। क्या उसका प्रोविजन मास्टर प्लान में है? अभी मेट्रो सिटी का एक डेवेलपमेंट प्लान बना रहे हैं, उस डेवेलपमेंट प्लान में यह चीज आनी चाहिए। अगर हम सब को घर देंगे तो उनके वाटर सप्लाई और इलैक्टिक सप्लाई आदि इश्यु भी आ जाएंगे। ये मास्टर प्लान में इन्क्लुड होना चाहिए, यह मैं आपको कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे लगभग 17 सहयोगी विभिन्न राज्यों और मतभेदों से, जिनमें सभी छह सांसद शामिल हैं, और सातवें सांसद हमारे माननीय मंत्री, दिल्ली के, इस विधेयक पर बोल चुके हैं।

महोदय, मैं कुछ हद तक तथागत सत्पथी जी की बात से सहमत हूँ, हालांकि वे यहां उपस्थित नहीं हैं। अगर इसे एक दृष्टिकोण से देखें, तो यह गरीबों के पक्ष में है, असहायों का समर्थन करता है, वास्तविकताओं को स्वीकार करता है और उसी के आधार पर आगे बढ़ता है। यदि आप इसे किसी अन्य दृष्टिकोण से देखें, तो मैं कल सदन में जो कहा था कि अनधिकृत निर्माण और अधिकारियों, बिल्डरों, व्यक्तियों तथा अन्य के बीच मिलीभगत को रोकना आवश्यक है, इस विषय पर एक द्वैधता है। मेरे मन में भी इस पर पूर्ण विश्वास नहीं है। लेकिन साथ ही, अंततः वास्तविकता क्या है? यदि आप वास्तविकता को गंभीरता से समझेंगे तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्राप्त हो जाएगा।

मैंने इन सभी लोगों को सुना है, यानी श्री परवेश साहिब सिंह वर्मा, श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा, श्रीमती के. मरागथम, प्रो. सौगत राय, श्री तथागत सत्पथी, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, डॉ. ए. संपत, श्री बी. विनोद कुमार, श्री भगवंत मान, दुष्यन्त जी, श्री रमेश बिधूड़ी, श्री मनोज तिवारी, महेश जी, डॉ. उदित राज, श्रीमती मीनाक्षी लेखी एवं अन्य साथी। श्री मनोज तिवारी जी ने तो गाना गाते हुए यहां तक कह दिया, "वैंकैय्या जी, आई लव यू।" मुझे इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। मेरी पत्नी आपसे कोई गलतफहमी नहीं रखेंगी, क्योंकि मेरे बचपन से ही अनेक लोग मुझ पर स्नेह रखते हैं और मुझे प्रेम पत्र लिखते रहे हैं। यह किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि राजनीतिक एवं सार्वजनिक गतिविधियों के संदर्भ में है। अतः इस दृष्टि से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरी पत्नी दिल्ली में ही निवास करती हैं। मैं उन्हें अवश्य सूचित करूंगा कि इस संदर्भ में एक और व्यक्ति भी जुड़ चुका है... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): आपके मन में ऐसा संदेह क्यों है? … (*व्यवधान*)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। यदि आपके मन में कोई शंका हो तो उसे दूर कर लेना चाहिए। बस इतना ही। … (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप अपनी भावना से व्यक्त कर रहे हैं, इसी कारण, मैंने यह कहा। … (*व्यवधान*)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: हां, मैं पूरे निष्ठा से हृदय से बोल रहा हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है।

जब प्रोफेसर सौगात राय बोल रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा: "क्या आपके कोई सुझाव हैं?" ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें गंभीर मुद्दे जुड़े हुए हैं। चर्चा के अंत में, यदि आप दिल्ली की वास्तविकता को देखें और लोग दिल्ली के कुछ हिस्सों का भ्रमण करें, तो वे वास्तविकता को समझ पाएंगे। संगम विहार, जो शहर के भीतर है, वहां करीब पांच लाख लोग रहते हैं लेकिन मास्टर प्लान में इसे वन भूमि के रूप में दिखाया गया है। वहां कहीं भी जंगल नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं जाकर उन्हें वहां से निकाल सकता हूँ? अगर मैं चाहूं भी तो क्या यह संभव है? यह एक और मुद्दा है। फिर, सोनिया विहार की आबादी तो पांच लाख है; बुराड़ी की आबादी दो लाख है; रिठाला की आबादी 2 लाख है; मोलरबंद की आबादी एक लाख है; बदरपुर एक्सटेंशन ए और बी की आबादी एक लाख है; मीठापुर शक्ति विहार की आबादी डेढ़ लाख है, और यह क्षेत्र यमुना नदी के किनारे भी आता है; महावीर एन्क्लेव की आबादी पांच लाख है; विश्वास नगर की आबादी एक लाख है; भगवान नगर की आबादी एक लाख है। इस तरह के कई क्षेत्र हैं। लोग इन क्षेत्रों में वर्षों से रह रहे हैं। जैसा कि किसी ने कहा, उन्हें बिजली का कनेक्शन, पीने के पानी की सुविधा और अन्य आवश्यक सेवाएं संबंधित नागरिक निकायों और सरकार द्वारा प्रतिदिन उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह चित्र का एक पक्ष है।

तस्वीर का दूसरा पक्ष यह है। कुछ लोग कह रहे हैं: “इन राजनेताओं को क्या हो रहा है? दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली हमारा गौरव है। वे अनधिकृत निर्माण को बढ़ावा देकर और 20 फीट सड़क की अनुमति देकर सुंदरता को नष्ट कर रहे हैं। वे लोगों को आने और जमीन पर कब्जा करने की अनुमति दे रहे हैं और फिर नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। चूँकि वे सभी राजनेता हैं, वे इसे नियमित करने का प्रयास करते हैं। यह

दृष्टिकोण भी मौजूद है। जैसा कि किसी ने सही कहा है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन साथ ही, हम अलग-अलग पार्टियों से हैं और लोगों की सेवा करने के लिए यहां संसद में उपस्थित हैं। हमें व्यापक जनमत के आधार पर आगे बढ़ना होगा। लेकिन साथ ही, सार्वजनिक व्यवस्था और नागरिक अनुशासन के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमें जनता के बीच जागरूकता भी फैलानी होगी और उन्हें साथ लेकर चलना होगा।

जैसा कि श्री दीपेन्द्र जी ने आज सुबह बुलडोजर आदि की बात करते हुए कहा, यह एक भावनात्मक विषय भी है। ऐसे भीषण सर्दी के मौसम में — जब नवंबर का अंत हो चुका हो और दिल्ली में ठंड अपने चरम पर हो — क्या कोई भी सामान्य विवेक रखने वाला व्यक्ति, केवल न्यायालय के आदेश के आधार पर, लोगों को बेदखल करने का प्रयास करेगा? उन्हें न्यायाधिकरण के पास जाकर यह निवेदन करना चाहिए था: "महोदय, अभी नवंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है और दिल्ली में भीषण ठंड पड़ रही है।"

महोदय, कभी-कभी मुझे दिल्ली में रहते हुए अजीब-सा लगता है, विशेष रूप से जब मैं ऐसा वस्त्र पहनता हूं जो मुझे पसंद नहीं है। मैं असहज महसूस करता हूं। हमारी पारंपरिक वेशभूषा जैसे कि कमीज और धोती — में हम, आपकी ही तरह, सहज भी महसूस करते हैं और प्रसन्नता भी होती है। यहां तक कि श्री खड़गे जी भी पारंपरिक वेशभूषा में स्वयं को अधिक प्रसन्न और सहज अनुभव करते होंगे। समस्या यही है — क्या हम स्वास्थ्य को प्रभावित होने देने की अनुमति दे सकते हैं? दिल्ली में कभी-कभी तापमान अचानक बहुत गिर जाता है। ऐसे में यदि कोई जाकर लोगों को हटाकर सड़कों पर ला खड़ा करता है, तो स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया होगी। मैं इस तथ्य को स्वीकार करता हूं। अन्यथा, हमारे चारों ओर केवल झुग्गियां ही झुग्गियां रह जाएंगी; अनधिकृत कॉलोनियां बढ़ती रहेंगी, और फिर हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जहां लोग कहेंगे: “दिल्ली क्या है, नेशनल कैपिटल क्या है, यह देश क्या है? इनके पास कोई न्यूनतम मानक भी नहीं है।"

महोदय, उस दिन मैं स्पेन में था। मैं उड़ान से उतर रहा था। मैंने फ्लाइट से बार्सिलोना शहर देखा। जब मैं उतरने वाला था तो मुझे हर तरफ एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ लेन दिखीं। उन्होंने इसकी योजना बनाई है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने विकास नहीं किया। उन्होंने विकास भी किया है, लेकिन साथ ही साथ

अपनी प्राचीन विरासत, संस्कृति और स्थापत्य कला को भी संरक्षित और सुरक्षित रखा है। उन्होंने अपनी वास्तुकला को सुरक्षित रखते हुए सुधार कार्य किए हैं, और साथ ही आवश्यक परिवर्तन भी किए हैं। हमें इस देश में भी लोगों के बीच वास्तव में जागरूकता पैदा करनी होगी और फिर धीरे-धीरे नियमों और कानूनों को लागू करने का प्रयास करना होगा। इसके लिए समय चाहिए। मैं किसी भी दोषारोपण के खेल में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं है और उससे कोई उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा।

दिल्ली के इस अव्यवस्थित विकास के लिए 'कौन जिम्मेदार है, आपने कितने वर्षों तक शासन किया, हमने कितने वर्षों तक किया' — यह कहने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मुद्दा यह है कि हम वर्तमान वास्तविकता को स्वीकार करें।

श्री तथागत सत्पथी ने पूछा था कि इसमें ऐसी क्या जल्दबाजी है। वे अब यहां उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चुनाव निकट हैं। लेकिन ऐसा नहीं है — यह चुनावों की वजह से नहीं किया जा रहा है। यदि हम 31 जनवरी, 2015 से आगे इसे और विस्तार नहीं देते, तो अगले ही दिन सीलिंग, अतिक्रमण हटाने तथा अवैध और अनियमित कॉलोनियों की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इससे दिल्ली में हाहाकार मच जाएगा और एक गंभीर मानवीय संकट उत्पन्न हो जाएगा।

कुछ माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि लोग दूर-दराज के स्थानों जैसे केरल, तमिलनाडु आदि से यहां आए हैं। इसलिए दिल्ली को एक छोटा भारत कहा जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों से लोग यहां आकर बस रहे हैं। उनके पास आजीविका के पर्याप्त साधन नहीं हैं। प्रारंभ में वे कुछ सरकारी आवासों में रहने का प्रयास करते हैं, और फिर धीरे-धीरे बेहतर आवासीय सुविधाओं की ओर बढ़ते हैं।

महोदय, मीनाक्षी जी बता रही थीं कि उचित उपनिवेशीकरण नहीं हुआ। उस समय निजी क्षेत्र से कोई भी कॉलोनियों के विकास के लिए सक्रिय रूप से सामने नहीं आया, और जो भी सरकार सत्ता में थी, वह भी इस मामले में धीमी गति से कार्य कर रही थी। इसलिए सरकार आवास नहीं दे रही है। पर्याप्त आवास नहीं है। दिल्ली

के साथ-साथ पूरे देश में आवास की कमी है। लेकिन निजी लोग आगे नहीं आए, जिसके परिणामस्वरूप लोग दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में असंगठित रूप से बस गए हैं। यही स्थिति की वास्तविकता है।

ऐसी स्थिति में, इतने आत्मनिरीक्षण, आंतरिक परामर्श के बाद, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि तारीख बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यही पृष्ठभूमि है। मैं सदन के प्रति स्पष्ट और ईमानदार रहना चाहता हूं। मैं यह भी भारी मन से कर रहा हूं। कुछ लोग कल मेरी आलोचना कर सकते हैं, कुछ मेरी प्रशंसा करेंगे; वहीं कुछ कह सकते हैं कि 'इस व्यक्ति के कार्यकाल में इसे तीन वर्ष के लिए बढ़ाया गया और इस अव्यवस्थित स्थिति को जारी रखा गया।'

भले ही आपके पास जादू की छड़ी हो, फिर भी ये सब काम करना आसान नहीं है। मास्टर प्लान को अंतिम रूप देना, अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना, पर्यावरणीय पहलुओं का ध्यान रखना, ये सब करना आसान काम नहीं है। इसके बाद, तीन नगर परिषद हैं। हमारे पास एन.डी.एम.सी है। हमारे पास डी.डी.ए है। हमारे पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड है जिसके बारे में दीपेंद्र हुड्डा जी कह रहे थे कि इसे अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए और इसे प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि उन्हें अब इसका एहसास हो गया है क्योंकि यह बोर्ड समय-समय पर बैठक करता है और कुछ प्रस्ताव पारित करता है, जो राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। इसलिए, यदि किसी मंत्री की अध्यक्षता वाला बोर्ड कोई प्रस्ताव पारित करता है और यदि अन्य लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं या उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए, निश्चित रूप से, बोर्ड को और अधिकार दिए जाने चाहिए, लेकिन ऐसा केवल आसपास के राज्यों - हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित हितधारकों के परामर्श से ही किया जा सकता है। इस मामले में आगे बढ़ने से पहले मुझे सभी को विश्वास में लेना होगा।

महोदय, मेरे पास कितना समय उपलब्ध है? मैं इस मंत्रालय में केवल सात महीने का हूं — उम्र में नहीं, बल्कि सेवा अवधि में। ईमानदारी से कहूं तो मैं भी अभी चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मंत्री, राजनेता तथा सार्वजनिक जीवन के सभी व्यक्ति को निरंतर सीखते रहना चाहिए, केवल कमाने का

प्रयास नहीं करना चाहिए। यही वास्तविक सफलता का मार्ग है। इसलिए, वर्तमान स्थिति में मैं भी सीखने की प्रक्रिया में हूं।

मुझे लगता है कि मीनाक्षीजी ने जगमोहनजी के बारे में भी उल्लेख किया है। वे एक विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके पास एक अलग दृष्टिकोण है, स्पष्टता है। उस युग में भी उनमें वही गतिशीलता थी जिसके कारण वे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने में सक्षम रहे। लेकिन दिल्ली की समस्याओं से निपटना समस्त देश की समस्याओं से निपटने के समान है, यह मैं इस सभा में स्वीकार करता हूं। मैं इसे गहराई से अध्ययन कर रहा हूं।

महोदय, समय की कमी है। मैंने सोचा कि हमें कुछ और समय मिलना चाहिए ताकि हम—मेरे अधिकारी, दिल्ली के सभी सात सांसद और अन्य हितधारक—सभी इन सुझावों और जानकारियों को समुचित रूप से लेकर आगे बढ़ सकें। हमारे माननीय सदस्य हरियाणा से, दीपेन्द्रजी ने कुछ सुझाव दिए; उत्तर प्रदेश के सांसद श्री कंवर सिंह तंवर ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए; और इसके बाद राजस्थान के एक माननीय सदस्य ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अतः हमें इन सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए। श्री दुष्यंत सिंह ने भी कुछ सुझाव दिए थे। हमें इन सभी पहलुओं का समुचित ध्यान रखते हुए मास्टर प्लान को अंतिम रूप देना होगा। यह कार्य इतना सरल नहीं है। चाहे आपके पास बुद्धिमत्ता हो, चाहे आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हों, फिर भी यह कार्य आसान नहीं है।

महोदय, कोई कह रहा था कि क्या फार्म हाउस में ऊंचाई में निर्माण (वर्टिकल कंस्ट्रक्शन) की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन यदि ऐसा किया गया, तो वह फार्म हाउस नहीं रह जाएगा और उसकी सुंदरता भी नष्ट हो जाएगी। पहले से ही कुछ लोगों ने इसका गलत उपयोग किया है और बिना अनुमति के अतिरिक्त निर्माण कर लिया है। यह एक और मुद्दा है। इसलिए, आप कोई भी कार्रवाई करेंगे, तो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होगी। मैं अपने मंत्री सहयोगी डॉ. हर्षवर्धन जी से इस विषय पर चर्चा कर रहा था। हर्षवर्धन जी इस मामले में विपरीत पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बारे में दिल्ली के मध्यम वर्ग और पढ़े-लिखे लोगों की अलग-अलग राय है। लेकिन गरीब लोग, निम्न मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग और वे लोग जो देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं—उनकी सोच

अलग है। इसलिए कहीं न कहीं संतुलन बनाना आवश्यक है। यही वह प्रयास है जो मैं कर रहा हूं। किसी ने मुझसे पूछा, 'क्या आप यह आश्वासन दे सकते हैं कि आप इस विषय में आगे किसी विस्तार के लिए फिर से इस सदन में नहीं आएंगे?' मेरी आशा है कि ऐसा ही होगा। 2017 तक, जहां तक संभव हो, सभी की संतुष्टि के लिए इस मुद्दे को हल करना होगा। मैं आगे विस्तार के लिए इस सभा में दोबारा न आऊं, उस दिशा में जरूर काम करने का प्रयास करूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इतना आश्वासन मैं आपको दे सकता हूं। मुझे यह नहीं पता कि वास्तव में आगे क्या होगा, लेकिन मुझे यह विश्वास है कि विभिन्न पक्षों के माननीय सदस्यों के सहयोग से हम इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे।

लेकिन मास्टर प्लान को 2015 तक पूरा करना होगा। मास्टर प्लान पूरा होने के लिए आप 2017 तक इंतजार नहीं कर सकते। मास्टर प्लान को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना है। एक बार मास्टर प्लान को अंतिम रूप दे दिया जाए तो हमें कार्यान्वयन के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

जहां तक काले धन के सृजन से जुड़े विषय का प्रश्न है, यह एक अलग मुद्दा है। बात यह है कि जैसे ही आप नियमितीकरण की अनुमति देते हैं और लोगों को अपनी संपत्तियां खरीदने या बेचने की छूट देते हैं, कुछ लेन-देन तो अवश्य होंगे। उन लेन-देन में निश्चित रूप से धन का हस्तांतरण भी होगा। ऐसा होने पर, कुछ धन दिल्ली शहर के विकास के लिए आना चाहिए। वह धन सफेद होना चाहिए। तो, इसे कैसे सुनिश्चित किया जाए? यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर हमें वास्तव में ध्यान देना होगा।

महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए क्योंकि यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि इस फैसले से 25-30 लाख लोग प्रभावित होंगे। मैं उनसे सहमत हूं। इसलिए सरकार ने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया है।

फिर, दिल्ली के इतिहास के संदर्भ में, मुझे खुशी है कि दीपेन्द्र जी ने दिल्ली की पृष्ठभूमि को याद दिलाया। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की जगह इसे इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर कहा जाना चाहिए था। ऐसा कोई ऐतिहासिक नाम इस शहर के लिए अधिक उपयुक्त होता। मैं कुछ प्रस्तावित नहीं कर रहा हूँ, चिंता न करें।

कल फिर आप कहेंगे कि हम स्थगन प्रस्ताव चाहते हैं। वैंकैय्या नायडू जी इसका नाम बदलना चाहते हैं। यह बात तो है। हमें हमेशा अपने पूर्वजों, अपनी विरासत और संस्कृति पर गर्व महसूस करना चाहिए, जैसा कि उन्होंने सही कहा था टोक्यो के बाद दिल्ली बड़ा शहर है। शंघाई और अन्य सभी शहर इसके बाद आते हैं। यदि ऐसा है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि दिल्ली की अनूठी पहचान और उसकी सुंदरता यथासंभव बनाए रखी जाए। इसलिए, हम निश्चित रूप से उस दिशा में प्रयास करेंगे।

समयबद्ध नियमितीकरण का भी सुझाव दिया गया है। माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि हमें दिल्ली को अलग-थलग करके नहीं देखना चाहिए। हां, हमें पूरे एन.सी.आर. क्षेत्र के लिए एक व्यापक योजना बनानी चाहिए। मैं हमारे माननीय सदस्यों से सहमत हूं। मास्टर प्लान को अंतिम रूप देते समय मैं इसे ध्यान में रखूंगा। फिर, एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड को और अधिक अधिकार देने के संबंध में, मैं उस सुझाव का स्वागत करता हूं। मैं इसे भी ध्यान में रखूंगा।

फिर, महोदया मरागथम जी के सुझाव और उन्होंने जो कहा, उसके संबंध में, हालांकि यह सीधे तौर पर विधेयक से जुड़ा नहीं है, यह एक वास्तविकता है। बहुत सारे लोग, जो देश के अन्य हिस्सों से आए हैं, उनके पास आधार कार्ड नहीं है; उनके पास राशन कार्ड नहीं है; और उनके पास यहां कोई दूसरा साधन नहीं है। उनकी देखभाल के लिए एक विशेष अभियान चलाना आवश्यक है क्योंकि मैं जानता हूं कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर-पूर्व से आए लोगों के पास यहां कोई भरोसेमंद नहीं होता। इसलिए, निश्चय ही उन लोगों को प्रशासन की ओर से सहारा दिया जाना चाहिए। मैंने पहले ही अपने मंत्रालय को निर्देश दिया है कि दूर-दराज के इलाकों से आए लोगों को विशेष सुविधाएं दी जाएं।

फिर, उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं, सांस्कृतिक आकांक्षाओं और अन्य जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। इसी कारण से सरकार तमिल एजुकेशन सोसाइटी, बंगाल एजुकेशन सोसाइटी तथा तेलुगु एजुकेशन सोसाइटी को कई स्कूल प्रदान करने में उदार रही है। हाल ही में कन्नड़ समुदाय के प्रतिनिधि भी मुझसे मिलने आए थे। इस संदर्भ में, मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि हमें विभिन्न क्षेत्रों के नायकों का

सम्मान करना आवश्यक है। इसलिए, मैं सदन को विश्वास में लेकर कहता हूं कि हाल ही में मैंने सुझाव दिया था कि कर्नाटक भवन के निकट मेट्रो स्टेशन का नाम सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया मेट्रो रेलवे स्टेशन रखा जाना चाहिए। यह सुझाव दिया गया था और इसे स्वीकार कर लिया गया है।

फिर, एक और मामला है श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख जी का, जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं। खड़गे जी इसे बेहतर जानते होंगे। श्रीमती देशमुख पहली वित्त मंत्री की पत्नी थीं और साथ ही एक महिला सुधारक भी थीं।

एक मेट्रो रेलवे स्टेशन का नाम उनके नाम पर रखा जाने वाला है। ये सब छोटी-छोटी बातें हैं। लेकिन इससे वास्तव में एक संदेश जाएगा कि दिल्ली सभी का ख्याल रखती है और फिर उन सभी राष्ट्रीय नायकों को याद करती है, जिन्होंने सामाजिक सुधारों, स्वतंत्रता आंदोलन या देश में अन्य गतिविधियों के लिए अपना योगदान दिया है।

फिर, दिल्ली में 1200 से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं। अवैध कॉलोनियों के संबंध में आप क्या कार्रवाई करेंगे, यह एक अलग मुद्दा है। मैं सदन को विश्वास में लेकर कहना चाहता हूं कि जो भी मामला मेरी नजर में है, वह कोई राज नहीं है। मेरी उपराज्यपाल से पहले ही चर्चा हो चुकी है। मैंने मुख्य सचिव से चर्चा की। मैंने दिल्ली सरकार की विभिन्न एजेंसियों से चर्चा की। मैंने अपने मंत्री और फिर छह संसद सदस्यों के साथ भी चर्चा की। मैंने अन्य लोगों से भी चर्चा की। मैं विधि विभाग और विधायी विभाग के संपर्क में हूं। सरकार उन कॉलोनियों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जहां गरीब लोग वर्षों से रह रहे हैं। यह भी सही नहीं है। अंतिम रूपरेखा संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अपनाए जाने और स्वीकार किए जाने के बाद ही अंतिम विवरण दिया जा सकता है। कुछ चीजें दिल्ली सरकार को करनी हैं। कुछ चीजें केंद्र सरकार को करनी होंगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसे हमारे माननीय सदस्यों के साथ साझा करना चाहता हूं।

प्रो. सौगत राय ने कहा कि दिल्ली में असंतुलित विकास हो रहा है। मैं उनसे सहमत **हूं।** डी.डी.ए. और एल एंड डी.ओ. के संदर्भ में उनके लिए एक मार्गदर्शन केंद्र होना आवश्यक है। यदि दो अलग-अलग एजेंसियां

होंगी तो निश्चित रूप से कुछ व्यावहारिक समस्या होगी। मैं इस पर माननीय प्रधान मंत्री और अपने सहयोगियों के साथ चर्चा करूंगा और जल्द से जल्द समाधान निकालने का प्रयास करूंगा।

कई लोगों ने मुझे अनधिकृत कॉलोनियों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का सुझाव दिया है। मैंने आपसे कहा है कि हम जल्द से जल्द अंतिम निर्णय लेने जा रहे हैं। जे.जे. कॉलोनियों की भूमि के मूल्यांकन और काले धन की रोकथाम के विषय में मैंने पहले ही कहा है कि यह भी हमारी प्राथमिकता में रहेगा।

[हिन्दी]

कुछ लोगों ने कहा है कि यह समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, बल्कि पूरे देश की है। मगर केन्द्र सरकार देश में अलग-अलग शहरों के लिए कानून नहीं बना सकती है। दिल्ली यूनियन टेरिटोरी और देश की राजधानी भी है। इसलिए हम इनिश्यटिव लेकर कानून बना रहे हैं। बाकी इलाकों में वहां की प्रदेश सरकारें वहां के रेगुलेशन के बारे में ध्यान देकर काम करें। [अनुवाद] शहरी विकास राज्य का विषय है। हम केवल व्यापक दिशानिर्देश और व्यापक मॉडल देंगे। लेकिन अंतिम निर्णय शहरी स्थानीय निकायों और राज्य सरकार को लेना है। विधायी कार्य राज्य सरकार का कार्य है और अन्य नियमावली स्थानीय निकायों द्वारा बनाई जाती है।

किसी माननीय सदस्य ने कहा कि अगर सरकार गरीबों को बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पा रही है तो क्या होगा? हमारा प्रयास है कि गरीब लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलें। इस देश के गरीबों का जमीन पर भी, संसाधनों पर भी प्राथमिक अधिकार है। यह बहुत स्पष्ट है। वे हमारे भाई हैं। उनकी जाति, पंथ, लिंग, धर्म और क्षेत्र के बावजूद, वे हमारे लोग हैं।

कुछ सदस्य मूलभूत सुविधाओं, विशेष रूप से सार्वजनिक परिवहन के बारे में चर्चा करते हैं। कल हमने इस विषय पर भी चर्चा की थी। दिल्ली में 80 लाख से अधिक वाहन हैं। आप लगातार वाहनों की संख्या नहीं बढ़ा सकते। समस्या यह है कि वाहनों की संख्या बढ़ाना एक तरह की प्रतिष्ठा का विषय भी बन गया है। कुछ परिवारों में प्रत्येक सदस्य के लिए एक-एक कार होती है। अगर उनके पास धन है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बात केवल धन की नहीं है, बल्कि यह दिल्ली की सड़कों पर बढ़ती भीड़भाड़ की समस्या है, जिससे आम

जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह एक बड़ा मुद्दा है। यह स्वीकार्य नहीं है। इसलिए, हमारे पास एम.आर.टी.एस., बी.आर.टी.एस और मेट्रो रेल पर भी एक व्यापक परिवहन नीति होनी चाहिए। मेट्रो रेल समय की मांग है। लेकिन यह लागत निषेधात्मक भी है। बी.आर.टी. के संबंध में हमें पहले कुछ मिश्रित अनुभव थे। लेकिन, साथ ही, कुछ अच्छे उदाहरण भी हैं। मुझे अहमदाबाद और जयपुर के बारे में बताया गया है। कुछ लोग इनडोर सिस्टम के बारे में भी बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वे वास्तव में किस बारे में बात कर रहे हैं। हमें उनका अनुभव भी लेना है क्योंकि यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए है। आगे बढ़ने से पहले मैं उन अनुभवों का अध्ययन करूंगा और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा।

सभी ने, विशेष रूप से, दिल्ली के सदस्य और दिल्ली से जुड़े लोग, जैसे श्री भगवंत मान और अन्य, कह रहे हैं कि इस कट-ऑफ तारीख को बढ़ाना चाहिए। पिछले दो दिनों से मैं कट-ऑफ तिथि बढ़ाने के संबंध में विचार-विमर्श और चर्चा कर रहा हूं। फिलहाल, अंतिम तिथि 2007 है। जैसा कि मैं पहले चर्चा कर रहा था कि वास्तविकता क्या है? क्या आप उन लोगों को हटा सकते हैं जो 2007 के बाद वहां बसे हैं और जो 2014 तक वहां रह रहे थे? मूल विधेयक में यह 2007 है। अत: उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं भी एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं। दिल्ली के सात सदस्यों ने कट-ऑफ तिथि को फरवरी या मार्च 2007 से बढ़ाकर 2014 के अंत तक करने के लिए संशोधन पेश करने के लिए नोटिस दिया है, लेकिन मैं सभा के सदस्यों के सामूहिक विवेक के अनुसार चलने को तैयार हूं और चाहता हूं कि इसे 1 जून 2014 तक बढ़ाया जाए।

एक अन्य मुद्दा उठाया गया है कि यह राजधानी सबसे अधिक हरित क्षेत्र वाली होनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, तो इसका क्या परिणाम होगा? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका मेरे पास तत्काल उत्तर उपलब्ध नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न का मेरे पास त्वरित उत्तर नहीं है। कुछ समय पहले मैंने मेट्रो से यात्रा करने की आदत विकसित की है, और जब भी मैं बाहर से आता हूँ, मेट्रो पकड़कर सुखद यात्रा करता हूं। मेरे घर तक पहुँचने में 18 मिनट लगते हैं, और शुरू में जहां ट्रेन आती है वहां बहुत हरियाली है, जिसे देखकर खुशी होती है। सब कुछ हरा-भरा नजर आता है। लेकिन जैसे ही आप उस हरियाली से आगे बढ़ते

हैं और दूसरे इलाके में पहुँचते हैं—क्योंकि ट्रेन चलती रहती है—तो आप देखेंगे कि वहां क्या स्थिति है। यह बहुत दुखद स्थिति है। लेकिन उस समय के योजनाकार और नियम बनाने वाले इसे रोक नहीं पाए, शायद इसके कुछ अच्छे कारण भी थे। अब यह एक वास्तविकता बन गई है और इसीलिए इस विस्तार को स्वीकार किया जा रहा है। अन्यथा, श्री दुष्यन्त, जो एक युवा हैं और विदेश में शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, भारत की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे थे। हमें इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए इसका उचित समाधान करने का प्रयास करना चाहिए।

लेकिन हमें धीरे-धीरे एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए, और मेरे मन में तीन बातें हैं जिन्हें दिल्ली के सभी लोग आगामी दिनों में अपनाएं—पहला, वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए; दूसरा, सौर ऊर्जा आधारित प्रकाश व्यवस्था को अनिवार्य किया जाना चाहिए; तीसरा, एलईडी लाइटिंग को अनिवार्य किया जाना चाहिए; साथ ही पेड़ लगाना, उनका पालन-पोषण करना और उनका समर्थन करना भी हमारे अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। यह अभियान तभी सफल होगा जब यह लोगों का अभियान बनेगा और दूसरा, यह नगर निगम अधिकारियों द्वारा शहरी योजना अनुमोदन का हिस्सा होना चाहिए।

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री महोदया जयललिता ने कुछ समय पहले वर्षा जल संचयन को अनिवार्य कर दिया था। मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूं क्योंकि मैं अक्सर उस तरफ जाता हूं। मेरी बेटी भी वहीं रहती है। तो, मुझे अनुभव है। वर्षा जल संचयन ने चेन्नई को अत्यधिक लाभ पहुँचाया है, जो पहले जल संकट से जूझ रहा था। अन्य राज्यों में भी वर्षा जल संचयन के सफल उदाहरण देखने को मिले हैं। गुजरात में वॉटरशेड आंदोलन ने जनमानस को प्रभावित किया है, और महाराष्ट्र में—यहां तक कि पिछली कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में भी—आवासीय परियोजनाओं के माध्यम से इस दिशा में सराहनीय प्रयास किए गए हैं। महाराष्ट्र और गुजरात की आवासीय परियोजनाओं के उदाहरण हैं। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन इससे पहले वहां लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा है। ये कुछ प्रेरणादायक उदाहरण हैं, जिनसे हम सीख लेकर अपने-अपने क्षेत्रों में इन्हें लागू करने का प्रयास कर सकते हैं। ... (*व्यवधान*)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): आपने केरल का उदाहरण नहीं दिया।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: केरल को 'भगवान का अपना देश' कहा जाता है। मैं केरल के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि वे प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि अगर आप केरल जाएँ, तो वहां की खूबसूरती की कोई तुलना नहीं है—एक तरफ हरियाली है और दूसरी तरफ पानी। और जब भी वर्षा की अपेक्षा होती है, आमतौर पर शाम तक वर्षा हो जाती है।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): आपको वहां आना चाहिए और रहना चाहिए।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : आपके इडुक्की जंगल में?

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: लेकिन आपकी पार्टी वहां नहीं है।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: आप भी मेरी पार्टी की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

ऑनलाइन प्रक्रिया को लेकर एक सार्थक सुझाव दिया गया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमें मानव हस्तक्षेप को यथासंभव कम करने का प्रयास करना चाहिए और आवेदन, स्वीकृति तथा नवीनीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाने का प्रयास करना चाहिए। जहां तक जानकारी का संबंध है, प्रत्येक व्यक्ति को उस जानकारी तक पहुंचने की स्थिति में होना चाहिए; इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; उसका आवेदन कहां है; और इसे मंजूरी दी गई है या नहीं। इससे वास्तव में अधिकतम संभव सीमा तक भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। मैं यह दावा नहीं करता कि इसे पूर्णतः समाप्त किया जा सकेगा, क्योंकि जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, इस देश में बुद्धिमत्ता की कोई कमी नहीं है। यदि आप कोई योजना प्रस्तुत करते हैं, तो वे अगले दिन प्रबल उत्तर के साथ सामने आएंगे। यही स्थिति है। साथ ही, मैं इस सुझाव से पूरी तरह सहमत हूं। मैंने इसे सी.पी.डब्ल्यू.डी. में लागू करना शुरू कर दिया है। सी.पी.डब्ल्यू.डी. के 2,500 से अधिक कार्यों का विवरण अब ऑनलाइन कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति साइट पर जाकर यह पता लगा सकता है कि यह किस स्तर पर है, देरी क्यों हो रही है, निर्धारित समय क्या है और पूरा होने का निर्धारित समय क्या है, आदि। कोई भी व्यक्ति इन विवरणों को साइट पर देख

सकता है। मैंने अधिकारियों से कहा है कि छह महीने के भीतर सी.पी.डब्ल्यू.डी. की सारी गतिविधियां ऑनलाइन हो जानी चाहिए। मैं जानता हूं कि सी.पी.डब्ल्यू.डी. के बारे में लोगों की क्या धारणा है। इसे ध्यान में रखते हुए हम सिस्टम को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं।

माननीय सदस्यों ने समग्र मास्टर प्लान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड के सुदृढ़ीकरण, अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण तथा निर्वाचित सरकारों के साथ परामर्श के संबंध में सुझाव दिए हैं। हालांकि, मैं इन सभी विषयों पर तत्काल कार्यवाही इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं दिल्ली में एक निर्वाचित सरकार को स्थापित देखना चाहता हूं। अंततः, वे जनता का बेहतर प्रतिनिधित्व करते हैं। वे दिल्ली की गहराईयों को समझते हैं और उनके पास पूर्ण ज्ञान है। दिल्ली के विधायी सभा के सदस्य एवं निर्वाचित मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री पूर्ण समझ रखते हैं और वे स्थानीय स्थिति को केन्द्र सरकार से बेहतर जानते हैं, हालांकि वर्तमान में निर्वाचित सरकार न होने के कारण केन्द्र सरकार भी राज्य की देखरेख कर सकती है; उपराज्यपाल भी भारत सरकार के साथ समन्वय में कार्य करते हैं।

सभी मानचित्रों का डिजिटलीकरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैंने पहले ही सभी नक्शों को डिजिटलाइज करने और उन्हें ऑनलाइन करने का निर्देश दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे अधिकारी इसे जल्द से जल्द पूरा करने में सक्षम होंगे। तीन एम.सी.डी. पहले ही कह चुके हैं कि वे अग्रिम चरण में हैं। डी.डी.ए. और एन.डी.एम.सी. को भी 1 जनवरी 2015 तक ऐसा करने का निर्देश दिया गया है। मैंने डी.डी.ए. से कहा कि सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए। डीडीए को पुनः एक बोझिल संस्था माना जाता है, जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है। फिर भी, मेरा उद्देश्य डीडीए को जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने योग्य बनाना है। इसलिए मैंने उन्हें इस दिशा में पहल करने का निर्देश दिया है।

मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। कुछ समय पूर्व, दिल्ली के एक प्रमुख समाचार पत्र, जिसका नाम लेने में मुझे कोई संकोच नहीं है—*'द हिंदुस्तान टाइम्स'*—ने विभिन्न सार्थक व्यक्तियों के बीच एक चर्चा का आयोजन किया था, जिसमें कई पेशेवर शामिल हुए थे। उन्होंने कुछ सुझाव दिये।

उन सुझावों पर मैंने विचार-विमर्श किया और अब मैंने अपनी शहरी विकास सचिव, श्री शंकर अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं क्योंकि दिल्ली का विकास राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, पर्यावरण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, दिल्ली सरकार और डीडीए से जुड़ा हुआ है। इन सभी विभागों की भागीदारी आवश्यक है। इसलिए, हमने एक समिति नियुक्त की है और उस समिति ने कई बैठकें कीं। उन्होंने अब दिल्ली में भीड़ कम करने के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो ऑनलाइन भी उपलब्ध है। मैं सभी सदस्यों और आम जनता से अनुरोध करता हूं कि कृपया इसे ऑनलाइन देखें और यदि दिल्ली में भीड़ कम करने के संबंध में आपके कोई सुझाव हों, तो कृपया उन्हें प्रस्तुत करने में संकोच न करें। सुझाव प्राप्त होने के बाद, सरकार भीड़ कम करने की योजना को अंतिम रूप देगी। मैं अन्य सहयोगी मंत्रियों के साथ भी एक बैठक करने की योजना बना रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, “फाइलों पर एक-दूसरे से बात करने के बजाय, व्यक्ति परस्पर मिलकर संवाद करें।” इसलिए, मैं अपने सहयोगी मंत्रियों की एक बैठक बुलाऊंगा और फिर हम दिल्ली में भीड़ कम करने की योजना को अंतिम रूप देने में सक्षम होंगे। इस संबंध में, मैं हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से भी सलाह लूंगा, क्योंकि संबंधित क्षेत्र उनकी क्षेत्राधिकार में आते हैं और ये क्षेत्र दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हम कार्य करेंगे।

यदि सभा सहमत हो तो बाद में मैं संशोधन प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

खंड 2 से 4 **विधेयक का पूरा नाम, प्रस्तावना और खंड 1 का संशोधन**

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 5 **धारा 3 का संशोधन**

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 2, पंक्ति 5 *के पश्चात्, अंतःस्थापित करें-*

"(क) उपधारा (1) में, खंड (ग) में, "फरवरी, 2007 के 8वें दिन तक" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "जून, 2014 के 1 दिन तक" शब्दों, अंकों और अक्षरों को प्रतिस्थापित करें;

(कक) उपधारा (2) में, खंड (2) में, "फरवरी, 2007 के 8वें दिन तक" (1) शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "जून, 2014 के 1 दिन तक" शब्दों, अंकों और अक्षरों को प्रतिस्थापित करें;

पृष्ठ 2, पंक्ति 6, "(क)" के स्थान पर *"(ककक)"* प्रतिस्थापित (2)

करें

(श्री एम. वैंकैय्या नायडू)

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र ओर विधेयक का पूरा नाम अधिनियम में जोड़ दिए गए*।*

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रुप में, पारित किया जाए।"

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रुप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: मैं पूरी सभा को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं।

<u>अपराह्न 4.48 बजे</u>

कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: सदन अब कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार करेगा। माननीय मंत्री जी।

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, मैं एक संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहूंगा। 2013 में हमारे पास एक नया कंपनी कानून था। मूल कंपनी अधिनियम में 600 से अधिक प्रावधान थे। इस पर दोबारा काम किया गया और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद 470 धाराओं वाला कानून बनाया गया। अधिकांश प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। अब, प्रावधान लागू होने के बाद, प्रावधान लागू करते समय, हमने पाया कि मसौदा तैयार करते समय कुछ प्रावधानों को लागू करने में कुछ कठिनाइयां थीं या कुछ त्रुटियां थीं।

अब, हमने एक खुली सभा आयोजित की थी जहां उद्योगों, चैंबरों, व्यापारिक संगठनों, पेशेवर संगठनों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, विधि विशेषज्ञों और अन्य लोगों ने अपने ज्ञापन प्रस्तुत किए थे और अपनी प्रस्तुतियां दी थीं। अनेक परिवर्तनों का सुझाव दिया गया। कुछ प्रावधानों को केवल नियम बनाकर ही सुधारा जा सकता है। कुछ को सूचनाओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। लेकिन, विस्तृत विचार के बाद, कुछ छोटे संशोधन थे जिनकी मूल अधिनियम में आवश्यकता थी। उनमें से अधिकांश का उद्देश्य एक ही है, वह है व्यवसाय करने में सुगमता लाना। कुछ मामलों में ऐसे प्रावधानों की अनदेखी हुई थी जिन्हें संशोधित किया जाना आवश्यक था। विधेयक में सुधार करते हुए विधि मंत्रालय की सलाह थी कि इन परिवर्तनों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अतः, इस कारण कुछ अपरिहार्य परिणामी संशोधन आवश्यक हो गए हैं।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इन पर विचार किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री एम. वीरप्पा मोइली (चिक्कबल्लापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 2014 के कंपनी (संशोधन) विधेयक पर बोलने का यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ।

अपराह्न 4.49 बजे (श्री प्रह्लाद जोशी *पीठासीन हुए*)

हालांकि यह विधेयक तकनीकी और गैर-हानिकारक प्रतीत होता है, लेकिन इसके गहन अध्ययन से पता चलता है कि इसमें कुछ ऐसे प्रावधान सम्मिलित हैं जो शेयरधारकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का ह्रास कर सकते हैं तथा शासन में पारदर्शिता के सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य कर सकते हैं। अतः मैंने यह उचित समझा कि इस विशेष विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत करूँ। पूर्व विधि मंत्री के रूप में, वास्तव में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से एक विधेयक आया था जो केवल पुराने कंपनी अधिनियम में संशोधन के रूप में था।

मैंने यह उचित समझा कि कंपनी कानून की संपूर्ण अवधारणा को समग्र दृष्टिकोण के साथ देखा जाना चाहिए। जब मैं कानून मंत्री था, तब हमने इसे एक व्यापक विधेयक के रूप में पुनः प्रारूपित कराया। आप सभी भली-भांति जानते हैं कि इसमें व्यापक विचार-विमर्श और परिश्रम किया गया था। इसमें कॉर्पोरेट संस्थाओं को भी सम्मिलित किया गया था। एफ.के. ईरानी जैसे सर्वोत्तम विशेषज्ञों से इन विषयों की निगरानी कराने का आग्रह किया गया। कॉर्पोरेट जगत, उद्योग, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तथा विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्वों की सहभागिता के साथ अनेक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। मेरी स्मृति में ऐसा कोई अन्य विधेयक नहीं है जो इस प्रकार की व्यापक और गहन प्रक्रिया से होकर गुज़रा हो, जिसमें प्रत्येक प्रावधान पर सूक्ष्म स्तर तक विचार-विमर्श किया गया हो और व्यापक परामर्श की प्रक्रिया अपनाई गई हो।

इसलिए, इस विधेयक पर मेरी सामान्य टिप्पणी यह है कि चूंकि इस पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ है और इसे एक समग्र दृष्टिकोण के साथ एक व्यापक विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, अतः इसके प्रावधानों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी होगी। मैं यह भली-भांति समझता हूं कि

माननीय मंत्री ने इस विधेयक को जिस भावना से प्रस्तुत किया है, वह सराहनीय है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर उन्हें पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।

मंत्री महोदय ने अधिनियम के अनेक प्रावधानों में संशोधन प्रस्तुत किए हैं। वास्तव में, प्रस्तुत किए गए कई संशोधनों का अपना विशिष्ट महत्व है। मैं सहमत हूं कि धारा 8 हानिकारक नहीं हो सकती, लेकिन जहां तक धारा 10 का प्रश्न है, उसके कार्यान्वयन में गंभीर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।

यहां कहा गया है कि तीसरे प्रावधान के पश्चात् निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाएगा, अर्थात्, "बशर्ते यह भी कि कोई भी कंपनी तब तक लाभांश की घोषणा नहीं करेगी जब तक कि पिछले घाटे और मूल्यह्रास को पिछले वर्ष या वर्षों में प्रदान नहीं किया जाता है, जो कि चालू वर्ष के लिए कंपनी के लाभ के खिलाफ सेट नहीं किया जाता है"। मुझे लगता है कि यह पारदर्शिता के सिद्धांत के विरुद्ध हो सकता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने कई धाराएं तैयार की हैं ताकि धोखाधड़ी न हो सके। मेरा मानना है कि यह प्रावधान संभावित रूप से धोखाधड़ी के मामलों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है और ऐसी देनदारियों को उत्पन्न कर सकता है, जिन्हें इस विधेयक में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए था। किसी प्रावधान को पुनः खोलने की अनुमति देना अनुचित प्रतीत होता है। इस संदर्भ में हमारी गंभीर आपत्ति है। इसके अलावा, मैं यह कहना चाहूंगा कि मूल अधिनियम की धारा 185 में खंड 15 के संबंध में भी, उपधारा 7 में, खंड के बाद के प्रावधान में निम्नलिखित खंड और प्रावधान शामिल किए जाएंगे, अर्थात्, "किसी होल्डिंग कंपनी द्वारा दिया गया कोई भी ऋण इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, या इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को दिए गए किसी भी ऋण के संबंध में होल्डिंग कंपनी द्वारा दी गई कोई गारंटी या सुरक्षा, बशर्ते कि खंड ग और घ के तहत दिए गए ऋण का उपयोग सहायक कंपनी द्वारा अपनी प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जाता है।" यह प्रावधान न केवल अत्यंत खतरनाक है, बल्कि यह पारदर्शिता संबंधी कानूनों और सुशासन के मूल सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए भी आमंत्रण प्रस्तुत करता है।

हमारे कई मित्र दृढ़ता से महसूस करते हैं कि चूंकि कंपनी (संशोधन) विधेयक पूरे देश में सभी हितधारकों के साथ एक दशक के परामर्श के बाद लाया गया है, इसलिए हमें किसी भी विसंगति से बचने या इनमें से किसी भी समस्या से बचने की कोशिश करनी चाहिए, जिस पर हम आज विचार नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि माननीय मंत्री के लिए आदर्श बात यह होगी कि वे इसे स्थायी समिति को सौंपने के लिए सहमत हों क्योंकि समिति में विभिन्न चर्चा और परामर्श आयोजित किए जा सकते हैं। इससे पहले दो बार यह स्थायी समिति में जा चुका है। मेरा मानना है कि इसे स्थायी समिति के पास भेजना सुरक्षित है ताकि इस संशोधन को लाने से पहले इसकी पूरी तरह से दोबारा जांच की जा सके। समाचार पत्रों में खबर छपी थी कि सरकार कंपनी अधिनियम के जटिल प्रावधानों को दूर करने की तैयारी में है। मुझे अपेक्षा थी कि इसमें अनेक महत्वपूर्ण विषयों को सम्मिलित किया गया होगा, लेकिन वर्तमान में आप कुछ सीमित विषयों तक ही सीमित रह गए हैं। मुझे लगता है कि जब आप इन संशोधनों पर विचार कर रहे हैं, तब भी शायद आप चाहते हैं कि इसे एक बार में नहीं बल्कि किस्तों में लाया जाना चाहिए। अतः यह अनुमान किया जा सकता है कि आगामी सत्र में संशोधनों का एक और क्रम प्रस्तावित किया जाएगा।

मैं विशेष रूप से 'व्यवसाय करने में सुगमता' के संदर्भ में कुछ संशोधनों की अपेक्षा कर रहा था। इस उद्देश्य से हमने श्री दामोदरन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। वे सेबी के अध्यक्ष रह चुके हैं। यह एक विशेषज्ञ समिति थी। समिति ने 'व्यवसाय में सुगमता' के उद्देश्य से अनेक महत्त्वपूर्ण सिफ़ारिशें प्रस्तुत की थीं, जिन पर गहन और गंभीर विचार अपेक्षित था। यदि उस रिपोर्ट का समुचित अध्ययन कर, उसके आधार पर कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए होते, तो यह विधायी प्रक्रिया को एक सकारात्मक और प्रगतिशील दिशा प्रदान करता। व्यवसाय संचालन के दौरान अनेक कठिनाइयाँ एवं अवरोध उत्पन्न होते हैं। यदि उन विषयों से संबंधित संशोधन भी प्रस्तावित किए गए होते, तो हम उनका स्वागत करते। लेकिन मैं वास्तव में यह मानता हूं कि व्यवसाय में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा वैश्विक व्यापार सूचकांक में भारत की रैंकिंग को सुधारने हेतु इस प्रकार के सारगर्भित संशोधनों पर विचार किया जाना उपयुक्त होगा।

यह कदम हमें समस्त विश्व एवं निवेशकों के समक्ष यह दर्शाने में सहायक होगा कि हम देश के भीतर और बाहर, दोनों ही स्तरों पर, निवेशकों के अनुकूल वातावरण बनाने हेतु आवश्यक संशोधन लाने के प्रति वास्तव में प्रतिबद्ध हैं।

मुझे यह अवश्य कहना चाहिए कि वर्तमान में हमारा देश अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। मुझे बताया गया कि माननीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में अमेरिकी अर्थशास्त्रियों के एक समूह के साथ बैठक की थी। उस बैठक में, उन्होंने स्पष्ट रूप से यह व्यक्त किया कि प्रारंभिक छह महीने विकास के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने के थे, जबकि आगामी कुछ महीने महत्वपूर्ण सुधारों एवं नीतिगत परिवर्तनों को लागू करने के होंगे। मेरी समझ से, विशेषकर कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए, वे देश के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन इन छह महीनों में केवल यह कहा गया है कि अनुकूल वातावरण बनाया जाएगा। मुझे आशंका है कि आपको इसके लिए और सात महीने लग सकते हैं। यह एक निराशा है। शायद आपको कुछ महत्वपूर्ण सुधारों को शुरू करने के लिए आगामी सात महीनों की बजाय सात महीने और आवश्यक हो सकते हैं। लेकिन अब तक जो 'अनुकूल वातावरण' कहा जा रहा है, वह निर्मित नहीं हुआ है।

<u>अपराह्न 5.00 बजे</u>

हमें यही करने की जरूरत है। … (*व्यवधान*)

श्री एम. वीरप्पा मोइली : क्या मेरा समय समाप्त हो गया है?

माननीय सभापति : हां। कुल मिलाकर, आपकी पार्टी को 10 मिनट मिले हैं। आपकी पार्टी से एक और वक्ता भी हैं।

श्री एम. वीरप्पा मोइली : मुझे बैठने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं कुछ देर बोल सकता हूं।

माननीय सभापति: माननीय अध्यक्ष जी ने जो भी निदेश दिया है, मुझे उसके अनुसार कार्य करना है।

श्री एम. वीरप्पा मोइली: अगर आप घंटी बजाएंगे, तो वह आखिरी आदेश होगा और मैं तुरंत बैठ जाऊंगा। लेकिन घंटी बजाने से पहले कोई संकेत मिल जाता तो बेहतर होता। आम तौर पर ऐसा होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता कि हम किस तरह की प्रक्रिया अपना रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।

माननीय सभापति: यदि आप समाप्त करना चाहते हैं, तो आप समाप्त कर सकते हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष ने जो भी निर्णय लिया है, मैंने अभी बता दिया है। यह मेरा निर्णय नहीं है। जो भी निर्णय लिया गया है, मैं सूचित कर रहा हूं।

मैं आपको समझाता हूं।

श्री एम. वीरप्पा मोइली: नहीं, मुझे किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है। आप पर मुझे कोई स्पष्टीकरण प्रदान करने का दायित्व नहीं है। यदि आप सूचित करें कि निर्धारित समय समाप्त हो चुका है, तो मैं तत्काल बैठ जाऊंगा। समयावधि बढ़ाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: वे हमारे दल के प्रथम वक्ता हैं। इसके अतिरिक्त, यह एक विधेयक है, जिस पर वे एक पूर्व विधि मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं। सम्मानीय मंत्री भी इससे सहमत हैं। मुझे विश्वास है कि इस पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

माननीय सभापति: मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। यहां जो भी लिखा है, मैं उसी के अनुसार चल रहा हूं।

अब, उन्हें जारी रखने दो।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : शून्यकाल में भी हमने देखा है कि कई माननीय सदस्यों को अनुमति दी जा रही है।

माननीय सभापति: उन्हें जारी रखने दीजिए।

श्री एम. वीरप्पा मोइली : बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता था कि यह केवल दस मिनट का समय था। मुझे लगा कि अभी पर्याप्त समय है।

अतः हम निःसंदेह महत्वपूर्ण घोषणाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं इन विषयों को विस्तृत रूप से दोहराने का इच्छुक नहीं हूं क्योंकि ये बातें सम्मानित सदस्य के ज्ञात होंगी। अतः मैं सदन का समय उन प्रमुख पहलों को पुनः प्रस्तुत कर व्यर्थ करना उचित नहीं समझता।

लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। सम्मानित प्रधान मंत्री द्वारा निश्चित रूप से स्पष्ट और सशक्त संदेश दिए गए हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि उनके बाद कमजोर संकेत प्राप्त हुए हैं। वास्तव में, मुझे यह कहना होगा कि वर्तमान में लोगों का मनोबल अत्यंत निम्नतम स्तर पर है। व्यापार घाटा इतना बढ़ गया है, जो 18 महीने का उच्चतम स्तर है। भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के संकट का सामना कर रही है – यह एक गंभीर संकेत है। इससे कंपनियों की मूल्य निर्धारण क्षमता कम हो गई है, जिसके कारण उनके लाभ घटे हैं और उन्हें कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ रही है। नतीजतन, रोजगार के अवसर खो रहे हैं।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष श्री प्रणब सेन के अनुसार — मैं यह स्वयं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यह उनकी प्रमाणित बात है — मुद्रास्फीति की गिरावट वास्तविक खतरा है। प्राथमिक वस्तुओं और ईंधन समूह के नकारात्मक आंकड़ों से भी अधिक चिंता की बात यह है कि निर्माण वस्तुओं की मुद्रास्फीति में लगातार कमी आ रही है, जो वास्तव में बुरी खबर है। भारतीय संदर्भ में, विनिर्माण मुद्रास्फीति यदि 2.5 से 3 प्रतिशत से नीचे हो तो उसे अवमूल्यन माना जाना चाहिए। यह मूल्यांकन राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष एवं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री श्री प्रणब सेन द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

मुझे यह स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री ने इन संकेतों को गंभीरता से लिया है या नहीं। इसी कारण से, संकेत कमजोर प्रतीत हो रहे हैं, जबकि दिए गए संदेश बहुत सशक्त हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता **हूं।** यदि संदेश सशक्त हैं, तो तदनुसार संकेत भी सशक्त होने चाहिए। किंतु वर्तमान संकेत निश्चित रूप से मुद्रास्फीति के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विनिर्मित वस्तुओं की मुद्रास्फीति लगातार तीसरे महीने घट रही है, जो 2008 के लेहमैन संकट के शिखर के बाद पहली बार हुआ है। निस्संदेह, यह वह स्थिति नहीं है जिसकी हम आकांक्षा रखते हैं।

अतः अर्थशास्त्रियों ने इसे 2008 में लेहमन ब्रदर्स संकट के समय की स्थिति के समान माना है, जब वस्त्र, खाद्य पदार्थ, रसायन एवं आधारभूत धातुओं की मुद्रास्फीति दर में गिरावट आई थी। भारत का कारखाना उत्पादन अक्टूबर में पहली बार सात महीनों में सिकुड़ गया, जो इसके अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन के रूप में देखा गया है। गत तीन वर्षों में, जब से 2012 में आंकड़ों का संकलन शुरू हुआ है, खुदरा मुद्रास्फीति अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इससे पहले, लेहमन ब्रदर्स संकट के दौरान मुद्रास्फीति ऋणात्मक 0.3 प्रतिशत दर्ज की गई थी। उस समय, भारतीय रिजर्व बैंक ने तुरंत कदम उठाते हुए अक्टूबर 2008 में रेपो दर को 9 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया था, जो तब से भी निम्न बनी हुई है।

इसके बाद, रेपो दर में लगातार कटौती होती गई और अप्रैल में यह 4.75 प्रतिशत तक नीचे आ गई। यह सही समय है। मैंने एक प्रतिष्ठित बैंकर श्री के.वी. कामथ के एक कथन के अनुसार दर घटाने के लिए सभी आवश्यक परिस्थितियाँ मौजूद हैं। फिर भी, आप इस संकेत को देख पाने में असमर्थ हैं। शून्य थोक दर मुद्रास्फीति दर बैंक दर में कटौती के लिए अनिवार्य और प्रमुख कारण है, लेकिन इसे **यहां** लागू नहीं किया गया है। दरअसल, चीन ने एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए विकास दर को बढ़ावा देने के लिए दरों में कटौती की है। यह दो वर्षों में पहली बार दर में कटौती थी, और इसी प्रकार वे जागरूक होने का प्रयास कर रहे हैं। जापान ने भी इसी प्रकार की रणनीति अपनाई थी।

मेरा मानना है कि हम केवल बयानबाजी से चलते हैं, बुनियादी सिद्धांतों से नहीं। पहले ऐसा नहीं था। वास्तव में, 2008-09 में बुनियादी आर्थिक संरचनाएं अभी भी मजबूत थीं, हालांकि कुछ समस्याएं थीं। लेकिन वर्तमान स्थिति में बुनियादी ढांचे कमजोर हो गए हैं। मुझे लगता है कि इस चेतावनी को आज भारत को समझना होगा, क्योंकि यदि आप सुधारात्मक एजेंडा के साथ नहीं आते हैं तो यह दुनिया भर में एक बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति साबित होगी।

वास्तव में, मुझे लगता है - मैं शायद गलत या सही - कि वित्त मंत्री कम करों और कम घाटे के साथ अमेरिकी शैली की रूढ़िवादिता चाहते हैं, जबकि प्रधान मंत्री चीनी मॉडल का पालन करना चाहते हैं। यह वही

विरोधाभास है जो मौजूद है, और अंततः आपकी इस लड़ाई के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था असफल हो जाएगी कि अमेरिकी रूढ़िवादिता होनी चाहिए, जबकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि जीवंत चीनी मॉडल अपनाना चाहिए। फिर आप भारतीय मॉडल के बारे में क्यों नहीं सोचते? यह वह बात है जिस पर मैं आपसे विचार करने का आग्रह करता हूं। 2008-09 के संकट के समय, जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी, हमने न तो अमेरिकी मॉडल अपनाया और न ही चीनी मॉडल। हमने केवल भारतीय मॉडल को अपनाया। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर गंभीरता से विचार करें और अपने प्रधानमंत्री के साथ इस विषय में सामंजस्य स्थापित करें। हमें इस पर प्रभाव डालना संभव नहीं है।

वास्तव में, आर.बी.आई. गवर्नर भी 'मेक इन इंडिया' की रणनीति या दृष्टिकोण में विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने एक खुला बयान दिया और उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया योजना प्रभावी होने की संभावना नहीं है। श्री रघुराम राजन ने यही कहा है। उन्होंने भारत में विनिर्माण और श्रम पर अधिक ज़ोर देने से सावधान किया। वास्तव में, डॉ. मनमोहन सिंह, भले ही वे प्रधानमंत्री थे, लेकिन वे एक महान अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने कहा कि भारत के पास 8 से 9 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि हासिल करने की पर्याप्त क्षमता है। यह वही है जो हमने भी कहा है। हम इसके सक्षम हैं। वास्तव में, आर्थिक मंदी शुरू हो चुकी है। जब मुद्रास्फीति में गिरावट आती है, तो मंदी शुरू होती है, जिससे रोजगार में तीव्र कमी होती है, और हमारे जैसे देश के लिए यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति बन जाती है। लेकिन हम में से कई लोग इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। विनिर्माण क्षेत्र, जिसका कुल कारखाना उत्पादन में 75 प्रतिशत योगदान है, 7.6 प्रतिशत गिर गया; उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु उत्पादन में 35 प्रतिशत की गिरावट; पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन भी 2.3 प्रतिशत गिर गया। आप जो भी क्षेत्र लें, उसमें कोई सुधार नहीं दिख रहा है। लेकिन वित्त मंत्री द्वारा यह कहा गया कि बड़ी निवेश की संभावनाएं प्रतीक्षा कर रही हैं, जो एक आशा की किरण है। यदि वे निवेश प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो सरकार को इसे तुरंत समझना और आवश्यक कदम उठाना होगा। सरकार को इन निवेश संबंधी आकांक्षाओं को व्यवहारिक रूप में परिणत करने की दिशा में शीघ्र कदम उठाने होंगे। साथ ही, यह स्पष्ट किया गया है कि निवेश के अवसरों के लिए द्वार खोलना आवश्यक

है। इस संदर्भ में, द्वार खोलने की जिम्मेदारी सरकार की ही है। बड़े निवेश को आकर्षित करने हेतु यह दायित्व माननीय प्रधानमंत्री या माननीय वित्त मंत्री के नेतृत्व में पूरा किया जाना आवश्यक है।

महोदय, मैंने पहले ही काफी समय ले लिया है। आज मैं देख रहा हूं कि जी.एस.टी. पर विचार किया जा रहा है। जी.एस.टी. और प्रत्यक्ष कर संहिता सभी कर बाधाएं हैं और इन्हें तुरंत संबोधित करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि इस पर माननीय प्रधान मंत्री और माननीय वित्त मंत्री दोनों को पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। निश्चय ही, माननीय प्रधानमंत्री अत्यंत व्यस्त हैं, और मैं उनकी व्यस्तता पर कोई आपत्ति नहीं करता। सम्भवतः वे भाजपा के जनसंपर्क प्रमुख हैं, जो पार्टी एवं सरकार दोनों के लिए इस भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हम सरकार को दोषारोपण नहीं कर रहे हैं; यह केवल सरकार की दृष्टिकोण और कार्यशैली है।लेकिन मुझे माननीय वित्त मंत्री से उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री को उन्हें सीधे संबोधित करना चाहिए।' सरकार को इन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अन्यथा मंदी देश की अर्थव्यवस्था को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकती है।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के हमारे सीनियर मैम्बर ने अंत में जो एक वाक्य कहा, उससे मुझे थोड़ा दुख पहुंचा, ठेस पहुंची। मोदी बी.जे.पी. के लिए जनसंपर्क व्यक्ति नहीं हैं। मोदी विकास का प्रतीक हैं। मोदी जी आज देश की धड़कन बन चुके हैं। आज यह जो बिल आया है, वास्तव में एक वाक्य में कहूं तो मैं श्री अरुण जेटली जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं श्योर हूं कि मोइली साहब जो बोल रहे हैं, वह सही है, यह जस्ट बिगनिंग है। देखिये दो रिजीम में अंतर है। एक रिजीम गत दस साल तक था, तब विदइन गवर्नमैन्ट, गवर्नमैन्ट और अब जो रिजीम का प्रारम्भ हुआ है, मिनिमम गवर्नमैन्ट एंड मैक्सिमम गवर्नेन्स। दस साल जो रिजीम था, जिन्हें और किसी में विश्वास नहीं था, सब गवर्नमैन्ट करेगी और जनता को उनमें विश्वास नहीं था। दस साल जो रिजीम थी, वह सिर्फ एक-एक कायदा, उसमें सब-क्लाज, उसमें वापस एक्सप्लेनेशन एक के बाद एक बना रही थी। आज यह जो बिल आया है, वास्तव में ये सिर्फ संशोधन नहीं हैं। क्योकि मुझे पता है, मैं अपने प्रोफेशनल ब्रादर्स को लेकर मिनिस्ट्री में चार बार जाकर आया था, ऐसे-ऐसे क्लाज, एक्शन और सैक्शन डालकर रखे हैं। सभी को लगता है कि वे इस सरकार से बाहर हैं, हर कोई बेईमान है। वास्तव में जनता पर विश्वास रखना चाहिए, बिजनेसमैन में विश्वास रखना चाहिए, प्रोफेशनल में विश्वास रखना चाहिए। यह जो कानून आया था, उसमें इतने सारे ऐसे क्लाजेज हैं और मुझे पता है कि अनेक जो क्लैरिफिकेशंस हैं, एक्ट में बिना अमैन्डमैन्ट के मंत्रालय ने किये हैं। उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री को धन्यवाद देता हूँ।

सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, जिसकी बात कही जा रही थी, प्राइवेट कंपनी और एक उदाहरण यहां पर आया है। अब मुझे यह कहो कि शेयर का एक लाख रूपया, एक रूपया और पांच लाख रूपया, [अनुवाद] सरकार को विस्तार में क्यों जाना चाहिए? निवेशक को निर्णय लेने दें। जब कोई कंपनी सीमित सदस्यों वाली हो, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो सरकार को सभी नियमों और व्यवहार के तरीके को निर्धारित क्यों करना चाहिए? मैं एक बात की सराहना कर सकता हूं। कानून में भी यह कहा है ...(व्यवधान)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): यह संशोधन लागू होने के बाद भी, भुगतान की गई शेयर पूंजी का निर्धारण सरकार द्वारा नियमों के अनुसार किया जाएगा। अतः यह निर्णय अभी भी सरकार के अधिकार में रहेगा। खंड 76 और 81 में संशोधन करके सरकार द्वारा संसद में निहित अधिकार को छीना जा रहा है। इसलिए यह अभी भी सरकार के पास है।

डॉ. किरीट सोमैया (मुंबई उत्तर पूर्व): इसीलिए, मैंने कहा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। हम अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार में विश्वास करते हैं। श्री वीरप्पा मोइली ने जो कहा वह सही है। [हिन्दी] भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी सरकार लोगों पर विश्वास करना चाहती है। मैं मानता हूं कि एक क्लॉज़ के संबंध में थोड़ा क्लैरिफिकेशन आया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद भी दूंगा और ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑडिटर हूं। ऑडिटर के संबंध में आपने भी कुछ विशेष जिम्मेदारी डाली है और आपने भी डाली है। इस संबंध में और इस अमेंडमेंड में और थोड़ी स्पष्टता की गई है। सर, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मुंबई, महाराष्ट्र की एक कंपनी में हजारों-करोड़ रूपये का पॉलिटिकल करप्शन हुआ। आप उस कंपनी को जानते हैं। जिस कंपनी में 16 करोड़ का नैट लॉसेज़ है। इसे 16 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ है। पांच साल तक कोई बिज़नस नहीं हुआ। वह कंपनी अचानक दस रूपये के शेयर दस हज़ार रूपये के भाव से मार्केट में ले कर आती है और सम कोलकाता, सम वाया-वाया-वाया इंवेस्टर निवेशकों ने 10 रुपये का शेयर 10,000 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदा और उस भ्रष्ट राजनेता के बैंक खाते में लगभग 700 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर ऑडिटर है, तो इसलिए मैंने कहा कि आपने भी और आपने भी इस ऑडिटर को कहा कि भई आप ऑडिटर हो, कंपनी के ऑडिटर हो, मगर देश के भी ऑडिटर बनो। मैं अपने प्रोफेशनल ब्रदर्स को कहना चाहता हूं और इसके लिए सरकार इसमें जो अमेंडमेंड लाई है कि आपको सरकार को प्रतिवेदन करना होगा। यह प्रशंसनीय है। साथ में मैं सुझाव देना चाहूंगा कि कोई ऑडिटर प्रामाणिकता से सुझाव देता है, जानकारी देता है कि इस प्रकार का यह मनी लांड्रिंग हो रहा है, करप्ट प्रैक्टिसेज़ हो रही है, तो उस समय यहां पर वह वापस उस प्रकार की इंफार्मेशन, जो ऑडिट रिपोर्ट्स आएंगे, उसको किस

प्रकार से प्रोसेस करना, इसके बारे में भी मंत्रालय कुछ विचार करे। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं। [अनुवाद] यह धारा 143 से संबंधित है। यह एक अच्छा संशोधन है।

श्री सभापति महोदय, मेरा पसंदीदा विषय छोटे निवेशकों की सुरक्षा है। मैं निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के संबंध में एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं। [हिन्दी] इसके संबंध में माइनर ऑब्ज़रवेशंस हैं। मुझे पता है कि अरूण जेटली जी, जब कंपनी मामलों के मंत्री थे, इसी सदन में यह कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूज़ किया था। आज वे वित्त मंत्री हैं, जिसमें कंपनी मंत्रालय भी है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन साथ में एक चीज़ के प्रति उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बीते दस साल में आपने उस समय जो पौधा लगाया था, वास्तव में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के निर्माण के दस साल बाद, इसकी समीक्षा की जरूरत है। उसका क्या हुआ? कितना पैसा इंवेस्टर एजुकेशन के लिए खर्च हुआ? वास्तव में अनक्लेम्ड डिविडेंड, यह यहां से गवर्नमेंट के फंड में जाता है और वहां से कंपनी मंत्रालय कोई एक-दो संस्था को देकर अपनी जिम्मेदारी खत्म करता है। आपने पोंजी कंपनियों के बारे में भी चिंता व्यक्त की है। पोंजी कंपनी में हमारे स्माल इन्वेस्टर्स पैसे डालते हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है। हम इस आई.ई.पी.एफ की मदद से एक बड़ा अभियान क्यों नहीं चला सकते? इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप इस विषय पर ध्यान दें। मैंने जो 10 रूपए के शेयर के 10 हजार रूपए वाली बात कही, इसमें वह अमेंडमेंट आपने पर्स्यू नहीं किया है। आप इसके ऊपर विचार करिए। आपके आयकर विभाग में, पिछले साल आप स्पष्टीकरण और एक संशोधन लेकर आए थे कि जो इस प्रकार का ऐब्सर्ड वैलुएशन होगा, तो आप लाभार्थी को 33 प्रतिशत आयकर जमा करने के लिए कहेंगे। आप कोई भी स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कंपनीज एक्ट में भी आगे आप कुछ ऐसे करेक्शन लेकर आइए।

सभापति जी, जो फ्रॉड रिपोर्टिंग से लेकर, लोन्स इन कंपनीज और जो एक छोटी बात है, जिसके बारे में आपने उल्लेख किया है, जो डिविडेंड मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल लोंस गारंटी, ये सब जो मुद्दे हैं, उसके साथ ही मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दी कंपनीज एक्ट, मुझे यह स्पष्ट

नहीं है कि पिछले दस वर्षों से देश में जो चल रहा है, उस पर उन्होंने ध्यान दिया है या नहीं। यह कंपनीज एक्ट के प्रोवीजन का कहीं पर दुरूपयोग हो रहा है, वेव ऑफ कंपनीज क्रिएट की जा रही हैं। वेव ऑफ कंपनीज, सेल कंपनीज और उसके द्वारा जो पैरलल इकॉनामी है या जो हम ब्लैक मनी की बात करते हैं, वह ब्लैक मनी किस प्रकार से बनाई जाती है।

<u>अपराह्न 5.23 बजे</u> [**माननीय उपाध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

अंत में एक ही बात करके मैं इस बिल को समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करूँगा। मैं एक और छोटे से बिंदु पर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वीरप्पा मोइली जी ने थोड़ी छूट ली, मैं भी एक प्वाइंट के लिए छूट ले लेता हूं। जीरो परसेंट इन्फ्लेशन है, इसके लिए आप आभिनन्दन के पात्र हैं, लेकिन मैं साथ में यह भी कहना चाहूँगा कि आपकी दूसरी एंबीसियस योजना जन-धन योजना है। उस दिन सप्लीमेंट्री डिमांड में आप यहां पर नहीं थे। जन-धन योजना में हम खाते खोल रहे हैं और बहुत कम समय में ओपन कर रहे हैं, इसके लिए आप आभिनन्दन के पात्र हैं। लेकिन बैंकिंग के उद्देश्य और दर्शन को समझने का प्रयास करें। इसका मुख्य काम बचत को संग्रहीत करना और उसे निवेशित करना होता है। यह जो क्लास है, बचत को संगठित करने का अर्थ है, जिन व्यक्तियों के पास अधिशेष है उनसे बचत जुटाना और उसे निवेश करना। आपको ऋण अग्रिम करना होगा। वह भी अपर क्लास है। तो अभी की जो बैंकिंग है, जिसे इकॉनामी में हैव्स बोलते हैं, वहां तक सीमित है, अब, आप इसे गरीबों तक विस्तारित करने जा रहे हैं। उस समय मैंने स्वयं जन-धन योजना में मुंबई और बगल वाले डिस्ट्रिक्ट के बैंक आफीसर्स से भी मीटिंग्स कीं। हमने नहीं बनाया है या मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या आपने खींचा है कि वह जो 33 परसेंट, जो सेगमेंट आफ दी सोसाइटी है, वहां हम अपना फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से पहुंचायेंगे? मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मैंने जो आदर्श गाँव एडॉप्ट किया है, वह मुंबई से 120 किलो मीटर दूर है। वहां से 20 किलोमीटर तक कोई बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब मैंने उस बैंक मैनेजर से पूछा तो उसने मुझसे पूछा, किरीट जी, वहां बिजनेस क्या मिलेगा? हमें बैंकिंग स्टाफ को भी प्रशिक्षित करना होगा कि यह एक सामाजिक प्रतिबद्धता है, बिजनेस नहीं। वहां बिजनेस भी

आपको बहुत मिलेगा, क्योंकि 33 परसेंट वर्ग को आप टच करोगे, तो पेपरलेस करेंसी की ओर आप बहुत स्पीडली आगे बढ़ेंगे। इस छोटे बिंदु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए, इस बिल का समर्थन करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस.आर. विजय कुमार (चेन्नई केन्द्रीय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014 पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं इस विधेयक पर हमारी पूर्व मुख्यमंत्री *पुरात्ची थलाइवी, अम्मा* के नेतृत्व वाली ए.आई.ए.डी.एम.के पार्टी की ओर से बोल रहा हूं। हमारी प्रिय नेता अम्मा की जन-केंद्रित दृष्टि यह सुनिश्चित करना है कि विनिर्माण या उत्पादन या सेवा के उद्देश्य से स्थापित किसी भी कंपनी के पास एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक मशीनरी होनी चाहिए जो कार्यबल और ग्राहकों दोनों का ध्यान रखेगी। यह विधेयक शेयरधारकों को कंपनी के प्रमुख निर्णयों में अधिक भागीदारी का अधिकार देता है। कल्पना कीजिए, यदि हमारे नेता ने हस्तक्षेप न किया होता, जब नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन में पांच प्रतिशत हिस्सेदारी सरकार द्वारा नहीं खरीदी गई थी, तो क्या स्थिति होती? तमिलनाडु सरकार द्वारा उस हिस्सेदारी की खरीद हमारे प्रिय नेता के प्रयासों का ही परिणाम थी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ आम लोगों के हित में बनी रहें। नेवेली में जो कोयला (लिग्नाइट) निकाला जाता है, वहां जो बिजली पैदा होती है और जिन मजदूरों ने उस कार्य में मेहनत की है – ये सब देश की कीमती संपत्तियाँ हैं और इनकी सुरक्षा आवश्यक है। उस लाभकारी कंपनी को बिना किसी ठोस आधार के इस तरह निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही थी, मानो उसे बिना किसी प्रतिस्पर्धा के निजी क्षेत्र को सहज रूप से सौंपा जा रहा हो। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार, हमारी नेता, *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* ने इस मामले में प्रभावी हस्तक्षेप करते हुए इसे बार-बार केंद्र सरकार के समक्ष उठाया। उनके दृढ़ प्रयासों के परिणामस्वरूप, अंततः किसी अज्ञात निजी निवेशक के स्थान पर तमिलनाडु सरकार को उस लाभकारी सार्वजनिक उपक्रम में हिस्सेदारी दी गई। यह निर्णय इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था कि कंपनी के श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सके और सार्वजनिक संपत्ति पर जनहित को प्राथमिकता मिल सके। जब कॉर्पोरेट संरचना के आधुनिकीकरण या शेयरधारकों, हितधारकों, कंपनी प्रबंधन और निदेशक मंडल का ध्यान रखते हुए कॉर्पोरेट

संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की बात आती है, तो हमारे नेता ने राज्य सरकार के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आदर्श संस्थानों में परिवर्तित कर दिया है।

महोदय, जिस संशोधन विधेयक पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं उसका उद्देश्य इस वैश्वीकृत युग में कंपनियों के सुचारू कामकाज को आसान बनाना है। 2008 में, इस संबंध में एक व्यापक विधेयक लाने की मांग की गई थी। वह एक पुराने कानून को बदलना था जो आधी सदी से भी अधिक पुराना था।

चूंकि चौदहवीं लोक सभा के विघटन के साथ वह विधेयक निष्प्रभावी हो गया था, इसलिए अब उसी प्रकार की तर्ज पर एक नया विधेयक अस्तित्व में आया है। यह विधेयक संसद की स्थायी समिति में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सामने आया है। यह विधेयक सरकार को नियमों को अधिसूचित करने का अधिकार देता है और अधीनस्थ कानून की सीमा और दायरे को व्यापक बनाता है। कंपनी विधेयक में प्रस्तावित व्यापार नियम पहले सेबी अधिनियम के साथ विरोधाभासी थे। अब, प्रक्रियात्मक स्वभाव के कुछ बदलाव किए गए हैं जो डिपॉजिटरीज़ अधिनियम और सेबी अधिनियम के अनुरूप हैं। पहला प्रावधान सभी प्रतिभूतियों को डिजिटलीकरण करने के लिए है। दूसरा प्रावधान सभी सार्वजनिक प्रस्तावों को डिमैटेरियलाइज्ड रूप में अनिवार्य बनाने के लिए है। उम्मीद की जाती है कि इससे अच्छे कॉर्पोरेट शासन (गवर्नेंस) को बढ़ावा मिलेगा। सुरक्षा प्रमाणपत्रों के खोने या नकल से संबंधित धोखाधड़ी नहीं होगी; निवेशकों को भौतिक शेयर प्रमाणपत्रों से संबंधित सुरक्षा उपायों की आवश्यकता नहीं है। यह विधेयक कंपनियों के लेनदेन को और अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास करता है। यह हमारे जैसे विशाल देश के लिए उल्लेखनीय है। हमारे कंप्यूटर की माउस अब एक चौकीदार या सतर्क बिल्ली की तरह काम कर सकती है। ऐसा इसलिए संभव हुआ है क्योंकि कंपनियों को अब ई-गवर्नेंस के तहत दस्तावेज़ों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संभालने और जांचने की अनुमति मिल गई है।

किसी भी कंपनी को अपने सामाजिक परिवेश का ध्यान रखना आवश्यक है और अपनी उत्पादन या विपणन इकाइयों के आसपास के स्थानीय जनसमूह की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। इसलिए, उदारीकरण के इस युग में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यह विधेयक इसी

बात पर बल देता है। कंपनियों की ओर से सरकार और जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ाई जाएगी। इसे सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र निदेशकों की अवधारणा को शामिल किया गया है।

यह संशोधन विधेयक कंपनी के "प्रमोटरों" को कुछ मामलों में कुछ दायित्व का स्वामी बनाता है। मुझे यहां भोपाल गैस रिसाव की दुखद त्रासदी की याद आ रही है। मैं केवल यही चाहता हूं कि काश यह विधेयक तब होता।

यह विधेयक किसी कंपनी को नैतिक कॉर्पोरेट व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करने में सक्षम बनाने का भी प्रस्ताव करता है। इस विधेयक का एक और मुख्य आकर्षण यह है कि कर्मचारियों को गलत प्रथाओं से बचने के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा।

अब तक, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्थापित करने के लिए 50 सदस्यों का होना पर्याप्त था। अब यह संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई है। साथ ही, शेयरधारक कंपनियों के प्रबंधन और प्रदर्शन पर नजर रखने की भूमिका निभाएंगे। हमारी जैसी लोकतांत्रिक निकाय व्यवस्था में, सरकार का यह कदम कंपनियों के प्रबंधन और उसके प्रबंधन की निगरानी में अधिक लोगों को शामिल करने का दायरा बढ़ाना है।

कंपनी कानून के संबंध में प्रावधानों को प्रशासित करने के लिए एक राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण सुदृढ़ तरीके से स्थापित किया जाएगा। यह विधेयक कंपनी के दिवालिया होने पर ऋणदाताओं को बचाव योजना की निगरानी हेतु अधिक अधिकार प्रदान करता है। कंपनियों के विलय, एकीकरण और अधिग्रहण अब और अधिक पारदर्शी होंगे। यह स्वागत योग्य कदम है। अतीत में ऐसा हुआ है कि कुछ कंपनियां सदस्यों की जानकारी के बिना भी पैसा हड़प गईं। सरकार ने यह उचित समझा है कि कंपनियों के शेयरधारकों को उनके बोर्ड्स से भी अधिक जिम्मेदारियां सौंपी जाएं। यह बदलाव वैश्वीकरण की दृष्टि से बने परिवर्तित माहौल के मद्देनजर किया गया है। हमें विश्वास है कि यह विधेयक सही ढंग से संकल्पित किया गया है और उचित रूप से प्रस्तुत किया गया है।

इन टिप्पणियों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, मैं कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014 पर बोलने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। मैं वित्त मंत्री महोदय पर लंबा भाषण देने का भार नहीं डालना चाहता। वैसे भी, तीन मंत्रालयों में तीन पद संभालते हुए, वे एक लंबे कार्यदिवस के अंत में थके हुए दिख रहे हैं। अतः, मैं अपना वक्तव्य संक्षिप्त रखने का प्रयास करूंगा।

कॉरपोरेट कार्य मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 में 14 संशोधन प्रस्तावित किए हैं। उनके इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य व्यापार करने की सुगमता को बेहतर बनाना है। कुछ समय पूर्व विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में व्यापार करने की सुगमता के मामले में भारत को 189 देशों में से 142वां स्थान मिला है। इसलिए, लोगों को यहां व्यवसाय करना कठिन लगता है, और इसी कारण मंत्री इस विधेयक को प्रस्तुत करने का विचार कर रहे हैं।

अक्टूबर की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने कहा था कि हमें कंपनी अधिनियम में संशोधन के लिए असंख्य अनुरोध मिल रहे हैं। इसलिए, वह दो उद्देश्यों से यह विधेयक लाए हैं। मुख्यतः कॉर्पोरेट जगत, व्यापार वर्ग, वाणिज्य मंडल आदि की अनगिनत मांगों के मद्देनजर और व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है। यहाँ, मैं उनसे असहमत होना चाहूंगा क्योंकि मैंने व्यापक कंपनी कानून विधेयक पर बात की थी, जो मेरे युवा मित्र श्री सचिन पायलट जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो अब इस सदन में नहीं हैं। मुझे यह समग्र प्रयास प्रशंसनीय लगा। परन्तु मैंने कहा था, और पुनः कहना चाहूँगा कि एक श्रेष्ठ कंपनी विधेयक की कसौटी क्या होनी चाहिए। मेरी दृष्टि में इसके दो महत्वपूर्ण मानदंड हैं, क्योंकि हाल के समय में कॉर्पोरेट जगत दो घटनाओं से व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है। एक तो सत्यं प्रकरण है, जिसमें कंपनी के शेयरों के मूल्य को बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया था और पाया गया कि सत्यम प्रकरण में लेखा परीक्षकों की गलती थी तथा उन्होंने सही रिपोर्ट नहीं दी। मैंने दो दिन पूर्व देखा कि श्री रामालिंगा राजू को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई गई है। संभव है कि उन्हें और अधिक दंड भी मिले।

मेरा दूसरा मानदंड यह है कि क्या यह विधेयक चिट फंड कंपनियों को समाप्त करने और ऐसी कंपनियों द्वारा छोटे निवेशकों के साथ धोखाधड़ी को रोकने में सहायक होगा? क्योंकि हमने न केवल पश्चिम बंगाल में सरदाहा और रोज़ वैली के पतन को देखा है, बल्कि इस प्रकार के पतन पूरे देश में भी हो रहे हैं। क्या यह विधेयक ऐसे पतन से बचने के लिए विरोध करने में सरकार के रुख को मजबूत करेगा जिसने लाखों लोगों को जोखिम में डाल दिया है? निश्चित ही, हमारे समक्ष निवेशकों के लोकतंत्र और निवेशकों की शिक्षा जैसी समस्याएं विद्यमान हैं, और मैं इनके सूक्ष्म विवरणों में नहीं जाना चाहता। मेरी दृष्टि में, श्री जेटली ने कई माह की विचार-विमर्श के उपरांत यह विधेयक प्रस्तुत किया है। तथापि, यह विधेयक उक्त दोनों कसौटियों पर खरा नहीं उतरता। यह बिल्कुल भी व्यापक विधेयक नहीं है जिसकी हम अपेक्षा कर रहे थे, खासकर श्री अरुण जेटली जैसे प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तावित व्यापक संशोधनों के संदर्भ में। इसलिए, मैं इस विधेयक में कुछ छोटे दोषों की ओर संकेत करना चाहूंगा।

उन्होंने कहा है कि व्यापार करने की सुगमता ठीक है। मैं इस विधेयक से संबंधित कई समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। संशोधनों में विशेष प्रस्ताव की जगह सामान्य प्रस्ताव को प्रतिस्थापित करना शामिल है, जिससे अल्पसंख्यक शेयरधारकों द्वारा संबंधित पक्ष लेनदेन की स्वीकृति दी जा सके। इसका मतलब यह है कि कंपनियों को कानून के तहत निर्धारित 75 प्रतिशत के बजाय केवल 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक शेयरधारकों की सहमति की आवश्यकता है। अब यह कॉर्पोरेट लोकतंत्र को कम करता है। मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स का मामला उद्धृत करना चाहता हूं। हाल ही में, शराब निर्माता यूनाइटेड स्पिरिट्स द्वारा डाक मताधिकार से चार संबंधित पक्ष लेनदेन को अनुमोदित करने के लिए प्रस्तुत विशेष प्रस्ताव को अल्पसंख्यक शेयरधारकों द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि यह 75 प्रतिशत की आवश्यकता को पूरा नहीं करता था। इस संदर्भ में, इस नए संशोधन के तहत अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकार घटाए गए हैं। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस विषय में स्पष्टीकरण देंगे।

नया संशोधन लेखा परीक्षा समिति को वार्षिक आधार पर संबंधित पक्ष के लेनदेन के लिए सर्वव्यापी मंजूरी देने का अधिकार भी देता है। वे कहते हैं कि यह व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सेबी नीति के अनुरूप है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह संबंधित पक्ष लेनदेन से संबंधित है। कॉर्पोरेट मांगों को ध्यान में रखते हुए, नए संशोधन में होल्डिंग कंपनियों और उनकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच संबंधित पक्ष लेनदेन को अल्पसंख्यक शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता से मुक्त करने का प्रस्ताव भी शामिल है। इन सभी मामलों में, अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकार या शक्तियां कम की गई हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय उत्तर देते समय इस विषय पर स्पष्टीकरण प्रदान करें।

एक और प्रावधान है जो कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल बोर्ड प्रस्तावों की सार्वजनिक जांच को प्रतिबंधित करता है। कहा जाता है कि कंपनी के पेशेवरों ने मंत्रालय को शिकायत की है कि यदि बोर्ड प्रस्ताव सार्वजनिक किए गए, तो इससे कंपनी की रणनीति उजागर हो जाएगी, जिससे अनजाने में प्रतिस्पर्धी को लाभ पहुंच सकता है। परंतु यह पारदर्शिता के सिद्धांत के विरुद्ध है। अब कंपनी बोर्ड के प्रस्तावों को कोई और नहीं देख सकेगा। उनका कहना है कि प्रतिस्पर्धियों को लाभ मिल सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि यह तर्क पर्याप्त नहीं है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह धोखाधड़ी के संबंध में है। इस संशोधन में धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग को सीमित कर दिया गया है। इससे पहले, एक प्रावधान था जो यह सुनिश्चित करता था कि एक निश्चित सीमा से अधिक की धोखाधड़ी के बारे में ऑडिटरों को अनिवार्य रूप से सरकार को सूचित करना होगा। किसी भी ऐसे धोखाधड़ी जो निर्धारित सीमा से ऊपर हो, उसे बोर्ड रिपोर्ट में अनिवार्य रूप से प्रकट करना होगा। **यहां** पुनः, लेखा परीक्षक को यह छूट दी गई है कि निर्धारित सीमा से नीचे होने वाली धोखाधड़ी की सूचना उन्हें सरकार को नहीं देनी होती। यह अच्छी बात है या नहीं, तथा क्या इससे सत्यं प्रकरण जैसी धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा, यह मंत्री महोदय स्पष्ट करेंगे।

मूलतः, सरकार ने कहा था कि देश में व्यावसायिक वातावरण सुधारने के लिए अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके व्यापार करने में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जा सकता है।

श्री मोइली ने देश की अर्थव्यवस्था की समग्र तस्वीर पेश की है। मुख्य समस्या यह है कि विनिर्माण क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। यह लगभग स्थिर है। यह मंत्री जी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए, इस संशोधन के पारित होने के बाद, हम चाहेंगे कि अर्थव्यवस्था 8 प्रतिशत के वादे के स्तर तक बढ़े। अब हम केवल 5.3 प्रतिशत पर हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि व्यापार करने की इस सुगमता से विनिर्माण क्षेत्र में वास्तव में विकास कैसे होगा।

महोदय, श्री मायाराम पहले वित्त सचिव थे और अब उन्हें पद से हटा दिया गया है। इस सरकार के सत्ता में आने के बाद, उन्होंने एक बहुत ही रोचक बात कही, जिसमें उन्होंने सरकार के दर्शन पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा: "मेरा विश्वास है कि हमारी संभावित विकास दर 8 प्रतिशत है। और वहां पहुँचने के लिए हमें संसाधनों का विकास करना होगा। जो संसाधन हम देश के भीतर उत्पन्न नहीं कर सकते, वे बाहर से आना चाहिए, और यदि वे बाहर से आते हैं तो हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को विदेशी संस्थागत निवेश की तुलना में प्राथमिकता देते हैं।" यह सरकार के दर्शन का सारांश है। वे पांच वर्षों तक सरकार चलाएंगे। केवल समय ही बताएगा कि क्या इस नीति के साथ, कंपनी अधिनियम में किए गए इन संशोधनों के माध्यम से हम व्यापार को आसान बना पाएंगे, विकास दर हासिल कर पाएंगे, विनिर्माण क्षेत्र में सुधार कर पाएंगे और अधिक रोजगार सृजित कर पाएंगे। इसी के साथ, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद, महोदय।

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी): आज इस अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री महोदय ने उचित रूप से कहा कि कंपनी अधिनियम, 1956, जिसमें 658 धाराएँ थीं, को 2013 के अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें केवल 470 धाराएँ थीं, जिसे एक संक्षिप्त और अधिक व्यापक अधिनियम माना गया था। मैंने कांग्रेस पार्टी के श्री मोइली को कुछ संजीदगी से सुना। श्री मोइली इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं, परंतु उन्होंने अपने वक्तव्य की शुरुआत इस बात से की कि नए कंपनी अधिनियम, 2013 के निर्माण में अत्यंत समय, प्रयास एवं ऊर्जा व्ययित हुई है। फिर भी, अब वे सरकार को दोष देते हुए कहते हैं कि हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप उस अधिनियम में व्यापक बदलाव करें ताकि "व्यापार करने की सुगमता" को बढ़ावा दिया जा सके। यह स्वभावतः एक विरोधाभास है। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस पार्टी एवं श्री मोइली वर्तमान परिप्रेक्ष्य से असम्बद्ध हैं। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने पूर्व में व्यक्त किया है, इस विधेयक के संदर्भ में असंख्य शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसलिए, यद्यपि मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूँ, फिर भी इसे भारी असंतोष के साथ समर्थन करता हूं क्योंकि यह विधेयक पर्याप्त व्यापक नहीं है। तथ्य यह है कि यह कंपनी अधिनियम, 2013 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 वास्तव में यूपीए 2 द्वारा प्रस्तुत दो आदर्श अधिनियम हैं, जो भारत में व्यापार करना असंभव बनाने के तरीके दर्शाते हैं। यह एक सत्य तथ्य है।

एकमात्र बात जो मुझे अति असामान्य प्रतीत होती है वह यह है कि जब श्री जेटली भाजपा के लिए राज्यसभा में सदन के नेता थे, तब ये दोनों विधेयक — जिन्हें पूरे भारत में सबसे प्रतिगामी, व्यावसायिक विरोधी तथा विकास-विरोधी कानूनों के रूप में माना जाता है — राज्य सभा में उनकी निगरानी से कैसे बच गए। यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं। यही बात मुझे हैरान करती है और वास्तव में यही हम सभी को हैरान करती है कि हम किस प्रकार के विधेयक बना रहे हैं। हम सभी अब यह कह रहे हैं जैसा कि प्रोफेसर सौगात राय ने कहा कि इसमें व्यापक सुधार आवश्यक हैं। हम संसद में किस तरह का कानून बना रहे हैं? कांग्रेस पार्टी और यू.पी.ए.-2 ने इसमें विशेषज्ञता हासिल की: भूमि अधिग्रहण अधिनियम, पर्यावरण कानून जो उनके पास था,

कर आतंक शासन, पूर्वव्यापी कर। मैं ऐसी बहुत सी बातें कह सकता हूं। इस प्रकार, उन्होंने सुनिश्चित किया कि इस देश में औद्योगीकरण बाधित हो जाए। अब श्री मोइली इस बात पर अफसोस जता रहे हैं कि जहां तक विनिर्माण का सवाल है, हम अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं, यह बड़ी चिंता का विषय है। यह स्थिति केवल इसलिए नहीं है कि श्री जेटली का शासनकाल यहां है या श्री मोदी का शासन पिछले छह महीनों से प्रारंभ हुआ है; बल्कि यह कांग्रेस पार्टी के पाँच वर्षों के गंभीर प्रशासनिक कुप्रबंधन का परिणाम है, जिसके कारण मामले इस अत्यंत दुखद स्थिति तक पहुँचे हैं। इसलिए, आज श्री मोइली का यह विलाप वास्तव में बहुत कम है, बहुत देर हो चुकी है।

फिर भी, मुझे श्री जेटली से यह पूछना है कि वे इस विधेयक में आवश्यक सभी समग्र संशोधनों को कब प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखते हैं। क्योंकि यदि मैं इस अधिनियम में विद्यमान विभिन्न कमियों के कारण बनी दूरदर्शिता की कमी को गिनाना शुरू करूँ, तो यह जल्दी समाप्त नहीं होगी। दरअसल विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए 65 से 70 धारा में करीब 65 से 70 संशोधन की जरूरत है। अतः अब इस 470 धाराओं वाले अधिनियम में 65 से 70 संशोधनों की आवश्यकता है। जैसा कि प्रोफेसर सौगत राय ने कहा, श्री जेटली उत्कृष्ट प्रतिभा के धनी हैं। एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं मध्य आठवीं दशक में, जब मैं एक युवा अधिवक्ता था, उन्हें सहायता प्रदान करता रहा। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि उन्होंने पूर्व में इस विधेयक को पारित होने कैसे दिया तथा अब ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया है जो पूर्णतया केवल सतही संशोधनों तक सीमित है। ये संशोधन इतने नगण्य और अल्पप्रभावी हैं कि वे आवश्यक व्यापकता से कहीं पीछे रह जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस विधेयक से कोई संतुष्ट होगा। मेरा विश्वास नहीं है कि यह आज की औद्योगिक समस्याओं या व्यापार करने की कठिनाइयों को कम कर पाएगा। यह आज भारत में आपके व्यापारिक तंत्र को सुगम बनाने में सक्षम नहीं होगा। अतः 2013 के अधिनियम के बाद 2014 का यह विधेयक इतनी शीघ्रता से आया है, अब हमें 2015 में एक नया अधिनियम आवश्यक होगा।

माननीय मंत्री जी को इस विषय पर गहराई से सोचने और समझने की ज़रूरत है। जैसा कि उन्होंने सही कहा है, व्यवसाय करने में सुगमता के लिए कंपनी अधिनियम और भूमि अधिग्रहण अधिनियम—दोनों में बड़े बदलाव करने होंगे। लेकिन फिलहाल मैं इन बातों की पूरी जानकारी में नहीं जा सकता।

श्री अरुण जेटली: महोदय, मुझे खुशी है कि मेरे मित्र श्री पिनाकी मिश्रा कुछ बुनियादी मुद्दे उठा रहे हैं, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। लेकिन मैं उन्हें और श्री सौगत राय जी को बता दूं, जब उन्होंने विनिर्माण का मुद्दा उठाया और बताया कि हम व्यवसाय को कैसे जटिल बना रहे हैं, तो हमने हाल ही में आई.पी.पी. विनिर्माण आंकड़ों में गिरावट देखी। यह बात मैं अनुपूरक अनुदान पर चर्चा के समय भी बार-बार कहता रहा हूं। चेन्नई के बाहरी क्षेत्र श्रीपेरंबदूर में एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुआ है। वहां एक प्रमुख टेलीकम्युनिकेशन हैंडसेट निर्माण संयंत्र कर संबंधी कारणों से बंद हो गया है।... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: ऐसा कराधान के कारण नहीं है, कुछ अन्य समस्याएं थीं।

श्री अरुण जेटली: दूरसंचार विनिर्माण में आई गिरावट, जो समग्र विनिर्माण वृद्धि पर भी असर डालती है, सिर्फ एक बड़े संयंत्र के बंद होने से हुई है। इससे 54,000 नौकरियां चली गईं, जो अपने आप में 78 प्रतिशत की गिरावट है। जब हम व्यापार करने में सुगमता आदि के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो ये कोई काल्पनिक अवधारणाएं नहीं हैं। वास्तव में, इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि हमारा रवैया क्या है और यह देश की बड़ी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है।

श्री पिनाकी मिश्रा: महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि माननीय वित्त मंत्री ने इसे स्पष्ट कर दिया है क्योंकि वे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री भी हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। वे बिल्कुल एक सौ प्रतिशत सही हैं। आपको एफ.आई.सी.सी.आई. के सदस्यों, एसोचैम के सदस्यों से बात करनी होगी क्योंकि वे उद्योग की नींव हैं और वे बताएंगे कि भारत में व्यापार करना कितना कठिन है और यही कारण है कि सभी प्रमुख उद्योगपति अपना पैसा भारत से बाहर ले जा रहे हैं। वे अपना पैसा यहां खर्च करने के बजाय अफ्रीका, सुदूर पूर्व और ऑस्ट्रेलिया में व्यापार करना पसंद करेंगे।

महोदय, जैसा कि मैंने कहा, इस विधेयक में कुछ 65 या 70 संशोधन आवश्यक हैं। मुझे यकीन है कि यह विधेयक सही समय पर आएगा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि जब हमारे माननीय मंत्री इस विषय पर 2015 में पूरी गंभीरता से विचार करेंगे, तो वे एक व्यापक विधेयक लेकर आएंगे। लेकिन मुझे लगता है, और श्री जेटली जी भी इससे सहमत होंगे, कि भारत जैसे देश जो मूलतः एक विकासशील देश है, में उद्योग की नींव मध्यम और लघु उद्योग ही हैं। यही वास्तव में हमारे विनिर्माण क्षेत्र की बुनियाद है। बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ इतनी आसानी से यहां नहीं आतीं। उन्हें भारत आने का निर्णय लेने में काफी समय लगता है। लेकिन मझोले और लघु उद्योग तुरंत शुरुआत करने के लिए तैयार रहते हैं। वे अपना व्यवसाय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के बजाय निजी कंपनियों के माध्यम से संचालित करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए, जिन पर इस अधिनियम में लगाए गए कठोर नियम और बाध्यताएं लागू होती हैं, संचालन करना असंभव सा हो जाता है, जैसा कि माननीय भाजपा सांसद श्री किरीट सोमैया जी ने व्यक्त किया है। मैं इस बात को पूर्णतः समझता हूं। सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के लिए मानदंड उच्च स्तर के होने चाहिए क्योंकि इनमें सार्वजनिक धन और शेयरधारकों की पूंजी संलग्न होती है।

लेकिन जहां लोग अपनी ही पूंजी, अपने परिवार के सदस्यों की पूंजी और मित्रों की पूंजी निवेश करने के इच्छुक हैं, वहां मुझे यह समझ में नहीं आता कि उनके ऊपर ये कठोर और बोझिल नियम क्यों लागू करने जरूरी हैं। धारा 10, 11, 62, 73, 185, 186, 188 और 195 सहित अन्य में ऐसे कठिन और कठोर प्रावधान हैं। जहां तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का सवाल है, आज कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू नहीं कर सकता और खुशी-खुशी भारत में कारोबार नहीं कर सकता। यही कारण है कि यह विनिर्माण गतिविधि दिन-ब-दिन कम होती जा रही है क्योंकि छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों को हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के माध्यम से काम करना पड़ता है। आखिरकार, यदि आप साझेदारी में काम करते हैं, तो अन्य नुकसान और समस्याएं भी हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दायरे में ही कार्य करना चाहता है, और तब

तक सार्वजनिक नहीं होना चाहता जब तक वह पर्याप्त रूप से विकसित न हो जाए। ऐसे कठोर और दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत यह क्षेत्र कैसे आरंभ कर सकता है?

इसलिए, मैं माननीय मंत्री से दृढ़तापूर्वक आग्रह करूंगा कि वे इस पर ध्यान दें। संयोगवश, दंड और अभियोजन, जो प्रस्तावित किए गए हैं, अत्यंत कठोर और कठोर हैं। मुझे लगता है, माननीय मंत्री जानते हैं कि जब आप इस प्रकार के आतंकी तंत्र को कुछ अधिकारियों के हाथों में सौंपते हैं, तो जबरन वसूली होना स्वाभाविक है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा; इससे बहुत अधिक असंतोष पैदा होगा; और जहां इस प्रकार के कठोर दंड हों वहां व्यापार में आसानी नहीं हो सकती। अतः मैं माननीय मंत्री से दृढ़तापूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे इस विषय पर गंभीरता से विचार करें। उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित दंड और अभियोजन अत्यंत कठोर और कड़क हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस बात से अवगत हैं कि जब इस प्रकार के कड़े नियंत्रण कुछ अधिकारियों के हाथों में दिए जाते हैं, तो अवैध वसूली की घटनाएं होना अनिवार्य हो जाती हैं। इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है, व्यापक असंतोष फैलता है, और जहां इस तरह के कठोर दंड लागू होंगे, वहां व्यावसायिक सुगमता की प्राप्ति असंभव हो जाती है।

अतः धारा 230 से लेकर धारा 240 तक, समझौते, व्यवस्थाएं और विलय संबंधी समस्त विषय कंपनी के अधीन व्यवसाय संचालन के अभिन्न और मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन्हें अत्यंत कठोर और बोझिल बना दिया गया है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे इस विषय पर गंभीरता से विचार करें। उनके पास अत्यंत प्रबुद्ध मस्तिष्क है। उन्हें आगामी दो से तीन महीनों में इस पर मनन करना चाहिए और बजट से पहले एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से यह अपेक्षा करता हूँ, और निश्चय ही आज मैं उनका समर्थन करता हूं। यह निर्विवाद है कि इस विधेयक का समर्थन किया जाना चाहिए।

धन्यवाद।

श्री प्रेम दास राई (सिक्किम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चूंकि वित्त मंत्री जी जा रहे हैं... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: वे नहीं जा रहे हैं।

श्री प्रेम दास राई: मुझे लगा कि वे जा रहे हैं। मैं केवल एक ऐसा मुद्दा प्रस्तुत करना चाहता हूं जो सिक्किम राज्य से संबंधित है।

जैसा कि हम कंपनी अधिनियम में प्रगतिशील संशोधनों पर चर्चा कर रहे हैं - हमने व्यापार करने में सुगमता और विभिन्न हितधारकों की चिंताओं को दूर करने के बारे में काफी चर्चा सुनी है, मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कंपनी अधिनियम, 2013 में धारा 465 के संबंध में सिक्किम के लोगों और सिक्किम सरकार की चिंताएं, जो कंपनी पंजीकरण (सिक्किम) अधिनियम, 1961 को निरस्त करती हैं।

इस संबंध में, मैं पूर्व कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री, श्री सचिन पायलट जी द्वारा राज्य सभा में सभा पटल पर सिक्किम राज्य को दिए गए आश्वासन को उद्धृत करना चाहता हूं कि सिक्किम सरकार और संसद के सदस्यों के साथ इस संबंध में परामर्श के बाद ही, सभी मुद्दों पर विचार करने और सभी चिंताओं का समाधान करने के बाद ही उक्त धारा को अधिसूचित किया जाएगा।

उन्होंने जो कहा है उसे मैं उद्धृत करना चाहूंगा:

> "मैं सिक्किम के माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 'अधिसूचना' जारी होने से पहले, हम राज्य सरकार के साथ उचित परामर्श करेंगे, इस मामले में हम विधेयक में सिक्किम से संबंधित सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री और माननीय संसद सदस्यों से बात करेंगे और सभी मुद्दों पर विचार करेंगे और उनका समाधान करेंगे।"

यह बात पूर्व कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री सचिन पायलट जी ने राज्य सभा में विधेयक पारित होने के दौरान कही थी।

मैं सरकार से आश्वासन प्राप्त करना चाहता हूं कि उक्त धारा के अधिसूचना संबंधी निर्णय केवल राज्य सरकार और संसद के सदस्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही लिया जाएगा, जैसा कि पूर्व सरकार द्वारा आश्वस्त किया गया था।

मैं यहां दोहराना चाहूंगा कि अनुच्छेद 371 च के प्रावधानों की गरिमा का संरक्षण अनिवार्य है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि *'सबका साथ, सबका विकास'* के सिद्धांत पर संचालित यह सरकार इस विषय में सिक्किम के जन एवं सरकार की संवेदनाओं को पूर्णतया समझेगी और सम्मान देगी।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज़ एक्ट विधेयक, 2014 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। फैक्ट्री एक्ट, 1956 में तकरीबन 57 वर्ष बाद पहली अमैंडमैंट अगस्त, 2013 में हुई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 57 वर्ष बाद जो कानून बनाया गया, उसमें सिर्फ 8 या 10 महीने के अंदर अमैंडमैंट बिल लाना पड़ा। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने ऑब्जैक्ट्स में लिखा है कि वर्ष 2013 का कानून आने के बाद जब उस पर अमल शुरू हुआ तो जिस तरह की कठिनाइयां सामने आ रही थीं, उससे मैनुफैक्चर करने वाले लोग परेशान हो रहे थे। आज कोई भी मैनुफैक्चरर सुखी नहीं है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर सुखी नहीं है। हमारे मराठी में एक कहावत है -- भीख नुकोपन कुतरा आवर। कानून जिसके लिए बनाना चाहिए, अगर वह घटक उस कानून से सुखी नहीं होता तो उसका फायदा ही नहीं होता। आज वर्ष 2013 में फैक्ट्री एक्ट का निर्माण होने के बाद, 2013 का बिल पास होने के बाद बिल के अब्जेक्ट में लिखा है:

"...प्रारंभिक प्रावधानों में निर्धारित कुछ आवश्यकताओं के अनुपालन में व्यावहारिक कठिनाइयाँ।"

वर्ष 2013 में जो प्रोविजन किया गया था उस पर अम्ल करते वक्त उससे सारे मैंन्युफैक्चरर परेशान हुए थे। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लोगों की कठिनाई और समस्याओं के ऊपर ध्यान देकर आज कंपनी एक्ट, 2014 के माध्यम से जो नया बिल लाया है, उसमें कम से कम 14 अलग-अलग सुझाव तैयार किए हैं। भविष्य में मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जो लोग हैं, उनको इस बिल के माध्यम से राहत देने का काम किया है।

महोदय, जो 14 अमेंडमेंट जो अलग-अलग है उसमें कई तो सही हैं, लेकिन कई के माध्यम से डर होता है। जैसे इम्परिजमेंट करना, पनिश्मेंट करना, जो ब्यूरोक्रेटस होते हैं, प्रशासनिक आधिकारी होते हैं उनको ज्यादा पॉवर देकर अगर मैन्यफैक्चरर लोगों को तकलीफ हुई तो इस बिल से थोड़ा भी दुरूपयोग हुआ तो उस पर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए। आज मुंबई की स्थिति ऐसी हो गई है, एक समय पूरी दुनिया में मुंबई कपड़ा मिल के क्षेत्र में बहुत फेमस सिटी थी, सबसे ज्यादा कॉटन मिल और कॉटन वर्कर्स मुंबई में थे। करीब दो लाख कॉटन वर्कस वहां काम करते थे। दुर्भाग्य से वहां ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि आज सारे कॉटन वर्कर बेघर

हो गए, बेचिराग हो गए, सारे बर्बाद हो गए, मुंबई की पूरी की पूरी कॉटन इंडस्ट्री बाहर निकल गई। उसका नतीजा यह हुआ कि मुंबई की जो आर्थिक स्थिति थी, महाराष्ट्र की जो आर्थिक स्थिति थी, उसके ऊपर इसका गंभीर परिणाम हुआ। आज हिन्दुस्तान में जो इनवेस्टर्स हैं, जो अलग अलग तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई मैन्यफैक्चरर है, कोई सर्विस इंडस्ट्री में है, उसको राहत मिलने की जरूरत है। इसके माध्यम से जब वे आएंगे, जैसे बड़ी-बड़ी कंपनीज आती हैं, इससे रोजगार निर्मित होता है, रोजगार के निर्माण होने से वहां के लोगों को ऑटोमेटिकली वहां के लोगों के जीवन पर असर होता है। इससे लोग सुखी होते हैं। दुर्भाग्य से, आज हिन्दुस्तान में कोई इन्वेसटर्स आना नहीं चाहता। क्योंकि यहां का कानून उनके लिए परेशानी का निर्माण करती है। आज मुंबई में कई ऐसे डायमंड मैन्यफैक्चरर्स हैं, डायमंड डीलर्स हैं, वे मुंबई में बैठकर व्यापार करते हैं, लेकिन सारा का सारा उनका जो बिजनेस होता है वह प्रदेश में जाता है। प्रदेश में जाकर धंधा करना, हिन्दुस्तानी इन्वेस्टर्स के लिए आसान होता है, हिन्दुस्तानी इन्वेस्टर्स को इस हिन्दुस्तान में आसानी से बिजनेस करने के लिए जब सरकार कोशिश करती है, तो हमारा फर्ज है कि सरकार द्वारा लाए गए इस बिल का समर्थन करे, एक अच्छा सुझाव लाया है। उसके लिए मैं संबंधित मंत्री जी को बधाई देता हूं। इसके साथ-साथ एक विनती करूंगा जिस तरह से अमेंडमेंट बिल लाते वक्त उन्होंने 14 सुझाव रखें, करीब 14 अमेंडमेंट लाए हैं। अपने देश में कई लोग चोरी करना ही ज्यादा पसंद करते हैं। इस बिल के जरिए ऑडिट के माध्यम से उस पर कंट्रोल लगाने का अच्छा काम किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ध्यान देना चाहता हूं, इसके पहले भी मैंने बताया कि एक और अच्छा सुझाव इसमें लाया है।

इसका उल्लेख उद्देश्य और कारणों के कथन के पैरा 5 में किया गया है। इसमें कहा गया है :

"(6)...उन इक्विटी शेयरों का स्थानांतरण जिनका अप्राप्त/अवैतनिक लाभांश निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया गया हो..."

एक अच्छा सुझाव इस बिल के माध्यम से आया है। पहले ऐसा होता था कि कई लोग किसी कारण या कोई अप्रोच न होने के कारण डिविडेंड नहीं लेते थे तो वह पैसा कम्पनी के खाते में जमा होता था। इस कारण एजुकेशनल फंड या वेल्फेयर फंड सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता था।

मेरी विनती है कि जो उद्योग जिस क्षेत्र में है, उसी उद्योग का एजुकेशनल फंड या वेल्फेयर फंड उस क्षेत्र के बच्चों के लिए कैसे इस्तेमाल हो, उसकी व्यवस्था आप इस बिल में करें।

माननीय उपाध्यक्ष: अब सभा कल, 17 दिसंबर, 2014 के पूर्वाह्न 11 बजे के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 17 दिसंबर, 2014 / 26 अग्रहायण, 1936(शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेज़ी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित